खण्ड-291, अंक-1
बुधवार, 20 श्रावण, शक संवत् 1893
(11 अगस्त, 1971 ई0)

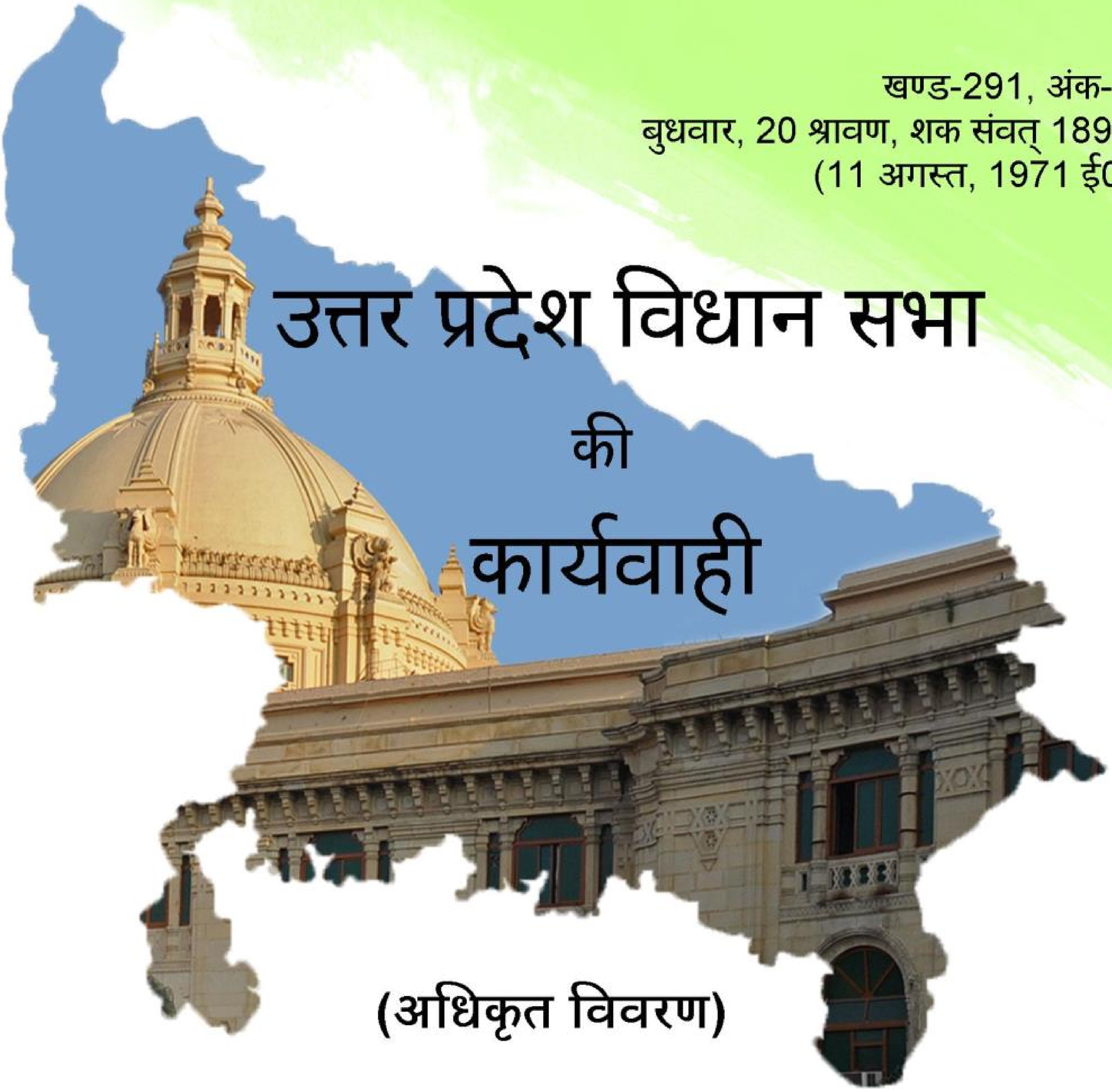

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 291 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१—५
प्रश्नोत्तर (जारी)	५—३१
व्यवस्थ का प्रश्न	३२
प्रश्नोत्तर	३२
सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई के संबंध में सूचना	३२ –३३
शेख मुजीबुर्रहमान की जीवन-रक्षा के संबंध में प्रस्ताव पर विचारार्थ समय की मांग	३३—३९
इटावा जिले में हरिजन वर्ग के प्रति अत्याचार के सम्बन्ध में याचिका (प्रस्तुत की गई)	३९
राजपत्रित अधिकारियों को एक ही स्थान पर बनायें रखने के संबंध में याचिका (प्रस्तुत की गई)	३९—४०
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं	४०—४१
सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना हिन्दी भाषा में न देने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	४१—४२
श्री अनन्तराम जायसवाल द्वारा समाचार-पत्र में गलत समाचार छापने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	४२—४८
बंगला देश की मान्यता के सम्बन्ध में हुए प्रदर्शनों में जनसंघ तथा कांग्रेस (सत्तारूढ़) दल के सदस्यों के साथ दिल्ली के अधिकारियों द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार की शिकायत	४९—५४
समितियों के चुनाव के सम्बन्ध में परिवर्तित कार्यक्रम की सूचना ..	५४—५५
नियम ५२ की सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी	५५—५६
सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना न देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	५६—५७
कानपुर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में विचारार्थ समय की मांग ..	५७—५८
ग्राम शिवपुर और अरांव जगदीशपुर, जिला गोरखपुर में कृषकों द्वारा मजदूरों पर जुल्म किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	५८—६२
विधेयकों के सम्बन्ध में समय निर्धारण की सूचना ..	६२—६७
उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७१ (विचारोपरान्त पारित)	६७—७१
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७१ (विचारोपरान्त पारित)	७१—९३
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७१ (विचारोपरान्त पारित)	९३–१०७
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१ (विचारोपरान्त पारित)	१०७–१३४
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ (विचारोपरान्त पारित)	१३४–१३५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ११ अगस्त, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३६८

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गणेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री

गोविन्द सिंह नेगी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार,
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह श्री,
धूम प्रसाद, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसीराम, श्री
बब्बन सिंह, श्री

बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल,श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ , श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगबती प्रसादशुक्ल, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद श्री
महाबीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिा मुरादाबाद)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, सिंह श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडे, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी , श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण, श्री (जिला आगरा)
रामचरन त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रास निहोर राय, श्री
रामपति, श्री

रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पाण्डेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालाबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम श्री,
लीलाधर, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
शिव बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शन्ति देवी, श्रीमती
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पान्डेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, राम श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरजलाल, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यती, श्रीमती

हंसराज उर्फ हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, श्रीमती
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, श्री
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हुक्मसिंह , श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा (फतेहाबाद
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—पंचायती राज मंत्री श्री बलदेवसिंह आर्य, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ११ अगस्त, १९७१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

तहसील कुंडा जिला प्रतापगढ़ की काली नदी के बांध में कथित कटाव

**१—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम शाहपुर, परगना बिहार, तहसील कुण्डा, जिला प्रतापगढ़ में काली नदी का बांध टूट जाने के कारण इस नदी का इस साल बरसाती पानी गंगा नदी में जाने के बजाय बेंती तालाब में भर रहा है, फलस्वरूप निरन्तर वर्षा के कारण बेंती तालाब के किनारे बसे गांव, पूरे अहिरान, बलीपुर लौवा–सुखदेवपुर, पूरे मोती, बेंती तथा पुरनेमऊ, परगना बिहार, तहसील कुण्डा (प्रतापगढ़) की आबादी व खेती के जल मग्न होने का खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो उक्त बांध की मरम्मत तथा काली नदी का बहाव पूर्ववत् कायम करने की दिशा में क्या कार्यवाही हुई ?

सिंचाई उप मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)---

इस संबंध में सहायक अभियंता, कुन्डा ने कृषकों के साथ स्थानीय निरीक्षण किया जिससे ज्ञात हुआ है कि काली नदी के बांध में इस वर्ष अब तक कोई कटाव नहीं हुआ है तथा उसकी स्थिति ठीक है। काली नदी का पानी की बेंती तालाब में नहीं आ रहा है और न ही संबंधित ग्रामों को बाढ़ से कोई खतरा है। इससे बांध को ग्रामवासियों ने ही बनाया था तथा इसका रखरखाव भी ग्राम सभा बानेमऊ द्वारा होता है और इस वर्ष भी बरसात से पहले किया गया है।

श्री जयराम यादव---

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि सितम्बर, १९७० में बांध टूट गया था और तब से आज तक कोई मरम्मत नहीं की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

गांव वालों ने काट दिया था और उन्होंने ही फिर बांध दिया।

श्री जयराम यादव---

क्या मंत्रीजी बतलायेंगे कि गांव वालों ने काट दिया था या बरसात से टूट गया था और आज तक मरम्मत नहीं की गई और अगर की गई तो कब की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

गांव सभापति का बयान है कि गांव वालों ने काटा था और उन्होंने ही बना दिया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

क्या मंत्री जी इस बात पर राजी हो जावेंगे कि अपने अभियन्ता को निर्देश दें कि श्री जयराम यादव के साथ वह जायं और निरीक्षण करें कि क्या यह सही है कि मरम्मत नहीं हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सहायक अभियन्ता ने जांच की है और कहा कि कटा नहीं है और जो कटा था वह बांध दिया गया है।

श्री अनन्त राम जायसवाल---

यादवजी चुनौती दे रहे हैं तो उनके साथ जाकर देख लें कि बांध टूटा है या नहीं ?

सिंचाई मंत्री (श्री राम लखन)---

गांव सभा की ओर से बनाया गया था और वही इसकी रख-रखाव कर रहे हैं। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि जांच करा लें तो करा लेंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

यह बांध कब काटा गया था और कब बांध दिया गया और क्या क्षति हुई ?

श्री बीरबहादुर सिंह---

यह १९७० में बांध गांव वालों ने काट दिया था। यह बरसात में काटा गया था और उसके बाद बांध दिया गया।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, मंत्री जी के उत्तर से प्रतीत होता है कि उनका आधार गांव सभा के प्रधान का बयान है, तो क्या मंत्रीजी बतलायेंगे कि स्वयं उनके एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर उस स्थल पर कब पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण की अब तक रिपोर्ट दी या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह गांव वालों का बांध है, सरकारी नहीं है। हमारे सहायक अभियन्ता गये थे और उन्होंने रिपोर्ट दी है।

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

क्या मंत्री जी हाउस को विश्वास दिलायेंगे कि बाढ़ को देखते हुये इसकी मरम्मत की कोई व्यवस्था करा देंगे कि आगे नुक्सान न हो ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बाढ़ रोकने की व्यवस्था की गई है क्योंकि रिपोर्ट में गांव वालों ने खुद कहा है कि इसको ठीक से रख रहे हैं और कटने की संभावना नहीं है।

श्री जयराम यादव—

क्या सिंचाई मंत्री जी बतलायेंगे कि १३ जुलाई, १९७१ को गांव सभा के सभापति ने यह दरख्वास्त दी कि बांध टूट रहा है और पानी भर रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जो गांव सभा के सभापति ने बयान दिया है वह १–८–७१ को दिया है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी ग्राम सभा के सभापति के १–८–७१ के बयान को पढ़कर सुनायेंगे और जो १३ जुलाई की दरख्वास्त है उसको भी पढ़कर सुनायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप पढ़ेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बानेमऊ ग्रामसभा के सभापति का बयान है। श्रीमान जी जसा कि आपने मुझसे असम्बली प्रश्न के बारे में पूछा था जो भीटा काटकर गाली नदी के पानी को बेती तालाब में ले जाने तथा वहां पर बलीपुर, सुकदेवपुर, पूरे अहिरान, मोहद्दीनगर, बेन्ती, पुरेनमऊ इत्यादि गांवों में पानी दुबारा नुक्सना पहुंचाने के बारे में है। इसके बारे में मेरा कहना है कि यह बांध पिछली बरसात में पूरे महाबीर जब कि उनके यहां अधिक पानी भर गया था के निवासियों ने काटा था और काली नदी का पानी तालाब बेन्ती में गये थे। इस बार इन गांवों में तालाब के पानी की वजह से अभी तक कोई हानि नहीं हुई और न तालाब में पानी बह रहा ह।

बांध जहां काटा गया था वहां पर हम ग्रामवासी पूरे बहाबीर बानेमऊ ने ठीक कर दिया था और अब यहां से काली नदी का पानी नहीं जा सकता।

यह बांध बहुत पुराना हम ग्रामवासियों द्वारा ही बनाया गया था एवम् हमी उसकी देखभाल भी करते हैं। यह असेम्बली प्रश्न पिछले साल श्री जयराम यादव एम० एल० ए० द्वारा किया गया था। इस समय बांध को कोई खतरा नहीं है। और न इसके मरम्मत की ही जरूरत है। अगर कोई बात हुई तो इसकी देखभाल हम स्वयं ही कर लेंगे।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मेरे सवालों का पूरा जवाब नहीं आया। १३ जुलाई को जो दरख्वास्त दी गयी थी वह और पढ़ दें।

श्री जयराम यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे जो १३ जुलाई को प्रार्थनापत्र दिया था वह उनके पास है और यदि हां तो उस सम्बन्ध में उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

श्री राम लखन—

अभी १—८—७१ का बयान सुनाया है। १३ जुलाई को कोई प्रार्थना पत्र नहीं प्राप्त हुआ।

श्री जयराम यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सितम्बर ७० में जब बांध कट गया था तब से काली नदी का बहाव गंगा नदी की ओर जाने के बजाय बेंती तालाब की ओर हो गया है और यदि हां तो उसको रोकने की क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामलखन—

बांध गांव वालों नें काटा था और स्वयं ही उन्होंने उसको बांध दिया इसलिये बहाव रोकने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है।

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा असामयिक वर्षा के कारण रबी के बकाया दरों के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही का स्थगन

**२—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान अतिवृष्टि तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त जिलों क किसानों द्वारा भूमि विकास बैंक एवं भूमि निबन्धक बैंक से लिये हुए ऋण की निश्चित अदायगी की तिथि सरकार ने बढ़ा दी है ? यदि हां, तो कब तक और इस संबंध में संबंधित शाखाओं को कब सरकारी आदेश भेजा गया है ?

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, लखनऊ एक स्वचालित संस्था है। इस संस्था ने असामायिक वर्षा के कारण इस वर्ष के रबी के बकायादारों के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही खरीफ को अगली फसल के आने तक स्थगित कर दिया है। वसूली की तारीख १५ दिसम्बर, १९७१ तक बढ़ा दी गई है तथा यह आदेश समस्त शाखाओं को २० जुलाई, १९७१ को भेजा गया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि जो उत्तर है वह असंगत है, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैंने पूछा था "निश्चित अदायगी की तिथि सरकार ने बढ़ा दी है", आपने कहा है बकायादारों की वसूली की तिथि आप कह रहे हैं। ३० जून तक किस्त जमा करने की तारीख होती है, काश्तकार उस तारीख तक नहीं जमा करता है तो पहली तारीख से वह बकायेदार हो जाता है। तो उसको जो मैंने पूछा है उसको बढ़ाने का इसमें कोई सवाल ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

(मूल प्रश्न व उसका मूल उत्तर पढ़ने के बाद) यह तो ठीक मालूम पड़ता है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

इसमें एक भ्रम हो रहा है । शम्भूनाथ चौधरी का कहना बड़ा जायज है । ३० जून तक अदायगी की तिथि है और नहीं अदा करेंगे तो बकायेदार मान लिये जायेंगे और तब उन से सूद, पेनाल्टी वगैरह जरूर ली जायेगी । यह कहते हैं कि वसूली स्थगित करते हैं, लेकिन बकायेदार के रूप में उनको मान रहे हैं । होना यह चाहिये था कि ३० जून से ३० सितम्बर तक की तिथि होने से वह बकायेदार न माने जाते । यह निश्चित प्रश्न है।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

इसकी वसूली रोक दी गई है तो जो बकायेदार हैं पहली जुलाई को....

श्री हबुबीर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

प्रश्न यह था कि ३० जून तक जो ड्यू होता है उसकी वसूली की तारीख बढा दी गई है या नहीं ? मंत्री जी उत्तर दूसरा दे रहे हैं ३० जून तक बकायेदार तो मानते हैं और बकायेदार की वसूली रोक दी गई है । इस लिये मंत्री जी साफ-साफ बताने की कृपा करेंगे कि ३० जून के बाद जो वसूली स्थगित हुई है उसके बाद क्या वह बकायेदार मान लिये गय हैं?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

बकायेदार पहली जुलाई को हो जाते हैं । इसलिये उनके ऊपर वसूली १५ दिसम्बर तक रोक दी गई है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

पहली जुलाई से १५ दिसम्बर तक जो स्थगित किया गया है, उसमें उनसे सूद वगैरह वसूला जायेगा या मुल्तवी हो जायेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

स्थगित है, इसमें जो सूद होगा वह तो वाजिब होगा, पैनाल्टी वगैरह की तो सूचना हमारे पास है नहीं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं राजस्व मंत्री का ध्यान उनके वक्तव्य दिनांक १२ जुलाई की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था "लैन्ड मार्गेज बैंक के ऋणों की अदायगी की अवधि बिना किसी दंड व्याज के ३१-७-७१ तक बढ़ा दी गई है, इसके अलावा १३ जुलाई को इसी सदन में मंत्री जी ने घोषणा की कि यह १५ दिसम्बरतक बढ़ा दी गई है । अब कहते हैं कि बकायेदारी की तिथि बढ़ाई गई है, तो इन दोनों में विरोधाभास है, इसे स्पष्ट हो जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ समझ में नहीं आया ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

इस बात को देखते हुए कि सहकारिता के जो ऋण दिये जाते हैं (मेरा लाउड स्पीकर ठीक करो) वह किसान को प्रोडक्टिव मींस के लिये जैसे खाद के लिये दिये जाते हैं जिससे वह पैदा करके ऋण को रिपे करे, जो बरसात हो गयी गरमी में, किसानों का गल्ला नष्ट हो गया, फिर बाढ के कारण बोवाई नहीं हो पा रही है' क्या ऐसे इलाकों में, जहां किसान का दोनों कारणों से नुक्सान हुआ है किसानों का ऋण माफ करेंगे ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

श्रीमान् जी, यह जिस ऋण की बाबत चर्चा है वह दीर्घ कालीन ऋण हैं, फसली के लिये नहीं है, कई किस्तों में वसूल होता है । असामयिक वर्षा के कारण इसकी जून की वसूली नहीं हो सकी । इसलिये १५ सितम्बर तक रख दिया गया ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री स्पष्ट बतायेंगे कि जो उन्होंने १३ जुलाई को बहस के दौरान यह कहा था कि ऋणों की अदायगी की तिथि १५ दिसम्बर, तक बढ़ा दी गयी है, उस घोषणा पर अटल हैं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

हमने यह कहा था कि १५ दिसम्बर तक वसूली रुकी है।

श्री कृष्णानन्द राय—

यह सारा प्रदेश झंझट म रह गया। बड़ा कनफ्युजन पैदा हो गया । केवल एक चीज स्पष्ट कराना चाहता था कि ३० जून को जो उनसे वसूली होती, जिस लाइबिलिटी के साथ होती, ठीक उसी लाइबिलिटी के साथ १५ दिसम्बर को वसूली होगी या बीच के पीरियड में बकायादार मान कर वसूली होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो कह चुके कि बकायादार...

श्री कृष्णानन्द राय—

तब तो उन्होंने सारा झूठा प्रचार किया । अगर पैनाल्टी चार्ज करेंगे, सूद चार्ज करेंगे तो सेवा क्या है ? फिर तो अभी वसूल कर लें । फायदा क्या है ? छः महीने के बाद वसूल करेंगे । क्या माननीय मंत्री जी स्पष्टतया घोषणा करेंगे कि बाढ़ और अतिवृष्टि से नुकसान को देखते हुये जो ऋण है वह १५ दिसम्बर, तक उसी लायबिलिटी के साथ वसूल करेंगे जिस लायबिलिटी के साथ ३० जून को वसूल होता ।

श्री उपाध्यक्ष—

जवाब में यह है "उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, लि०, लखनऊ एक स्वा-चालित संस्था है । "इसको ध्यान में रखते हुए सवाल करें । इसके बारे में जो इत्तला वहां से आई है उसी को माननीय मंत्री ने रखा है। आपके सामने यह कैसे कहें कि बकाया माफ करेंगे ।

व्यवस्था का प्रश्न

(श्री रियासत हुसैन के खड़े होने पर)

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

व्यवस्था का सवाल है । मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एक दिन लीडरों की मीटिंग हुई उसमें आपभी मौजूद थे और यह कहा गया कि किस प्रकार हाउस सुचारू रूप से चले । इस पर सारे सदस्यों का विचार लिया गया । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं कई बार खड़ा हुआ, एक-एक सवाल पर दस मिनट लग गये, दो सवालों पर २० मिनट लग गये । मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आपकी व्यवस्था हाउस की व्यवस्था होगी तो कैसे व्यवस्था होगी ? मैं आठ बार खड़ा हुआ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह सदन व्यवस्थित है।

श्री रामकरन सिंह---

यह व्यवस्थित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

किसी प्रश्न पर माननीय सदस्यों को इतनी दिलचस्पी है।

श्री रामकरन सिंह---

आपने श्री नित्यानन्द स्वामी को बुला लिया, उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि व्यवस्थित है। कैसे व्यवस्थित होगा।

श्री उपाध्यक्ष---

जवाब अगर नहीं आया, माननीय मंत्री अगर जवाब देने के लिये खड़े हो जाते (व्यवधान) यह बहस अव्यवस्थित है। कृपा करके आसन ग्रहण करें।

श्री रामकरन सिंह---

प्रश्नों के समय का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

इन तीन मिनट के लिये आप दोषी हैं।

श्री राम करन सिंह---

मैं दोषी नहीं हूं। मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

हवी इलेक्ट्रिकल्स हरिद्वार के कर्मचारी संघ की मांगों

**३---श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स हरिद्वार में भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध कर्मचारी संघ की ओर से अपनी मांगों के लिये अनशन कर रहे हैं? यदि हां, तो कब से? उनकी मांगें क्या हैं तथा हमारे श्रम विभाग ने इस विषय में जब तक क्या किया?

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)---

जी हां। श्रमिक दिनांक ६ जुलाई, १९७१ से २४-२४ घंटे की रिले भूख हड़ताल कर रहे हैं।

उनकी मांगे संलग्न परिशिष्ट में हैं।

क्षेत्रीय श्रम अधिकारी समय-समय पर श्रमिकों को वैधानिक मार्ग अपनाने की सलाह देते रहे हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५८ पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या श्रम मंत्री बतलायेंगे कि कौन-कौन से श्रम अधिकारी वहां किस दौरान गये और उन्होंने मालिकों से परस्पर समझौते की बातचीत की?

श्री गणेशदत्त वाजपेयी---

किस-किस समय कौन-कौन श्रम अधिकारी बातचीत के ले लिये गये इसके लिये मुझे सूचना चाहिये। लेकिन यह मुझे ज्ञात है कि वहां के डिप्टी लेबर कमिश्नर गये और दोनों पक्षों से बातचीत की गयी।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो श्रम अधिकारी गये हैवी इलेक्ट्रिकल्स पर उन्होंने मजदूरों तथा प्रबन्धकों दोनों से बातचीत की ? अगर बातचीत की तो किन-किन बातों पर मतभेद आज भी बना हुआ है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

खास बात यह है कि उन्होंने प्रार्थना की कि भूख हड़ताल समाप्त करके संराधन समिति में अपनी मांगों को ले जाओ । आपकी मांगें मुनासिब हैं । वैधानिक ढंग से कामरोको तो भगवान कल्याण करेगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रम विभाग के अधिकारियों ने जब दोनों पक्षों से बातचीत की तो किस-किस मांग पर समझौता हो गया और जिन मांगों पर समझौता नहीं हो सका क्या उनको सरकार एडजुडिकेशन के लिये रेफर करने को तैयार है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

वहां पर एक मान्यता प्राप्त यूनियन है । दूसरी यूनियन वह है जो उससे छोटी है । जनरल एग्रीमेंट जब करने होते हैं तो मान्यता प्राप्त यूनियन के माध्यम से होते है । श्रम संराधन अधिकारी के समक्ष वह अपनी एप्लिकेशंस दें, पांचों मांगें उनकी वह मुनासिब समझते हैं, लेकिन वैधानिक रीति तो अपनायी जाय वहां तो भूख हड़ताल की जाती है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या शांति पूर्ण चल रही हड़ताल को माननीय मंत्री अवैधानिक मानते हैं और क्या उनको इस बात की सूचना है कि उन के तम्बू को गिराने की धमकी कम्युनिस्टों तथा लीगियों ने दी है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

तम्बू गिराने की सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या श्रम मंत्री शांतिपूर्ण चल रही हड़ताल को अवैधानिक मानते हैं, इसका भी उत्तर आना चाहिये ।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम में भूख हड़ताल की कोई व्यवस्था नहीं है ।

मेसर्स रेली केमिकल्स लि०, मगरवारा, जिला उन्नाव के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

**४—श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव के मगरवारा, रैली केमिकल्स लिमिटेड में हजारों कर्मचारी अपनी मांगें को पूर्ण कराने के लिये दिनांक १९ जुलाई, १९७१ से हड़ताल पर हैं । यदि हां, तो मिल को खुलवाने तथा श्रमिकों की मांगें पूरी करने के लिये मंत्री जी ने क्या किया ? श्रमिकों की क्या मांगें हैं ।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

जी हां । मेसर्स रैली कमिकल्स लिमिटेड, मगरवारा, जिला उन्नाव में दिनांक १९ जुलाई, १९७१ को प्रातः आठ बजे स २४५ कर्मचारी हड़ताल पर हैं ।

विवाद को सुलझाने के लिये प्रतिश्रमायुक्त, कानपुर क्षेत्र ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से अनेक बार वार्ता की तथा राज्य मंत्री जी ने भी दिनांक २७–७–७१ को दोनों पक्षों से वार्ता की किन्तु कोई समझौता न हो सका । श्रमिकों की मांगों को अभिनिर्णय हेतु भेज दिया गया है।

उन्नाव केमिकल्स इम्पलाईज यूनियन द्वारा दिये गये हड़ताल नोटिस दिनांक २३-६–७१ के अनुसार श्रमिकों की १३ मांगे, हैं, जिनमें मुख्यतः वेतन बढ़ोत्तरी, मकान किराया भत्ता, छुट्टियों में वृद्धि, वरदी का दिया जाना आवास व्यवस्था इत्यादि है।

श्री राम गोपाल सण्ड––

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि वहां के २४५ श्रमिक २०/२२ दिन से हड़ताल पर हैं। वे स्वयं २७ तारीख को उस फैक्टरी में गये थे और उनके साथ समझौता कराने में असफल रहे। तो मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे वहां पर दुबारा जायेंगे और उनके साथ समझौता करेंगे ताकि वे अपनी हड़ताल तोड़ दें और उनकी न्यायोजित मांगें पूरी हो सकें ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी––

उपाध्यक्ष महोदय, ९ तारीख को उनकी हड़ताल मेरे ही परामर्श से समाप्त हो गई ।

श्री राम गोपाल सण्ड––

मैं माननीय मंत्री जी से भी जानना चाहता हूं कि क्या २१ दिन तक जो मजदूर हड़ताल पर थे उनका उस समय का वेतन दिलाने का प्रबन्ध करेंगे अथवा नहीं ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी––

मेरी दृष्टि में वह हड़ताल गैर-कानूनी थी और गैर-कानूनी हड़ताल का भत्ता देना अभी संसार ने सीखा नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बलिया जिले में सड़क निर्माण कार्य-तथा मार्गों की मरम्मत आदि पर व्यय

*१––श्री शम्भूनाथ चौधरी––

क्या सरकार बतायेगी कि बलिया जिले में वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में किन-किन सड़कों का निर्माण, जिर्णोद्धार तथा मरम्मत का कार्य किया गया है और इन पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बलिया जिले में पिपरा घाट पुल से सार्वजनिक विभाग को वर्ष सन् १९७०–७१ में कितनी धनराशि की मासिक आमदनी हुई है ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री राज बिहारी सिंह)––

वांछित सूचना ४ सूचियों में सदन की मेज पर रक्खी है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १५९ पर)

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर यह बताने की कृपा करेंगे कि जो संलग्न तालिका उन्होंने दी है उसमें अधिकांश सड़कें ऐसी हैं जो केवल कागज पर ही हैं और मौके पर नहीं मिलती हैं, तो क्या वे इस संबंध में उच्चाधिकारियों द्वारा जांच कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह---

मान्यवर, इसमें दो-तीन तरह की सड़कें है । कुछ नई सड़कें १९७०-७१ में ली गई है। जो नई सड़कें बनती हैं उसमें काफी समय लग जाता है, काम शुरू होने पर और जमीन वगैरह लेने पर सालों लग जाते हैं । जो नई सड़कें ली गई है उनको बलिया बेरिया-रिविलगंज मार्ग और रेवती-बेरिया-लालगंज मार्ग आदि का निर्माण कार्य है । तो इनमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं है । मुझे आप कहें, मैं आपके साथ चल सकता हूं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मान्यवर, जो सूची प्रस्तुत की गई है उसमें जो सड़कें दिखाई गई हैं उनमें सड़कों पर हुए कुल व्यय का व्योरा दिखाया गया है ....

श्री राज बिहारी सिंह---

मन्यवर, इस समय १९७१ में जो सड़कें ली गई है उसमें कुछ पुरानी सड़कें भी ली गई हैं, इसलिये कुल खर्चा दिखाया गया है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १९७०-७१ में जो सड़कें स्वीकृत हुई हैं उन सड़कों में कोई व्यय हुआ है या नहीं ? यदि व्यय हुआ है तो कितना व्यय हुआ है और नहीं हुआ है तो उसका कारण क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो लम्बे व्योरे का सवाल आपने पूछ दिया ।

श्री कृष्णानन्द राय---

उपाध्यक्ष महोदय, माइक की व्यवस्था को ठीक करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह ठीक हो रहा है ।

श्री कल्पनाथसिंह---

मेरा प्रश्न केवल यह है कि १९७०-७१ की सड़कों पर कोई व्यय हुआ है या नहीं ? हमने यह नहीं पूछा कि कितना हुआ है । अगर हुआ है तो क्यों ? (व्यवधान)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

यह बहुत लम्बा कागज लेकर खड़े हो गये हैं । बवाल ही बवाल है, काम कुछ नहीं है ।

*२---श्री रामधारी शास्त्री तथा श्री बांके लाल---

[६ठें मंगलवार के लिए स्थगित]

सिंचाई कार्य मंडल, वाराणसी के सिंचाई विभाग, तथा बलिया के द्वितीय उपविभाग के सहायक अभियंता के विरुद्ध श्री रामाज्ञा यादव का शिकायती-पत्र

*३—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी के अन्तर्गत सिंचाई विभाग, बलिया के अधीन द्वितीय उप विभाग के वर्तमान सहायक अभियन्ता के विरुद्ध श्री रामाज्ञा यादव, साकिन नसीरपुर, पो० खनवर नबादा, जिला बलिया का एक शिकायती-पत्र अप्रैल, १९७१ में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं और उनकी जांच के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

जी हां, शिकायती-पत्र अप्रैल, १९७१ में प्राप्त हुआ था जिसमें सहायक अभियन्ता के विरुद्ध रिश्वत मांगने, सरकारी जीप को निजी कार्य के लिये प्रयोग में लाने, फर्जी नाप व भुगतान दिखलाने, कर्मचारियों व ठेकेदारों को परेशान करने, सरकारी, कर्मचारियों से निजी कार्य लेने, समान कार्यों के लिये विभिन्न दरें देने तथा चरित्र भ्रष्ट होने आदि के आरोप लगाये गये हैं। आरोपों की जांच अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी द्वारा की गई। उन्होंने आरोपों को निराधार पाया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

धन्यवाद। अब नम्बर तो आ गया सवालों में मेरा।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो नहीं कहना चाहिये। नम्बर तो आता ही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि दरख्वास्त देने वाले ने यह भी दरख्वास्त की थी कि कार्य मण्डल वाराणसी के अधीनस्थ अभियन्ता से यह जांच न करायी जाय ?

श्री रामलखन—

जी नहीं।]

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दरख्वास्त का वह अंश पढ़ना चाहता हुं जिसमें यह चीज है—"संबंधित कार्य मण्डल, वाराणसी को छोड़कर अन्य किसी कार्य-मण्डल के किसी वरिष्ट अधिकारी से कराने की कृपा करें" यह पहले ही पैरे में है। वह अब आपने भी पढ़ लिया है तो कृपया बता दें कि इस दरख्वास्त को मंजूर करने में आपको क्या कठिनाई है ?

श्री रामलखन—

जांच के लिये मुख्य अभियन्ता को लिखा गया था, उन्होंने वाराणसी के अधीक्षण अभियन्ता को नियुक्त कर दिया।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

बलिया में ही नहीं, इस प्रकार की शिकायत अन्य जिलों में भी है तो क्या ऐसी शिकायतों के संबंध में मंत्री जी एक आयोग गठित करने की कृपा करेंगे जो पी० डब्ल्यू० डी० विभाग में, सिंचाई के सहायक अभियन्ता और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध सही तरीके से जांच करें।..

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जांच के दौरान उन्होंने दरख्वास्त देने वाले को अपना बयान देने का मौका दिया और यदि दिया तो किन-किन लोगों को आपने बुलाया जांच के दौरान ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

जांच के दौरान लोगों को मौका दिया गया ३ अगस्त, १९७१ के लिये, लेकिन इस बीच में प्रश्न हो गया और उनको मौका नहीं मिला। फिर से मौका उनको बाद में दिया जायगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शिकायत कर्ता को अपने आरोप सिद्ध करने का मौका नहीं दिया गया तो बाहर के किसी अधिकारी से जांच कराने में उनको क्या आपत्ति है ?

श्री राम लखन—

इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इस सदन के माननीय सदस्य शम्भूनाथ चौधरी ने इसी प्रकार की शिकायत सहायक अभियन्ता के खिलाफ की थी ?

श्री राम लखन—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

मुजफ्फरनगर में कैराना से जमुना ब्रिज तक सड़क के लिये ली गई भूमि का मुआवजा

*४—श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को मालूम है कि जिला मुजफ्फरनगर में कैराना कस्बे से जमुना ब्रिज तक जो सड़क १९६२ में बनाई गई थी उस सड़क के दोनों तरफ काश्तकारों की जमीन ली गई थी और मिट्टी उठाई गई थी जिसका मुआविजा नहीं दिया गया और काश्तकारों से अभी तक जमीन का लगान भी वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो यह मुआविजा कब तक दिला दिया जायेगा और काश्तकारों से लगान वसूल करना कब तक बन्द किया जायगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री महमूद अली खां)—

इस मार्ग के निर्माण के लिये १०८.२४ एकड़ भूमि अस्थायी रूप से और ५२.८३० एकड़ भूमि स्थायी रूप से अर्जित की गई थी। दोनों तरह के अर्जन में २४९ भूस्वामियों को प्रतिकर देय था। इनमें से १४० को प्रतिकर दिया जा चुका है और शेष को देने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अस्थायी अर्जन में जो लगान लिया गया है उसे भूस्वामियों की प्रतिकर में मिलाकर वापस कर दिया गया है। जहां आवश्यक था वहां लगान कम करने की कार्यवाही भी सम्पन्न हो चुकी है।

राप्ती नदी पर बनी ठोकरों के निर्माण में भ्रष्टाचार

*५—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के बांसी तहसील में राप्ती नदी पर ग्राम बन्जरहा और डुमरिया के बीच बने हुए ठोकरों की मरम्मत जो वर्ष १९७१ में हुई

और जो गत अप्रैल और मई में साधारण वर्षा में बह गया उसके बनाने से संबंधित व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में सरकार को जनता से कोई शिकायत-पत्र प्राप्त हुआ है ? अगर हां, तो सरकार ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीरबहादुर सिंह---

प्रश्न का प्रथम भाग---

दो शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं ।

प्रश्न का दूसरा भाग---

शिकायती पत्र प्राप्त होने के समय से वर्षा के कारण कार्य-स्थल डूबे रहने के कारण जांच संभव न हो सकी और शिकायतकर्ता भी जांच के लिये कार्य-स्थल पर उपस्थित नहीं हो सके ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

क्या सिंचाई मंत्री जी बतायेंगे कि यह जांच किस के सुपुर्द की गई ?

श्री राम लखन---

अधिशासी अभियन्ता, बस्ती को दी गई है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, यह मेरे क्षेत्र से संबंधित है और इस में बड़ा घोटाला हुआ है । इसको ध्यान में रखते हुए और मेरी सूचना को आधार मान कर किसी दूसरे अधिकारी से जांच कराने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री रामलखन---

अभी तो अधिशासी अभियन्ता को जांच सुपुर्द की गई है । उनकी रिपोर्ट आने के बाद यदि आवश्यक हुआ तो जांच करायेंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, इसमें सिंचाई अभियन्ता और स्थानीय अभियन्ता सम्मिलित हैं । यह ठोकर लगाई नहीं जाती है । रुपया खा लेते हैं और हर साल यह बह जाती है तो क्या सिंचाई मंत्री जी उचित नहीं समझते हैं कि दूसरे अधिकारियों से जांच करायें ताकि सही स्थिति का सरकार को ज्ञान हो सके और वह कोई कदम उठा सके ?

श्री राम लखन---

मान्यवर, मैंने निवेदन किया है कि अभी अधिशासी अभियन्ता के सुपुर्द जांच की गई है और शिकायती-पत्र में उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं है । उनकी रिपोर्ट आने पर अगर जरूरी समझेंगे तो जांच करायेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह कार्य उसी सहायक अभियन्ता के द्वारा हुआ है तो वह भी दोषी है ? किसी दूसरे अधिकारी से जांच कराने में उनको क्या कठिनाई है ?

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम आगे चलते हैं ।

श्री मैनेजर सिंह---

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष---

दो बार माननीय त्रिपाठी जी ने प्रश्न पूछा था उसका जवाब दे दिया गया। आपने वहीं प्रश्न पूछा तो मैंने उसको अनावश्यक समझा। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वे जांच करा लेंगे।

श्री मैनेजर सिंह---

श्रीमन्, दोनों प्रश्नों में अन्तर है, उसको मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

गोंडा जिले में सादुल्ला नगर से धारीघाट तक मार्ग-निर्माण

*६---श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोंडा जिले के अन्तर्गत बभनान से रहरा बाजार तक की सड़क के निर्माण किये जाने का कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो सड़क का निर्माण कब से आरम्भ किया जायगा?

श्री राजबिहारी सिंह---

जी नहीं। केवल सादुल्लानगर से धारीघाट के १० किलोमीटर मार्ग का निर्माण वर्ष १९७१-७२ के आय-व्ययक में सम्मिलित है। सब औपचारिकता पूर्ण होने पर निर्माण-कार्य आरम्भ होगा।

श्री त्रिवेणी सहाय---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस सड़क को बनाने का प्रस्ताव कब स्वीकार हुआ था और उसमें अब तक कितनी देर हो गयी है?

श्री राजबिहारी सिंह---

मैंने बताया कि इसी साल यह इस बजट में रखी गयी है। और कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

इस साल तो बजट में ली गयी है लेकिन पहले इसको स्वीकार कब किया गया था?

श्री राज बिहारी सिंह---

पहले स्वीकार कब हुई इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

अतरौला, जिला अलीगढ़ में राजकीय नलकूपों तथा निजी साधनों द्वारा सिंचाई

*७---श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला अलीगढ़ के अतरौला विधान सभाई क्षेत्र में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है, उसमें से नहर विभाग द्वारा राजकीय नलकूपों द्वारा और निजी साधनों द्वारा अलग-अलग कितनी-कितनी भूमि सिंचाई की जाती है और कुल कितनी भूमि अभी भी ऐसी है जिसकी सिंचाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है? क्या सरकार ऐसी भूमि की सिंचाई की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम लखन--

		रु०	
प्रथम भाग--	.. .. ..	१,१२,०२८	एकड़
द्वितीय भाग सूचना निम्नलिखित है:--			
(१) नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र--	..	२१,०२३	एकड़
(२) नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्र ..	..	६८,१८९	एकड़
(३) निजी साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र	..	७,६४२	एकड़
तृतीय भाग--	.. .. ..	१५,१७४	एकड़

चतुर्थ भाग--असिंचित क्षेत्र में दो राजकीय नलकूप लगाने का प्रस्ताव है जिनके द्वारा लगभग ६०० एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। ९,०२९ एकड़ क्षेत्र गंगा खादर तथा नहर के चुआन में स्थित है। इस क्षेत्र में कोई सिंचाई सुविधा प्रदान करना सम्भव नहीं है। ५,५४५ एकड़ क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचाई सम्भव नहीं है।

रिहन्द बांध से निकली भूमि का आवंटन

*८--श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९७०-७१ में रिहन्द बांध, पिपरी, मिर्जापुर से निकली हुई भूमि को आवंटित करने का आधार क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

रिहन्द बांध से निकली हुई भूमि का आबंटन समय-समय पर निर्गत किए गये सामान्य आदेशों के अनुसार किया जाता है। आबंटन के आधार की सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १६४ पर)

श्री राम प्यारे--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उनके द्वारा निर्धारित पांच सूत्री प्राथमिकता के आधार पर जो जमीन दी गयी है उसके अनुसार कार्य न होकर वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक-एक परिवार के बीबी, बच्चों, रिश्तेदारों और यहांतक कि हरवाहों और चरवाहों के नाम में जमीन १००-१०० बीघा दे दी है? क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में कोई जांच आयोग बैठायेंगे और दोषी कर्मचारियों को दंड देंगे ?

श्री राम लखन--

इस सम्बन्ध में कोई शिकायत शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

ऐसी भूमि के आवंटन के आधार को माननीय मंत्री जी ने पढ़ कर नहीं सुनाया। क्या माननीय मंत्री जी सदन के सदस्यों की जानकारी के लिये उन आधारों को बता सकेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सिंचाई विभाग की भूमि खेती के लिये पट्टे पर निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार दी जाती है--

(क) जिनसे भूमि हस्तगत की गयी हो, ऐसे स्थानीय व्यक्तियों को,
(ख) स्थानीय भूमिहीन विशेषकर आदिमवासी और हरिजनों को,
(ग) ऐसे व्यक्तियों को जो कम से कम ५ वर्ष से भूमि को विभाग से कानून न पट्टे पर लिये हुए हों,

(घ) स्थानीय रक्षा कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को,

(ङ) यदि उपरोक्त वर्गों में कोई भूमि न ले तो नीलाम द्वारा सबसे ऊंची बोली बोलने वाले व्यक्ति को।

२—उपरोक्त प्राथमिकता केवल उत्तर प्रदेश में स्थित भूमि के लिये है। प्रदेश से बाहर स्थित भूमि का निस्तारण नीलाम द्वारा किया जायगा।

श्री वंशीधर पांडेय—

जो प्रश्न राम प्यारे जी ने किया है वह बहुत गंभीर है। राम प्यारे जी ने जो भूमि के बंटन के बारे में आरोप लगाया है उस प्रकार की शिकायतें माननीय मंत्री जी को दूसरे स्थानों से भी प्राप्त हुई होंगी। चकिया बांध से निकाली हुई भूमि के बारे में भी जांच की गयी थी तो बड़ी अनियमितताएं पायी गयी थीं तो आप विभाग के कर्मचारियों के अलावा रेवेन्यू विभाग के भी कर्मचारियों को जोड़ कर कोई ऐसी कमेटी बना दें जिसके अध्यक्ष जिलाधीश हो, आपके इंजीनियर भी उसमें हों और एस० डी० एम० और तहसीलदार भी हों ताकि ठीक से काम चल सके।

श्री राम लखन—

जो नयी भूमि एलाट करनी होती है वह जिलाधीश से वेरीफिकेशन के बाद ही एलाट की जाती है।

श्री रामप्यारे—

क्या माननीय मन्त्री जी मेरी बात को आधार मान कर इस बात की जांच करायेंगे कि जो आधार आपका है उसके अनुसार भूमि को वितरित न करके एक-एक आदमी को १ ००—१००, ५०—५० एकड़ भूमि दी गयी है और उनके लड़के, बच्चों, पत्नी तथा हरवाहे, चरवाहे के नाम से एलाट हुई है? यदि हां, तो क्या दोषी पाये गये कर्मचारियों को दंडित करेंगे?

श्री राम लखन—

मैंने पहले ही निवेदन किया है कि शासन को इस तरह की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, माननीय राम प्यारे स्वयं एक शिकायत कर रहे हैं।

श्री राम लखन—

यदि माननीय सदस्य लिख कर भेजेंगे तो उसकी जांच करा लेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो भूमि वितरित की गयी है तो प्रत्येक लोगों को अधिक से अधिक कितने एकड़ तक दी गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना की जरूरत है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि माननीय राम प्यारे ने शिकायत की है कि एक परिवार के ५—५ लोगों को जमीन बांटी गयी है इसकी जांच करा कर उनके पट्टे खारिज करायेंगे?

श्री राम लखन--

मैंने निवेदन किया कि माननीय सदस्य लिख कर भेजेंगे तो उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री रामप्यारे--

माननीय मंत्री जी ने जैसा कि उत्तर में बताया कि स्थानीय व्यक्तियों को ही जमीन एलाट की जायेगी लेकिन वास्तविकता यह है कि स्थानीय व्यक्तियों को जमीन न एलाट कर के बहुत से वे लोग जो रिहन्द बांध से विस्थापित होकर मध्य प्रदेश में चले गये थे ऐसे लोगो को भी जमीनें एलाट हुई हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जो इनका प्राथमिकता का आधार है कि उत्तर प्रदेश के ही लोगों को भूमि देंगे भविष्य में ऐसे आदेश देंगे जिससे उत्तर प्रदेश के ही लोगों को जमीन मिले ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह नहीं । इसकी मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री महीलाल--

व्यवस्था का प्रश्न यह था कि मैंने एक दिन पूरक प्रश्न में पूछा था तो माननीय मंत्री जी ने यही जवाब दिया था कि माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जांच करा लेंगे । तो आपकी व्यवस्था यह हो गयी थी कि माननीय सदस्य की विधान सभा के स्तर पर शिकायत के आधार पर ही जांच हो सकती है । तो माननीय राम प्यारे जी की शिकायत को आधार मान कर माननीय मंत्री जी को जांच कराने में क्या आपत्ति है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह जनरल सवाल है । हो सकता है कि कुछ विशेष बातों की जानकारी रामप्यारे जी को हो और वह लिख कर देना चाहें । तो इसमें रुकावट क्या है ?

(११ अगस्त, १९७१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

कानपुर की डेरापुर तहसील के बान नाले का सर्वेक्षण

*१--चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में डेरापुर तहसील के बान नाला का सर्वेक्षण कर लिया गया है ? यदि हां, तो नाला खुदवाये जाने का कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा और इसमें देरी क्यों की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । अभी ड्रेन की तकनीकी जांच हो रही है और यदि उचित पाया गया तो कार्य भूमि अधिग्रहण हो जाने के पश्चात् प्रारम्भ किया जायगा ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस बान नाले की लम्बाई कितनी है, इसके लिये कितना धन स्वीकृत किया गया है और इसमें अब टैक्नीकल जांच किस बात के लिए हो रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

टैक्नीकल जांच इस बात के लिये हो रही है कि यह फिजिबल है या नहीं । इसकी लम्बाई ६ मील है और इसके लिये १ लाख २० हजार रुपया खर्च होने का अनुमान है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि यहां पर हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि बाढ़ के पानी से डूबी है और बान, कंचौसी बाजार, कमलापत का पुरवा तथा रानेपुर गांव आदि इससे प्रभावित होते हैं और इस समय भी वहां पर बहुत पानी भरा हुआ है तो इस नाले के निर्माण में शीघ्रता करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

३३५ एकड़ भूमि इससे जलमग्न हो जाती है । इसके लिये व्यवस्था की जायगी ।

कानपुर की डेरापुर तहसील के ग्रामों का बरसाती पानी निकासी के लिये नालों का निर्माण

*२--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम बहेड़ा सतोरा, उड़नवापुर, ररोख, परोख के बरसाती पानी निकालने के लिये नाला खुदवाने का सर्वेक्षण करा लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त नाला कब तक खुद जायगा तथा इसके देर किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीरबहादुर सिंह--

जी हां, इन ग्रामों का बरसाती पानी निकालने के लिए परोंस तथा बहेड़ा नालों का सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है तथा इस का लांग सेक्शन भी स्वीकृत कर दिया गया है । अब भूमि अधिग्रहण के संबंध में कार्यवाही की जा रही है, भूमि मिल जाने तथा धन उपलब्ध होने पर इन नालों का खुदवाना सम्भव होगा ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस डेरापुर नाले की लम्बाई कितनी है और इस नाल का पानी आखिर किस स्थान पर डाला जायगा और इसके लिये निर्माण में कितना-कितना धन स्वीकृत किया गया है ?

श्री वीरबहादुर सिंह--

इसमें एक नाले की लम्बाई १ मील ६ फरलांग है और दूसरे की २ मील ६ फरलांग है । इनके लिये एस्टीमेट तैयार हो रहा है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

यह भी बतला दिया जाय कि आखिर इस नाले का पानी किस जगह पर डाला जायगा, कहीं गांव में तो नहीं डाला जायगा ?

श्री वीरबहादुर सिंह यादव--

अभी इसका सर्वेक्षण हो रहा है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस इलाके में हजारों एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब जाती है और बहुत से गांव इससे प्रभावित होते हैं । इसका सर्वेक्षण भी हो चुका है खाली जमीन लेने की बात है । तो यह पानी कहां पर डाला जायगा और इसमें शीघ्रता की जायगी या नहीं ?

श्री वीरबहादुर सिंह--

जहां तक हमारे पास सूचना है उसक अनुसार इसका पानी सेंगर नदी में गिराया जायगा ।

हरैया तहसील, जिला बस्ती में नलकूप

*३--श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री राम करन सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या हरैया तहसील (जिला बस्ती) में नलकूप लगाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से कार्य आरम्भ हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्न का प्रथम भाग--

जी नहीं ।

प्रश्न का द्वितीय भाग--

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुखपाल पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हरैया तहसील में राजकीय नलकूप लगाने के लिये शासन को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और वहां पर सर्वे कराया गया है ?

श्री वीरबहादुर सिंह--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री सुखपाल पांडेय--

क्या सिंचाई मंत्री जी बतायेंगे कि हरैया तहसील में प्रार्थना-पत्र पड़ने के बाद कितने ट्यूबवेल लगाये गये हैं और कितनों में सर्वे होकर स्वीकृत हो चुके हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री सुखपाल सिंह--

श्रीमन्, इसके लिये कोई दूसरी तिथि निश्चित कर दें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, क्या हर प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि सूचना की आवश्यकता होगी ? आप इसका निर्णय करेंगे कि उत्तर ठीक से दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर गलत होंगे तो मैं टोकूंगा ।

श्री सुखपाल पांडेय--

श्रीमन्, वहां पर सर्वे आदि भी हो गया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष--

आपने प्रश्न किया था कि क्या हरैया तहसील में नलकूप लगाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है, तो इन्होंने कहा 'जी नहीं'। और आपके दूसरे भाग के उत्तर में कि यदि हां, तो कब से कार्य आरम्भ हो जायेगा, इन्होंने कहा है कि प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सुखपाल पांडेय--

श्रीमन्, यह कहां तक उचित है कि ये हर प्रश्न के उत्तर में ऐसे जवाब दें और कह दें कि सूचना की आवश्यकता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप लिख कर दे दें, लेकिन इस प्रकार से यहां पर प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री मैनेजर सिंह--

क्या ये माननीय मंत्री जी से बन्द कमरे में मिले थे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

*४-५--श्रीमती प्यारी देवी गुप्त--

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*६--श्री शम्भूनाथ चौधरी

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

शासनादेश द्वारा जी० पी० एफ० में से गेहूं-चना खरीदने के लिये अग्रिम धन

*७--श्री हरीसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजाज्ञा सं० २६२/४-९११-७१, दिनांक २३ अप्रैल, १९७१ के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को भविष्य निधि (विषय-सरकारी कर्मचारियों को भविष्य निर्वाह निधि से वर्ष १९७०-७१ को रबी की फसल में गेहूं क्रय करने के लिये अस्थायी अग्रिम स्वीकृत) अग्रिम दी गई है? यदि हां, तो राजकीय परिवहन विभाग के ट्रेफिक कर्मचारी इससे क्यों वंचित किये गये हैं?

परिवहन उप-मंत्री (श्री आबिद अली)--

शासनादेश सं० जी-२-९६२/दस-९११-७१, दिनांक २८ अप्रैल, १९७१ के अनुसार यदि कोई राज्य कर्मचारी जी० पी० एफ० (भविष्य निर्वाह निधि) का सदस्य है, और दिनांक ३० जून, १९७१ तक आवेदन पत्र दिया है, तो उसे उक्त शासनादेश में दी गई शर्तों के अनुसार गेहूं, चना खरीदने के लिये अग्रिम धनराशि दी जा सकती है।

२--राजकीय रोडवेज के ट्रैफिक कर्मचारी (जूनियर स्टेशन इन्चार्ज तथा उसके ऊपर के पदों को छोड़कर) भविष्य निर्वाह निधि के सदस्य नहीं होते, इसलिये उन पर यह शासनादेश लागू नहीं होता।

श्री हरी सिंह विष्ट--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं, उन्हें सरकार जी० पी० एफ० का सदस्य बनाने जा रही है?

परिवहन मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

इस तरह का कोई प्रोपोजल सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री हरी सिंह विष्ट—

कितने व्यक्ति ऐसे हैं, जो जी० पी० एफ० के सदस्य नहीं हैं और क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ट्रैफिक स्टाफ जो जूनियर स्टेशन इन्चार्ज होते हैं, उनसे ऊपर के अधिकारी जो होते हैं वे जी० पी० एफ० के मातहत होते हैं और जो जूनियर स्टेशन इन्चार्ज या उनसे नीचे के होते हैं वे सी० पी० एफ० में आते हैं ।

रायबरेली में सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्मित आवास गृह में सरकारी दफ्तर

*८—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सरकार बतायेगी कि जिला रायबरेली में सरकारी कर्मचारियों के आवास भवनों व उनके लिये बनाये गये 'डी' टाइप क्वार्टर्स में कितनों में क्रमशः सरकारी दफ्तर कायम हैं और अधिकारी रह रहे हैं ? और क्या सरकार उन भवनों व क्वार्टरों को खाली कराकर सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ?

श्री महमूद अली खां—

रायबरेली में सब श्रेणियों के कुल २४२ आवास हैं जिनमें 'डी' टाइप के १०३ हैं । उनमें से केवल ७ में सरकारी दफ्तर हैं ।

उक्त ७ आवासों को खाली कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी प्रश्न को निर्दिष्ट करके यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने अधूरा उत्तर क्यों दिया ?

श्री राज बिहारी सिंह—

१७ अधिकारी रह रहे हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, सप्रेशन आफ फैक्ट्स भी किया जाता है, यह भी आपके सामने आ गया है । क्या माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से यह आश्वासन देंगे कि किस तारीख तक ये दफ्तर और सरकारी अधिकारी इन क्वार्टर्स को खाली कर देंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जहां तक सरकारी दफ्तरों का सवाल है, उनको आदेश दे दिये गये हैं । जहां तक सरकारी अधिकारियों का सवाल है, उन्हें भी आदेश दे दिये गये हैं और जसे ही उन्हें मकान मिल जायेंगे, ये भी खाली करा दिये जायेंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जिन्होंने छोटे सरकारी कर्मचारियों का हिस्सा मार कर उनके आवासों पर खुद कब्जा किया है और उनमें दफ्तर खोल दिये हैं, तो....

श्री राज बिहारी सिंह—

मान्यवर, सरकारी अधिकारियों ने कोई गलती नहीं की है। जगह की कमी के कारण मकान एलाट कर दिये गये हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

जिस अधिकारी ने छोटे कर्मचारियों के क्वाटरों को बड़े अधिकारियों को एलाट कर दिया है क्या मन्त्री जी उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे? छोटे कर्मचारी बाहर पड़े हुए ह जबकि उनके भवनों के निर्माण के लिये यहां विधान सभा से धन स्वीकृत हुआ था। तो ऐसी दशा में क्या मन्त्री जी उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री राजबिहारी सिंह—

किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने के सवाल के संबंध में मुझे निवेदन करना है कि जिन मकानों को एलाट किया गया है वह दफ्तर खोलने के लिये किया गया है क्योंकि वह कार्य जनहित में था। जन हित को दृष्टि में रखते हुए ऐसा किया गया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मन्त्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे कि एक निश्चित तारीख तक इन क्वार्टरों को, सरकारी दफ्तरों को और अधिकारियों वाले मकानों को खाली कराकर कर्मचारियों को रहने के लिये उपलब्ध करा देंगे?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, मैं उन मकानों को जल्दी से जल्दी खाली कराने की कोशिश करूंगा, कोई निश्चित तिथि देना तो मुश्किल है।

*९—श्री मंजूर अहमद—

[७ वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला मेरठ में किठौर से हापुड़ तक सड़क का एलाइनमेंट में बदलाव के कारण न बन सकना

*१०—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगीकि जिला मेरठ में किठौर से हापुड़ तक की बहुत पुरानी सड़क को बनाने के लिये १९६९–७० के बजट में धनराशि सुरक्षित कर दी गई थी? यदि हां, तो उसके अब तक न बनाये जाने का क्या कारण है?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। परन्तु सड़क के एलाइनमेन्ट में बदलाव हो जाने के कारण सड़क अभी तक नहीं बनई जा सकी।

नोट—*तारांकित प्रश्न संख्या ८ के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

गोंडा में वजीर गंज बाजार से झिलाही रेलवे स्टेशन तथा बलेशर गंज बाजार से दुर्जनपुर घाट तक सड़क—सर्वेक्षण

*११—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

जिला गोंडा में वजीरगंज बाजार से झिलाही रेलवे स्टेशन तक और बलेश्वर गंज बाजार से दुर्जनपुर घाट तक की दोनों सड़कों का सर्वे तथा (स्टीमेट) १९७०—७१ अनुमानित व्यय कितने धन का बनाया गया है और इस सड़क के लिये किस योजनागत (देहाती क्षेत्र) में किस सन् से सरकार बनाना शुरू करेगी ?

श्री महमूद अली खां—

इन मार्गों के निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है ।

मिर्जापुर—चील्ह का पीपे का पुल टूटना

*१२—श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ९ जून, १९७१ को मिर्जापुर—चिल्ह का पीपे का पुल अचानक टूट कर गंगा में बह गया जिससे सरकार को कुल कितने रुपये की क्षति हुई ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां । २६,५०० रुपये की अनुमानित क्षति हुई ।

विद्युत् एवं यांत्रिक कर्मशाला सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीतापुर में वाहनों की रंगाई व मरम्मत में व्यय

*१३—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वि० एवं यांत्रिक कर्मशाला, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीतापुर में ट्रक व अन्य वाहनों की रंगाई व मरम्मत में वर्ष १९७०—७१ में कुल कितना धन व्यय हुआ ?

श्री महमूद अली खां—

रुपये ११,९०३·२९

*१४—१५—श्री निर्भय नारायण सिंह—

[७ वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या १५—१६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तहसील तुलसीपुर, जिला शाहजहांपुर के ग्रामों की आबादी का रामगंगा नदी से कटाव

*१६—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि सैलाब से भरी रामगंगा नदी ग्राम मरेना, उभौरा, सिमरा, सरसवा, कन्हानी और गौरिया, परगना खेड़ा बझेड़ा, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर की आबादी के पास दि० ७ जुलाई, १९७१ को पहुंच गई तथा आबादी काटना तेजी से शुरू है ?

श्री रामलखन—

ग्राम मरेना, डमोरा, सिमरा, सरसवां तथा बनहनों की आबादियां इस समय रामगंगा की धारा से क्रमशः लगभग ४० गज, ५ फरलान्ग, २ फरलान्ग, तथा २० गज की दूरी पर हैं । नदी में

पानी भरा है परन्तु तटों का उलंघन नहीं हुआ है। न तो आबादी कटी और न कहीं पर तेज कटाव ही है यही स्थिति ७ जुलाई, १९७१ को भी रही। ग्राम मरेना में नदी का रुख इस वर्ष आबादी की ओर दिखाई पड़ता है परन्तु तत्काल आशंका की स्थिति नहीं है। ग्राम गौरया, तहसील तिलहर में स्थित नहीं है।

रामगंगा और बहगुल नदियों की बाढ़ से शाहजहांपुर की जनता को हानि

*१६—श्री सुरेंद्र विक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस बात की जानकारी होते हुए कि रामगंगा और बहगुल नदियों की बाढ़ से तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर की जनता प्रत्येक वर्ष पीड़ित रहती है? इस वर्ष तहसील तिलहर में तुरन्त क्या-क्या बाढ़ निरोधक प्रबन्धक किये गये ?

श्री राम लखन—

कोई बचाव कार्य नहीं किये जा रहे हैं।

*१८—श्री जगवीर सिंह तथा श्री त्रिलोकचन्द—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित]

*१९—श्री मोहन लाल कपूर—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित]

*२०—श्री राम चरण त्रिपाठी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने क कारण निरस्त]

सरकारी कोटे से फियेट, एम्बेसडर कार तथा लम्ब्रेटा व वेस्पा स्कूटरों का आवंटन

*२१—श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल, १९७१ से १५ जुलाई, १९७१ तक सरकारी कोटे से कितनी फियेट, एम्बेसडर, लम्ब्रेटा व वैस्पा स्कूटर दिये हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इस अवधि में ५७ फियट कार, ५१ एम्बेसेडर, ६४ लम्ब्रेटा तथा ८२ वेस्पा आवंटित किये गये।

राजकीय रोडवेज, गोरखपुर में ए०टी०आई० के रिक्त पद

*२२—श्री दर्लासिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश रोडवेज विभाग के गोरखपुर मंडल में कितनी ए० टी० आई० की जगह रिक्त हैं तथा कब तक रिक्त स्थानों की पूर्ति की जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

राजकीय रोडवेज क्षेत्र, गोरखपुर में इस समय ४ पद असिस्टेंट ट्रैफिक इन्सपेक्टर के रिक्त हैं। सम्प्रति इन रिक्त स्थानों को भरने का कोई विचार नहीं है।

तहसील नवाबगंज जिला बरेली में सड़क निर्माण

*२३—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६९ ७० व वर्ष १९७०–७१ के बजट में जिला बरेली की तहसील नवाबगंज में कितनी मील सड़कें बनवाने हेतु स्वीकृत की गई थीं ? और उन पर निर्माण कार्य की प्रगति की स्थिति क्या है?

श्री महमूद अली खां—

वर्ष १९६९–७० में बरेली जिले में किसी सड़क का निर्माण स्वीकृत नहीं हुआ था । वर्ष १९७०–७१ में नवाबगंज-दलेलनगर बहरजागीर (१६ किलोमीटर) व हाफिजगंज-सेंथल (५ किलोमीटर) का निर्माण स्वीकृत हुआ था । इन पर अभी कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।

फर्रुखाबाद जिले में प्राइवेट बसों के चलाने के लिये नये रूटों का लिया जाना

*२४—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार फर्रुखाबाद जिले में प्राइवेट बसों को चलाने के लिये कुछ और सड़कों को लेने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन सी सड़कें हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के प्राविधानों के अनुसार आर०टी०ए० प्राइवेट बसों को नये मार्ग पर चलने के लिये परमिट देती है । अतः प्राइवेट बसों को चलाने के लिये सरकार द्वारा सड़कों को लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादाबाद में प्रदेशीय सरकार द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर नलकूप निर्माण

*२५—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री को यह मालूम है कि मुरादाबाद जिले के अन्दर जो कुयें बनाये गये हैं वह प्रदेशीय सरकार के असिंचित क्षेत्रों में पहले बनाये गये कुओं की नीति के आधार पर नहीं बनाये गये ? यदि हां, तो ऐसी क्यों किया गया ?

श्री राम लखन—

मुरादाबाद जिले के अन्दर अक्टूबर, १९६७ से अक्टूबर १९६९ तक की अविध में जो राजकीय नलकूप बनाये गये वह प्रदेशीय सरकार द्वारा उस समय निर्धारित द्विभागीय उपकर पद्धति की नीति के आधार पर बनाये गये थे । नवम्बर, १९६९ से उक्त पद्धति की समाप्ति के बाद प्रदेशीय सरकार द्वारा निर्धारित नई नीति के आधार पर नलकपों का निर्माण किया गया ।

*२६—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[६वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या २७ के अन्तर्गत स्थगित]

श्री ओ०डी० शर्मा मुख्य अभियंता सिंचाई द्वारा बलिया जिले का दौरा

*२७—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बतायेगी कि सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता श्री ओ०डी० शर्मा माह अप्रैल, सन् १९७१ में बलिया जिले का दौरा किये थे ? यदि हां, तो कब-कब और उनके दौरा का उद्देश्य क्या रहा है ?

श्री राम लखन—

जी हां, श्री ओ०डी० शर्मा, मुख्य अभियंता (गंडक) ने बाढ़ समस्याओं के अध्ययन हेतु केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग के मुख्य अभियंता श्री हरी सिंह के साथ उन्हें जिले की बाढ़ समस्याओं से पूर्णतया अवगत कराने के लिये बलिया जिले का दौरा अप्रैल १६,१७ तथा १८, १९७१ को किया था ।

जिला गोरखपुर में गंडक योजना के अन्तर्गत माइनरें

*२८—श्री राम लगन दुबे (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गंडक प्रोजेक्ट के प्रारम्भ में प्रस्तावित महेशपुर माइनर और फरेंदा माइनर, जिला गोरखपुर के बनवाये जाने का विचार विभाग ने छोड़ दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम लखन—

चूंकि महेशपुर राजवहा का मुहंड नैपाल में था अतः उसके निर्माण का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया । फरेंदा ब्रांच के निर्माण का निर्णय उसके सर्वेक्षण कार्य समाप्त होने पर लिया जा सकेगा ।

*२९—श्री राम लगन दुबे—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि तहसील महाराजगंज, जिला गोरखपुर में जंगल चौकी केवल तक बन रही गंडक की शाखा नहर के सीधे पश्चिम विकास क्षेत्र लक्ष्मीपुर के ग्राम बडगों के सवरनी आदि के पास नदी धोघी तक बनाने का कोई विचार है ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों ?

श्री राम लखन—

जी नहीं, क्योंकि गंडक नहर में इतना जल उपलब्ध नहीं है कि इस क्षेत्र की सिंचाई की जा सके ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद गोंडा में मार्ग निर्माण स्वीकृति तथा कार्य

१—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में सन् १९७०-७१ की कितनी सड़कों के लिये बजट में स्वीकृति मिल गई है और किस-किस सड़क पर कार्य शुरू किया गया है ? और कब तक यह कार्य पूरा हो जायेगा ?

श्री महमूद अली खां--

जनपद गोण्डा में वित्तीय वर्ष १९७०-७१ में १० मार्गों का निर्माण/पुनर्नि ण रवीकृत हुआ था । इनमें से जिन मार्गों पर कार्य प्रगति पर है तथा उनके पूर्ण करने का प्रस्तावित लक्ष्य निम्न प्रकार है ।

मार्ग का नाम	कार्य पूर्ण करने का प्रस्तावित लक्ष्य
१—नवाबगंज-उतरोला	जून, १९७३
२—परसपुर-नवाबगंज	,,
३—मनकापुर-सादुल्लानगर का छूटा भाग	,,
४—गोंडा-उतरौला	जून, १९७२
५—इटियाबोक्ष श्रीनगर (गोंडा-उतरोला मार्ग को मिलाते हुए)	दिसम्बर, १९७४

२—श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में निर्वाचन क्षेत्र १६८ महोदवा, विकास क्षेत्र नवाबगंज जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग की कुल कितनी सड़कें ह, और उन सड़कों में कितनी कच्ची हैं और कितनी पक्की हैं ?

श्री महमूद अली खां—

प्रश्नगत क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग की कुल ७ सड़कें हैं इनमें से एक कच्ची तथा ६ पक्की है ।

आजमगढ़ जिले में मऊनाथ भंजन से सुल्तानपुर तक सड़क

३—श्री श्याम लाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में मऊनाथ भंजन से सुल्तानपुर वाली सड़क को पक्की कराने का विषय सरकार के विचाराधीन हैं । यदि हां तो निर्माण कार्य कब से आरम्भ किया जायेगा ?

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं । ऐसी कोई योजना नहीं है।

लखनऊ-कुर्सी मार्ग तथा चिनहट-देवा मार्ग का निर्माण

४—श्री नत्था राम रावत (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार का लखनऊ-कुर्सी-महमूदाबाद तथा चिनहट-देवा सड़क को बनवाने का विचार हो रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री महमूद अली खां—

लखनऊ-कुर्सी मार्ग (२६ कि०मी०) के पुनर्निर्माण तथा चिनहट-देवा मार्ग (३ कि०मी०) के निर्माण का कार्य प्रगति पर है । कुर्सी-महमूदाबाद मार्ग के बनवाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

व्यवस्था के प्रश्न

(कुछ सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अभी मैं सूचना दे रहा हूं, पहले कार्यसूची २ . . .

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

प्रश्नों के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

हम इसको देख रहे हैं—कार्यसूची २. . . .

(व्यवधान)

आप सुनें । जितने प्रश्न हैं उनको हम देख रहे हैं।

श्री रामप्यारे—

मेरा सवाल यहां सचिवालय के लोगों के बारे में है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको मैं टोकता हूं । आप सचिवालय के बारे में न कहें । इसको पहले मुझे दिखायें, मैं देखूंगा ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप कृपया बैठें । मैं खड़ा हूं । आप इतना नहीं समझ रहे हैं तो मैं क्या करूं ।

सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य गिरफ्तार हुये हैं उनके नामों की तालिका को मैं पढ़ता हूं । माननीय उमा शंकर शुक्ल दफा १८८ के अन्तर्गत दिल्ली में पकड़े गये और छोड़े गये । सब श्री पारसनाथ सिंह और राम बचन यादव १०—८—७१ को दफा १८८ में दिल्ली में पकड़े गये । यह सूचना तार द्वारा प्राप्त हुई है। यह आपक सूचनाथ है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

कल जो आपने कहा था उसके संदर्भ में मुझे कहना है । दिल्ली में जन संघ के माननीय सदस्य गिरफ्तार हुए हैं और दूसरी तरफ के लोग उसी कांड के लिय गिरफ्तार नहीं हुए । यह तो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट हुआ । आप विचार करें श्रीमन्, मुझे कह लेने दें ।

R.A. 6070

श्री उपाध्यक्ष--

अभी मैं टोकता नहीं हूं । अगर कोई विशेषधिकार की अवहेलना का प्रश्न है तो आप उस पर विचार कर लें और बाद में अपनी राय व्यक्त कर दें ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

हमारे माननीय सदस्य ५-८-७१ को गिरफ्तार हुये थे और इस तथ्य की सूचना सदन को नहीं मिली है, ऐसा मुझे बताया गया है ।

श्री सिया राम, श्री राजेंद्र कुमार शर्मा आदि पांच व्यक्ति गिरफ्तार हुए ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह सूचना तो दे दी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

तो मैं क्षमा चाहता हूं ।

शेख मुजीबुर्रहमान की जीवन रक्षा के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विचारार्थ समय की मांग

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम ११० कृपया देख लें । इसमें लिखा है। 'बिना सूचना के प्रस्ताव-निम्नलिखित प्रस्ताव, यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें, "बिना सूचना के लिये जा सकेंगे" । और इसके नीचे श्रीमन्, एक सूची दी हुई है । मैंने श्रीमन्, दिनांक ३ और ५ अगस्त के बीच में एक प्रस्ताव दिया था और वह यह था कि उत्तर प्रदेश विधान सभा बंगला देश के लोकप्रिय नेता श्री मुजीबुर्रहमान के प्रति किय जा रहे अमानुषिक व्यवहार जो कि पाकिस्तान के तानाशाह की इस घोषणा से कि नेशनल असेम्बली की बैठक तक मुजीब जिन्दा भी रहेंगे या नहीं, स्पष्ट है, उसके प्रति खेद प्रकट करते हुए अपनी समवेदना श्री मुजीबुर्रहमान के प्रति प्रकट करती है और भारत सरकार तथा संसार के सभी देशों····

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह से नहीं चलेगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, मुझे बोलने दीजिये । श्रीमन्, यह प्रस्ताव ३,४,५ अगस्त के बीच दिया गया । मुझे मालूम है कि यह प्रस्ताव आम तौर से नेता सदन की ओर से आना चाहिये । मैंने सचिव महोदय से निवेदन किया कि इसको माननीय नेता सदन के पास भेज दिया जाय । तो श्रीमन्, यह प्रस्ताव कब पारित होगा ? जब मुजीबुर्रहमान को फांसी लग जायेगी । आज से ट्रायल शुरू हो रहा है । वह एक फार्स है । एक ऐसे व्यक्ति को जो इतने बहुमत से विजयी हुआ, फांसी लगा दी जायेगी । तो हम इस प्रस्ताव को पारित करें । इसमें किसी सूचना की आवश्यकता नहीं । मैं इन्तजार करता रहा कि माननीय नेता सदन इसको रखेंगे तो ठीक रहेगा लेकिन अब इन्तजार की सीमा खत्म हो गयी है क्योंकि आज ट्रायल शुरू है और कल फांसी हो जायेगी तो फिर क्या होगा ? तो आज इस प्रस्ताव पर बिचार हो और हम भारत सरकार और संसार के अन्य देशों से इस बात को कहें कि

[श्री नित्या नन्द स्वामी]--

मुजीबुर्रहमान के जीवन की रक्षा होनी चाहिये । यदि रक्षा नहीं होती तो हमारी भारत सरकार के ऊपर एक कलंक होगा । इसलिये आप इसकी अनुमति दें । यह बिल्कुल नियमों के अनुसार है । इस पर पूरी गम्भीरता के साथ विचार होना चाहिये । नेता सदन इसको प्रस्तुत करें, सब नेता लोग इसका समर्थन करें और इसे स्वीकार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपकी इच्छा तो व्यक्त हो गयी । आप नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष को मानते हैं । लेकिन क्या आपने नेता प्रतिपक्ष से सलाह-मशविरा किया है?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं इसको एक हफ्ते पहले दे चुका हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि आप ही तो एकमात्र सदस्य हैं नहीं । आपने तो अपने नेता को भी विश्वास में लिया मालूम नहीं पड़ता ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, मुझको तो मालूम ही है । मैंने तो कल अपने विचार व्यक्त किये थे ।

श्री उपाध्यक्ष---

मर्यादा का तकाजा है कि ऐसे प्रश्न को किसी दल के नेता द्वारा रखा जाना चाहिये और सब उसको मिलकर रखें । इस तरह से जिस तरह कि नित्यानन्द जी ६२ रहे हैं इसे कैसे नियमित करार दिया जा सकता है?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं इसको कंट्रोवर्सी का विषय नहीं बनाना चाहता । आप सुन तो लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप मेरी बात सुन लीजिये, मैं आपको इजाजत नहीं देता ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, शेख मुजीबुर्रहमान के जीवन की रक्षा होनी चाहिये और उसके लिये सारे संसार को आवाज उठानी चाहिये । लेकिन इस बात को आप लाइटली ले रहे हैं, मुझे इसका खेद है।

श्री उपाध्यक्ष---

ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें बंग बन्धु शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या का मामला हो और जो किसी आततायी और अत्याचारी सैनिक शासन द्वारा पद दलित किया जा रहा हो, अपेक्षणीय है कि उस पर न केवल अपनी राय बल्कि सब की राय लेकर तब इस चीज को यहां रखते (व्यवधान)

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि यह ऐसा प्रस्ताव है जिस के बारे में किसी व्यक्ति का दो मत नहीं है कि यदि प्रस्ताव को रखने के लिये आपको कोई नियम भी सस्पेंड करना पड़े

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो आपको सस्पेंड करना चाहिये और इनको कांफिडेंस में नहीं लिया या उनको कांफिडेंस में नहीं लिया, इस पर विचार नहीं करना चाहिये । यह तो पहले से दिया हुआ है । अब कोई अगुवाई नहीं करता है और कोई व्यक्ति अगुवाई करके उस तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करता है या सदन का ध्यान आकृष्ट करता है तो वह ग्राह्य है, उसे लेना चाहिये और अपने मन्तव्य को पूरा करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं रुकावट नहीं डाल रहा हूं लेकिन इसकी एक मर्यादा है, आप सदन के नेता से भी इस पर बात कर लें ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं समझता हूं कि उधर से यह प्रस्ताव आने वाला नहीं है । कल भी मैंने यह व्यक्त किया था कि उनकी मंशा क्या है । नेता सदन इसको लाने वाले नहीं हैं । अगर यह प्रस्ताव लाया जाता है तो मजबूर होकर वे इसके लिये "हां" ही करेंगे "न" नहीं कहेंगे । चूंकि मेरे दल की तरफ से यह प्रस्ताव लाया गया है इसलिये राजनीतिक पहलू से इस चीज को देखा जा रहा है । बंगला देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है । अगर सरकार की कोई निश्चित नीति होती तो माननीय नेता सदन पहले ही इस प्रस्ताव को सदन में लाते और उसी के संदर्भ में मैंने कल कहा कि ये केवल घड़ियाल के आंसू बहा रहे हैं । क्योंकि एक हफ्ता हो गया प्रस्ताव को दिये हुए और उन्होंने अभी तक सोचा ही नहीं कि क्या करना चाहिये ।

*राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)--

उपाध्यक्ष जी, जिस प्रश्न को माननीय त्रिपाठी जी ने उठाया है, मैं माननीय त्रिपाठी जी को बड़ी इज्जत से देखा करता था और उनकी बातों को हमेशा यह समझा करता था कि वे बड़ी गम्भीरता के साथ और विचार करके बातें कहा करते हैं । लेकिन इससे अधिक अन्यायपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती जो उन्होंने यह कह दिया कि शेख मुजीबुर्रहमान की जिन्दगी को बचाने की चिन्ता उनको छोड़ कर और किसी दूसरे को नहीं है । श्रीमन्, इसमें कोई संदेह नहीं कि शेख मुजीबुर्रहमान की जिन्दगी की वकत, उनकी कीमत, उसकी अहमियत, उसकी गरिमा, उसकी महिमा सिर्फ माननीय त्रिपाठी जी को ही नहीं बल्कि जनतंत्र में विश्वास रखने वाले जितने भी लोग हैं उनको उनसे कहीं अधिक है । उनमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक इंच भी कम करके उनके व्यक्तित्व को देखना चाहता हो । (व्यवधान) कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी इच्छा इस बात की न हो कि शेख मुजीबुर्रहमान की जिन्दगी को बचाने के लिये लहू की मांग हो तो उसे न दिया जाय । यहां पर बातें बहुत कही जाती हैं लेकिन देखना यह है कि इसको किस तरह से किया जाय । सभी इस बात को जानते हैं कि शेख मजीबुर्रहमान के साथ जो कुछ हो रहा है, वह जनतंत्र का अवमान करना है, मानवता का अवमान करना है और राष्ट्रीयता का अपमान करना है। लेकिन इस बात को कुछ लोग जिस तरह से कहने की कोशिश करते हैं, उनका मकसद केवल यह दिखलाने का होता है कि वे ही जनतंत्र के सबसे बड़े हामी हैं । कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ बंगला देश के प्रति अपना रुख लिया है, जो कुछ उसके लिये कहा है जिसने जीवन के खतरे को उठाया है । संसार के किसी बड़े से बड़े देश की वह काम करने की हिम्मत नहीं हुई है, जो पिछड़े हुए देश जिसको १०, २० साल ही आजाद हुये हुआ है, उसने जो करके दिखलाया वह इतिहास में लिखा जावेगा। अमेरिका जैसा धनी और प्रजातंत्र का हामी जो झूठे दावे करता रहा है, वह जाकर मदद करता रहा है । तो हमने बड़े से बड़े

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

खतरे उठाकर यह किया है कि वहां के आदमियों को शरण दें, जितना संभव हो सके उतनी उनकी मदद करें । यह देखते हुए कोशिश करना कि इस तरफ से हम उस तरह का प्रस्ताव नहीं लायेंगे, यह त्रिपाठी जी द्वारा कहा जाना क्या हमारे साथ अन्याय नहीं है, अत्याचार नहीं है और असत्य नहीं है ? श्रीमन्, यह राजनीति के कारण किया जाता है । श्रीमन्, हम किसी भी उस प्रस्ताव का वेलकम करेंगे जिससे श्री मुजीबुर्रहमान के जीवन को बचाया जा सके । सम्भवतः ऐसा प्रस्ताव आज शाम तक पेश कर देंगे ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

सात दिन में समय नहीं मिला ?

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

माननीय शर्मा जी का भाषण मैं बड़ी गम्भीरता से सुन रहा था लेकिन उन्होंने त्रिपाठी जी पर यह आरोप लगाया कि पहले वह उनकी इज्जत करते थे और अब जो कहा है उससे इज्जत करना कम हो गया है । मुझे यह आश्चर्य हुआ कि इतने गम्भीर प्रश्न पर जिसमें एशिया के एक बड़े नेता का जीवन संकट में है और उस नेता का जीवन ही संकट में नहीं है बल्कि सारी राजनीति और प्रजातंत्र की फिलास्फी संकट में है । माननीय शर्मा जी इस समावेश में बोल रहे थे जैसे कोई कम्पटीशन कर रहा हो कि उनके हृदय में ज्यादा प्रेम है या त्रिपाठी जी के हृदय में ज्यादा प्रेम है । मैं त्रिपाठी जी के विचारों से सहमत हूं कि यह तानाशाही प्रवृत्ति के कारण है । श्रीमन्, आज मानव का दमन चल रहा है और मुजीबुर्रहमान जो परसनालिटी बन गये हैं और जिसका जीवन एट स्टेक है, तो इस सदन को अगर प्रस्ताव पास करना है तो बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार करके उसकी शब्दावली और भाव में बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करके पास करना है । वह प्रस्ताव नेता सदन की ओर से हो तो अच्छा है नहीं तो आप सभी दलों के नेताओं को अपने कमरे में बुला लें और एक ऐसा प्रस्ताव जिससे इस विधान सभा के सभी सदस्य सहमत हो ले आवें, जो कि युनानिमस ढंग से पास हो जावेगा । जैसा माननीय नित्यानन्द स्वामी ने कहा कि हम समवेदना प्रकट करते हैं । वास्तविकता यह है कि इस सदन में यह घोषित करना होगा कि मुजीबुर्रहमान के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे । समवेदना प्रकट करना कोई अर्थ नहीं रखता है । भारत सरकार ने भी जो उनकी प्रतिक्रिया दिखाई दी है उसके यही अर्थ हैं कि उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने के गम्भीर परिणाम होंगे । तो आप सभी नेताओं को बुला लें और युनानिमस प्रस्ताव आवे, वह चाहे १६, १७ या १८ को रख दें लेकिन गम्भीरतापूर्वक इसको पास कर दें जिससे इसका असर पड़े ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

यह प्रस्ताव आज ही पास होना है ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, श्री मुजीबुर्रहमान की जान की रक्षा के संबंध में जो प्रस्ताव रखा गया है उस पर शीघ्र विचार हो जाना उचित ही है । उनकी जान की रक्षा के लिये हम जो कुछ कर सकते हैं वह करना चाहिये । अपने देश की सरकार का और सारे देशों की सरकारों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना चाहिये । अगर सभी का ध्यान आकर्षित किया गया तो यह निश्चित प्रतीत होता है कि शेख मुजीबुर्रहमान की जान की रक्षा हो जायेगी । अगर उनकी जान की रक्षा नहीं हुई तो प्रजातंत्र का गला घुट जायेगा । प्रजातंत्र का गला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

घुटने से बचाने की हम कोशिश करें । इस संबंध में किसी की नीति पर आक्षेप करने की जरूरत नहीं है । हम समझते हैं कि यहां कोई भी सदस्य ऐसा न होगा जो यह न चाहता हो कि मुजीबुर्रहमान की जान की रक्षा हो । जहां तक शब्दावली का सवाल है, सब पार्टियों के नेता बैठ जायं और उसकी शब्दावली ठीक कर लें और उस पर आज ही विचार हो जाय ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, नित्यानन्द जी ने जो प्रस्ताव यहां पर उठाया था उसके बारे में माननीय शर्मा जी को इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिये था । शर्मा जी शायद यह कहलाना चाहते हैं कि उनकी सरकार का असली चेहरा क्या है । मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब कांग्रेस आजादी के लिये लड़ाई लड़ रही थी तो उन दिनों अगर संसार के किसी भी भाग में जनतंत्र की हत्या होती थी तो यहां के लोगों का मन तड़प उठता था और सब के मन में एक तरह की प्रतिक्रिया होती थी । लेकिन आज बदकिस्मती है कि सभी के दिल में एक तरह की प्रतिक्रिया नहीं होती । उस समय चाहे एबीसीनिया हो या स्पेन, अगर कहीं भी प्रजातंत्र की हत्या होती थी तो पूरा देश एक साथ उठ पड़ता था । लेकिन आज ऐसी नहीं है । मान्यवर, बंगाल में मुजीबुर्रहमान चुने हुये नेता हैं । उनको प्रधान मंत्री होना चाहिये था । लेकिन घटनायें इस तरह से हुईं कि आज वे मौत के सामने खड़े हैं । मैं कहना चाहता हूं "का वर्षा जब कृषि सुखानी" यानी जब खेत ही सूख गया तो पानी बरसने से क्या फायदा ।

डाक्टर श्यामकिशोर (जिला सीतापुर)--

अभी दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद भी क्या कांग्रेस पार्टी की रीति नीति में कोई शंका है ?

श्री बंशीधर पान्डेय (जिला वाराणसी)--

शंका इसलिये हो गयीं कि....

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

यह प्रदर्शन तो हमेशा हुआ करते हैं । इनका कोई अस्तित्व नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, भविष्य दृष्टा यह बात तो शुरू में ही जान गये थे कि जिस तरह से पाकिस्तान के विभिन्न अंग एक दूसरे से जोड़े गये हैं और उनका जो संबंध है वह इतना अस्वाभाविक है कि समयान्तर में टूट जायेगा । यह तो डेस्टिन्ड था कि ऐसा होकर रहेगा । यह तो आपकी सरकार की फेल्योर है । आपको बताया गया और आपने ध्यान नहीं दिया और आपने हैण्ड टु माउथ पालिसी चलाई । मान्यवर, मैं नाम भी बतला दूं, डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने साफ देखा था कि अस्वाभाविक ढंग से यह सारे अंग जोड़े गये हैं और एक दिन अलग होकर रहेंगे । यह दो नीयत है पाकिस्तान की उससे बचाने के लिये वह करेगा क्या ? वह हिन्दुस्तान और पास्किस्तान के अलगांव की नीति को खत्म नहीं करेगा बल्कि हिन्दू और मुसलमान के अलगाव का मामला उठायेगा । वह साम्प्रदायिक दंगे और युद्ध के रास्ते पर चलेगा । मैं जोर के साथ और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार में और यहिया खां की सरकार में कोई अन्तर नहीं है । स्वतंत्र बंगला देश आन्दोलन को दबाने के लिये यहिया खां ने हिन्दू और मुसलमान में अलगाव पैदा करने की कोशिश की है और उसे भारत के मत्थे मढ़ने की कोशिश की है । अपनी निष्क्रियता को ढकने के लिये आपने इस मामले को हिन्दू-मुसलमान का प्रश्न बनाने में कोई कसर उठा नहीं रखी । इसलिये माधव बाबू ने जो इलजाम लगाया है वह शतप्रतिशत सही है । आजादी की लड़ाई में मान्यवर, ढिल्लन, सहगल और शाहनवाज को कोर्ट मार्शल में फांसी की सजा हुई थी, मगर जब सारे देश ने ललकारा तो

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ी फांसी देने की। तो जनमत का यह प्रभाव हुआ था। आज यह सरकार वही कर रही है जो याहिया खां कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह असंगत आप कह रहे हैं। केवल विषय पर ही बोलें।

[श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, का वर्षा जब कृषि सुखानी। जब समय बीत जायेगा, तब अगर यहां प्रस्ताव आयेगा तो उसका क्या फायदा? इसलिये आज शाम को ही बैठकर या इसी वक्त इस विषय पर प्रस्ताव लाना चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जायसवाल जी ने जो प्रस्ताव उठाया वह बहुत ही सामयिक है और इन परिस्थितियों में तथा जब कि यह सदन बंगला देश के बारे में एक प्रस्ताव पास भी कर चुका है, उस प्रस्ताव को इस सदन को स्वीकार करना चाहिये। इस संबंध में एक प्रस्ताव माननीय नेता सदन के पास भेजा भी गया था। अच्छा होता यदि यह प्रस्ताव माननीय नेता सदन की ओर से आ जाता। कल संसद में भी बहस हो चुकी है। यू० एन० ओ० में भी विचार हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं है, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी तरफ से एक प्रस्ताव यहां ले आयें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप सबके नेता तो बोल चुके हैं।

श्री उदितनारायण शर्मा—

श्रीमन्, मैं इस सम्मानित सदन के सदस्यों के सम्मुख एक सुझाव...

(व्यवधान)

(श्री राम करन सिंह के खड़े होने और बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपकी पार्टी के नेता तो बोल चुके हैं।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

नहीं, वह हमारे नेता नहीं हैं, अभी हमारे कोई नेता नहीं बोले हैं। श्रीमन, आपको अखबारों को पढ़ने से सूचना मिली होगी कि सोशलिस्ट पार्टी जो बनी है, उससे उत्तर प्रदेश प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने, जिसका मैं एक मेम्बर हूं और मेरे साथी श्री सुखपाल पांडेय जिसमें है, अपना कोई संबंध नहीं रखा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपने कहा था कि ९ तारीख के बाद एक हो जायेंगे।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

मुझे दोनों पार्टियों के बारे में एक सूचना देनी है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी मिल गयी हैं और एक नयी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी बन गई है, लेकिन कुछ दलाल किस्म के ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं मिलेंगे।

श्री रामकरन सिंह—

यह हो सकता है कि जैसा कि चौधरी राम पाल सिंह कह रहे हैं कुछ दलाल किस्म के लोग हों, लेकिन मैं ऐसी पार्टी से हरगिज मिलना, संबंध रखना उचित नहीं समझता हूं जिसके बड़े नेता ने संविधान की २४वीं धारा में संशोधन का संसद में विरोध किया है। ऐसी मनोवृत्ति वालों से हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि स्वामी नित्यानन्द जी ने एक प्रस्ताव रखा है और यह सही है, जसा आपने कहा है, यह नेता सदन और नेता विरोधी दल की रायों से आना चाहिये था। वह बात हुई या नहीं हुई उसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो वस्तुस्थिति है, जो आवश्यकता है, जिसे हम समझते हैं और सारा देश महसूस करता है, उसमें स्वामी जी का प्रस्ताव पूर्णतया समयानुकूल और उचित है। उपाध्यक्ष महोदय, आप सरकारी पक्ष से कह दें कि उस प्रस्ताव में यदि आवश्यकता हो शब्दों में हेरफेर करके, सभी दलों के नेताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए वह चार लाइन का एक प्रस्ताव इसी वक्त सदन में पेश कर दें ताकि सारे लोग उसे पास कर दें।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मैं राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ७ दिन हो गये माननीय नित्यानन्द जी को प्रस्ताव दिये हुए, अब समय नहीं है, आज ही यह प्रस्ताव आना चाहिये। शाब्दिक तरमीम करने के बाद आज ही उसे पेश करके इस सदन से पास कराया जाय।

श्री उदितनारायण शर्मा—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, एक सुझाव माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों और श्रीमन् के सामने पेश करना चाहता हूं। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है कि कथित प्रस्ताव आज ही पास हो जाय। लेकिन, इस सदन का समय ५ बजे तक का है, मैं चाहता हूं कि सामान्य रूपसे इसका कार्य ५ बजे तक हो, उसके बाद श्रीमन्, एक घण्टे की छुट्टी हम लोगों को दे दें, जिस समय में हम लोग बैठकर इस प्रश्न को एक मत से तय कर लें और फिर ७ बजे यहां बुला लें। उस समय उस पर घण्टा डेढ़ घण्टा विचार हो जाय। यों तो मैं समझता हूं उस पर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है, हर पार्टी का नेता अपने विचार प्रकट कर दे। इससे आपका समय भी नष्ट नहीं होगा और काम भी ठीक से हो जायगा और यह भी आज ही हो जायगा।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं चाहता हूं, ७ बजे के बजाय ५ बजे आप ले आएं।

इटावा जिले में हरिजन वर्ग के प्रति अत्याचार के सम्बन्ध में याचिका

श्री घासीराम जाटव (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इटावा जिले में हरिजन वर्ग के साथ हो रहे अत्याचार के संबंध में श्री हरपाल सिंह चौहान, राजागंज, इटावा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

राजपत्रित अधिकारियों को एक ही स्थान पर बनाये रखने के सम्बन्ध में याचिका

श्री उपेन्द्रनाथ दीक्षित (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राज पत्रित अधिकारियों को एक जिले से शासकीय आदेशों को प्रभावहीन बनाते हुए निर्धारित समय के व्यतीत होने पर बनाये रखने या निर्धारित समय के

[श्री उपेन्द्रनाथ दीक्षित]

पूर्व पुनः उसी पद पर स्थानान्तरित करके रखने के संबंध में श्री रामाधार शास्त्री, ग्राम व पोस्ट उमरैन, जिला इटावा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है। अपने दल के नेता माधव बाबू की आज्ञा से मैं, श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य और श्री राजेन्द्र शर्मा इतवार के दिन दिल्ली गये। मान्यवर, हम पकड़े गये। (शोर) मान्यवर, सुनिये। मैंने आपकी ओर से कहा कि हमारे डिप्टी स्पीकर की यह व्यवस्था है..

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो आपके नेता ने कहा है (शोर)

श्री रामगोपाल सण्ड---

मैंने आपको विशेषाधिकार की सूचना दी है।

श्री उपाध्यक्ष---

पहले मैं सूचना दे रहा हूं विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की, जो हमारे विचाराधीन हैं, उनकी सूचना दे रहा हूं। उनके बाद मैं आपको समय दूंगा।

श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)---

इसके पहले का सवाल है। (१६ जुलाई, १९७१ को हमने और भाई कल्पनाथ सिंह ने श्रमायुक्त के विरुद्ध एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था। कल जल्दी-जल्दी में आपने कह दिया कि हमने अस्वीकार कर दिया। हमें कोई जानकारी नहीं कि क्यों अस्वीकार कर दिया, सरकार ने उसके बारे में क्या जवाब दिया? लेबर कमिश्नर ने पालिसी मैटर पर वक्तव्य दे दिया था बाहर। बिला हम लोगों को सुने हुए उसको अस्वीकार कर दिया। जल्दी में आपने कह दिया कि अस्वीकार हो गया।

श्री उपाध्यक्ष---

यह आवश्यक नहीं है कि आप को सुनें। आब लिखकर देते हैं निर्णय करने के लिये सक्षम अधिकारी को। कभी-कभी किसी प्रश्न के किसी पहलू पर रोशनी डालने के लिये समय दिया जाता है। लेकिन यह तो समय है नहीं।

श्री राम कुमार दीक्षित---

आपने बहुत दिन तक लिंगर किया। १७ जुलाई, १९७१ का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपा करके आसन ग्रहण करें। जब वह शाम को जायगा, जब उसकी चर्चा होती है, तब आप कहें।

श्री रामकुमार दीक्षित---

विशेषाधिकार का बड़ा पुराना प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

इस वक्त मैं इजाजत नहीं देता हूं। अभी विशेषाधिकार की अवहेलना के जो प्रश्न हमारे सामने हैं उनकी मैं सूचना दे रहा हूं। हमको सूचना देने दीजिए। इस तरह से कैसे काम चलेगा?

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---
एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं, अभी नहीं । मैं बोल रहा हूं । अभी जो विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं आयी हैं उनके बारे में सूचना दे रहा हूं । इस तरह के ढंग से काम करने के हम लोग अभ्यस्त हो जायं । एक सूचना माननीय कल्पनाथ सिंह की है । एक माननीय राम गोपाल सण्ड की है, विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता नहीं । इसमें निहित नहीं है ।

श्री राम गोपाल सण्ड ----

दो मिनट मुझको कह लेने दें । ओम प्रकाश दुआ के सामने जब मेरा, श्री राजेन्द्र शर्मा और श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य का ट्रायल करने लगे तो मैंने पूछा कि किस हैसियत से मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है ? उन्होंने कहा कि आपने बंगला देश की जय के नारे लगाये और कहा कि बंगला देश को मान्यता दो । मैंने कहा कि बंगला देश की मान्यता के लिये पार्लियामेन्ट ने और हमारी विधान सभा ने प्रस्ताव पारित किया है और हमारे उपाध्यक्ष ने कहा है कि बंगला देश को मान्यता देने के लिये अगर कोई दल सत्याग्रह करता है तो अवांछित काम नहीं करता है । आप सुन लें । ३६ घण्टे जेल में रखा गया । उस जज ओम प्रकाश दुआ को बुलाया जाय और उसको दण्ड दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसके लिये मैं उनको समय दूंगा । इस तरह से होगा तो काम कैसे चलेगा ?

सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना हिन्दी भाषा में न देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय कल्पनाथ सिंह का एक प्रश्न था कि सदन की भाषा हिन्दी होते हुए भी सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना अंग्रेजी में प्राप्त हुई है, जब कि सूचना प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ८० के अन्तर्गत अनुसूची में दिये गये प्रपत्र के अनुसार हिन्दी में दी जानी चाहिये थी । इस तरह दिल्ली प्रदेश से अंग्रेजी में तार आया । दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा ये जितने प्रदेश हैं वहां हिन्दी चलती है । वहां के किसी अधिकारी द्वारा अंग्रेजी में तार देना बहुत उचित नहीं कहा जा सकता ; लेकिन संविधान की आड़ लेते हुए दूसरे प्रदेश के लोग इस अनुचित काम को करते हैं । तो मैं इस पर यह व्यवस्था देता हूं कि इस प्रदेश की विधान सभा की भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है और हम सभी ऐसे दूसरे प्रदेश के लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वे जो हमको संबंधित पत्र लिखें वह हिन्दी में ही लिखें और हिन्दी में ही तार भेजें ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

आप यह कर दीजिये क्योंकि इसकी भाषा गलत है, इस सूचना को असूचना में मान लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

पहले आप सुन लीजिये ।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)---

एक तरफ तो आब यह रूलिंग दे रहे हैं कि हिन्दी के अलावा अंग्रेजी में कोई सूचना न आये इसी हाउस में सदस्यगण अंग्रेजी बोलते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग अवश्य करते हैं लेकिन कोई सदस्य अंग्रेजी में कभी नहीं बोला।

श्री त्रिवेणी राय—

इस हाउस में बजट सेशन में चौधरी साहब ने अंग्रेजी अखबार से पढ़कर सुनाया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप क्या चाहते हैं कि हिन्दी के अलावा तार अंग्रेजी में भी आये ?

भाषा के बारे में हमारा दृष्टिकोंण साफ होना चाहिये। हमारा काम काज करने का माध्यम हिन्दी है। अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हम अपनी विवशता के कारण यदाकदा कर सकते हैं। अंग्रेजी में कानून की पुस्तकें हैं जिनके उद्धरण हम अंग्रेजी में देने के लिये बाध्य हैं लेकिन मैं सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि वह उसका हिन्दी में अनुवाद करके लायें तो अच्छा होगा। लेकिन मैं अंग्रेजी में उनको उद्धरण देने से रोक नहीं सकता।

श्री अनन्तराम जायसवाल द्वारा समाचार-पत्र में गलत समाचार छापने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय अनन्तराम जायसवाल जी का एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न समाचार-पत्रों के बारे में ५ अगस्त, १९७१ का था। दिनांक ४ अगस्त, १९७१ के उपवेशन में तारांकित प्रश्न संख्या ५, नत्थी 'ख' के लिखित उत्तर में परिवहन मंत्री द्वारा बताया गया कि अगस्त, १९६९ व जनवरी, १९७० के बीच उनके नाम दो एम्बेसेडर कार आवंटित की गई। यह कथन सत्य से परे एवं भ्रामक बताया, जिसे स्वयं श्री परिवहन मंत्री ने (तसलीम) स्वीकार किया और मुख्य मंत्री जी ने इस पर स्वयंम खेद प्रकाश किया। लेकिन इसके बावजूद अखबार में जो छपा वह उनका कहना है कि उनकी राजनीतिक प्रतिभा को खण्डित करता है और सदस्य महोदय ने समाचार-पत्र में जो छपा है उसको अपने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनाया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं है, औचित्य का प्रश्न हो सकता है। औचित्य के प्रश्न में यहां के समाचार-पत्रों को जो यहां की कार्यवाही हो उसको भेज देना चाहिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

आपने जो व्यवस्था दी है उसके सामने नत मस्तक होते हुए यह निवेदन करूंगा कि अब तक यह परम्परा रही है कि जब कभी कोई मौका आये जब माननीय मुख्य मंत्री को खेद प्रकाश करना पड़ता है तब मान्यवर, इस खेद प्रकाश को अखबार वाले अखबार के मुख-पृष्ठ पर बहुत ही मोटी-मोटी सुर्खी देकर छापते हैं। लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि वह बीते युग की बात है। परिवहन मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह उन्हीं की स्वीकरोक्ति के अनुसार सत्य से परे है फिर भी मिथ्या आरोपण को अखबार वाले विपक्ष के ऊपर लांछन लगाकर छापते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

तो अब क्या करें ? अखबार वाले छापते हैं तो छापते हैं . . .

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, सवाल यह नहीं है। अगर आप इस संबंध में नियम देखें तो मालूम होगा कि अखबार वाले यदि यहां की किसी चीज को छापेंगे तो वह न तो बढ़ाकर लिख सकते हैं न घटाकर ही लख सकते हैं। उसकी जो रिपोर्टिंग होती है वह वही होनी चाहिये जिससे यहां की

कार्यवाही सही-सही परिलक्षित होती हो। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे अपने कर्त्तव्य से च्युत हो जाते हैं और इस केस में वे अपने कर्त्तव्य से च्युत हुए हैं...

श्री उपाध्यक्ष—

औचित्य का प्रश्न हो सकता है, विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न यह नहीं है। आप स्वयं समझते हैं कि क्या यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, जरूर बनता है ....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नहीं समझता। मैं इसे औचित्य का मामला समझता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, आप सवाल को तो देख लें। अखबार वालों ने यहां पर बैठने का अधिकार इसलिये लिया है कि जो कार्यवाही विधान सभा की हो उसका वे फेयर डिस्प्ले करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो वे उनको यहां पर बैठने का हक भी नहीं है ....

श्री उपाध्यक्ष—

उनके यहां बैठने की जो व्यवस्था है उनसे ऐसी कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। यह होना चाहिये कि जो कार्यवाही यहां हुई हो उसको जहां तक हो सके सत्य के अनुसार ही उसी प्रकार वे छापें। मैंने तो यहां तक कह दिया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि आपका जो यह मत है वह बहुत ही मूल्यवान है लेकिन उसमें असहमति व्यक्त करने का मेरा भी अधिकार है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्रेस ऐक्ट मंगा लें ....

श्री उपाध्यक्ष—

प्रेस ऐक्ट यहां पर लागू नहीं होता।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो यहां पर प्रोसीडिंग्स छपती हैं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आब आगे चलेंगे...

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आगे चलने का सवाल नहीं है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अखबारों की आजादी में खलल नहीं डाल सकता हूं....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, उनकी आजादी आप बरकरार रखें...

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कहा कि यह प्रश्न विशेषाधिकार की अवहेलना का नहीं बनता है। मैं मानता हूं कि यह औचित्य का प्रश्न हो सकता है। इस बात से आप भी सहमत होंगे और आपने तो पहले ही कह दिया है कि जो मैं करूंगा वह आपको शिरोधार्य होगी और अब आप बहस कर रहे हैं...

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं बहस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप हमको कोई उद्धरण दें। हो सकता है इसी संबंध में दूसरे मसले भी आयें। यदि आप हमको लिखित दें तो मैं इसको देख सकता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं समझा नहीं...

श्री उपाध्यक्ष—

मान लीजिये आप चाहते हैं कि इस प्रश्न पर मेरा दृष्टिकोण बदले, तो दृष्टिकोण बदलने का जो नियम है उसमें कितने ही दृष्टिकोण और रूलिंग हो सकती हैं जिनकी जानकारी मुझे नहीं है। किन्तु यदि आप मुझे लिखकर दें कि इस-इस हिसाब से यह प्रश्न विशेषाधिकार की अवहेलना का बनता है तो उसे हम देख लेंगे। किन्तु यहां तो मैंने कह दिया कि यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, नियमों में और प्रेस ऐक्ट में यह छूट नहीं है कि वे विधान सभा की कार्यवाही को जहां चाहें और जितना चाहें उसे तोड़ें मरोड़ें। ऐसी कोई आजादी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप कह सकते हैं विधान सभा में, किन्तु इस समय तो प्रश्न यह है कि यह प्रश्न विशेषाधिकार की अवहेलना का है अथवा नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं कहता हूं कि विशेषाधिकार का आखिर मतलब क्या है?

श्री उपाध्यक्ष—

आपका जो दृष्टिकोण है, जो विचार है वह कृपया लिख कर हमें दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

एक किस्सा सुनाकर समाप्त करता हूं। हम लोगों ने बचपन में सिविक्स में पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा कि अफ्रीका के एक नीग्रो बाशिन्दे ने सुन रखा था कि अमेरिका देश बिल्कुल आजाद है। वह अपनी गुलामी से पीड़ित था। उसने सोचा कि इस आजाद देश में घूमा फिरा जाय। तो वहां पहुंचा और सड़क पर चलते चलते, मारे खुशी के कि वह एक आजाद देश में आ गया, वह अपने हाथ-पैर हिला-हिला कर चलने लग गया। हिलाकर चलने में उसका हाथ किसी अमरीकन की नाक पर पड़ गया। जैसे ही वह घटना हुई कि उस अमरीकन ने उसके एक चांटा जड़ दिया। हब्शी अचंभे में आ गया कि हम यहां आजाद देश में हाथ हिलाकर नहीं चल सकते हैं, यह कैसी अजीब बात है! उसने पूछा कि आपने चांटा क्यों मार दिया, हम तो यहां इसलिये आये थे कि आजाद देश है और पूरी आजादी के साथ हम चल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

जिसका हवाला दे रहे हैं वह देख लेंगे, हमने पढ़ा है। आगे चलें।

श्री अन्नतराम जायसवाल—

अमरीकन ने जवाब क्या दिया कि यह सही है कि आपको यहां पर पूरी आजादी है चलने-फिरने की, लेकिन जहां हमारी आजादी पर आप अतिक्रमण करते हैं वहीं पर कसूरवार होते हैं, इसीलिये चांटा लग गया। इसलिये मैं कहता हूं कि अखबारों की आजादी को बरकरार रखिये, सबसे ज्यादा में खुश हूंगा, अगर आजादी बनी रहेगी। लेकिन हमारे जो हकूक हैं उनकी भी आप हिफाजत करें। जैसे यह है कि हमारी कोई तौहीन कर जाय इस सदन के रहते हुए....

श्री उपाध्यक्ष—

यहां पर कुछ हुआ, अगर वह किसी अखबार ने नहीं छापा है तो वह तौहीन का कारण नहीं हो सकता।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उन्होंने क्या छापा? सवाल के जवाब में बताया गया कि हमारे नाम दो कार आबंटित हुईं। मेरी, आपत्ति पर उसे सही करते हुए हमारे परिवहन मंत्री बगल में बैठे थे उन्होंने कहा कि दो कारें नहीं आबंटित हुईं।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आप कह रहे हैं सब कुछ हुआ, तो क्या कोई अखबार अगर आपकी कोई चीज न रिपोर्ट करे तो क्या यह अवहेलना का प्रश्न हो गया?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मेरी बात तो सुन लें मान्यवर। उन्होंने आंशिक रूप से छापा...

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं व्यवस्था के ही प्रश्न पर बोल रहा हूं। उस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठना चाहिये, यह माननीय सदस्य को जानकारी होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपके इस नोटिस को विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं मानता। इस पर बहस नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उन्होंने पूरे प्रदेश में इस झूठ को बल दे कर फैला दिया कि हमने दो कारें ले लीं।

श्री उपाध्यक्ष—

झूठ ही छापा गया, लेकिन आप किसी अखबार के ऊपर क्या करना चाहते हैं? प्रिविलेज्ड स्पीच है वरना यह हो सकता है कि...

श्री अनन्त राम जायसवाल—

आप इस नतीज पर पहुंचेंगे कि असत्य (व्यवधान) . . . लेकिन इस चीज को लेकर जब मुख्य मंत्री ने खेद प्रकाश किया तो वह नहीं छापा जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको हम नहीं ले रहे हैं . . . .

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मेरा निवेदन यह है कि आप प्रेस को डायरेक्ट करें कि जो खेद प्रकाश वाली बात छोड़ दी है उसको भी छापें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं यह कुछ नहीं कहूंगा । आप लिख कर दीजिये और मुझे आस्वश्त पहले कर दें कि यह अवहेलना का प्रश्न बनता है या नहीं । मैं बिल्कुल निश्चित हूं कि यह अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता ।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मुझे दुख है कि मैं आपकी इस व्यवस्था से सहमत नहीं हो सकता ।

श्री उपाध्यक्ष—

और मेरा दुर्भाग्य है कि व्यवस्था के प्रश्न पर इस प्रकार मैं सहमत नहीं हो सकता ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, चूंकि आप हमारे सम्मान की हिफाजत करने में असमर्थ हैं इसलिये मैं आधे घंटे के लिये सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री अनन्तराम जायसवाल सदन त्याग कर चले गयें ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब दूसरा प्रश्न है उसके बारे में मैं कहे देता हूं । उन्होंने जो लिख कर दिया है उसका मैं एक अंश आपके सामने पढ़े देता हूं ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय जायसवाल जी जब सदन में उपस्थित रहें तभी इस प्रश्न को उठायें । अभी बड़ा सुन्दर संवाद हुआ है ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आज आपने स्वतंत्र भारत में पढ़ा होगा कि कानपु र में बिजली के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सवाल मैं नहीं सुनूंगा । आप आगे चल रहे हैं । अभी विशेषाधिकार की अव हेलना का प्रश्न है । माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी को मैंने समय दिया है । वे बोलेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के संबंध में मुझे निवेदन करना है । आप कब सुनेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी नहीं। गिरफ्तारी के बारे में कल जो मैंने कहा था उसके प्रसंग में जब उन्होंने कोई सवाल उठाया है तो मैंने अवसर देने के लिये कहा है। ऐसी स्थिति आपके संबंध में यदि होगी तो उस पर विचार करूंगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, आपने विशेषाधिकार के प्रश्न पर जो आपना निर्णय दिया है वह ठीक है। हम लोग उससे सहमत हैं, लेकिन एक चीज आपके विचारार्थ जरूर पेश करना चाहता हूं। ४ अगस्त १९७१ को मैं नहीं था, सदन में एक प्रश्न आया और मैं श्रीमान्, के पास भी गया था। माननीय कृष्णानन्दराय जी ने कहा कि हमारे एक साथी माननीय लक्ष्मण स्वरूप जी ने प्रश्न पूछा कि लक्ष्मीरमण जी के लड़के को इस कारण से स्कूटर दिया गया कि वे मंत्री के पुत्र थे। इसमें हमारे प्रेस को कुछ गलतफहमी हुई और उन्होंने यह अर्थ लगाया कि मैंने अपने पुत्र को स्कूटर दे दिया। मंत्री जी से आपके द्वारा यह कहा गया कि किन कारणों से स्कूटर दिया जाता है, केवल इतना बता दें। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार दिया जाता है। लेकिन प्रेस ने छापा कि मैंने अपने पुत्र को स्कूटर दे दिया। यही नहीं हमारे साथी माननीय भानुप्रतापसिंह जी के संबंध में प्रश्न आया कि उनको ४–५ मर्तबा फियट और वैस्पा और लैम्ब्रेटा दिया गया। हमारे मंत्री जी ने उत्तर दिया कि मैंने नहीं दिया बल्कि मेरे पिडिसेसर ने दिया है। लेकिन यह छपा कि मैंने ४–५ मर्तबा उनको फियट तथा लेम्ब्रेटा दिया। मैंने आप से भी कहा था। लेकिन मुझे पूरी मालूमात नहीं थी। न प्रश्न मालूम था और न उत्तर मालूम था। मैं इस पर विचारता रहा क्योंकि मैंने अपने कार्यकाल में अपने लड़के को कोई स्कूटर नहीं दिया था। मान्यवर, यही नहीं सत्य बात तो यह है कि मेरे किसी लड़के को स्कूटर कभी नहीं दिया गया। यह सत्य से परे था। लेकिन उत्तर इस तरह से दिया गया और इस तरह से छपा कि मैंने अपने लड़के को स्कूटर दे दिया। वैसे जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया वह इस माने में ठीक था।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय आचार्यजी माननीय मंत्री जी के विरुद्ध कोई विशेषाधिकार का प्रश्न ला रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

वह प्रश्न तो मैंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मुझे दुःख है कि मेरी बात को महीलाल जी ने नहीं समझा। मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी का उत्तर एक माने में सही भी है। लेकिन अखबार में जो छपा वह प्रश्न को लेकर छप गया और उत्तर की ओर ध्यान नहीं दिया गया। माननीय मंत्री जी ने यह भी नहीं कहा था कि लक्ष्मीरमण आचार्य ने कोई स्कूटर अपने पुत्र को दिया।

इसी प्रकार से जहां तक भानु प्रताप जी का संबंध है मैंने उसको भी देखा तो मेरे कार्य-काल में उनको केवल एक फियेट दी गयी थी और वह फियेट उन्होंने आज तक ली भी नहीं है। मैं कोई विशेषाधिकार की बात नहीं कहता, उस विषय में आपका जो निर्णय है वह उचित ही है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा अपने मित्रों से और प्रेस से भी कि यहां पर बैठने वालों का अपना कोई स्वाभिमान भी है, कोई इमेज है, अगर किसी गलत रिपोर्टिंग के कारण वह इमेज खराब होती है, तो वह उचित बात नहीं है। इसलिये चाहे सही अर्थों में यह विशेषाधिकार का प्रश्न न भी हो, लेकिन कोई भी ऐसा प्रेस का वक्तव्य या कोई ऐसी प्रेस की रिपोर्ट या भाषण या कोई विचार ऐसा हो जिससे माननीय सदस्यों की कार्यक्षमता में कमी आती है या उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है या यहां पर वे जिस प्रकार से कार्य करने के

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

आदी हैं उसमें कोई कमी आती है तो मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक यह कहुंगा कि जब कोई अति होती है तो वह भी विशेषाधिकार का प्रश्न बन जाती है । लेकिन चाहे एक्सप्लेनेशन के तौर पर सही आपने जो मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं ।

श्री कल्पनाथसिंह---

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया नियमावली का नियम ६६ देखने का कष्ट करें । वह इस प्रकार है---"यदि इन नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष के मत में विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान की सूचना सम्मति योग्य तथा ग्राह्य हो तो वे उस मामले को विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन के निमित्त निर्दिष्ट कर सकेंगे और उसकी सूचना सदन को देंगे । यदि अध्यक्ष के मत में सूचना अग्राह्य हो तो वे अस्वीकृति की सूचना सदन को देंगे ।

किन्तु यदि अध्यक्ष, आवश्यक समझे तो अपना निर्णय देने के पूर्व संबंधित सदस्य तथा अन्य सदस्यों को सुन सकेंगे ।"

श्री उपाध्यक्ष---

उसमें लिखा है---"यदि आवश्यक समझें" ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

इसीलिये आपके सम्मुख मैंने पूरे नियम को पढ़ दिया । मैंने निवदन यह किया कि उसकी शब्दावली यह है कि अध्यक्ष अग्राह्य अस्वीकृति की सूचना सदन को देंगे । मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जो सूचना श्री राम कुमार दीक्षित जी और मैंने दी, आपके द्वारा उसकी अस्वीकृति की सूचना इस सदन को नहीं दी गयी, जहां तक मेरी जानकारी है । अगर मेरी जानकारी गलत है तो उसको ठीक कर दिया जाय और बता दिया जाय कि किस तारीख को किस समय यह अस्वीकृति की सूचना सदन को दी गयी थी ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह देखकर बता दिया जायगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

अगर ऐसा नहीं किया गया और यह समझ कर नहीं किया गया कि आपको यह भी अधिकार है कि अपने कमरे में उसको लिखित रूप में अस्वीकार कर दें और संबंधित सदस्य को उसकी लिखित सूचना दे दें, तो वह सूचना भी मुझको नहीं दी गयी । मामला ऐसा था कि लेबर कमिश्नर ने सदन के चलते हुए नीति संबंधी घोषणा कर दी । न तो उसको इस बात का अधिकार था और न इस प्रकार की घोषणा उसको करनी चाहिये थी और इस प्रकार न केवल माननीय सदस्यों का और जो मंत्री हैं उनका बल्कि सारे सदन का अवमान किया । तो यह बढ़ा नीतिगत प्रश्न है और रोजमर्रा का जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें जो अधिकारियों का व्यवहार है उसके प्रति आपको एक निर्णय लेना था । मैं यह चाहूंगा कि अगले दिन जब असेम्बली हो . . .

श्री उपाध्यक्ष---

मुख्य मंत्री ने गोपनीय लिखा है ।

श्री कल्पनाथसिंह---

तो शिकायत को गोपनीयता के तहत में स्वीकार नहीं किया जा सकता ? अगर गोपनीय है तो उसने गोपनीयता भंग की ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर कार्यवाही हुई है । अस्वीकृत हुआ है । जो नियम आपने पढ़ा है उसकी सारी अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुये अस्वीकृत हुआ है ।

श्री कल्पनाथसिंह--

अगले दिन जब असम्बेली बैठे तो आप इस मामले को इन नियमों के अन्तर्गत पढ़ कर सुना दें ।

बंगलादेश की मान्यता के संबंध में हुए प्रदर्शनों में जनसंघ तथा कांग्रेस (सत्तारूढ़) दल के सदस्यों के साथ दिल्ली के अधिकारियों द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार की शिकायत

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मुझे आपने दो-तीन मर्तबा बुलाया और दूसरे प्रसंग में लोगों ने विचार व्यक्त किया । हमारे माननीय आचार्य जी ने भी कहा । मैं तो आचार्यजी की बात अगर सही भी होती तब भी उसको बुरा नहीं मानता यद्यपि वह सही नहीं है क्योंकि यहां एक रूलिंग हो चुकी है जब हमारी संजय जी को माननीया प्रधान मंत्री ने लायसेन्स दे दिया करोड़ों की सम्पत्ति का मोटर बनाने का तो यदि आचार्यजी ने स्कूटर दे दिया होता तो कुछ बुरा नहीं होता । उनको बिल्कुल चिन्ता नहीं होनी चाहिये ।

अब आपने जो कहा था उसके संदर्भ में एक बात कहनी है । इस माननीय सदन ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया था कि केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की जाय कि वह बंगला देश को मान्यता दें, उसको सहायता दे । उस प्रस्ताव में जो निहित था वह इस सदन की भावना, उसके विचार थे । उसको आगे बढ़ाने के लिये, उसकी पुष्टि करने के लिये, उसका कार्यान्वयन शीघ्र हो, इसके लिये जनसंघ ने प्रदर्शन किया और ९ तारीख को जनसंघ के बहुत से एम० एल० ए० गये जिसमें हमारे श्री त्रिवेणी सहाय, श्री पारसनाथ सिंह, श्री वासुदेव सिंह इत्यादि अनेक माननीय सदस्य गये । उन्होंने यही कहा कि बंगला देश को शीघ्र मान्यता दी जाय, इसमें देरी न की जाय और शेख मुजीबुर्रहमान को बचाया जाय । और उसी ९ तारीख को शासक दलद के लोगों ने भी प्रदर्शन किया और उन्होंने भी प्ले कार्ड्स छापे कि बंगला देश को मान्यता दी जाय । 'शीघ्र' शब्द गिरा दिया उन्होंने । आज ही स्पष्ट हो गया शर्माजी की बात से । मैंनकहा कि शीघ्रता से सब कुछ कीजिये तो उन्होंने कुछ विचार मेरे विरुद्ध व्यक्त किये । तो उनाके दल ने भी प्रदर्शन किया और उसमें उनके दल के माननीय कमलापति त्रिपाठी जी, माननीया रजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी, माननीय तिवारी जी और अन्य माननीय मंत्री और इस सदन के सदस्यों ने भी भाग लिया, लेकिन यह डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट हुआ कि उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ क्योंकि वह शासक दल के थे, क्योंकि माननीया प्रधान मंत्री उनके दल की हैं, क्योंकि सारा शासन का जितना दल बल था वह सब उनके प्रयोग में आ रहा था । अगर हमने नियमों का उल्लंघन किया तो उन्होंने भी किया । लेकिन उनमें से एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ । इतना ही नहीं, उनको तो छूट हो गयी, स्टेशन पर कोई कांग्रेसी खड़ा हो जाता था और कह देता था कि स्पेशल ट्रेन आयी है तो प्राधिकारी गण स्टेशन से उस पार हो जाते थे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री त्रिवेणीराय (जिला आजमगढ़)--

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय त्रिपाठी जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो हमारे मंत्री या विधायक दिल्ली गये थे और उन्होंने वहां पर जो अपना प्रदर्शन किया वह बिल्कुल शान्तिमय प्रदर्शन था। त्रिपाठी जी सत्तारूढ़ दल पर यह लान्छन लगा रहे हैं और सदन को गुमराह कर रहे हैं। हमारा प्रदर्शन करने का तरीका और उनका तरीका भिन्न था। दूसरी व्यवस्था यह चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इंदिरा गान्धी का नाम लिया गया और उनकी पार्टी पर लान्छन लगाया गया तो क्या यह हाउस की परम्परा है कि इस तरह से पार्टी के नेता यहां पर बात करके हाउस को गुमराह करने का प्रयास करे ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मैंने आपके प्रधान मन्त्री की तारीफ की। उनकी प्रशंसा की। मैंने कहा कि आपके पास इतना बल है और उनका दल इतना मजबूत है कि केवल कांग्रेस का नाम लेने पर उनको शिकायत मिल गई। मैंने तो उनके दल की प्रशंसा की। मैंने उनका कोई विरोध नहीं किया और न कोई उनकी बुराई की। मैं तो दूसरी बात यह कह रहा था कि.....

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

मैं इस औचित्य के प्रश्न पर आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एजेन्डे के किस बिषय पर बातचीत हो रही है ? ऐजेन्डे के किस विषय से सम्बन्धित यह बात हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष----

कार्यसूची नम्बर ५ के विषय को आप देख लें। उसमें यह है कि विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना यदि कोई हो तो इसी पर आपका यह कहना है कि जो विधायक दिल्ली गये थे उनमें सब को गिरफ्तार नहीं किया गया है यह अनुचित है। उस विषय में ही मा० सदस्य अपना दृष्टिकोण रख रहे हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

ऐसा माना जाता है कि वह कार्य जो हुआ वह सदन के समक्ष हुआ क्योंकि सरकारी अधिकारियों के द्वारा हाउस में यह सूचना आ चुकी है कि अमुक व्यक्ति जो एम०एल०ए० प्रदर्शन करने के लिये दिल्ली गये थे वह प्रदर्शन करते हुए पकड़े गये। यह बात आपके ज्ञान में लाई गई है। आपने परसों कहा था कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वर्तमान शासक दल के लोग वहां पर प्रदर्शन करने के लिये जाते हैं तो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और जनसंघ दल के एम० एल० ए० जो वहां पर गये उनको कार्य करते हुए गिरफ्तार किया जाय तो यह सोचने की बात है। कार्य क्या था जिसके लिये जनसंघ के लोग वहां पर गये ? कार्य यह था कि वह इस सदन की भावना को वहां पर व्यक्त करना चाहते थे। जो इस सदन की भावना थी उसको ही वहां पर वह प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर रहे थे। जो उनका कर्तव्य था कि सदन की भावना वहां तक पहुंचायें उसी कर्तव्य का वह पालन कर रहे थे। उनको वहां पर गिरफ्तार किया गया। ऐसी स्थिति को आपके सन्मुख हम रख रहे हैं कि आप इस पर विचार करें। शासक दल का इतना अधिक प्रभाव है कि आप यह कह दें कि हम कांग्रेस के हैं तो आपसे टिकट भी नहीं मांगा जायगा। आपका जोर इतना जबरदस्त है, इतने बलशाली हैं कि आप हर तरह से इस बल का सदुपयोग या दुरुपयोग कर सकते हैं लेकिन इनके लोग गिरफ्तार नहीं हुए। गिरफ्तार हुए हमारे लोग और हम लोग। इसी बात को मैं दोहरा रहा था कि आखिर गिरफ्तारी का कारण क्या था ? जो सदन की आज्ञा थी उसको हम वहां पर शीघ्रता के साथ करने को कह रहे थे। हम इसी बात के लिये शीघ्रता करने को कह रहे थे कि अगर इस सदन की भावना पूरी नहीं होगी तो प्रजातन्त्र की हत्या हो जायगी, बंगला देश की शक्ति लड़खड़ा जायगी, मुजीबुर्रहमान की हत्या होगी

हमारे सैक्यूलरिज्म की हत्या हो जायगी। यह तो उधर के लोग हैं जो यह चाहते हैं कि पाकिस्तान वैसा ही कायम रहे। यह पाकिस्तान के हमदर्द तो उधर ही हैं जो कोई कदम उठाने के लिये तैयार नहीं हैं और पाकिस्तान की रक्षा करना चाहते हैं। पाकिस्तान की रक्षा तो उधर से होती है। हम उसी बात को कह रहे थे जिसमें सारे देश का हित है कि बंगला देश को शीघ्र मान्यता दी जाय। उससे जनतंत्र जिन्दा रहेगा और सैक्यूलरिज्म जिन्दा रहेगा। मैं आपके सामने केवल यही बात रख रहा था कि दिल्ली प्रशासन के व्यवहार का तरीका हमारे साथ दूसरा था और शासक दल के साथ दूसरा था और इस प्रकार से हमारे यहां के कर्तव्य पालन में उन्होंने बाधा डाली है, उनके व्यवहार से हमारे कर्तव्य पालन में बाधा पड़ती है, इस सदन की भावना को पूरा करने में बाधा डाली गई है, हमारे कर्तव्य पालन में भी ब्रीच हुआ है और हमारे जो सदन में अधिकार हैं उनमें बाधा पड़ी है। इस पर आप कृपया अपनी रूलिंग दें, लिख कर देने की आवश्यकता नहीं है इसलिये कि आपके सन्मुख यह चीज आ गई है। मैं इस ओर आप का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहना है। मैं इस विषय के राजनैतिक दृष्टिकोण की ओर नहीं जाऊंगा क्योंकि माननीय माधव प्रसाद जी जो कह रहे हैं कि उनके दल के सदस्य गिरफ्तार किये गये और उसी आरोप म सत्तारूढ़ कांग्रेस के लोग गिरफ्तार नहीं किये गये। सत्तारूढ़ कांग्रेस के लोग उस काम के लिये नहीं गये थे वह तो एक ऐसे काम के लये गये थे जिस के कोई अर्थ नहीं थे और वह निरर्थक ही दिल्ली गये थे। इस सदन के कुछ माननीय सदस्य जो जनसंघ के लोग थे बंगला देश की मान्यता के लिये दिल्ली गये थे। हमारी जानकारी है और आप के पास भी जो दिल्ली के एक मैजिस्ट्रेट की सूचना आई है उसमें उन्होंने यह सूचना दी है कि यह सदस्य बंगला देश की मान्यता का नारा लगा रहे थे। आपके लिये भी बड़ी कठिनाई है कि किस तरह से इस विषय में किसी निश्चय पर पहुंचा जाय कि दिल्ली के मैजिस्ट्रेट ने सही जजमेन्ट दिया या गलत दिया, आपके लिये इस का फैसला करना मुश्किल होगा। हमारा विशेषाधिकार का नियम यह है कि यदि आप थोड़ा बहुत भी प्राइमाफेसी केस बनता देखें तो आप उस को विशेषाधिकार समिति के सम्मुख भेज दें जो सारे फैक्ट्स और ला के सम्बन्ध में उस पर विचार कर ले। इस उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्यों के अधिकारों के आप संरक्षक हैं। प्रिविलेजेज की कांस्टीट्यूशनल हिस्ट्री में यहां का एक केस इतिहास बन चुका है। सन् ६५-६६ की बात है, हमारी इसी प्रदेशीय विधान सभा में एक सदस्य को विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में एक नागरिक के खिलाफ गिरफ्तारी का वारन्ट निकाला गया और उस पर हाईकोर्ट के एक जज साहब ने स्टे दे दिया। (मित्तल साहब फिर वह दिखाना शुरू कर दिये वहां।) तो मैं निवेदन कर रहा था कि स्टे आर्डर हुआ कि वह गिरफ्तार नहीं होंगे, फिर विधान सभा ने उस मामले को टेक-अप किया और कहा कि जज साहब ने यह हमारे विशेषाधिकार की अवहेलना की है और उस पर नोटिस दिया और फिर उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की फुल बेंच बैठी और जो इतिहास हुआ वह आपको मालूम होगा। उस केस ने यहां एक कांस्टीट्यूशनल हिस्ट्री क्रियेट की थी। दिल्ली का मजिस्ट्रेट तो एक छोटा अफसर होता है, छोटे से मेरा कोई और आशय नहीं है, वैसे तो हर आदमी बड़ा होता है लेकिन हाईकोर्ट के जज से तो दिल्ली का मैजिस्ट्रेट छोटा ही है। उस दिल्ली के मैजिस्ट्रेट की अक्ल की बात सोचिये कि वह इस सदन के अध्यक्ष को सूचना देता है कि बंगला देश की मान्यता का नारा कई सदस्य लगा रहे थे इस के लिये उन को गिरफ्तार किया गया है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

और उन को बन्द कर दिया गया। श्री संड ने तो उनका नाम भी लिया है। बंगला देश की मान्यता के बारे में इस सदन ने प्रस्ताव भी पास किया है और सत्तारूढ़ कांग्रेस के लोग भी सदन म बंगला देश की मान्यता की मांग करते हैं और इस तरह का प्रस्ताव हमारी संसद ने भी पास कर दिया है। सारी विधान सभाओं ने पास कर दिया है, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी भी मानते हैं, हमारे पक्ष के लोग भी मानते हैं, सारे देश के लोग मानते हैं तो इसके बारे में यह कह दें कि लोग बंगला देश की मान्यता का नारा लगा रहे थे इसलिये उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो यह तो साफ तौर से दिल्ली के मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध प्राइमा फेसी केस बन रहा है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में हमारी पार्लियामेंन्ट का भी रेजोल्यूशन है।

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमान्, तो दिल्ली के मैजिस्ट्रेट के उत्तर प्रदेश की विधान सभा के रेजोल्यूशन के खिलाफ दिल्ली की पार्लियामेन्ट के रेजोल्यूशन के विरुद्ध और शासन के स्टैन्ड के विरुद्ध हिन्दुस्तान की सारी पोलिटिकल पार्टीज के विरुद्ध हमारे उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सदस्यों को इस बात के लिये महमूद, रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वे विधान सभा की कार्यवाही में भाग न ले सकें। तो इससे प्रिविलेज के इतिहास में प्राइमाफेसी केस और ज्यादा नहीं हुआ है। यदि आप उस कुर्सी पर न बैठे होते तो हम समझते कि हमें न्याय नहीं मिलेगा लेकिन आप संसदीय अधिकारियों के जितने संरक्षक हमें मिले हैं, उनसे ज्यादा हमें और कोई नहीं मिला है। श्रीमान्, इससे ज्यादा मजबूत प्राइमाफेसी केस और नहीं बन सकता है। मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि इसी कुर्सी ने इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जजेज के ऊपर वारन्ट निकाला और एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की। मैं चाहूंगा कि आप उस मैजिस्ट्रेट के खिलाफ वारन्ट निकालें और उसे यहां पर सदन में पेश किया जाय और उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाय कि तुमने इस विधान सभा के सदस्यों को क्यों गिरफ्तार किया। इससे आप इस कुर्सी और सदन की गरिमा को बढ़ायेंगे।

*राजस्व मंत्री (श्री उदितनारायण शर्मा)--

मान्यवर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सम्मानित सदन के जो प्रस्ताव पारित होते हैं, उनकी अपनी प्रतिष्ठा होती है, लेकिन प्रश्न यह है कि कहीं पर उस प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कोई कार्य भी किया गया है। इसमें भी संदेह नहीं कि सरकार चाहे वह प्रान्त की हो और चाहे वह केन्द्र की हो, कभी भी यह मत नहीं रखेगी कि यह कहना कि बंगला देश को मान्यता दो किसी भी मायने में अपराध है। कितने लोगों ने कितनी जगहों पर बहुत से लोगों ने कहा लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। दिल्ली में जो भी कार्यवाही हुई, वह हरगिज भी इसलिये नहीं हुई कि कुछ लोग यह कह रहे थे कि बंगला देश को मान्यता दो, बल्कि इसलिये की गयी कि वहां के अधिकारियों की दृष्टि में उनके निर्णय के अनुसार वे लोग, वहां के जो नियम और कानून थे, उनकी अवहेलना और उल्लंघन कर रहे थे। यह बात दूसरी है कि उस अधिकारी ने क्या कहा, लेकिन अगर कोई अधिकारी यह भी कहे कि जिस समय इस कानून का उल्लंघन इस प्रकार से हो रहा था उस समय लोग ऐसा कह रहे थे तो उसका मतलब यह कदापि नहीं है कि चूंकि वे ऐसा कह रहे थे, इसलिये उनको गिरफ्तार किया गया था। इसके बारे में जितनी भी राजनीतिक पार्टीज हैं, उन्होंने भी इस बात को बड़े जोर से कहा है। रैली भी हुई है, उसमें भाषण भी हुए हैं, मीटिंग्स भी हुईं कि बंगला देश को मान्यता दो, लेकिन उस पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस बात

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को इतना बढ़ाया गया है, खींचने की एक हद होती है, लेकिन जिस हद तक इस प्रश्न को खीचने की कोशिश की जा रही है, यह उचित नहीं है । अंग्रेजी में एक कहावत है "बाई नो स्टेज आफ इमैंजिनेशन ।" उसकी वजह से यह कहना कि इस सदन का अवमान हुआ है या इसके अधिकारों का हनन हुआ है, उचित प्रतीत नहीं होता ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

श्रीमन्, दिल्ली से जो कागजात आये हैं, उन्हें मंत्री जी को दिखा दें । (व्यवधान)

श्री उदित नारायण शर्मा--

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जिस प्रकार जिन माननीय सदस्यों या जिन लोगों की गिरफ्तारी की गयी है उनके खिलाफ जो कार्यवाही की गयी है, उसको देखलें कि कौन सा अपराध किया था और किस कानून की अवहेलना की वजह से उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी थी । और उसके बाद यह स्पष्ट हो जायगा कि उसमें किसी की भी मंशा इस सदन ने जो प्रस्ताव पास किया था उसकी प्रतिष्ठा को घटाकर सदन का अवमान करने की कमी भी हो ही नहीं सकती । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बंगला देश की मान्यता के औचित्य और अनौचित्य का प्रश्न दूसरा है और ला ऐन्ड आर्डर का प्रश्न बिल्कुल दूसरा है । यह बात भी अलग है कि किसी का निर्णय गलत हो । कोई आदमी समझता है कि वह सही कर रहा है, हो सकता है कि वह सही न हो । यह एक बिल्कुल अलग बात है । जब अधिकारी किसी काम को करते हैं तो कभी उनका निर्णय गलत भी हो सकता है । मैं यह नहीं कहता कि उनका निर्णय गलत था या सही था । लेकिन इस सदन के अवमान का कोई प्रश्न इसमें नहीं उठता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

भारत का संविधान का अनुच्छेद १४ यह है- "भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा" जो तार आया है एस०डी०एम०, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई निल्ली का, उसमें प्रतिबन्धात्मक आदेश, १४४ के अन्तर्गत और फिर उसी में बंगला देश के बारे में स्लोगन, नारा, लगाने की बात है....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

निर्णय देने के पहले मेरी बात भी सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें । तो हमारे सदन के कुछ सदस्य गिरफ्तार किये गए और उनको सजा मिली । मैं ऐसा समझता हूं कि यह एक प्रत्यक्ष भेद मूलक काम हुआ है । यह डिस्क्रीमिनेशन है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, मुझे भी सुन लें.....

श्री उपाध्यक्ष--

अब नहीं । तो यह एक प्रत्यक्ष डिस्क्रीमीनेशन है । इस सम्बन्ध में अभी चूंकि तार का मामला है, पत्रऔर दूसरी सूचना मेरे पास नहीं है । इसलिए पूरी सूचना मंगाने का आदेश देने के लिए जो मेरा कर्त्तव्य भाव है वह मुझे प्रेरित करता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, जो भी आप निर्णय करेंगे वह शिरोधार्य है। श्रीमन्, यह भी सूचना मंगालें और माननीय नेता जनसंघ से भी मांग लें कि क्या यह सही है कि एक निषिद्ध क्षेत्र में, जहां धारा १४४ लगी हुई थी उस क्षेत्र में जनसंघ के सम्मानित सत्याग्रही प्रवेश कर रहे थे और यह गिरफ्तारी बंगला देश के नारे लगाने पर नहीं बल्कि धारा १४४ तोड़ने पर हुई है। दूसरे यह सूचना भी कृपा कर मंगा लें कि क्या यह सही नहीं है कि जनसंघ ने सत्याग्रह का ऐलान कर रखा है और सम्मानित सदस्य स्वयं अपनी इच्छा से सत्याग्रही के रूप में वहां जा रहे थे ?

श्री उपाध्यक्ष—

माता की कोख में से सत्याग्रह से स्वतंत्रता प्राप्त हुयी है। माता की कोख में लात मारने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, इनके कहने के मुताबिक १० लाख आदमियों से ला ऐन्ड आर्डर डिस्टर्ब नहीं होता था, हमारे ५० आदमियों से ला ऐन्ड आर्डर डिस्टर्ब होता था। उन पर धारा १४४ नहीं लगी।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं एक सूचना दे दूं।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

उन्होंने दफा १४४ तोड़ी है।

(श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य के कुछ कहने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं एक सूचना दे रहा हूं।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं आप को हार्दिक बधाई देता हूं। आज आपने हम लोगों की भावना की बड़ी कद्र की है।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

सदन के साथ न्याय किया है।

समितियों के चुनाव के सम्बन्ध में परिवर्तित कार्यक्रम की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

सूचना यह है कि समितियों के चुनाव की तिथियों के बारे में पहले आप के समक्ष जो मैंने घोषणा की थी उनमें हेरफेर किया गया है। समस्त दलों के मुख्य सचेतकों की बैठक संसदीय कार्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के कमरे में ११-७-१९७१ को हुयी थी और उसमें यह निर्णय हुआ था :—

"समितियों के निर्वाचन के कार्यक्रम को निम्नप्रकार से करने का कष्ट करें :—

१९ अगस्त	..	..	..	नामिनेशन
२० अगस्त	..	..	..	जांच (स्क्रूटनी)
२७ अगस्त	..	..	..	वापसी
३० अगस्त	..	..	..	चुनाव"

यह माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा, रामधारी शास्त्री, महो लाल, हरिनाथ तिवारी, सूबेदार प्रसाद व सजीवन लाल द्वारा अनुमोदित है।

प्रश्न यह है कि इस कार्यक्रम को आप स्वीकार करते हैं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५२ की सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, आपको याद होगा कि पिछले महीने की २८ तारीख को इस माननीय सदन के सभी विरोधी दलों के नेताओंकीओर से सरकार के राज्य मन्त्री श्री उमादत्त शर्मा के विरुद्ध दो निश्चित आरोप लगाये गये थे और आप से यह प्रार्थना की गयी थी कि नियम ५२ में जब चाहें तब २ १/२ घन्टे का समय निर्धारित कर दें। २८ जुलाई के एक सप्ताह बाद कुछ स्पष्टीकरण हमसे मांगा कि आप के इन आरोपों का क्या आधार है। वह भी लिख कर हमारी तरफ से दिया जा चुका है और ११ तारीख हो चुकी है। पूरे २ सप्ताह हो चुके हैं। अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्नों की हैसियत से उन को मैंने आप की सेवा में दिया था। अगर आप १५ दिन पश्चात् भी उन पर निर्णय नहीं करते हैं तो फिर अविलम्बनीय लोक महत्व कहां रहा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप के २ प्रश्न हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

दूसरा प्रश्न नियम ५२ के अन्तर्गत है। इस प्रदेश में कारों और स्कूटरों का सरकार द्वारा वितरण के सम्बन्ध में हम लोगों की तरफ से नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा उठाने की प्रार्थना की गयी थी। उसके सिलसिले में हमें कोई सूचना नहीं दी गयी है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपने दो प्रश्न उठाये हैं। नियम ५३ में अध्यक्ष ग्राह्यता का विनिश्चय करते हैं। नियम इस प्रकार है :—

> "यदि अध्यक्ष का सूचना देने वाले सदस्य से और मंत्री जी से ऐसी जानकारी मांगने के बाद, जिसे वे आवश्यक समझें, समाधान हो जाय कि विषय अविलम्बनीय है तथा इतने महत्व का है कि सदन में किसी दिन शीघ्र ही उठाया जाना चाहिए, तो व सूचना ग्रहण कर सकेंगे और सदन-नेता के परामर्श से उस विषय को चर्चार्थ लेने के लिये तिथि व समय निश्चित कर देंगे। वह तिथि को तथा सूचना के विषय को सदन में घोषित करेंगे और चर्चा के लिये उतने समय की अनुमति दे सकेंगे जितना कि वे परिस्थितियों में उचित समझें और जो ढाई घंटे से अधिक न हो।"

मुझे मुख्य मन्त्री जी से बात करनी है। मैंने सूचना मांगी है, वह अभी उपलब्ध नहीं हुयी है। आप को सूचित कर देंगे कि वह प्रश्न कब लिया जायेगा। आप न दूसरा प्रश्न उठाया है। माननीय परिवहन मन्त्री।

श्री वीरेन्द्र शर्मा--

कोई समय होता है उसका--अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न उठाये जाते हैं तो चर्चा का समय मिलना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष---

पहले आपको भी लिखा गया है । वह हमारे पास आया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

एक हफ्ता उसको लिखे हो चुका है लेकिन आपके सेक्रेटेरिएट ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदन नेता से परामर्श करके इसमें लिखा है । सदन नेता से परामर्श करने का मतलब है कि उनसे बात करके कोई समय और तिथि निर्धारित करना, तो उसमें कुछ देर हो जाती है दो तीन दिन की ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

अगर नीचे आपके सेक्रेटेरिएट से अथवा मंत्री महोदय के यहां से इस तरह की कोई बात होती है तो आप तो हमारे अधिकारों की रक्षा करने वाले हैं, इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर जरा शीघ्रता करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका अधिकार तो मेरे हाथ में सुरक्षित है ही । दूसरा जो स्कूटर्स के संबंध में है, सारे मामले पर विचार करने के लिए मैंने परिवहन मंत्री को बुलाया है वे इस बात को समझ लें क्योंकि कई माननीय सदस्यों का सवाल है इसलिये वे उस संबंध में कागज तैयार करा लें । वे दफ्तर में कागज तैयार करा रहे हैं । आज उन्होंने टेलिफोन किया था कि उसमें कुछ समय लगेगा । उसके आने के बाद मेरा निर्णय होगा ।

सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना न देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम ८० और ८१ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें दिया हुआ है ८०- "दंडाधिकारी द्वारा बन्दीकरण, निरोध, आदि की अध्यक्ष को सूचना जब कोई सदस्य किसी दोषारोप या किसी दंड्य अपराध के लिये बन्दी किये जायं या उन्हें किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया जाय या किसी कार्यपालिका के आदेश के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाय . . .।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इन सब को पढ़ें नहीं, मैं जानता हूं ।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य--

तो जो स्थिति है वह यह है कि कोई गिरफ्तारी किसी माननीय सदस्य की होगी तो उसकी सूचना आपके कार्यालय को दी जायेगी । मान्यवर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं

कि ५ अगस्त को इस सदन के माननीय सदस्य श्री जगन्नाथ खन्ना, श्री नेतराम, श्री सियाराम, श्री सतीशचन्द्र तथा ८ अगस्त को श्री राजेंद्रकुमार शर्मा, श्री राम गोपाल संड व मैं स्वयं गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसकी सूचना यहां नहीं दी गयी।

श्री उपाध्यक्ष---

आपके नेता ने यह सवाल उठाया था। उस समय आप यहां रहे या नहीं रहे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन इन सब का नाम जो आप ले रहे हैं, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने लिया था और मैंने कह दिया कि सब का नाम मैंने सुनाया था सदन में।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य---

कल की कार्यवाही में वे नाम नहीं हैं आप देख लें। आपके नियमों की अवहेलना हुई है। (व्यवधान)

कल की कार्यवाही में किसी के भी नाम नहीं हैं। आपके कार्यालय से गलत लिखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष---

मुझे सूचना है कि जो सूचना आती रहती है सब की सूचना है। आप यह कहना चाहते हैं कि दिल्ली के मैजिस्ट्रेट ने कोई सूचना नहीं दी। अगर यह आपका मुद्दा है तो सभी की सूचना है और बिलकुल बेबुनियाद बात आप उठा रहे हैं। फिर इस तरह की गम्भीर बात उठाने के बाद तो यह सवाल उठाना हास्यास्पद सा है।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य ---

दिल्ली के मैजिस्ट्रेट ने सूचना दी होगी, लेकिन वह सूचना सदन में नहीं सुनाई गयी है।

कानपुर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में विचारार्थ समय की मांग

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, ऐसा आभास मिलता है कि आज आप इंसाफ करने के मूड में हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

यह लांछन है आपको बोलना सीखना चाहिये।

श्री मोतीलाल देहलवी---

मान्यवर, यदि आपत्ति हो तो इसे आप कार्यवाही से निकलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं निकलवाऊंगा, लेकिन आपको इजाजत नहीं देता हूं।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी---

मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं मान्यवर, मेरी बात तो सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष---

इस तरह से बोलना चाहिये आपको और इस तरह से सम्बोधित करना चाहिये ?

श्री मोतीलाल देहलवी—

मैं उसे वापस ले रहा हूं। मान्यवर, आपने स्वतंत्र भारत में पढ़ा होगा कि कानपुर में बिजली के कर्मचारियों ने कई दिनों से हड़ताल कर रखी है जिससे तमाम कानपुर के नागरिक संकट में पड़े हुए हैं। ऐसी हालत में मान्यवर, आप जानते हैं कि वहां क्या स्थिति पैदा होगी। चोरी बढेगी, डकैती बढ़ेगी, कत्ल होंगे, राहजनी होगी। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वहां की हालत क्या होगी।

मान्यवर, हमारे बिजली मंत्री माननीय तिवारी जी, सेठ दामोदर स्वरूप के साथ रहे हैं और वह इसलिये भी हमदर्दी रखते होंगे मजदूरों से और कर्मचारियों से। बडे दुख की बात है कि आज तक वह मामला सुलझ नहीं पाया है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि नागरिक संकट में हैं और बिजली कर्मचारियों की जायज मांगें मान लें जिससे हड़ताल की स्थिति खतम हो।

श्री उपाध्यक्ष—

कल आप नहीं थे कल एक बयान बिजली मंत्री ने रक्खा था। उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो विचार के लिये समय दूंगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला–बदायूं)—

व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) क्या मैं सदन का सदस्य नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न बाद में उठाइयेगा।

ग्राम शिवपुर और अरांव जगदीशपुर, जिला गोरखपुर में कृषकों द्वारा मजदूरों पर जुल्म किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

ग्राम शिवपुर और अरांव जगदीशपुर जिला गोरखपुर में कृषकों और कृषि मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने के प्रश्न को लेकर कुछ मतभेद पैदा हो गया जिसके कारण कृषि मजदूरों ने कृषकों के खेतों में कार्य करना बन्द कर दिया। कृषकगण साधारण खेतिहर हैं।

दिनांक २३–६–७१ को श्री निरंजन निवासी ग्राम शिवपुर ने थाना सिकरीगंज पर ४ व्यक्तियों को नामांकित करते हुए रिपोर्ट लिखाई कि उन्होंने काम बन्द कर देने के कारण उन्हें मारा। इसी घटना के संबंध में उन्होंने थाना कोतवाली पर २६-६-७१ को दूसरी रिपोर्ट लिखाई जिसमें उपरोक्त चार व्यक्तियों के अतिरिक्त ३ अन्य को भी नामांकित किया। इस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी कि इसी बीच वादी ने न्यायालय में धारा १४७/३२३ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक इस्तगासा दायर कर दिया जो विचाराधीन है। अतः पुलिस द्वारा जांच समाप्त करके अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई।

दिनांक २३-६-७१ को श्री विक्रमसिंह, निवासी शिवपुर ने ४ हरिजनों के विरुद्ध धारा ४२६/५०६/५०४ भारतीय दंड विधान २४ मवेशी ऐक्ट के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखवाई।

ग्राम अरांव जगदीशपुर के कृषि मजदूरों ने, मजदूरी की बढ़ोत्तरी के मामले के सिलसिले में कृषकों द्वारा उन्हें उत्पीड़ित किये जाने के बारे में जिले में शिकायती पत्र दिये। इनकी जांच पुलिस द्वारा की गई और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिये दोनों पक्षों का धारा १०७/११७ जाप्ता फौजदारी के अन्तगत चालान किया गया और इस संबंध में मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

विक्रम सिंह की रिपोर्ट और ग्राम अरांव जगदीशपुर के हरिजनों के प्रार्थनापत्रों के अतिरिक्त कृषि मजदूरों को परेशान किये जाने या उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाये जाने का कोई साक्ष्य प्रकाश में नहीं आया है। इस मामले को लेकर क्षेत्र के अन्य ग्रामों के किसी प्रकार से प्रभावित होने की बात सही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

कल्पनाथ सिंह जी स्पष्टीकरण मांग लें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने बयान में यह कबूल किया है कि हरिजनों ने रिपोर्ट लिखाई और वही १०७ के मुलजिम भी बनें। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार को क्या यह बातें मालूम हैं कि हरिजनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उल्टे वही १०७ के मुलजिम बनाये जा रहे हैं, तो क्या सरकार १०७ वापस लेकर हरिजनों को राहत देगी और साथ ही हरिजनों को संरक्षण प्रदान करेगी कि दूसरे लोग उनसे मारपीट न कर सकें ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

हरिजनों की सुरक्षा के लिये हर संभव काम किया जा रहा है। १०७ में अगर कोई झगड़े का अन्देशा होता है तो दोतरफा कार्यवाही हो जाती है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

शांति भंग होने का अन्देशा क्या है, यह तो परेशान करने की गरज से किया गया है। मामला तो सिर्फ यह है कि वह लोग मजदूरी करने के लिए दूसरी जगह न जाने पावें, परेशान हों, इतना ही सारा मामला है, क्योंकि वहां एक जगह किलो चलता है और वहां सेर चलता है। तो वह लोग दूसरी जगह जाकर मजदूरी कर सकें यदि १०७ से मुक्त हो जावें, इससे शांति भंग का अन्देशा नहीं है। तो इन मजदूरों को आप १०७ से मुक्त कर दें जिससे उनकी मजदूरी करने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

ऐसी बात नहीं है, दूसरी पार्टी के भी सात आदमी गिरफ्तार किये गये हैं। यह केस भी न्यायालय में चला गया है, इसलिये इसके संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो मंत्री जी ने कहा और कल्पनाथ सिंह जी ने सुझाव दिया तो मैं स्पष्टीकरण करना चाहता था और प्रश्न भी। यह बात आपको मान लेनी होगी कि सारी चीजें न्यायालय में चली गयीं लेकिन १०७/११७ में दस आदमियों को अपने साथ रोके रहेंगे। यह बात कल्पनाथ सिंह जी ने सही कही कि १०७/११७ जानबूझ कर उनको फांसे रहेंगे। आप यह मतलब न लगा लें कि वे लोग फंसे हुए हैं। इसलिए आप उनको छोड़ दें और अगर शांति भंग होने का अंदेशा है तो उन सात आठ आदमियों को पकड़ लें जिनसे यह अन्देशा है।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

दोनों पार्टियों की तरफ से शिकायतें हैं। वहां पर शांति भंग होने का अंदेशा था इसलिए पुलिस ने कार्यवाही कर दी। हरिजनों ने जिनके खिलाफ रिपोर्ट की थी उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनका चालान किया गया।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि २३–६–७१ को जब वे खेतिहर मजदूर थाने पर रिपोर्ट लिखाने गये और उन्होंने भारतीय दण्ड विधान की बेगार विरोधी धारा में रिपोर्ट लिखानी चाही तो वहां की लोकल पुलिस ने उनकी रिपोर्ट बेगार विरोधी धारा में नहीं लिखी ? उसके बाद दुबारा घटना हुई, दुबारा उनको मारा गया। वह दुबारा फिर रिपोर्ट लिखाने गये बेगार विरोधी धारा के अन्तर्गत जिससे कि मुकदमा सरकारी होता। लेकिन फिर भी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। उसका सबूत यह है कि पुलिस ने उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी। माननीय मंत्री जी का जो वक्तव्य है उसमें स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा जांच समाप्त करके अन्तिम रिपोर्ट भी लगा दी गयी। क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात की जांच करवायी है कि जो मुकदमा भारतीय दण्ड विधान की बेगार विरोधी धारा के अन्तगत सरकारी होना चाहिए था उसकी दोनों बार रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और इसलिए मजबूर होकर मजदूरों को इस्तगासे में जाना पड़ा।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

ऐसी बात नहीं है। २३–६–७१ को ये थाने पर गये। उन्होंने रिपोर्ट लिखाई और चार व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। उन्होंने उसी घटना को दूसरी जगह कोतवाली पर लिखाई और चार व्यक्ति वे और तीन व्यक्ति और जोड़ दिये। १४७ और ३२३ धारा और जोड़ दीं। घटना २३–६–७१ की ही है और रिपोर्ट दो जगह लिखाई गयी है।

श्री महीलाल—

मेरी बात का स्पटीकरण नहीं हुआ। मुझे और मौका द।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी से दो स्पष्टीकरण चाहूंगा। मंत्री जी के कथनानुसार ऐसा मालूम होता है कि जो आक्रामक है और जो आक्रान्त है, दोनों का १०७ में मुकदमा चलाया जाना जरूरी है। जो आक्रामक है उसी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और जो आक्रान्त है उस पर मुकदमा चलाये जाने का प्रश्न नहीं उठता। दूसरी चीज यह है कि अगर कोर्ट में इस्तगासा दायर कर दिया गया तो अन्तिम रिपोर्ट देना जरूरी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा प्रोसीडिंग्स ड्राप हो सकती हैं।

तो माननीय मंत्री जी कृपया स्पष्टीकरण दें कि क्या प्रोसीडिंग्स ड्राप कर दी गयी हैं या अन्तरिम रिपोर्ट लगा दी गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जैसा मैंने निवेदन किया एक ओर हरिजनों की रिपोर्ट थी, दूसरी ओर से दूसरों की थी, इसलिये पुनः झगड़ा न हो जाय, पुलिस ने १०७ व ११७ की कार्यवाही की। हरिजनों की ओर से अदालत में एक इतगासा भी दायर किया गया है। इसलिये पुलिस ने अन्तरिम रिपोर्ट लगा दी है, खत्म नहीं किया है।

श्री रामपति (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, इसमें १०७ व ११७ में २२ आदमियों को फंसाया गया है। यह मेरे क्षेत्र का मामला है। वहां हरिजनों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है (व्यवधान) वहां के स्थानीय अधिकारियों ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, बल्कि उनके खिलाफ कार्यवाही की। उनको

१६ छटांक के सेर की जगह १२ छटांक के सेर के हिसाब से मजदूरी दी गयी। खाली खेतों में भी अगर उनके मवेशी चरने चले जाते हैं तो उनको कांजी हाउस में बन्द कर दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी सही तरीके से इस घटना की जांच करवायें।

(व्यवधान)

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, जिन हरिजनों ने अपनी सुरक्षा के लिये रिपोर्ट लिखायी उनके खिलाफ पुलिस ने उलटे केस दायर कर दिया, यह प्रश्न केवल गोरखपुर का ही नहीं ह, कल भी एक प्रस्ताव दफा ५२ में आया था, गत चुनाव में भी सत्तारूढ़ दल की ओर से हरिजनों में यह भ्रामक प्रचार किया गया था कि उनकी मजदूरी बढ़ाई जायेगी, उनको जमीन मिलेगी आदि, इसलिये आप इस विषय पर सदन में चर्चा करा दें अलग से। दो घंटे का आप समय दे दें। हरिजनों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह दूसरा सवाल आप उठा रहे हैं, यह तो केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत हुआ था। आप स्पष्टीकरण पूछ सकते थे।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह---

मान्यवर, आज वहां की जैसी स्थिति है उसको देखते हुये हमें यह आशंका है। कहीं शिवपुर गांव में भी इसका बहाना लेकर उन मजदूरों पर १०७ न चलाया जाय। क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि अभी तक जिन पर १०७ नहीं चली है, उन पर आगे भी न चले और जिन पर १०७ चलाया गया है उसको वापस लेकर क्या सरकार उनको संरक्षण प्रदान करेगी, जिससे वे दूसरे गांव में जाकर मजदूरी कर सकें ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

जहां तक हरिजनों की सुरक्षा का सम्बन्ध है, सरकार को उसका पूरा ध्यान है और वह अपने उत्तरदायित्व को निभाने में कोई कसर नहीं रखेगी, लेकिन जहां पर शान्ति भंग का अंदेशा है, वहां पर जो भी कदम उठाने की आवश्यकता होगी, उठाया जायगा।

(व्यवधान)

श्री महीलाल---

मंत्री जी के वक्तव्य के आधार पर जुर्म यह था कि उन्होंने काम बन्द कर देने के कारण उनको मारा, किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम लेना बेगार की परिभाषा में आता है, किन्तु उन हरिजनों की रिपोर्ट बेगार की दफा में नहीं लिखी गई, तो क्या इसके लिये माननीय मंत्री जी स्थानीय पुलिस को दंड देंगे ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

अगर पुलिस की ओर से कोई कोताही हुई है तो उसको अवश्य दंड दिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री महीलाल—

यह तो साफ है, आपने अपने वक्तव्य में इसे माना है, कोई किसी से जबरदस्ती काम लेने की चेष्टा करे तो वह आई०पी०सी० की बेगार विरोधी धारा में आता है, उसमें उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया गया और आप यहां पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अपराध किसने किया और मुकदमा किसी के खिलाफ धारा १०७ का चलाया जाय, यह तो बिलकुल उचित बात नहीं है, उनके खिलाफ अन्याय है। आप इस पर गम्भीरता से विचार कीजिये और उन पर बेगार विरोधी मुकदमा चलाइये, जिन्होंने गलत तरीके से काम लेने की कोशिश की।

श्री बंशीधर पांडेय—

इस प्रकार की गोरखपुर, इलाहाबाद व इटावा सभी जगह की घटनायें हैं, आप इस पर दो घंटे की चर्चा करा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

हरिजनों के बारे में कहीं-कहीं से आया था, उसके बारे में मैंने सोचा कि सब एक साथ....

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या आप हमसे नाराज हैं जो हमें कतई आप बोलने का मौका नहीं देते हैं। इस वजह से मैं इस सदन में ही नहीं आता था और फिर नहीं आऊंगा, यदि यही हालत रही, यदि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। कल आप से मेरी भेंट हुई थी और आप ने कहा था कि आपका सवाल स्वीकार हुआ, लेकिन आज फिर एक पुलिन्दा आ गया अस्वीकार का... (व्यवधान) आपके सहाय जी से पूछ कर उनसे मिलकर फिर से एक ड्राफ्ट बनाकर दिया था, आज फिर वह अस्वीकार हो गया। अब मैं क्या करूं मेरा सवाल कब और कैसे स्वीकार होगा मैं तो आप से पूछना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष—

मैं किसी सदस्य को गारेन्टी नहीं दे सकता हूं कि उसका सवाल कब स्वीकार होगा, आप कृपापूर्वक उन सवालों को लेकर मेरे कक्ष में पधारने का कष्ट गवारा करें।

मैं तो सारे हरिजन के प्रश्नों को मिलाकर लेना चाहता था, लेकिन कल्पनाथ सिंह ने कहा अलग से करें। मैं तो स्वयं चाहता था कि उनको मिलाकर उन पर चर्चा का समय दे दूं। तो उसको मैं देख लूंगा। आप लिख कर दे दें।

विधेयकों के सम्बन्ध में समय निर्धारण की सूचना

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। पांच छः विधेयक हैं जिन्हें आज पास होना है। श्रीमन्, की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था हो जाती कि किस पर कितनी देर बहस होगी उस हिसाब से हम लोग तैयार रहते। हमारी दृष्टि से चीनी उपक्रम विधेयक ज्यादा महत्व का है। उसके लिये भी कोई समय हो जाता। उस हिसाब से जिसको जिस विषय पर बोलना होता आ जाता।

राजस्व मंत्री (श्री उदितनारायण शर्मा)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, श्रीमन्, एक निवेदन करना चाहता था कि यह व्यवस्था दें, आज पांच या छः बिल हैं जिनको आज ही पास होना है। जैसा रामधारी जी ने कहा एक तरीका यह हो सकता है कि आप हर एक के लिये समय निर्धारित करें। एक दूसरा तरीका यह भी हो सकता है जिसका सुझाव मैं देना चाहता हूं कि इन बिलों में विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य जिसको जितना अधिक महत्व देते हों या जितनी अधिक चर्चा चाहते हों उसके हिसाब से उसको प्राथमिकता

दिलवा दें और अधिक समय दिलवा दें लेकिन और दूसरों को आसानी से निकल जाने दें । माननीय कृष्णानन्द राय, मैं एक निवेदन कर रहा था । मैं माननीय रामधारी जी की राय से सहमत हूं कि आज जितने बिल आ रहे हैं, ५–६, उनके लिये समय निर्धारित कर दिया जाय । मैं दूसरा सुझाव यह दे रहा हूं कि एक तरीका यह हो सकता है कि जितने बिल हैं, उनको विरोधी दल के माननीय सदस्य देख लें, जिसको यह अधिक महत्व का समझते हैं, जिसमें अधिक रुचि हो, उसके मुताबिक प्राथमिकता दिलवा दें हमें कोई ऐतराज नहीं होगा और प्राथमिकता के हिसाब से समय ज्यादा और कम दिलवा लें, जिसमें किसी बात को कहना हो तो कह लें ।

एक सदस्य––

चीनी वाले विधेयक पर हमारा अनुरोध यह है कम से कम चार साढ़े चार घंटे का वक्त दिया जाय ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)––

पांच विधेयक और दो घंटे ? बाहर जनता क्या कहेगी । विधायकों के ऊपर लांछन होगा कि उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया । क्या तिवारी जी आप चाहते हैं कि दो घंटे में चार विधेयक पास करवा दें ? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दो मिनट में काट देगा । आप दूसरे दिन ले लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष––

आप और आपके मंत्री कार्यमंत्रणा समिति में थे ।

श्री बंशीधर पांडेय––

कार्य मंत्रणा समिति मेरे लिये गीता का भाष्य थोड़े ही है ।

श्री उपाध्यक्ष––

कार्य मंत्रणा समिति ने प्रस्ताव किया और वह प्रस्ताव सदन में रखा गया ।

श्री बंशीधर पांडेय––

हम चाहेंगे तो बदल देंगे । रात भर हाउस बैठे ।

श्री उपाध्यक्ष––

मैं जोर से कहूं और क्रुद्ध होकर कहूं कि आपने स्वयं सदन में पास करके पीठासीन अधिकारी पर जिम्मेदारी और इतना बोझ डाल दिया है । मैं तैयार हूं चाहें तो बारह बजे रात तक बैठे रहें ? यही तो मंशा है, जो आपने सदन में पास किया है ।

श्री बंशीधर पांडेय––

आप बिलकुल ठीक कहते हैं । लेकिन चीनी वाले पर तीन सरकारों का टाइम बीत गया है । चीनी पर इस सरकार ने बड़ी बंग्लिंग किया है । कोई प्रस्ताव राष्ट्रीयकरण का है नहीं ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)––

चीनी उपक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है । उसके बाद बिक्री-कर वाला है ।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय राजस्व मंत्री कहते हैं कि आपके नेताओं से बात कर लेंगे कि कैसे हो । आपने कार्य मंत्रणा समिति में तय किया है, सदन में तय किया है उसके बाद राजस्व मंत्री ने कहा है कि हम आपसे बात करेंगे । तो आप बातचीत करके तय कर लीजिये आपस में ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

यह सही है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ था कि ये सब विधेयक दो दिन में स्वीकार होंगे लेकिन आप देखें कि दो घंटे आज अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लग गये और अब तीन घंटे रह गये हैं ५ बजने में। यदि सरकार को ज्यादा कठिनाई न हो तो तीन घंटे में सारे विधेयक पास कर लिये जायं और केवल एक विधेयक जो चीनी मिल से सम्बन्धित है, वह बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है उसे दूसरे दिन के लिये रख दिया जाय और किसी दिन उस पर दो घंटे ज्यादा बठ कर पास कर लिया जायगा।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

मैंने शुरू दिन में जब सत्र आरम्भ हुआ था तभी कहा था और बिजनस एडवाइजरी कमेटी में यह आग्रह किया था कि ये जो अध्यादेश है इनको विधेयकों में लाना है। २३ अगस्त इनकी अन्तिम तारिख है जब तक कि गवर्नर के दस्तखत भी होने हैं। सबने कहा कि आप चिन्ता न करें। बजट का जो वोट आन एकाउन्टस है एक महीने के लिये उसे भी २७ तारीख तक पास करना है। कई बार विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि दो दिन इन विधेयकों के लिये रखे जायं। मने कहा कि इनके लिये समय का आवंटन कर दिया जाय तब यह कहा गया कि कोई बात नहीं है। फिर यहां से पास हो कर इनको कौंसिल में भी जाना है। उनका भी अपना कार्यक्रम है और दोनों सदनों के कार्यक्रमों का संतुलन करना है। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि चीनी बिल वाले विधेयक पर तीन घंटे में ढाई घंटे बहस हो जाय और शेष में विवाद की जरूरत नहीं है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

तीन विधेयक बड़े महत्व के हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

चाहे कितने भी महत्व के हों लेकिन आपने और कार्य मंत्रणा समिति न यह ज्यादती की है कि आपने इनको रख दिया है और इसे हमको पास करना है। कहिये तो १२ बजे रात तक बैठा रहूं।

श्री महीलाल---

मैं निवेदन यह कर रहा था कि तीन विधेयक बहुत महत्व के हैं। चीनी मिल वाला विधेयक साढ़े ३ करोड़ रुपये से ज्यादा धन से सम्बन्धित रहता है और यह जनता का धन मिल वालों को दिया जायगा। दूसरा बिक्री कर वाला है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, भूमि विधि विधेयक है जो समाज के पीड़ित वर्ग को लाभ पहुंचायगा। वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इतने थोड़े समय में इन तीनों के अलावा दो और हैं जिनको हमें पास करना होगा। शेष दो तो बिना किसी विचार विनिमय के पास हो जायं लेकिन तीन जिनको मैंने बतलाया उनके लिए आप समय बांट दें। आज के अलावा १६ तारीख को जब सदन फिर बैठे तब कुछ अधिक समय तक बैठ कर इनको पारित किया जाय ताकि जनता के विचार सरकार तक पहुंचाये जा सकें

इसलिए अगर माननीय संसदीय कार्य मन्त्री मेरे इस सुझाव को मानने के लिए तैयार नहीं हों कि समय ज्यादा नहीं दिया जायगा तो आज ही सदन का समय बढ़ाकर हम लोगों को हमें विचार विनिमय करने का मौका दिया जाय।

(इस समय २ बजकर १० मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्मा राम गोविन्द खेर पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष---

मैं एक राय लेना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि कुछ बिलों के ऊपर चर्चा न हो और और वे वैसे ही पास कर लिय जायं। तो ऐसे कौन-कौन से विधेयक हैं?

श्री महीलाल—

मान्यवर, इसमें एक तो गांव पंचायत और क्षेत्र समिति के कार्यकाल बढाने का है जो कि माननीय सामुदायिक विकास मन्त्री वाला है उसे आप पेश कर दें, हम पास कर देंगे। यह नम्बर ९ पर है। मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि वे इसको और जो दो-एक अन्य हैं उनको वे पास कर देंगे किन्तु जो दूसरे महत्वपूर्ण विधेयक हैं उन पर हमें विचार करने का मौका मिलना चाहिए। उसे चाहे आप समय बढाकर करें अथवा १६ तारीख को समय बढाकर करें किन्तु उसके लिये अधिक समय की आवश्यकता है.....

श्री अध्यक्ष—

आपने दो विधेयकों के बारे में कहा कि उन पर विचार न हो.....

श्री महीलाल—

नहीं, मान्यवर, ऐसे तीन विधेयक हैं.....

श्री उदितनायरण शर्मा—

मान्यवर, आप पहले मेरी बात सुन लें और उसके बाद कोई एतराज हो तो कह लीजियेगा। अभी हमारे विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि जो चीनी उपक्रम से सम्बन्धित विधेयक है उसमें वे अधिक बहस करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि बाकी जितने हैं उनके वे तीन घंटे के अन्दर पास कर देंगे। इस सम्बन्ध में मैंने पहले एक भी दिया था कि आज ५ बजे से ६ बजे तक यह सदन काम न करे और उस वक्त एक प्रस्ताव हम लोग मुजीबुर्र मान के बारे में लाने हेतु अपने साथियों से विचार-विमर्श करना चाहते हैं। तो जो तीन घंटे हैं उसमें हम बाकी बिलों को पास कर लें। और चीनी उपक्रम वाला जो विधेयक है उसे हम उस प्रस्ताव के बाद सात, साढ़े सात बजे से दस, ग्यारह, बारह जितनी देर आप तक चाहें उस पर बहस कर सकते हैं। हम बठने के लिए तैयार हैं...

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय शर्मा जी ने तो हमारी बात कुछ मान ली किन्तु एक बात में जिद्दकर दी हमने कहा था कि यह जो चीनी उपक्रम वाला विधेयक है उसे दूसरे दिन के लिए टाल दें। (व्यवधान) आप सुन लें आपका उसमें कोई नुकसान नहीं होगा।

श्री उदितनारायण शर्मा—

मैं निवेदन कर रहा हूं कि चीनी मिलों वाला जो विधेयक है उसमें यह विशेषता है कि उसमें २२ तारीख को आर्डिनेंस की तारीख समाप्त हो जायगा। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि दूसरे बिलों में तो नहीं, किन्तु इस बिल में हमें केन्द्रीय सरकार की सेंक्शन की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए समय लगेगा। कौंसिल में भी इस बिल को जाना है। इस लिए मैंने निवेदन किया कि जितनी देर चाहें आप इसमें बहस कर सकते हैं। हम बैठने के लिए तैयार हैं और ऐसा करने से हमारा काम भी हो जायगा। यदि इसे हम १६ तारीख के लिए करते हैं तो कब यह कौंसिल में जायगा, उसके बाद सेन्ट्रल गवर्नमेंट में जायगा और प्रेसीडेंट की एसेन्ट लेना पड़ेगी और यह सब काम २२ तारीख तक पूरा हो जाना है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि आप मेरे इस सुझाव को मान लें।

श्री कृष्णानन्द राय---

अब आप ही फैसला दे दें। इस बात पर अनावश्यक समय खराब हो रहा है। दो घंटे का समय रह गया है। तो तीन घंटे में अन्य विधेयकों को पास करा लें और उसके बाद १६ तारीख को चीनी वाला विधेयक ले लें। इसमें क्या कठिनाई हो रही है? २२-२३ तारीख तक तो चला ही जायगा। इसम जो अन्य विधेयक हैं वे एक माननीय सामुदायिक विकास मन्त्री का गांव पंचायतों वाला है, रेन्ट कन्ट्रोल वाला है और विश्वविद्यालय का है यह तो आधे घंटे में हो जायेंगे और जो दो-एक और है, भूमि विधि और बिक्री-कर से सम्बन्धित है वे दो घंटे के अन्दर हो जायेंगे...

श्री अध्यक्ष---

इसमें मैं फैसला कर दूं तो वह आप सभी को मान्य होगा?

श्री रामधारी शास्त्री---

आपका फैसला तो मान्य होगा, एक बात सुन ली जाय। वह यह है कि माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि उनको कठिनाई है और केन्द्रीय सरकार से परमीशन लेनी पड़ेगी तो आप यह करें कि चीनी वाला आज ले लें और बाकी के विधेयक १६ तारीख को रखे जायं और २-३ घंटे बहस हो जाय।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि माननीय कृष्णानन्द राय का सबसे अच्छा सुझाव है। यह कि आज चारों विधेयक पास कर लिये जायं और उसके लिए समय आपने आध-आध घंटे और तीसरे के लिए १ घंटे का सुझाव दिया है।

श्री कृष्णानन्द राय---

यह जो श्रीमन, राजस्व मन्त्री का भूमि विधि संशोधन वाला है इसमें अधिक समय चाहते हैं, यह नम्बर ११ पर है। वैसे ९ नम्बर वाले पर १५ मिनट दे दें। ११ नम्बर वाले पर २ घंटे। उसके बाद नम्बर १३ है शिक्षा मन्त्री का उस पर १५ मिनट। उसके बाद चीनी मिल वाला है उसको आज न लिया जाय १६ तारीख को ले लें। उसके बाद रेन्ट कन्ट्रोल वाला है उसको हम ऐसे ही पास कर देंगे।

श्री अध्यक्ष---

बिक्री-कर वाला रह गया।

श्री कृष्णानन्द राय---

१५ मिनट दे दें, इसमें कुछ नहीं है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

इसमें कम से कम आधा घंटा जरूर दें, बाकी सब ठीक है।

श्री पन्नालाल गुप्त (जिला फतेहपुर)---

इसमें ज्यादा समय दिया जाय, यह बड़ा वैसा है।

श्री अध्यक्ष---

तो यह रहा कि ९ नम्बर वाले पर १५ मिनट। उसके बाद ११वां जो है उसके लिये २ घंटे आपने कहा है, इसलिए डेढ़ घंटा ठीक रहेगा। ठीक है। वित्त मन्त्री जी का बिक्री-कर वाला आधा घंटा। शिक्षा मन्त्री जी का १५ मिनट जो विश्वविद्यालय वाला है। रेन्ट कन्ट्रोल वाला, खाद्य मन्त्री जी का वैसे ही पारित हो निर्विवाद।

श्री कृष्णानन्द राय--

जो रेवेन्यू मिनिस्टर का है उसके लिए डेढ़ घंटा, क्योंकि हरिजनों के आवास का है और बाकी १५--१५ मिनट में सब पास कर देंगे।

श्री अध्यक्ष--

बिक्री-कर वाले के लिए आपने आधा घंटा कहा था ?

अब इसके बाद चीनी मिल वाला रह गया है। इसको १६ तारीख को ले लेंगे। इसमें क्या बुराई है। बजट के बाद तीन घंटे बैठेंगे।

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, हमारे पास समय नहीं है। १६ तारीख को नहीं ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

तो फिर कल १२ तारीख को ले लीजिये वरना आज रात तक बैठिये। यह ज्यादा अच्छा है कि १६ तारीख को यह हो जाय। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। उस दिन इसको ले सकते हैं।

श्री पन्नालाल गुप्त--

अध्यक्ष महोदय, आज चीनी वाला कर लिया जाय। बाकी दूसरे दिन के लिए टाल दिये जायं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, १६ तारीख को अनुदान के बाद यह हो जायगा। इसमें कोई दिक्कत नही होगी।

श्री अध्यक्ष--

वह १६ तारीख को हो जायगा। बाकी सब आज हो जायं। अब शुरू करते हैं। माननीय सदस्य ५--५ मिनट बोलें।

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्य काल का विस्तारण) विधेयक, १९७१†

सामुदायिक विकास राज्य मन्त्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७१ पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह बड़ा सीधा सा विधेयक है कार्यकाल बढ़ाने के लिए और माननीय सदस्यों ने तय कर दिया है कि ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि यह बिना विवाद के स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७१ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में दे दे (सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)।

---

†१३ जुलाई, १९७१ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री राम गोपाल संड]

मान्यवर, मैंने इसलिए प्रस्ताव रखा है कि आप देखें कि हर वर्ष मन्त्रि मण्डल बदलता है और हम से समय लिया जाता है। हम समय दे देते हैं। लेकिन हम चाहते थे कि यह प्रवर समिति में इसलिए जाय कि गांव पंचायतों के चुनाव में जो दलगत और जातिगत भावनायें उभर आती हैं उनके बारे में मन्त्री जी विचार करें आश्वासन दें कि चुनाव पदाधिकारियों के नाम से न हों बल्कि जिसको सब से अधिक मत मिलें वह अध्यक्ष चुना जाय। दूसरे नम्बर वाला मंत्री तथा तीसरे नम्बर वाला कोषा- ध्यक्ष चुना जाये। इससे चुनाव कटुता नहीं आयेगी। प्रधान प्रधान के खिलाफ नहीं लड़ेगा। इसके अधिकार भी बढ़ाये जायं और राजस्व से इसको धनराशि दी जाय जिससे क्षेत्र समिति इनका विकास कर सके और स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा सकें। अगर पाठशाला के लिये यह प्रार्थना करें तो जिला निरीक्षक उनकी बात को मानें। इसलिये मैंने प्रस्ताव रखा था कि हमारे मंत्री जी चुनाव के बारे में आश्वासन दें।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

माननीय अध्यक्ष जी, प्रवर समिति वाले प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मैं ठोस सुझाव देता हूं उसका संबंध आजकल की समस्या से है, हरिजन और खेतिहर मजदूरों से इसका संबंध है। यह जो पंचायतें और क्षेत्र समितियां हैं, उनका चुनाव होता है और उन्हीं के जरिये से जमींदारी विनाश कानून के अन्तर्गत भूमि वितरण की ज ती है। १० साल का समय हो गया उनके चुनाव नहीं हुए, उनके चुनाव शीघ्र कराये जायं और यह प्रधानों का पद कम से कम हरिजनों के लिये सुरक्षित कर दिया जाय क्योंकि रोजाना यह शिकायत आती हैं कि गांव समाज की भूमि हरिजनों और खेतिहर मजदूरों को वितरित नहीं की जाती है।

दूसरी समस्या पंचायत मंत्रियों की है। ८ हजार के करीब हैं, हड़ताल कर चुके हैं। जेल जा चुके हैं शासन इस बारे में जानबूझ कर देरी कर रहा है। सरकार जल्दी से जल्दी उनको राजकीय कर्मचारी घोषित करे और उनकी मांगों को मंजूर किया जाय। अगर इन दोनों समस्याओं को हल कर दिया गया तो पंचायत का काम सुदृढ़ हो जायगा।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष महोदय, चूंकि समय कम है माननीय बलदेव सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं कि सन् १९६७-६८ में जब वे सरकार में थे तो उस समय की सरकार का यह इरादा था कि पंचायत राज के बारे में एक संगठित अधिनियम बना दिया जाय। अभी जो पंचायतों क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के लिये अलग-अलग कानून हैं उनके लिये क्योंकि तीनोंसंस्थाएं गी पंचावतीराज की इकाई है इसलिये उनके लिये एक संगठित कानून बना दिया जाय ताकि अभी जो काम्प्लीकेशन्स अलग-अलग कानूनों में अलग-अलग अधिकार दे देने के कारण पैदा हो जाते हैं, वे न हो सकें। इसके बारे में एक कानून का ड्राफ्ट भी बन चुका था जिसको हमने इसीलिये रोक दिया था कि एक संगठित कानून आने वाला है उनमें तीनों का समावेश हो जायगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि इन तीनों के लिये वह कानून जल्दी से ले आया जाय ताकि काम्प्लीकेशन्स दूर किये जा सकें।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रवर समिति वाले प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह सुझाव देता हूं कि १२ वर्ष का समय हो गया है इसलिये प्रधानों में बड़ी तानाशाही मनोवृत्ति आ गयी है। उसके कारण जिसको भूमि मिलनी चाहिये उसको नहीं मिलती है। दूसरा सुझाव यह है कि माननीय मंत्री जी को पंचायत मंत्रियों को राजकीय कर्मचारी घोषित कर देना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने उनको आश्वासन भी दिया था कि राजकीय कर्मचारी घोषित कर दिया जायगा।

तीसरा पांडेय जी ने सुझाव दिया उसको कर दिया जाय औरजो राजस्व गांवों में वसूल किया जाता है, उसके बारे में ऐसा कर दिया जाय कि इसका गपंचायतों को भी दिया जाय। करे। तभी इन गांवों की उन्नति कर सकते हैं।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष जी, रूपनाथ जी ने मंत्रियों के बारे में कहा। उसके बारे में मेरा एक सुझाव है कि ब्लाकों में मंत्रियों के पास कागजों को लिखने के अलावा और कोई काम नहीं है। ग्राम सेवक के काम को उसके साथ मिलाकर बांट दिया जाय और सब मंत्रियों को ग्राम सेवकों के स्थान पर लगा दें, तभी प्रदेश का ठीक माने में उपकार हो सकता है। और ग्राम सेवक का क्षेत्र आधा कर दिया जावे। क्योंकि इन मन्त्रियों के जरिये सिवाय कागज की खानापूरी करने के विकास खंडों और गांव पंचायतों में और कुछ होता नहीं है। आजतक गांवों में पंचायतों का कोई भी काम नहीं है, चाहे क्षेत्र समिति में देख लें, चाहे ब्लाक में देख लें। शहर की तरफ लोगों का बड़ा ख्याल रहता है। जब शहर का बिल आया था तो लोग शहर शहर चिल्लाते थे। गांवों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हम दाद देते हैं रूपनाथ जी को। डाक्टर राम मनोहर लोहिया की यह कल्पना थी कि राष्ट्र की आय का एक-चौथाई भाग पंचायतों पर खर्च करना चाहिये। चौखम्भा राज्य के वह समर्थक थे। मैं तो मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि चुनाव करायें। संड जी के नाम की बात कही। नगरपालिका का ये चुनाव लड़े थे उसमें नहीं कहा कि नाम पर पर वोट दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो आया।

श्री राजितराम पांडेय--

पंचायतों का चुनाव हो। ऐसा नहीं है कि सभापति ही भूमिहीन को जमीन देते हैं। गांवों में ६० परसेंट बे पढ़ेलिखे होते हैं और ४० परसेंट पढ़े लिखे होते हैं और वह दलाल किस्म के हैं। चाहे बरतानी हुकूमत का जमाना हो, चाहे आज की बात हो, राजा कोई भी हो, वही ४० परसेंट लोग आज भी राज्य करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

समय समाप्त हो गया।

श्री राजित राम पांडेय --

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्ययर, माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं उनमें अधिकांश ऐसे हैं जिनकी चर्चा समय समय पर हुई है। वास्तविकता यह है कि पंचायती राज से संबंधित संस्थाओं का चुनाव अधिक समय से न होने के कारण कुछ ढ़िलाई आ गई है और कुछ त्रुटियां भी उत्पन्न हो गई हैं। मुख्य प्रश्न तो यह है कि इन संस्थाओं के चुनाव अविलम्ब कराये जायें और नियमों में ऐसा संशोधन किया जाय जिससे इन संस्थाओं की गति तीव्र हो सके। इन दोनों प्रश्नों पर शासन ने निश्चय कर लिया है ये चुनाव यथासम्भव समय के अन्दर जो कार्यकाल बढ़ने के लिये विधेयक इस समय प्रस्तुत है उसके अन्तर्गत कराने का निश्चय हो चुका है। और सरकार ने यह भी फैसला कर लिया है कि पंचायती राज संस्थाओं के नियमों में परिवर्तन करने के लिये सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों की एक मिलीजुली समिति बनाई जायगी जो विस्तार के

[श्री गोपीनाथ दीक्षित]

साथ नियमों में परिवर्तन करने के संबंध में विचार करेगी और जब उस प्रकार के नियम इस सदन में प्रस्तुत किये जायेंगे तो माननीय सदस्यों को फिर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलेगा। इस आशा के साथ मैं पुनः निवेदन करता हूं कि यह विधेयक स्वीकार किया जाय।

श्री रामगोपाल संड—

माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया कि जो कमेटी बनायी जायगी उसमें सभी प्रकार के लोग रखे जायंगे मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७१ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३ तथा ४

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, ७९७१ की धारा १२ का संशोधन — 2—यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा 12 में, उपधारा (2) में शब्द "ग्यारह वर्ष" के स्थान पर शब्द "बारह वर्ष" रख दिये जायें।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३३, १९६१ की धारा ८ का संशोधन — ३—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, १९७७ की धारा ३ में, उपधारा (1) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द "चार वर्ष" के स्थान पर शब्द पांच वर्ष" रख दिये जायें।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ५ १९७१ का निरसन — ४—उत्तर प्रदेश गाव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) अध्यादेश, १९७१ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और ४ इस विधेयक के अंग मांते जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७१

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम — 1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) अधिनियम, १९७१ कहलायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७१ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्य काल का विस्तारण) विधेयक, १९७१ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७१†

*राजस्व मंत्री (श्री उदितनारायण शर्मा)—

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७१ पर विचार किया जाय । श्रीमन्, इससे पहले कि इस पर विचार आरम्भ हो, मैं प्रस्तावना के रूप में कुछ बातें कह देना चाहता हूं । हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम, १९५० में पास हुआ था और वह यहां के इतिहास में अपना एक विशेष महत्व रखता है । यहां के किसानों की मुक्ति दिलाने में, यहां के किसानों को अपने अधिकार दिलाने में और यहां के किसानों को जमींदारी प्रथा से मुक्त करने में । जैसे-जैसे समय चलता गया वसे-वैसे यह अनुभव होता गया कि उसमें कुछ कमियां रह गई हैं । उसके अनुसार समय-समय पर उसमें अनेक संशोधन हुये । श्रीमन् जी के सामने आज जो संशोधन पेश हैं वह तीन प्रकार के हैं । आपको स्मरण होगा कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के द्वारा जहां कृषकों को अधिकार दिया गया था, जहां खेती की व्यवस्था की गई थी, वहां यह भी कहा गया था कि गांव में रहने वाले, उन क्षेत्रों के रहने वाले जहां पर जमींदारी प्रथा नष्ट की जा रही थी वहां पर जो लोग अपने मकानों में या जिन मकानों में आबाद हैं उनके नीचे की जमीन उस समय से उनकी ही मानी जायगी । जैसे-जैसे समय बीतता गया उसके बाद यह अनुभव

---

† १९ जुलाई, १९७१ की कार्यवाही में छपा है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री उदितनारायण शर्मा]

हुआ कि उनके लिये इतना पर्याप्त नहीं है। दो-तीन प्रकार की समस्यायें सामने आई और उनका समय-समय पर हल होता गया। एक समस्या यह आई कि उसके बाद कुछ गरीबों ने, कुछ हरिजनों ने, कुछ खेतिहर मजदूरों ने जिनके पास अपनी जमीन के नाम से कुछ भी नहीं था, जिनके पास अपने मकान के नाम से कुछ भी नहीं था उन्होंने कुछ जमीन जो पड़ी हुई थी, उनके ऊपर अपने मकान बना लिये। उनको जमींदारी उन्मूलन के वे नियम लागू नहीं थे। चूंकि वे बाद को बनाये गये। उसी प्रकार से यह भी अनुभव किया गया कि जो सुविधा अभी तक जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में दी गई थी वह हमारे यहां के बसने वाले खेतिहर मजदूरों के लिये, हरिजनों के लिये और पिछड़े वर्ग के लिये। जिनका व्यवसाय छोटे किस्म का गांवों में है, उनके भी रहने के लिये जो जमीन या जो स्थान मौजूद है वह उनके लिये पर्याप्त नहीं है, वह सुविधा उनको नहीं है। सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे यहां गांवों में हरिजन बस्ती हमारे देश के लिये, हमारे समाज के लिये और हम सबके लिये एक अड़चन की वस्तु आज भी बनी हुई है। कहीं-कहीं शायद जानवरों को भी अच्छी सुविधा मिलती है रहने के लिये लेकिन जो गांव के रहने वाले हरिजन हैं या हमारे दूसरे पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको नहीं मिलती है। हमारा यह कर्त्तव्य है और आज जब हम समाजवाद की ओर जा रहे हैं उस वक्त हमारा सब का यह पावन कर्त्तव्य हो जाता है कि जो हम कहना चाहते हैं उसको कार्यान्वित करें। उसके लिये कम से कम यह जरूरी है कि गांवों में रहने वाले जो ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास अपने मकान के लिये अपनी जमीन नहीं है जिनको मकान में रहने मात्र के लिये लोगों की धमकियां सहनी पड़ती हैं, जिनको दूसरों की गुलामी सहन करनी पड़ती है और जिन्हें अनेक तरह से दबाव में रहना पड़ता है वह भी एक स्वच्छन्द जीवन व्यतीत कर सकें, जिनके पास आराम करने के लिये २ खाटों की जगह भी नहीं है, उनके लिये आजतक के नियमों में जितनी चीजें रहीं वे पर्याप्त नहीं थीं। इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि उनको अधिक सुविधायें देना हमारा परम कर्त्तव्य है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये २४ मई को एक आर्डिनेन्स जारी किया गया था और उसमें हमने २ बातें रखी थीं। एक तो यह कि हमारे गांवों में बसने वाले जितने भी हरिजन हैं, खेतिहर मजदूर हैं जिनकी व्याख्या इस बिल में दी हुई है जिसके पढ़ने में मैं सदन का समय नहीं लूंगा, तो इस प्रकार के जो लोग हैं और जिनके पास आज तक अपने रहने के लिये अपने मकान नहीं हैं वह कोई ऐसी जमीन नहीं रखते जिस पर उनके निज के मकान हों या जिस मकान में वह रहते हैं वह जमीन उन की नहीं है उनके लिये भी यह कहा गया है शासन का आगे यह कर्त्तव्य होगा कि इस प्रकार के हरिजन और पिछड़े वर्ग के दूसरों के मकानों में रहने वाले साथियों के लिये ऐसी व्यवस्था की जाय ताकि वह अपने मकान अपनी जमीन पर बना सके। इसके अलावा यह भी अनुभव में आया कि गांव समाजों के जिम्में जो काम दिया गया था यानी जो अब तक नियम था उसके प्रतिबन्धों के अनुसार गांव समाज उनके लिये मकानों की जमीन का प्रबन्ध करता था। ग्राम समाज का यह कर्त्तव्य भी था कि जिनके पास मकान नहीं था जो गरीब भूमिहीन हरिजन थे उन को वह मकानों के लिये जमीन देता। लेकिन दुख की बात है कि उन्होंने अपने इस कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व का ठीक से पालन नहीं किया और उस जिम्मेदारी को उन्होंने ज्यादातर नहीं निभाया। इस सब को देखकर ही हमने नये सिरे से नये नियम बनाने की व्यवस्था की है जिन के मुताबिक यह जरूरी होगा कि जितने हरिजन, भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं या उसी समकक्ष के लोग हैं उन्हें मकान के लिये जमीन दी जायगी। हमने ग्राम समाजों पर भी अंकुश लगाने की कोशिश की है। इस बिल में हमने यह भी किया है कि जो हाकिम परगना होंगे उनका यह कर्त्तव्य होगा कि वह देखें कि ऐसे लोगों को जमीन मकान के लिये मिले और उनको जमीन दिलाने के लिये वह आवश्यक कार्यवाही करें। हम ने इसमें यह भी रखा है कि गांव पंचायतें जिनको जमीन देती हैं वह अगर सही लोगों को न दें तो इन अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वह स्वयं या किसी के कहने से उन तमाम मामलों की जांच करें और अगर गलत लोगों को जमीन दी गई है तो उस आदेश को कैंसिल करके सही लोगों को जमीन मकान के लिये दिलावें। वह यह भी देखें कि अगर किसी को जमीन गांव समाज नहीं देता है तो वह अधिकारी स्वयं इस

काम को करें और इस दिशा में वह प्रयास करें। यह काम बहुत बड़ा है और यह कोई साधारण काम नहीं है और हमें कोई सन्देह नहीं है कि जितने सम्मानित सदस्य यहां बैठे हैं....

श्री अध्यक्ष—

इस बिल के लिये केवल डेढ़ घंटे का समय है, आप विरोधी दल वालों को भी अपनी बात रखने का मौका दें।

श्री उदितनारायण शर्मा—

मैं जल्द ही समाप्त कर रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि यह बड़ा काम है और यदि हमें इधर के और उधर के सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मिलेगा तो सम्भव है कि इस काम में काफी हद तक सफलता मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त जो त्रुटियां इस में बतायी जायंगी उनको समझ कर हम उचित होने पर मानने का भी प्रयत्न करेंगे।

एक बात इसमें और कही गई है जो आर्डिनेन्स में नहीं थी कि जो जमीन गांव समाज को मिलेगी, चकबन्दी से मिलेगी या और किसी तरह से मिलेगी या प्राप्त होगी। वह हम देंगे लेकिन अगर पर्याप्त नहीं होगी तो क्या होगा? अभी तक उसका प्राविधान नहीं था। हमने इस विधेयक में यह भी किया है कि वह जो प्राप्य जमीन है, वह इसके लिए काफी न होगी, जैसा कि माननीय माता प्रसाद और माननीय महीलाल जी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है और यह बात कही थी, तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि अबकी जो बिल हम लायेंगे, उसमें यह प्राविधान कर दिया जायगा। उस आश्वासन की पूर्ति में इसमें हमने यह प्राविधान किया है कि अगर पहले से यह जमीन उपलब्ध नहीं होती है तो उसे हम अधिग्रहण एक्वीजिशन कहते हैं, के माध्यम से वांछित जमीन प्राप्ति करेंगे, जिससे हम इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

इसमें जो तीसरी आवश्यकता की पूर्ति की गयी है वह यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० के पास हो जाने के बाद जिन लोगों ने, जिन भूमि-हीन लोगों ने या खेतिहर मजदूरों ने किसी जमीन पर अपने मकान बना लिए हैं, जिसे उन्हें बाकायदा नहीं दिया गया है उसका अधिग्रहण कर दिया है। इससे यह भी होगा कि १९५० के अधिनियम में जिन लोगों के कब्जे में जमीन आ गयी है और ऐसे लोगों ने जो मकान बना लिए हैं, वे उस जमीन के मालिक हो जायेंगे, बावजूद इसके कि उनको पट्टे नहीं दिए गये हैं।

इसमें एक और बात छोटी सी है, १९५० में जो जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम पास किया था, उसमें श्रीमन्, कुछ गांव ऐसे थे जिनको नगर की परिधि के अन्दर होने के कारण, वहां की जमींदारी समाप्त नहीं हुयी थी और हमारे वे कानून उन पर लागू नहीं होते थे और यह विशेषकर बलिया जिले के कुछ गांव १६ या १७ थे। उनका इतिहास यह रहा है कि सन् १९३८ में वहां पर कोई बाजार या मेला लगता था जिसकी वजह से वे नगरपालिका को दिये गये थे। इसलिए सन् १९५० का जब विधेयक बना तो उसकी परिभाषा के अनुसार उसके अन्दर नहीं आ सके थे तो वे बाहर रहे। आज भी वे बाहर चले जा रहे थे तो १९५६ में एक ऐक्ट बना। उसके मुताबिक भी उसकी जमींदारी हमने खत्म कर दी है। तो जो अब हम पेश कर रहे हैं वह है कि इसमें धारा १२२-ग बढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि जिनके पास भूमि नहीं है, उनको भूमि दी जायगी और परगना हाकिम की जिम्मेदारी होगी, अगर कोई गलत काम होगा तो संबन्धित व्यक्ति कलक्टर के यहां पर अपील कर सकेगा।

इनके अतिरिक्त एक बात हम और इसमें ला रहे हैं और वह है धारा १२३ जिसके मुताबिक यह होगा कि जिन्होंने कब्जा कर लिया है, वह अधिकृत माना जायगा। जो गांव नगर की परिधि के अन्दर आते हैं लेकिन उनकी जमींदारी खत्म नहीं हुई इसके नवीन स्वरूप से उनकी जमींदारी भी समाप्त हो जायगी।

[श्री उदितनारायण शर्मा---]

श्रीमन्, ये बातें ऐसी हैं जिनको सब लोग स्वीकार करेंगे, ये चाहे बहुत अच्छे न भी हों, लेकिन अच्छे जरूर हैं, इनके बारे में २ राये नहीं हो सकती हैं। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे हमारे इस विधेयक को पास कर देंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इजाजत हो तो बिना संशोधन पेश किये ही अपनी बात कह लूं क्योंकि समय तो ऐसा रखा गया है कि अगर मैं इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव भी करूं तो भी इसे प्रवर समिति के पास नहीं भेजा जायगा। तो जैसी आप इजाजत दें मैं वैसा करूं। फ़ारमेलिटी के लिए अगर कोई प्रस्ताव करना हो तो वैसा ही कर दूं।

श्री अध्यक्ष---

बात तो यही है। जब यह १ १/२ घंटे में खत्म होना है तो प्रवर समिति में जायगा नहीं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है कि जो मंशा है इस बिल की वह अपनी जगह सही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि जिसके लिए मैंने यह संशोधन दिया था कि क्या यह बिल उस मंशा की पूर्ति करता है...

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि आप अपना संशोधन पेश कर दें।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७१ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो १५ दिन में अपनी रिपोर्ट दे दे तथा उसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त हो।

तो श्रीमन, मैं यह कह रहा था कि जैसा कि अभी राजस्व मन्त्री जी ने कहा कि अगर जमीन नहीं मिलती है गांव समाज की, अगर जमीन नहीं मिलती है चकबन्दी से, तो अधिग्रहण की कार्यवाही के द्वारा ऐसे लोगों को जिनके पास अपना मकान बनाने की जमीन नहीं है उनको जमीन मुहैया करेंगे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी एजेंसी होगी हर जिले में, हर तहसील में या हर ब्लाक में जो इस बात का पता लगायेगी कि कितने लोगों को कितनी जमीन की आवश्यकता है? इस बिल में श्रीमन्, यह भी लिखा है कि अगर किसी आदमी के पास मकान है लेकिन अगर यह पर्याप्त नहीं है तो उसे जमीन मुहैया करेंगे। लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? एक बात का ख्याल रखिए, अगर वही परगनाधिकारी, वही कलेक्टर और वही मुकदमेबाजी, वही सारी चीजें होती रहीं तो आज चाहे प्रबन्ध समिति को, गांव सभापति को आप दोष दे लीजिए लेकिन जिस प्रकार आज इतनी देर बाद आप इस नतीजे पर पहुचे हैं कि उन्होंने आपका यह परपज पूरा नहीं किया उसी प्रकार परगनाधिकारी कतई-कतई इस परपज को पूरा करने वाला नहीं है। मैं इसलिए यह बात कहता हूं कि परगनाधिकारी को तो हरिजन बस्ती में जाने पर रूमाल नाक पर लगाना पड़ेगा। वह क्या स्थिति का पता करेगा? तो अगर सरकार की तरफ से कहा गया होता कि कोई ऐसी एजेंसी खड़ी करेगी तो बात कुछ समझ में आती। दूसरी तरफ यह भी तय नहीं हो सका कि कितने दिन के अन्दर --उद्देश्य अच्छा है, प्रस्ताव अच्छा है, कानून ठीक है---लेकिन कितने दिन के अन्दर उसका कार्यान्वयन हो जायगा। अगर यह

निश्चित हो जाता कि एक साल के अन्दर इस प्रदेश का एक भी आदमी ऐसा नहीं रहेगा जिसको मकान बनाने के लिए जमीन नहीं होगी तो कुछ बात समझ में आती। लेकिन एक लम्बा प्रोसेस है और इतना लम्बा है कि शायद यह सरकार बदल भी जाय और तब तक भी यह काम पूरा न हो पाये। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इरादे का सवाल हो तो इरादा साफ रखना चाहिए निश्चित तौर पर।

दूसरी चीज, श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बात मकानों के सिलसिले में कही गई है वह ठीक है। इसके अतिरिक्त एक समस्या और है। मकान बनाने के लिए जमीन मिल जायेगी, ईंटें भी मिल जायेंगी मगर मकान बनाने के लिए मिट्टी कहां से मिलेगी। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करियेगा कि आम तौर से आज यह समस्या है और खास तौर पर हमारे इलाके में। हरिजनों ने और खेतिहर मजदूरों ने मुझसे इस समस्या के विषय में बहुत कहा है। खपरैल लगाने के लिए भी मिट्टी न मिलने की समस्या बनी हुई है। इस बिल में कहीं पर भी इसका जिक्र कोई नहीं है।

एक निवेदन और कर दूं। आज आपने शिल्पकारों का जिक्र किया। सबका जिक्र होता है। शिल्पकारों के लिए भी आपने जमीन मुहैया करने की कोशिश नहीं की है। लुहार को मकान बनाने के लिए जमीन एलाट हो सकती है मगर अगर वह दुकान करना चाहे तो उसके लिए मैं कानून में बहस हो जायगी कि दुकान के लिए जमीन एलाट करने की जिम्मेदारी एस० डी० एम० या गांव समाज की नहीं है, सिर्फ मकान बनाने के लिए है। इस बिल में इस तरह की खराबियां हैं। अगर ये खराबियां दूर हो जाती हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से और बहुत से लोग हैं। धोबी को मकान बनाने के लिए जमीन मिल सकती है। उसके लिए कपड़े धोने के लिए कहां स्थान रखा गया है, उसके घाट के लिए कहां स्थान छोड़ा गया है। चकबन्दी से बहुत सी जमीन छोड़ी गई है। इन लोगों के लिए जमीन की व्यवस्था कहां की गई है? वे परेशान होकर घूम रहे हैं और दरख्वास्तें देते रहते हैं। कहा जाता है कि "चलो, चलो, ठीक हो गया।" यह ठीक है कि उनको मकान बनाने के लिए भूमि मिल सकती है। अगर वह भूमि उनको आबादी से बहुत दूर मिलती है तो फिर उसका कोई प्रयोजन नहीं है। अगर उनको कहीं दूर जमीन मिल गई है तो उसके एवज में उनको जमीन मिलनी चाहिए जो उनकी आबादी के लिए उपयुक्त है। इन बातों का इस बिल में कोई जिक्र नहीं है

मान्यवर, मैं एक निवेदन और कर दूं। चमड़ा साफ करने का सवाल है। जैसा मैंने लुहार के लिए कहा वही बात चमड़ा साफ करने वालों के बारे में भी है। कहीं-कहीं लिखा है कि चमड़ा साफ करने के लिए जमीन दी जायगी। उनकी यह दिक्कत है और सरकार को जिन दिक्कतों को दूर करना चाहिए। भले ही सरकार उस बिल को डेढ़ घंटे में पास करा ले, मगर मेरा निवेदन यह है कि सरकार इस सम्बन्ध में सम्मानित सदस्यों की एक कमेटी बना दे जो इन सब बातों पर विचार कर ले। इस समस्या पर ठण्डे दिल से और गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। वह कमेटी इस प्रदेश में चारों तरफ देख कर, स्थिति को सोच कर और समझ कर एक प्रारूप तैयार कर सकेगी, ऐसी मेरी आशा है, और वह अगले सत्र में या इसी सत्र में अगर यह लम्बा चलने वाला है, सदन के समक्ष आयेगा। कानून बनाने का काम सरकार का है। सरकार दूसरा कानून बना दे। मैं सरकार के काम में बाधक नहीं होना चाहता हूं। मैं तो सरकार की नीयत पर विश्वास करता हूं। इन सारे सुझावों को ले कर सरकार को एक नया बिल लाने की कोशिश करनी चाहिए।

श्रीमन्, एक और दिक्कत है। वह यह कि हर जगह दो तरह के लोग हैं एक तो सुविधा और सत्ता प्राप्त और दूसरे वे जो इससे महरूम हैं। इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि जिन लोगों को इस प्रकार की सुविधा दी जा रही है, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सुविधा प्राप्त हैं और जिनको हैव्ज कहते हैं, वे ही सारे लाभ उठा लें? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? आज तक जो जमीन का बटवारा हुआ, नीलामी के जरिए या दूसरे तरीके से

[श्री कल्पनाथ सिंह]

जो जमीन दी गई, ज्यादातर उन लोगों को प्राप्त हो सकी है जो शक्ति सम्पन्न थे। या तो लाठी वाले थे या पैसे वाले थे और जिनको सही माने में जमीन मिलनी चाहिए थी, उनको नहीं मिल सकी। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी पहलुओं पर ठंढे दिल से विचार करने के लिए, आज नहीं १० दिन बाद ही सही, एक कमेटी बना कर फिर विचार करें और सारे पहलुओं पर ठंडे दिल से सोच कर एक दूसरे बिल की शक्ल में इस सदन में पेश करें जिससे समस्या का समाधान हमेशा-हमेशा के लिए निकल सके यह मेरा आपसे निवेदन है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार हमारे इस सुझाव को अवश्य स्वीकार करेगी।

*श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७१ को एक संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाय, जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो....

श्री अध्यक्ष—

श्री कल्पनाथ सिंह के प्रस्ताव के समर्थन में आप बोलें।

श्री महीलाल—

उनका १५ दिन में रिपोर्ट देने का प्रस्ताव है और मेरा एक सप्ताह में रिपोर्ट देने का प्रस्ताव है। इसलिए मैं इसको पेश करता हूं।

"समिति अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करेगी। यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।"

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय जो भावना प्रकट की है, मैं उसके लिए तो उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन मान्यवर, जिस समस्या को वह हल करना चाहते हैं, जो समस्या आज पीड़ित खेतिहर मजदूरों और उनमें भी विशेषकर अनुसूचित जाति के लोग जो उससे ज्यादा प्रभावित हैं, उनकी स्थिति बिलकुल उस कहावत के मुताबिक हो गई है कि "ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता गया"। यह बात मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे राजनीतिक दल ने, हमारी सरकार ने इन पीड़ित और दुखी लोगों के जिस वक्त कि उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने करवट ली और करवट लेकर उनकी एक इच्छा पैदा हुई कि जीवन स्तर को ऊंचा करना है और उसका नतीजा हुआ कि जो लोग उनका शोषण करते थे, उनको दबाये हुए थे, उन्होंने उनको और ज्यादा दबाना शुरू कर दिया। उनको पीटना, उनको कत्ल करना उनको मारना, उनको झूठे मुकदमे में पुलिस से फंसवाना, केवल इसलिए कि उनकी इच्छा बढ़ गयी कि अपने जीवन को बदलना चाहिये। उसका नतीजा है कि आज उन पर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की क्या स्थिति है, सरकारी अधिकारियों की क्या स्थिति है? मान्यवर, जब माननीय उपाध्यक्ष महोदय यहां विराजमान थे तो गृह विभाग के माननीय राज्य मन्त्री ने एक वक्तव्य पढ़ा। उस वक्तव्य में यह बात उन्होंने स्वीकार की कि शिकायत यह है कि खेतिहर मजदूरों से जबरदस्ती काम कराने की कोशिश की जाती है। उनको मारा गया इसलिए कि वे काम नहीं करते हैं और सरकार के पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं, उनकी रिपोर्ट लिखी ३२३ में।

तो मान्यवर, वहीं तक नहीं, दोबारा फिर इनको पीटा गया और फिर रिपोर्ट लिखाने गये तो चूंकि सात आदमी हो गये तो इसलिए १४७ और जोड़कर ३२३ की रिपोर्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिखी। माननीय राज्य मन्त्री, गृह विभाग, ने स्वयं अपना वक्तव्य पढ़ा है और उनको इतना ज्ञान नहीं है कि जो वक्तव्य उन्होंने पढ़ा है, उसके मुताबिक जुर्म बनता है पुलिस की दस्तनदाजी का। नतीजा क्या हुआ कि हरिजन जेल में ठूंस दिये गये। यह स्थिति उस मामले में हुई है। जहां उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार जमीन दी जाय, वहीं उन पर मार शुरू हो गई। अगर उनमें शारीरिक बल हुआ और मजबूत पड़ गए तो दफा २५ में चालान हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता गया। उन पर जुर्म और अत्याचार बढ़ते गए। मान्यवर, यह शासक दल पर जिम्मेदारी है कि इस बढ़ते हुए अत्याचार को रोकें और कम करे। वैसे भी शासक दल की इनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने की जिम्मेदारी है क्योंकि इसका उन्होंने लोक सभा के मध्यवर्ती चुनाव में वादा किया था। जिस तरह से विधेयक लाया गया है मुझे सन्देह है कि इस विधेयक से उस समस्या का कोई भी मंशा पूरा होने वाला नहीं है। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में यह नहीं बतलाया कि उनके पास कितनी भूमि शेष रह गई है जो वह खेतिहर मजदूरों को खेती के लिए देंगे। शायद उन्होंने हिसाब भी न लगाया हो। सन् ५० के जमींदरी विनाश के बाद गांव समाज को कितनी जमीन मिली, उसमें से आज कितनी शेष है, जो कि यह भूमिहीन मजदूरों को दे सकेंगे। मान्यवर, इसमें बतलाना चाहिए था कि इतनी जमीन हमारे पास जमींदारी विनाश के बाद बची है, उसमें इतनी एलाट कर चुके हैं, इतनी भूमि ऐसी है जिस पर अनधिकृत कब्जा है, यह डिटेल्स में बतलाना चाहिए था अगर ऐसा होता तो मुझे खुशी होती और मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देता। लेकिन मन्त्री जी के पास कोई आंकड़े नहीं हैं कि कितनी जमीन सन् ५० में मिली थी ग्राम सभा को, कितनी बाकी है, कितनी पर अनधिकृत है, कितनी जमीन की जरूरत पड़ेगी जमीन को बांटने में। मन्त्री जी मुझे क्षमा करेंगे वह मेरे बुजुर्ग हैं अगर मैं लफ्जी हमदर्दी इसको कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मान्यवर, यह तो मैंने निवेदन किया कि उनके सामने आंकड़े नहीं हैं। दूसरा उदाहरण दे दूं।

मान्यवर, दिसम्बर में सरकार ने नियमों में परिवर्तन किया कि भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को आबादी की जमीन मुफ्त भी दी जा सकती है। वह नियमों में संशोधन गजट में प्रकाशित कर दिया गया। अब गजट किस जिलाधीश को फुर्सत है कि वह पढ़े। कई जिलाधीशों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है। हमारे पास लिखित आ जावेगा तो मानेंगे। तो मान्यवर, इसलिए इन अधिकारियों पर भरोसा करके उनको शक्ति देकर उम्मीद करते हैं कि वह भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की कुछ सहायता कर देंगे। माननीय मन्त्री जी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, न सिर्फ माननीय मन्त्री जी से बल्कि शासक दल के सभी माननीय सदस्यों से कि क्या आप इस काम को कोई मामूली काम समझते हैं। जो लोग आज हरिजनों पर अत्याचार करते हैं, जिन लोगों ने गांव समाज की जमीन को दबाया है, जिनके गांव समाज की जमीन पर अनधिकृत कब्जे है वे सब रिजल्ट आउट होने के बाद आपके दल में शामिल हो गये।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

आप भी आ जाइये।

श्री महीलाल—

जो शेष रह गये हैं वे भी आपके पास पहुंच जायेंगे। लेकिन उन अवसरवादी लोगों से मैं आपको सावधान कर रहा हूं जो चुनाव से पहले इधर थे और उसके बाद उधर चले गये, इसका एक उदाहरण मुजफ्फरनगर का है। मुजफ्फरनगर में जिन लोगों ने हरिजनों की झोपड़ियां उखाड़ कर फेंकीं वे आज आपके महामन्त्री हैं। इसलिए मुझे भरोसा नहीं है। आप उन्हीं से गाइड होंगे। वे जिस डिप्टी कलेक्टर को कहेंगे अच्छा तो वह अच्छा और

[श्री महीलाल]

जिसको कहेंगे खराब तो वह खराब। सन् १९६६ की संविद सरकार में जब हमारे माल मन्त्री जी मन्त्री थे तो संयोग से मैं उप मन्त्री था। वे तिगरी मेले में गये वहां शिकायत हुई कि शीलिंग की जमीन उन लोगों को दी गयी है जिनके पास पहले से जमीन थी। कलक्टर की शिकायत की तो माननीय मन्त्री जी ने मुझ पर आक्षेप लगा दिया कि तुम तो नक्सलवादी जैसी बात करते हो। उस डिप्टी कलक्टर को जिसने सही एंट्री भेजी थी उसको बैड एंट्री मिली और आज तक उसकी पदोन्नति सही काम करने की वजह से रुकी हुई है। आज तक वह सफर कर रहा है। इसलिए जब तक आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की मैन्टलिटी, उनकी भावनाएं नहीं बदलेंगे तब तक चाहे जितना सुन्दर कानून आप बना दें कुछ नहीं कर पायेंगे। यह प्रस्ताव मैंने इसलिए रखा है कि इस बिल में कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिनका दुरुपयोग किया गया है। उदाहरण के तौर पर खेतिहर मजदूर की परिभाषा को ले लें। इसमें है कि कोई भी व्यक्ति जिसके नाम जमीन नहीं है। मैं गांव में रहता हूं। मेरे पिता जी के नाम जमीन है मैं कह दूंगा कि मैं तो अलग रहता हूं। मेरे पास कोई जमीन नहीं है और मैं खेतिहर मजदूर हूं। इसलिए इस परिभाषा को आपको बदलना होगा। जिस किसी के पिता के नाम, बीबी के नाम या परिवार में किसी के नाम भी जमीन न हो वही खेतिहर मजदूर हो सकता है। दूसरे, उसमें हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया है। हरिजन शब्द से मुझे चिढ़ नहीं है। पूज्य बापू जी ने वह शब्द दिया था। लेकिन हमारे संविधान में सब जगह अनुसूचित शब्द आया है। मगर माननीय न्यायाधीश के पास यह पहुंच गया तो वह कह देंगे कि संविधान में तो हरिजन शब्द है ही नहीं इसलिए यहां अनुसूचित शब्द आना जरूरी है। इसके अलावा यह कि आप परगनाधीशों को अधिकार देने जा रहे हैं कि पहले स्वीकृति ली जायेगी और फिर जमीन बटेगी और उसके बाद हाकिम परगना स्वीकृति प्रदान करेंगे। मान्यवर, मैं समझता हूं कि लेखपाल से लेकर हाकिम परगना तक खेतिहर मजदूर लुट जायेगा जैसाकि आज लुट रहा है। जितना ज्यादा पाबन्दी आप लगायेंगे उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ेगा आपको यह अधिकार देना चाहिये कि जब भी शिकायत हो तो एस०डी०एम० उसकी स्वीकृति रोक दें।

मान्यवर, सीलिंग की जमीन की जो दुर्व्यवस्था हुई है वह भी सुन लीजिये। (लाल बत्ती होने पर) मैं दो मिनट और लूंगा। हमारे यहां बिलारी में नगलिया जट ग्राम में सीलिंग में जिन साहब की जमीन ली गयी वह उन्हीं को फिर कुछ बाग के नाम से, कुछ और ट्रांसफर आदि के नाम से मिल गयी। वहां एक इंच भी जमीन सीलिंग के नाम पर नहीं निकली।

इसके अलावा मान्यवर, देहातों में अनुसूचित जाति के लोग नर्कमय जीवन बिता रहे हैं। उससे भी कहीं ज्यादा बदतर हालत उनकी शहरों में है। लखनऊ में ही एक ओर जहां हम बड़ी-बड़ी कोठियां और महल देखते हैं, दूसरी ओर जहां यह हरिजन रहते हैं वहां उनकी बस्तियों में पानी भरा हुआ मिलेगा, अन्धेरा होगा, और जानवरोंसे बदतर उनका जीवन होगा। इन लोगों के तो जानवर भी बिजली के पंखों में रहते हैं, मगर इन हरिजनों को रहने तक की जगह नहीं है। मैं चाहता हूं सरकार की तरफ से ऐसा आश्वासन मिले कि वह कोई ऐसा बड़ा कदम इस दिशा में उठाने जा रही हैं इधर के और उधर के लोगों को अपने कान्फीडेन्स में लेकर मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि इन लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे आशा है मंत्री जी ऐसा आश्वासन देंगे क्योंकि वे इलेक्शन के पहले इसके लिये वचन दिये हुये हैं।

*श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो यह विधेयक सदन के समक्ष रखा है मैं उसके लिये उन्हें बधाई देना चाहता हूं। सन् १९६७ के कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में यह आश्वासन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया गया था कि हरिजनों के लिये आवास की उचित व्यवस्था की जायेगी। उसी की ओर सरकार का यह एक कदम है।

मैं सरकार का ध्यान इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों की ओर दिलाना चाहता हूं। आज हरिजन दो जगह बसे हुये हैं। एक तो ग्राम समाज की जमीन पर तथा दूसरे अन्य जमीन पर। ऐसी जमीन पर लोग पुश्त दर पुश्त से बसे हुये हैं, लेकिन अभी तक वह जमीन खत के मालिकों के नाम से ही, कहीं बाग के नाम से कहीं अन्य किसी नाम से, दर्ज चली आ रही है और वे लोग वहां इनकी आबादी दर्ज नहीं होने देते हैं। तो मंत्री जी ने जो व्यवस्था इस, बिल के द्वारा की है, तो केवल ग्राम समाज में निहित जो भूमि है, उसके लिये की है। २४ मई, ७१ तक जो मकान बना लिए गये हैं, उनको तो लाभ मिल जायगा, लेकिन ऐसे लोग जो आज भी बहुत दिनों से आबाद हैं, किन्तु दूसरे लोगों ने उसे अपनी खुदकाश्त लिखा लिया है, उनको कोई लाभ नहीं होगा। जो पहले बाग आदि थे, जो बाग के रूप में नहीं दिखाए गये हैं, उन पर आबाद आदमी उनकी गुलामी करने को आज मजबूर होते हैं, तो मैं यह चाहूंगा कि जो दूसरी जगहों पर आबाद हैं, जिसकी आबादी दर्ज नहीं है, उसको लाभ नहीं मिलेगा, उसको भी लाभ मिलना चाहिए। आबादी दर्ज करने की एक बड़ी दिक्कत है। इसमें जो व्यवस्था है, वह यह है कि कैफियत के खाने में सिर्फ 'आबादी' लिख दिया जाता है। लेकिन यह किस व्यक्ति की आबादी है, यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। यह कैसे माना जाएगा कि जिसका बाग कभी नहीं रहा है वह उस पर आबाद है या जो उसपर कोई जो दूसरा रह रहा है, वह आबाद है। ऐसे मामले दीवानी में जब जाते हैं तो आबाद आदमी को निकाल दिया जाता है और जिसका वह बाग है वह काबिज समझा जाता है। मौके पर जो आबाद व्यक्ति है उसका नाम स्पष्ट तौर पर लिखा जाना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यदि यह नहीं लिखा जाएगा तो आबादी के लिखने से फायदा ही क्या है। इस संशोधन विधेयक के द्वारा चार अधिनियमों में संशोधन किया गया है। ये अधिनियम हैं जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३, लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-मान्यवर, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ में हरिजनों के लिए जो आबादी की व्यवस्था है उसमें भी एक बड़ी दिक्कत होती है, चकबन्दी के कर्मचारी जब गांवों में जाते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि मौके पर एक दूसरा व्यक्ति आबाद है, लेकिन सरकारी कागज पर दूसरे का नाम चला आ रहा है, तो उसे 'चक परे' लिखा देते हैं। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि जो आदमी आबाद है उसको मिलना चाहिए। होना यह चाहिए कि जब कर्मचारी चकबन्दी की सर्वे पर मौके पर जाएं और जब देखें कि मौके पर आबाद हैं तो वह आबादी लिख दी जाए 'शामिल जोत' या 'चकपरे', उसे न लिखा जाया करे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि २४ मई, ७१ को माननीय मंत्री जी ने आर्डीनेंस जारी किया, उसके बाद हमारे जिले में जिला भूमि सुधार की मीटिंग हुई, उसमें जिलाधीश से मैंने कहा यह जो आर्डीनेन्स सरकार का हुआ है तो ग्राम समाज की भूमि पर जो मकान बनाये गये हैं, क्या वे उसके मालिक मान लिए गये हैं क्या ऐसा कोई आदेश आया है? तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया था कि ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। तो ऐसे महत्व के आदेश की सूचना उन्हें दी जाए। ११५ सी के अन्तर्गत इस तरह के हजारों मुकदमें चल रहे हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, मेरे जिले में जमीन पर अगर कोई व्यक्ति आबाद रहा है, ग्रामसमाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा जिन मजदूरों, हरिजनों, शिल्पकारों ने करके मकान बना लिया है और किसी वजह से उनका नाम आबादी पर दर्ज नहीं हुआ है, उन पर ११५-सी का मुकदमा चल रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जिलों में इस तरह के आदेश दिये जायं कि ऐसे मामलों में जहां पर आबादी हो चुकी है वहां पर ११५-सी के मुकदमें उठा लें। अगर आबादी है तो आबादी मान ली जाय और यह मुकदमें खत्म कर दें। मैं सरकार से चाहूंगा कि वह आबादी दर्ज करवाये। अगर वह यह काम अपने कर्मचारियों पर छोड़ेंगे तो वही लेखपाल

[श्री माता प्रसाद]

है, वही कानूनगो हैं। उनके पास बहुत ज्यादा काम है। मैं चाहूंगा कि सरकारी आबादी की व्यवस्था का दर्ज करने के लिए या जमीन का अधिग्रहण करने के लिए नये स्टाफ की व्यवस्था करें जैसे दसगुना के लिए नये स्टाफ की नियुक्ति हुई थी। यह बड़ा महत्वपूर्ण काम है। इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था करें। वह सर्वे करके जहां-जहां परमौके पर लोग आबाद हैं और उनके नाम पर आबादी दर्ज नहीं है तो वह दर्ज की जाय।

मान्यवर, एक चीज और आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं। यह चीज सरकार ने ठीक किया है, मैं फिर धन्यवाद देता हूं, जो बिल की मंशा है कि जो गरीब मजदूर अनुसूचित जाति के हैं इन लोगों की जहां पर आबादी है वह जमीन के मालिक हो जायं, जो २४ मई तक हुए हैं। लेकिन यह फायदा ग्राम सभा की जमीन पर रहने वाले लोगों को मिला है। लेकिन दूसरे लोग गलत ढंग से अपना कब्जा दिखाते चले आ रहे हैं, मौके पर आबादी है और उस पर लोगों का नाम दर्ज नहीं होता है ऐसे लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। उनके लिए सरकार व्यवस्था करे तब इसकी मंशा पूरी होगी।

*श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य जौनपुर जो पुराने कांग्रेस के सदस्य हैं और अब भी हैं और प्रान्त के शायद मंत्री भी हैं, संगठन के, मैं उनको बताना चाहता हूं कि वह बहुत खुश न हों। इस कांग्रेस सरकार ने जो दुर्भाग्य से अब भी है जब १९५० में मूल अधिनियम बनाया था, उस कानून में उस सरकार ने हरिजनों के खिलाफ जो दृष्टिकोण रखा था वह अब भी है। उनको बधाई देना चाहिए संविद सरकार को। १९७० में जब माननीय टी० एन० सिंह के मुख्य मंत्रित्व में संविद सरकार थी तो उसने हरिजनों को, छोटे किसानों को, लाखों किसानों को राहत देने के लिए जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में यह व्यवस्था की कि सवा छः एकड़ तक लगान माफ हो। उसी समय सदन में यह घोषणा हो गयी कि हम आबादी के बारे में भी अधिनियम बनायेंगे। संविद सरकार ने जो मसविदा तैयार किया था वही अध्यादेश के जरिये से आज पेश किया। आपको बधाई देना चाहिये संविद सरकार को और संसोपा को जिसने इन गरीबों, हरिजनों के लिए, लड़ाई लड़ी, पांच-पांच छः-छः हजार आदमी जेल भेजे गये बीस वर्ष तक सत्याग्रह करते रहे और कांग्रेस वाले आराम करते रहे। आप महज सदन में भाषण किया करते हैं हमारे सत्याग्रहों में आप शरीक नहीं होते आप कैसे कहेंगे कि आप हरिजनों के हितैषी हैं। असली हितैषी संसोपा है जो आज सोपा के रूप में है। माननीय सदस्य जो इस विधेयक के समर्थन में खड़े हुए हैं, जल्दीबाजी में हरिजनों को कोई चीज मिलने नहीं जा रही है। १२ महीने अथवा महीने भर में पास नहीं होगा तो क्या बहुत क्षति हो जायेगी? जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट, ५० का जो है उसमें जो जमीन बड़ों के हाथ में चली गयी वह उनसे निकले और खेतिहर मजदूरों तथा हरिजनों को वह तकसीम हो, इस तरमीम की उसमें आवश्यकता है। जल्दी में आबादी की व्यवस्था की गई, यह प्राविजन गलत है, आबादी की, व्यवस्था न करते और मूल अधिनियम को बदल कर लाखों एकड़ जमीन जो बड़े लोगों के कब्जे में है उसे हरिजनों तथा भूमिहीनों को वितरित कर दे तो यह बहुत बड़ा कार्य होगा।

मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। सन् ५० में जो सरकार थी वही आज भी है। ४५-४६ की जमींदारी एबोलीशन के सम्बन्ध में रपट है। उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में ४२ लाख ५० हजार एकड़ सीर और ९ लाख ३३ हजार खुदकाश्त में है। जब जमींदारी उन्मूलन कानून बना तो ३१ लाख एकड़ जमीन पहले से खुदकाश्त में थी जो सन् ३६ में बढ़ी। इस तरह से ७३ लाख एकड़ जमीन सीर और खुदकाश्त में थी। जमींदारी कानून बनाते वक्त सब जमीन जमींदारों को भूमिधरी के रूप में दे दी गयी। उस रपट के अनुसार यह है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

केवल २० फी सदी जमीन इस ७३ लाख एकड़ में जमींदारों के कब्जे में थी और बकाया सब भूमिहीनों तथा हरिजनों के कब्जे में थी। लेकिन इन्दराज जमींदारों के नाम थी। लिहाजा सीर और खुदकाश्त की जो धारा हैं उसमें तरमीम करने की जरूरत है और छानबीन करने के बाद जितनी जमीन जमींदारों के फर्जी नाम से निकले वह सब काट दी जाय और जो टिलर आफ दी स्वायत्य है उसको वह जमीन दे दी जाय। लेकिन ऐसा कोई प्राविधान जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में नहीं बनाया गया।

१९८ में हमने जब तरमीम की थी तो भूमि वितरण का जो कानून था उसमें हरिजनों, खेतिहरों और शिल्पकारों के नाम से कोई व्यवस्था नहीं थी। लैंडलेस लेबर के नाम से गोल शब्द रख दिया था। उसको संविद सरकार ने तरमीम किया और वरीयता दी हरिजनों को, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को सब से पहले जमीन दी जायगी। इसके अलावा १ लाख एकड़ जमीन सीलिंग की पड़ी हुई है उसको यह सरकार वितरित नहीं कर पा रही है। इस सरकार का दृष्टिकोण अजीब है। यहां प्रतिक्रियावादी ज्यादा हैं और कहते हैं अपने को समाजवादी। जब १९६९ में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ तो अधिकतम जोत सीमा कानून बनाने की बात तय हुई। इस पर केरल तथा तामिनाडू की सरकार ने कानून बनाते समय अपने यहां जोत की सीमा में तब्दीली कर दी। केरल सरकार ने १२ से ६० एकड़ को घटा कर ६ से ३० एकड़ कर दिया। इसी तरह से तामिलनाडू ने १२ एकड़ कर दिया लेकिन यहां जो सुझाव दिये गये उनको अमल में नहीं लाया गया क्योंकि जमींदार व राजा महाराजा आपके साथ हैं और कुर्सी के लालच में यह सरकार हरिजनों का अहित कर रही है, गरीबों का अहित कर रही है। समाजवाद का इसका नारा केवल धोखा व ढोंग मात्र है। सन् ५१ में विनोबा जी के भूदान यज्ञ में उनको ४२ लाख ७ हजार एकड़ जमीन दान में मिली। उस जमीन का भी मार्च १९६७ में केवल १२ लाख एकड़ का वितरण किया गया। बाकी जमीन पड़ी हुई है। खाली कानून बना देने से हरिजनों और गरीबों को तो वह जमीन मिल नहीं जायेगी, जब तक कि आप उसे बाटेंगे नहीं। सरकार इस चीज को नहीं देख रही है कि उसका एम्प्लीमेन्टेशन कैसे होगा। संविद सरकार ने जनहित में और गरीबों के हित में एक और काम किया था। उसमें यह था हर जिल में स्पेशल पुलिस स्क्वेड की नियुक्ति की जाय जो जिले के हरिजनों और गरीबों में उस गांव समाज की जमीन का बंटवारा करे। वह अभी तक लागू नहीं हो पाया है। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से एक सुझाव है कि वे हर जिले में एक स्पेशल मजिस्ट्रेट के रेंक का एक स्पेशल पुलिस स्क्वेड दे दिया जाय जो कि जमीन का बंटवारा करे और गांव समाज की जमीन को देखे। यदि किसी भूमि हीन को वह जमीन आबंटित हो भी जाती है तो उसका कब्जा उसे नहीं मिलता है जैसे कि गोरखपुर और इलाहाबाद के मामले में सुनने में आया है कि ४—५सौ लोगों को निकाल दिया गया है और बेदखल कर दिया गया है। हम लोग कानून तो बना देते है किन्तु उसे कार्यान्वित नहीं करते हैं। कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। कहने के लिये तो यह आप कहते हैं कि हम हरिजनों के हितैषी हैं किन्तु जो इस तरह से जमीन पड़ी हुई है जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में, उसका वितरण ठीक से नहीं हो रहा है।

इसके अलावा जमींदारी एबोलीशन में कुछ तबदीलियां करने की आवश्यकता भी है जैसे उसमें धारा ५१०, २०९, १९३, २०६, १८ और २० है। इसमें तरमीम करके उसे समाजवादी आप बनाये। इस तरह से खुदकाश्त और सीर के नाम पर जमीन निकल आयेगी। इस प्रदेश में जमीन कम नहीं है, काफी जमीन है किन्तु सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। मैं सरकार का ध्यान तहसीलों में चकबन्दियों के सम्बन्ध में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। इसको दूर करने के लिये सरकार कोई परवाह नहीं करती है। इस सम्बन्ध में मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप हरिजनों और गरीबों की अच्छी सेवा करना चाहते हैं तो भूमि सुधार अधिनियम जो है उसमें संशोधन करें और इस भ्रष्टाचार को दूर करें। हरिजनों के बारे में गांधी जी ने कहा था कि पापों का पश्चाताप आपको किसी रूप में देना ही होगा।

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

तीसरी बात मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि हमने विधेयक में कुछ संशोधन भी दिये हैं उनके बारे में तो मैं तब कहूंगा जब कि हम खण्डों में आयेंगे किन्तु मैं इस बात से सहमत हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय और एक कम्प्रेहेन्सिव बिल बनाया जाय जिसमें कि जमींदारी एबालिशन, चकबन्दी और भूमि सुधार के बारे में सुझाव दिये गये हों। मैंने यह बात उस समय भी कही थी जब कि माननीय चतुर्भुज शर्मा जी राजस्व मंत्री थे और इस समय भी कह रहा हूं माननीय उदित नारायण शर्मा जी से कि वे मेरे इस सुझाव को मान लें। यदि आप चाहते हैं कि दरअसल में प्रदेश के किसानों और हरिजनों की भलाई चाहते हैं तो आपको इस तरह से समाजवादी बिल लाना चाहिए वरना यह समझा जायेगा कि यह सरकार हरिजनों की विरोधी है।

*श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)——

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं कि इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं और उन त्रुटियों को जब तक हम लोग बैठ कर सारी खामियों को पूरा नहीं करते हैं तब तक यह विधेयक उपयोगी नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी, जमींदारी विनाश में भी यह व्यवस्था थी कि लैंडलेस व्यक्तियों को जमीन दी जाय। परन्तु सन् १९५० के बाद २० वर्ष बीत चुके हैं अभी तक उस व्यवस्था का दुरुपयोग ही हुआ है। जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनको जमीन नहीं मिलती है बल्कि और लोगों को मिल जाती है। अब २४ वर्ष के बाद माननीय मंत्री जी चेते हैं कि हरिजनों को जमीन दे दी जाय।

यह इम्पलीमेंटेशन इसके आधार पर नहीं हो पायेगा, फिर दुरुपयोग होगा। हमारे बंशीधर पांडेय अपने नाम में "पांडेय" निकाल देंगे और कहेंगे कि हम हरिजन हैं, हमको भी जमीन मिल जाय।

श्री उदितनारायण शर्मा——

तिवारी जी नहीं कहेंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी——

लेना होगा तो हम ले लेंगे, कह दीजियेगा हमको। हमारा सुझाव भिन्न है और लोगों के सुझाव से। मंत्री जी ध्यान देंगे कि यह जो परम्परा चल रही है कि कई विधेयकों को एक जगह लगा देते हैं——आमभी वकील हैं, मंत्री जी भी वकील हैं——यह किस प्रकार से उन ऐक्ट्स में ऐड करेंगे? यह बड़ी दिक्कत का प्रश्न है। इसलिये जो भी अमेंडमेंट जिस ऐक्ट में लावें उसको अलग-अलग लावें, एक जगह कांसालिडेट नहीं करना चाहिए। साथ ही आपने जो यहां पर हेडिंग दिया है "उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, तो कौनसा भूमि विधि विधेयक बना हुआ है जिसका आप संशोधन करने जा रहे हैं? आप तो जमींदारी विनाश का संशोधन कर रहे हैं, नागर क्षेत्र का कर रहे हैं, कसालिडेशन ऐक्ट का कर रहे हैं। इसलिए यह भूमि विधि (संशोधन) विधेयक जो हैडिंग है यह गलत है। आप इसको जमींदारी विनाश में ऐड नहीं कर सकते हैं नागर क्षेत्र में ऐड नहीं कर सकते हैं। इसको अलग अलग करेंगे एक साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह कंसालिडेटेड तरीके से लाने की जो प्रथा है यह बिलकुल गलत है और ऐसा हमारे माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, इसलिए सिलेक्ट कमेटी की जरूरत है। तो इस के बाद भी आप जो भी कमियां हैं उनको पूरा करके दूसरा विधेयक लावें।

*श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)——

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़ा आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण बिल पर आपने अवसर दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

२६ मिनट रह गये हैं । ५ मिनट हैं आपके ।

श्री रामप्यारे

भूमि विधि का जो प्रश्न है उसमें इधर के हो या उधर के किसी को एतराज नहीं है, सबका स्वागत है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भूमिहीनों की क्या हालत है । खास कर मैं मिर्जापुर की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां रावर्ट्‌गंज और दुद्धी क्षेत्रमें लोग लगातार ३-४ वर्ष से प्रयत्न कर रहे हैं । जमींदारी इलाके वाले जो लोग थे वहां, बड़े जमींदारों के समय में ही नहीं बल्कि पुश्त दर पुश्त से खेती करते चले आ रहे थे, बाग और कुओं वाले, लेकिन सर्वेक्षण करने के बाद इस सरकार ने उनकी खेती पर अधिकार लेकर के आज आदिवासियों की जमीनें छीन ली हैं । मैं बता देना चाहता हूं कि उस इलाके में बहुत से क्राइम हुए, लेकिन जिस प्रकार से वह जमीन उदितनारायण जी उनसे छीन रहे हैं वह तो ऐसा है कि वह स्वतंत्रता तो उनके लिए अभिशाप बनकर आयी है । जिस जमीन पर वे खेती-बाड़ी कर रहे हैं, उनके मकान बने हुए हैं, लेकिन सर्वेक्षण कराकर सरकार कहती है कि यह हमारी है और उस पर खेती करने वालों को जेल में डाल रही है । १३ आदिवासी मिर्जापुर के, रामपुर के जेल में सड़ रहे हैं । आज उनकी देखने वाला कोई नहीं है । मंत्री जी ने बड़ी सफाई स्टेटमेंट दिया था कि वर्ग ४ की जोत की समस्या, जो जंगल में चले गये हैं उनके सारे मुकदमें स्थगित हो गये हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि यही कायवाही रही तो हजारों-हजारों की संख्या में लोग जेलों में चले जायेंगे । इसलिए आज समस्या यह है कि जो कानून आपके पहले हैं उनके मातहत लोगों को सेटिलमेंट दिया जाय और सरकार को सुझाव दिया था कि उन लोगों को जो वर्षों जमीन जोत रहे हैं, उस जमीन पर उनके घर, मकान, बगीचे हैं कैसे उनकी व्यवस्था की जाय तो हमने सुझाव दिया था कि अधिकतम सीमा आरोपण के लिये उन लोगों को, अगर जमीन उनके कब्जे में है तो मैं आप से बताना चाहता हूं कि अगर जंगल का एक पौधा भी काट कर जमीन को देना पड़े तो मैं उसके विरूद्ध हूं । मैं नहीं चाहता कि जंगल काट कर किसानों को जमीन दी जाय लेकिन जो वर्षों से खेती कर रहे हैं उनको जमीन दी जाय ।

हरिजनों की बात कहता हूं मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें । ग्राम समाज की जमीन हरिजनों को न देकर रेनूसागर मिर्जापुर में बिना मुआवजे के ३००/४०० एकड़ जमीन मुफ्त में दे दी गई है । जब सर्वेक्षण हो रहा था, हमारे किसानों को तो भूमिधरी राइट नहीं देते हैं लेकिन इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को प्रसन्न करने के लिये हमारे अधिकारियों ने ३००/४०० एकड़ जमीन दे दी और दूसरी ओर हरिजनों से जमीन छीनी जा रही है, मैं अपने यहां के कल, कारखाने के विस्तार के विरोध में नहीं हूं लेकिन ग्राम समाज की जो जमीन है वह गरीब, आदिवासी मजदूरों में बंटनी चाहिये थी, वह मुफ्त में बिड़ला जी को दी गयी । मंत्री जी की नीति की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हू और एक ओर तो हरिजनों की बात करते हैं और उनसे वोट लेते हैं लेकिन सरकार की नीति क्या है ? मिर्जापुर में भुर्दवा और गोपाली गांवों में हरिजनों और आदिवासियों से जमीन निकाली जा रही है । हजारों की संख्या में मुकदमें हैं और गरीब जनता कर रही है ।

इस क्षेत्र में बड़े-बड़े पूंजीपतियों को सस्ते भाव पर सरकार जमीन दे रही इससे सरकार की नीति मालूम होती है । मैं मांग करता हूं कि रेनूसागर को जो ३००/४०० एकड़ जमीन दे दी है और हिन्डालकों को जमीन दी जा रही है, इसकी जांच करें । हरिजनों को और आदिवासियों को उनकी जमीन से अलग किया जा रहा है, उनको अलग न किया जाय और उनके पास उनकी जमीन रहने दी जाय । दुदधी में क्या हो रहा है ? ३००/४०० मुकदमें होते हैं और पेशकार ३, ४, १० रुपये लेकर तारीख बदलवा देता है । सारी बातों को देखकर मंत्री जी वहां की रपि-स्थिति को ठीक करन की कृपा करें ।

[श्री रामप्यारे]

जैसा कि मैंने कहा कि आपके विधेयक के बारे में कोई दो राय नहीं है। सभी इसका स्वागत करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हरिजनों को जमीन कहां से देंगे ? आज उनको रिहन्डडैम के पास बसाइये। उनको औद्योगिक स्थानों पर बसाइये जिससे उन लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन हरिजनों को अलग-अलग बसाने से समस्या का हल होने वाला नहीं है। अगर हरिजनों को अच्छी जगह पर बसाया जायेगा तभी हमारा उत्थान हो सकता है।

श्री अध्यक्ष---

आपका समय समाप्त।

*श्री उदितनारायण शर्मा---

अध्यक्ष जी, मैंने माननीय सदस्यों की बातों को बड़े ध्यान से सुना। मैं उनका आभारी हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। जो संशोधन इसको प्रवर समिति में भेजने के लिये पेश किया गया है उसको मैं नहीं मान सकता। दूसरी बात यह है कि इसमें कहा गया है परिधि बढ़ाने की बात। मैं निवेदन करूं कि बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि ये जो छोटे-छोटे कानून लाये जाते हैं, इनको इकट्ठा करके लाया जाना चाहिये ? मैं इस माननीय सदन के सामने कहना चाहता हूं कि हम भूमि व्यवस्था के लिये एक कोसोलिडेटेड ऐक्ट शीघ्र ही बनाने जा रहे हैं। उसमें इन सब बातों का समावेश कर दिया जायगा।

श्री महीलाल---

अनुमानतः कितने समय में आ जायगा ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

अभी निश्चित समय तो नहीं बता सकूंगा लेकिन हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी लाया जाय।

माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि इसमें कोई एजेन्सी नहीं रखी गयी है जिसके द्वारा यह भूमि सुधार का कार्य किया जायगा। एजेन्सी ऐक्ट में नहीं रखी जाती है। जब बनायी जायगी तो उसके बारे में विस्तार से विचार किया जायगा। नियम बनाये जायेंगे, शासनादेश होंगे, कमेटी भी बन सकती है। हमने स्वयं जिम्मेदारी ली है। हमारा इरादा है कि हम इसको कार्यान्वित करेंगे और उसमें आपके सुझाव और सलाह भी लेते रहेंगे लेकिन ऐक्ट में इस तरह की बात का समावेश नहीं हो सकता।

श्रीमन्, यह कहा गया कि मकान बनाने के लिये मिट्टी कहां से आयेगी। जब हम मकान बनाने की सुविधा देंगे तो उसमें जो भी अड़चनें आयेंगी उनको भी दूर किया जायगा। यह अड़चन कहीं-कहीं आज भी आती है। कारण उसका यह है कि अभी समाज में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो पिछड़े हुए कमजोर तत्व हैं उनके ऊपर ज्यादती करने की इच्छा रखते हैं लेकिन मैं माननीय महीलाल जी का उस बात में से इत्तफाक नहीं करता जो उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे समय चलता जाता है यह ज्यादती बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है। मेरा निश्चय यह मत है कि दिनो-दिन यह कम होता जा रहा है। अब मैं उनको उस मीटिंग की याद दिला दूं जिसका उन्होंने जिक्र किया उसमें उसी पार्टी के लोग थे, जिस पार्टी के स्वयं हैं, उसमें किसने क्या कहा, मैं किसी का नाम लेने का आदी नहीं हूं। और न उस भाषा का प्रयोग करने की आदी हूं जो वहां प्रयोग की गयी। उस पार्टी या वर्ग विशेष की क्या हालत है उसके बारे में उन्होंने कहा था, आज कह रहे है कि उधर बैठते जा रहे हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री महीलाल--

मेरा मतलब केवल उधर बैठने वालों से नहीं था मेरा मतलब है प्रदेश में उस पार्टी में जो लोग आते जा रहे हैं।

श्री उदितनारायण शर्मा---

मेरा मतलब केवल आपकी पार्टी आपके जिले की संस्था से था, जिसके बारे में आप मुझसे कह रहे थे।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---

मैं एक जानकारी माननीय मंत्रीजी से चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

अगर वह बैठ जांय तो कह सकते हैं।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)---

आप उनको बैठा दीजिये। मैं उनसे एक जानकारी चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने सदन में यह घोषणा की थी अपने विभाग के बजट के समय में नया बन्दोबस्त करायेंगे, सीलिंग की जमीन का शीघ्र ही वितरण करायेंगे, गांव समाज की जमीन का शीघ्र ही नया बन्दोबस्त कर के गरीब हरिजनों को देंगे। आज आप २४ मई, १९७० में जो मकान बने हैं उनके सम्बन्ध में एक बिल लाये हैं। इस बिल में अब भी बहुत सी त्रुटियां हैं। आज हमारा जिस जमीन पर कब्जा है कल यह बिल पास हो जाने के बाद आप ही के समाज के लोग हमारी जमीन छीनेंगे। इसकी आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री उदितनारायण शर्मा---

मैं तो एक ही समाज समझता हूं। अपना और आपका कोई अलग अलग समाज नहीं समझता। आप भले हीं अपने समाज को अलग समझते हों।

मैं एक बात कह रहा था, जरा सी रह गयी। माननीय महीलाल जी ने यह कहा था कि जमीन देने का अधिकार ग्राम समाज तक हीं सीमित रहना चाहिये। आज तक का अनुभव यह है, सब लोगों की मांग यह है, हम सवेरे से शाम तक इस बात के भुक्त भोगी हैं, लोग आ कर कहते हैं कि हमको जमीन नहीं दे रहे हैं सभापति तो हम कहते हैं कि हम मजदूर हैं, हमारे अधिकार में नहीं है और आज आप कहते हैं कि फिर उन्हीं को दो।

दूसरे माननीय माता प्रसाद जी ने कहा था कि कुछ जमीनें ऐसी हैं जिनके ऊपर मकान बने हुये हैं उनके रेकार्ड्स नहीं हैं। लेकिन यह सब जगह की स्थिति है। उसका हल किस तरह से होगा, उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। जो मकान दूसरी जगहों पर बने हुये हैं आज हम अपनी तरफ से बेदखल करने की बात नहीं कहते जब तक उनका अधिग्रहण न कर लें। सम्भव है यह रूरत हो कि उस कानून को भी बदला जाय लेकिन इसमें हम कैसे रखें, वह सम्भव नहीं है। इसलिये मैं कल्पनाथ सिंह जी से और उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को वापस ले लें और इसको चलने दें।

श्री अध्यक्ष--

(श्री राम प्यारे के खड़े होने पर) आप कृपा कर बैठें, आप बोल चुके हैं।

श्री रामप्यारे---

मैं तो एक सफाई चाहता हूं। दुद्धी और राबर्ट्सगंज में ९० प्रतिशत ऐसी जनता है जो जमींदारी इलाके में रहती थी। उसको आप बेदखल कर र हे हैं।

श्री अध्यक्ष--

इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। आप कृपा कर के बैठें। (श्री कल्पनाथ सिंह से) क्या आप इसको वापस लेते हैं या मैं राय ले लूं ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैंने तो यह कह दिया अध्यक्ष जी कि अगर इस बात का फैसला हो जाता है कि साल भर के अन्दर निश्चित तौर पर सारे हरिजनों को प्रदेश भर में गृह के लिये जमीन मिल जायगी तो मुझको क्या एतराज है।

श्री उदितनारायण शर्मा--

मान्यवर, यह जो बात कह रहे हैं वह दुनियां भर में कोई भी नहीं कह सकता। मिल जाय और फिर भी कोई कहे कि नहीं मिली तो उसका क्या प्रमाण होगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1971 को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो १५ दिन में अपनी रिपोर्ट दे दे तथा उसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त हो ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री महीलाल--

माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में ही वह कोई दूसरा विधेयक लायेंगे इसलिये मुझे वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1971 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१ ई० की धारा १ का संशोधन

२--उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा १ की उपधारा (२) में उसके वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई क्षेत्र जो ७ जुलाई, 1949 को किसी म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया, कैन्टूनमेन्ट या टाउन एरिया के अन्तर्गत था, उक्त दिनांक के पश्चात् किसी भी समय इस प्रकार उसके अन्तर्गत न रह जाय और उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अधीन उसके संबंध में कोई विज्ञप्ति जारी न की गई हो, तो

(1) ऐसी दशा में जब वह 29 जून, 1971 के पूर्व किसी समय इस प्रकार उसके अन्तर्गत न रह गया हो, इस अधिनियम का प्रसार ऐसे क्षेत्र में 29 जून, 1971 से होगा ; और

(2) किसी अन्य दशा में, इस अधिनियम का प्रसार ऐसे क्षेत्र में उस दिनांक से होगा जब वह क्षेत्र इस प्रकार उसके अन्तर्गत न रह जाय।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३, ४, ५ तथा ६

3—मूल अधिनियम की धारा 122-ख के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जांय, अर्थात्— नई धारा 122-ग और 123 का बढ़ाया जाना

अनुसूचित जातियों के सदस्यों, खेतिहर मजदूरों आदि के लिए आबादी के स्थल के निमित्त भूमि का प्रदेशन

"122-ग—(1) परगने का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर, स्वतः अथवा भूमि प्रबन्धक समिति के संकल्प पर निम्नलिखित वर्गों की भूमि में से किसी वर्ग की भूमि को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों और खेतिहर मजदूरों तथा ग्रामीण शिल्पकारों के निमित्त आबादी के स्थलों की व्यवस्था करने के लिए विनिर्दिष्ट कर सकता है :—

(क) धारा 117 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में अभिदिष्ट और उक्त धारा के अधीन गांव सभा में निहित भूमि;

(ख) धारा 194 के अधीन अथवा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति के कब्जे में आने वाली भूमि ;

(ग) कोई अन्य भूमि जो धारा 13, धारा 14, धारा 163, धारा 186 या धारा 211 के अधीन खाली समझी जाय अथवा खाली हो जाय;

(घ) यदि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के अधीन आबादी के विस्तार के लिए विनिर्दिष्ट और हरिजनों के लिए आबादी के स्थल के रूप में आरक्षित भूमि उसके द्वारा अपर्याप्त समझी जाय, और उक्त अधिनियम के अधीन अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट भूमि उपलब्ध हो, तो इस प्रकार उपलब्ध भूमि का कोई भाग।

(2) इस अधिनियम की धारा 122-क, 195, 196, 197 और 198 या यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा 4, 15, 16, 28-बी और 34 में किसी बात के होते हुए भी भूमि प्रबन्धक समिति,

परगने के इंचार्ज, असिस्टेंट कलेक्टर के पूर्वानुमोदन से, उपधारा (3) में अभिदिष्ट के निमित्त गृहों के निर्माणार्थ,—

(क) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई भूमि ;

(ख) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के उपबन्धों के अधीन आबादी के विस्तार के लिए विनिर्दिष्ट और हरिजनों के लिए आबादी के स्थलों के रूप में आरक्षित कोई भूमि ;

(ग) धारा 117 की उपधारा (1) के खण्ड (6) में अभिदिष्ट और गांव सभा में निहित कोई आबादी का स्थल ;

(घ) उक्त प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत अर्जित कोई भूमि ; प्रदिष्ट कर सकता है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रदेशन किए जाने में निम्नलिखित अधिमान-क्रम का अनुपालन किया जायेगा—

(1) कोई खेतिहर मजदूर या ग्रामीण शिल्पकार जो ग्राम में रहता हो और अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो ;

(2) कोई अन्य खेतिहर मजदूर या ग्रामीण शिल्पकार जो ग्राम में रहता हो ;

(3) कोई अन्य व्यक्ति जो ग्राम में रहता हो और जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो ।

स्पष्टीकरण—(1) पद "खेतिहर मजदूर" का वही अर्थ होगा जो धारा 198 में है ।

(2) पद "ग्रामीण शिल्पकार" में बढ़ई, कुम्हार, लोहार, रजतकार, स्वर्णकार, नाई, धोबी या मोची शामिल हैं ।

(3) उस व्यक्ति को अधिमान्यता दी जायगी जिसके पास या तो कोई गृह न हो अथवा उसके परिवार की आवश्यकताओं को देखते हुए आवास-व्यवस्था अपर्याप्त हो ।

(4) यदि परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि भूमि प्रबन्धक समिति ने उपधारा (2) के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन या अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं किया है अथवा ऐसा करना अन्यथा आवश्यक या इष्टकर है, तो वह स्वयं ऐसी भूमि को उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार प्रदिष्ट कर सकता है ।

(5) इस धारा के अधीन प्रदिष्ट कोई भूमि प्रदेशन गृहीता द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर, जो नियत किए जाएं, धृत की जायेगी ।

(6) कलेक्टर स्वतः इस धारा के अधीन भूमि के किसी प्रदेशन के संबंध में नियत रीति से जांच कर सकता है और प्रदेशन से क्षुब्ध किसी व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर नियत रीति से जांच करेगा, और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि प्रदेशन अनियमित है, तो वह प्रदेशन को निरस्त कर सकता और तत्पश्चात् प्रदिष्ट की गई भूमि में प्रदेशन गृहीता और उसके माध्यम से दावा करनेवाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति के अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे ।

(7) उपधारा (4) के अधीन असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, उपधारा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और उपधारा (6) के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और धारा 333 के उपबन्ध उसके संबंध में लागू नहीं होंगे ।

(8) परगने का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर स्वतः या उसे तदर्थ कोई प्रार्थना-पत्र दिए जाने पर, उपधारा (2), उपधारा (4) या उपधारा (6) के अधीन भूमि के किसी प्रदेशन अथवा दिए गए अन्य आदेश को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी भूमि पर कब्जा रखने या बनाए रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात् उस भूमि का कब्जा प्रदेशन गृहीता या गांव सभा को देने का निदेश दे सकता है, और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा करा सकता है, जो आवश्यक हो ।

कतिपय गृह केस्थलों का बन्दोबस्त उसके विद्यमान स्वामियों के साथ किया जायगा ।

123—धारा 9 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि धारा 122-ग की उपधारा (3) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति ने उक्त धारा की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमि पर, जो किसी सावजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि न हो, कोई गृह निर्माण किया हो और ऐसा गृह 24 मई, 1971 को विद्यमान हो तो ऐसे गृह का स्थल गृह के स्वामी द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर, जो नियत किए जाएं, धृत किया जायगा ।"

धारा 128 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 128 में, उपधारा (2) में खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिए जायं, अर्थात्—

"(ङ) धारा 122-ग के अधीन भूमि प्रदिष्ट करने की प्रक्रिया ;

(ङङ) वे प्रतिबन्ध तथा शर्तें जिन पर धारा 122-ग के अधीन प्रदिष्ट भूमि या धारा 123 में अभिदिष्ट भूमि धृत की जायेगी ,"

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 1957 की धारा 1 का संशोधन,

5—उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 की धारा 1 की उपधारा (2) में उसका निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड अन्त में बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि खण्ड (ख) में अभिदिष्ट कोई क्षेत्र 7 जुलाई, 1949 के पश्चात्, यथास्थिति, किसी म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, कैन्टूनमेन्ट या टाउन एरिया के अन्तर्गत न रह जाय और धारा 8 के अधीन उसके संबंध में कोई विज्ञप्ति जारी न की गई हो, तो इस अधिनियम का प्रसार ऐसे क्षेत्र में—

(1) उस दशा में जब वह 29 जून, 1971 के पूर्व किसी समय इस प्रकार उसके अन्तर्गत न रह गया हो, इस अधिनियम का प्रसार ऐसे क्षेत्र में 29 जून, 1971 से समाप्त हो जायगा, और

(2) किसी अन्य दशा में इस अधिनियम का प्रसार ऐसे क्षेत्र में उस दिनांक से समाप्त हो जायगा जब वह क्षेत्र इस प्रकार उसके अन्तर्गत न रह जाय ।"

निरसन

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8, 1971 तथा उत्तर प्रदेश, अध्यादेश संख्या 11, 1971 का निरसन

6—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1971 और उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 के उपखंड (2) के भाग (ख) में शब्द "हरिजनों" के स्थान पर शब्द "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम" लिख दिया जाय।

इस विधेयक में हरिजन शब्द आया है। यह शब्द हरिजन हमारे कानून में नहीं आया है। इससे बहुत भ्रम पैदा हो जायगा। इसमें अगर हरिजन रख दिया जायगा तो फिर सभी आदमी अपने को भगवान का आदमी कहेंगे क्योंकि उस ईश्वर के ही सब पैदा किये हुये हैं। जो संवैधानिक शब्द है वह अनुसूचित आदिम जाति है। तो यहां पर भी वही होना चाहिये। यह शाब्दिक संशोधन है जो ड्राफ्टिंग के कारण रह गई है। इसलिये मेरा निवेदन है कि हरिजन के स्थान पर यह अनुसूचित आदिम जाति लिख दिया जाय। मंत्री जी को कोई आपत्ति इसमें नहीं होनी चाहिये।

श्री उदितनारायण शर्मा---

इसमें एक आपत्ति यह है कि यह शब्द सम्बन्धित है दूसरे कानून चकबन्दी से। उसकी धारा में हमने हरिजन शब्द इस्तेमाल किया है। इसलिये यहां पर भी हरिजन शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

आबादी में जमीन हरिजनों को मिली है तो यह भी मूल अधिनियम का हिस्सा हो जायगा। अगर ब्रेकेट में हरिजन शब्द लिख दिया जाय तो इससे सहूलियत हो जायगी और कोई किसी तरह की गलतफहमी पैदा नहीं होगी। अगर हरिजन शब्द नहीं रहेगा तो गलतफहमी पैदा हो सकती है और उन को भूमि से बाहर कर देने की संभावना हो सकती है। माननीय मन्त्री जी को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

मेरा निवेदन यह है कि कि किसी कानून में हरिजन शब्द नहीं आया है। इस अधिनियम में हरिजन की परिभाषा दी गई है। जब यह अदालत में जायगा तो वहां पर झंझट पैदा हो जायगा कि हरिजन कौन होता है।

श्री उदितनारायण शर्मा---

यह संशोधन हम लोगों को मान्य नहीं है। यदि यह मान लिया जाय तो तब झंझट पैदा हो जायगा। यह आपका ख्याल सही नहीं है।

श्री महीलाल---

आप हरिजन शब्द को अगर ब्रेकेट में कर दें तो अच्छा है नहीं तो इससे मुकदमेबाजी बढ़ जायगी।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 के उपखंड (2) के भाग (ख) में शब्द "हरिजनों" के स्थान पर शब्द "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम" लिख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 के उपखंड (3) के भाग (3) के बाद भाग (4) निम्नलिखित तौर पर लिख दिया जाय:---

"कोई आर्थिक और सामाजिक पिछड़ी हुई जाति का हो।"

इस प्रदेश या देश में वही हालत पिछड़ी जाति की भी है जो हरिजनों की है। वह गरीब हैं और गांव में मकान या स्थान उनके पास नहीं है जिस पर मकान बनायें या झोपड़ी डालें तो बड़े लोग उनको निकाल देते हैं। उनके लिये भी व्यवस्था होनी चाहिये जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं। संविधान की धारा १५ और १६ में यह दिया है कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं उन प्रत्येक को संविधान के मुताबिक सुविधा मिलनी चाहिये। जैसे हरिजनों को सुविधा दी गई है वह दूसरे पिछड़े हुये लोगों को भी मिलनी चाहिये अगर उन समाज में पिछड़े लोगों को भी सुविधा आप दे दें तो उनको भी सहायता मिल जायगी।

श्री उदित नारायण शर्मा—

माननीय रूप नाथ सिंह जी हरिजनों की बड़ी हिमायत करते हैं लेकिन यदि हम उनकेर इस संशोधन को मान लें तो इस की आड़ में हरिजनों को भूमि नहीं मिलेगी और दूसरे लोग ले जायंगे। हम ने जानबूझकर ही यह शब्द नहीं रखे हैं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

हरिजन तो ऊपर आप ने रखा ही है, हमने तो चौथे वर्ग में इन लोगों को और सम्मिलित करने को कहा है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 के उपखंड (3) के भाग (3) के बाद भाग (4) निम्नलिखित तौर पर लिख दिया जाय:—

"कोई आर्थिक और सामाजिक पिछड़ी हुई जाति का हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब समय हो गया इसलिये मैं शेष संशोधनों को पेश किया हुआ माने लेता हूं और राय के लये रखता हूं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मैं अपने संशोधन संख्या ४ के बारे में दो शब्द कह दूं। शायद मंत्री जी उसको मान लेंगे इस खंड में केवल उल्लिखित भूमि का ही वर्णन किया गया है लेकिन उसके अलावा जो अन्य किसी प्रकार की भूमि होगी जैसे आबादी के अलावा अगर.....

श्री अध्यक्ष—

अब समय नहीं है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

अगर यह अन्य प्रकार की जमीन आप इसमें नहीं रखेंगे तो जो गांव सभा की जमीन है। या बाग में किसी का मकान बना है तो उस को लोग निकाल देंगे, फर्जी इन्द्राज लोगों ने करा रखे हैं इन शब्दों के न होने पर ऐसे गरीब लोगों की रक्षा न हो सकेगी और गृह के अर्थ में झोपड़ियों को भी मान लिया जाय वर्ना यह गरीब उस में नहीं आ सकेंगे इस तरह से यह शब्द बढ़ा देने से यह गलतफहमी दूर हो जायगी। यह मेरा संशोधन जो नं० 4 पर है वह बहुत आवश्यक है और हरिजनों के हित में है उसको मंत्री जी कृपा करके मान लें।

श्री उदितनारायण शर्मा—

यह हमें स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 के स्पष्टीकरण के भाग (2) में शब्द "नाई" के आगे शब्द "धरिकार व बुनकर" लिख कर कामा लगा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

क्या माता प्रसाद जी अपना संशोधन पेश करना नहीं चाहते ?

श्री माता प्रसाद—

इस आशा पर कि मंत्री जी, जहां पर हरिजनों की आबादी है वहां पर उनकी आबादी दर्ज करायी जायगी मैं इसको रख रहा हूं।

श्री उदितनारायण शर्मा—

मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 में प्रस्तावित धारा-122-ग की उपधारा 3(3) के स्पष्टीकरण की मद (8) के पश्चात् नई मद (9) बढ़ा दी जाय :

"(9) खंड 3 के उपखंड 2 (घ) की (1), (2), (3) से सम्बन्धित व्यक्ति यदि किसी स्थल पर 24 मई, 1971 ई० या उसके पूर्व से आबाद हैं तो उनके आबादी के दर्ज करने की व्यवस्था की जायगी चाहे वह स्थल भले ही किसी अन्य व्यक्ति के नाम से बाग या खेत या अन्य रूप में पहले से दर्ज चली आ रही हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 (123) के भाग (9) की तीसरी पंक्ति के शब्द "उल्लिखित भूमि" के आगे या "अन्य किसी प्रकार की भूमि" लिख दिया जाय और स्पष्टीकरण वाक्य निम्नलिखित तौर पर जोड़ा जाय:—

"झोपड़ी भी गृह के अर्थ में शामिल होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३, ४, ५ और ६ इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, १९७१

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए और उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाताहै :—

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1971 कहलाएगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उदितनारायण शर्मा—

माननीय अध्यक्ष जी, आप की अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1971 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1971 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७१ †

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७१ पर विचार किया जाय।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1971 में लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम 1921, आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1926, गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 और कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965, में संशोधन करने का प्राविधान है।

मान्यवर, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में उपकुलपति के चयन की प्रक्रिया लगभग एक सी है। यहां पर यह प्रस्ताव है कि विभिन्न अधिनियमों में इस सम्बन्ध में कुछ उपबन्ध बनाये जायं जिससे वे भी एक से हो जायं।

दूसरी बात यह है कि आगरा विश्वविद्यालय में कोर्ट और कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष है जबकि अन्य विश्वविद्यालयों में यह 3 वर्ष है। इस सम्बन्ध में भी एक रूपता लाने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव है कि आगरा विश्वविद्यालय के इन निकायों की दशा में भी उक्त पदावधि ३ वर्ष कर दी जाय। इसका इसमें प्राविधान है।

तीसरी बात यह है कि राज्य में अशासकीय आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों को कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने की अनुमति प्राप्त हो गयी है। इसलिए इसमें कानपुर विश्वविद्यालय के प्रक्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के प्रसार का प्राविधान है।

---

†२१ जुलाई, १९७१ की कार्यवाही में छपा है।

[डाक्टर रामजीलाल सहायक]

चौथे इसमें कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा २६ और २८ से सम्बद्ध जो हमारे डिग्री कालेजेज हैं, उन पर विश्वविद्यलय के अध्यापकों को भर्ती करने के नियम लागू नहीं होते हैं तो इसके द्वारा हमने प्राविधान किया है कि इसी प्रकार इन उपबन्धों को स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा संधारित सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों पर भी ये नियम लागू न हों,

पांचवें इसमें यह है कि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 के उपबन्धों के सम्बन्ध में कतिपय दिक्कतों को दूर करने के लिए और तद्धीन बनाये गये परिनियमों की वैधता के बारे में सभी संदेह को दूर करने के उद्देश्य से इसमें प्राविधान किया गया है।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत है।

(इस समय ४ बजकर १२ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७१ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२० का संशोधन

2--लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 की धारा 10 में, उपधारा (4) में;

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 5, 1920 की धारा 10 का संशोधन

(क) खण्ड (1) में उपखण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाय, अर्थात्--

"(ख) एक व्यक्ति, जो उच्चन्यालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा उक्त उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधिपतियों अथवा सेवा-निवृत्त न्यायाधिपतियों में से नाम-निर्दिष्ट किया जायगा,";

(ख) खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:--

"(2-क) जहां कुलपति, समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को उप कुलपति नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा सिफारिश किये गए व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हों और कुलपति का चयनाधिकार तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाय, तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिए कह सकते हैं।"

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं प्रस्तावित संशोधन पर मत ले लेता हूं। प्रश्न यह है कि खंड 2 में उपखंड (क) निकाल दिया जाय और उपखंड (ख) की संख्या "(ख)" निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब समय नहीं है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

श्रीमन्, यह इतने महत्व का काम है इसमें तो कम समय लगता है और बाकी कामों में ज्यादा समय लगता है। मुझे पांच मिनट दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

अब कहने का समय नहीं है। अब तो मैं वोट ले रहा हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 के उपखंड (ख) में प्रस्तावित भाग (2-क) के अन्तिम वाक्य में "तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिये कह सकते हैं" निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर "तो वे स्वविवेक से उपकुलपति की नियुक्ति कर सकते हैं" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२१ का संशोधन

3--इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1921 की धारा 11 में, उप-धारा (4) में, संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 3, 1921 की धारा 11 का संशोधन

(क) खंड (1) में, उपखण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाय, अर्थात्, :--

"(ख) एक व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधिपतियों अथवा सेवा-निवृत्त न्यायाधिपतियों में से नाम-निर्दिष्ट किया जायगा,";

(ख) खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:--

"(2-क) जहां कुलपति, समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को उप-कुलपति नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्त के लिए उपलब्ध न हों और कुलपति का चयनाधिकार तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाय तो वे समिति से नई सिफारिश करन के लिए कह सकत हैं।"

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 3 के उपखंड (ख) को निकाल दिया जाय और उपखण्ड (ख) की संख्या (ख) निकाल दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 के उपखण्ड (क) को निकाल दिया जाय और उपखण्ड (ख) की संख्या "(ख)" निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 3 के उपखण्ड (ख) में प्रस्तावित भाग (2-क) के अन्तिम वाक्य में "तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिये कह सकते हैं" निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर "तो वे स्वविवेक से उपकुलपति की नियुक्ति कर सकते हैं" रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 के उपखण्ड (ख) में प्रस्तावित भाग (2-क) के अन्तिम वाक्य में "तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिये कह सकते हैं" निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर "तो वे स्वविवेक से उपकुलपति की नियुक्ति कर सकते हैं" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२६ का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 8, 1926 की धारा 9 का संशोधन

4---आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1926 (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 में, उपधारा (4) में,---

(क) खण्ड (1) में, उपखण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाय, अर्थात्---

"(ख) एक व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा उक्त उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधिपतियों अथवा सेवा-निवृत्त न्यायाधिपतियों में से नाम-निर्दिष्ट किया जायगा,";

(ख) खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:---

"(2-क) जहां कुलपति, समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को उप-कुलपति नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हों और कुलपति का चयनाधिकार तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाय, तो व समिति से नई सिफारिश करने के लिए कह सकते हैं।"

श्री माता प्रसाद---

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 4 में उपखण्ड (क) को निकाल दिया जाय और उपखण्ड (ख) की संख्या "(ख)" निकाल दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में उपखण्ड (क) को निकाल दिया जाय और उपखण्ड (ख) की संख्या "(ख)" निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 4 के उपखण्ड (ख) में प्रस्तावित भाग (2-क) के अन्तिम वाक्य में "तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिये कह सकते हैं" निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर "तो वे स्वविवेक से उपकुलपति की नियुक्ति कर सकते हैं" रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 के उपखण्ड (ख) में प्रस्तावित भाग (2-क) के अन्तिम वाक्य में "तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिये कह सकते हैं" निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर "तो वे स्वविवेक से उपकुलपति की नियुक्ति कर सकते हैं" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 4 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५, ६ तथा ७

धारा 14 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (2) में, शब्द "पांच" के स्थान पर शब्द "तीन" रख दिया जाय।

धारा 17 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (4) में, शब्द "पांच" के स्थान पर शब्द "तीन" रख दिया जाय।

7—इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम की धारा 14 और 17 में किए गये संशोधन अगरा विश्वविद्यालय की नियामक सभा (सिनेट) के और कार्यकारिणी परिषद् के ऐसे सदस्यों के, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व पदधारण किए हो संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् पद धारण करने वाले विश्वविद्यालय के उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के संबंध में लागू होंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ५, ६ तथा ७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

गोरखपुर विश्वविधालय अधिनियम, १९५६ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1956 की

8—गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 की धारा 13 में, उपधारा (4) में—

(क) खण्ड (1) में, उपखण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

धारा 13 का संशोधन

"(ख) एक व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा उक्त उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधिपतियों अथवा सेवा-निवृत्त न्यायाधिपतियों में से नाम-निर्दिष्ट किया जायगा,";

(ख) खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(2-क) जहां कुलपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को उप-कुलपति नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्त के लिए उपलब्ध न हों और कुलपति का चयनाधिकार तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाय तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिए कह सकते हैं।"

श्री माता प्रसाद—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 8 के उपखण्ड (क) को निकाल दिया जाय और उप खण्ड (ख) की संख्या "(ख)" निकाल दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 के उपखण्ड (क) को निकाल दिया जाय और उपखण्ड (ख) की संख्या "(ख)" निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 8 के उपखण्ड (ख) में प्रस्तावित भाग (2-क) के अन्तिम वाक्य में "तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिए कह सकते हैं" निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर "तो वे स्वविवेक से उपकुलपति की नियुक्ति कर सकते हैं" रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 8 के उपखण्ड (ख) में प्रस्तावित भाग (2-क) के अन्तिम वाक्य में "तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिए कह सकते हैं।" निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर "तो वे स्वविवेक से उप कुलपति की नियुक्ति कर सकते हैं" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 8 इस विधेयक का अंग माना जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ९—१०

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ का संशोधन

9—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 की धारा 12 में, उपधारा (4) में,—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २८, १९५६ की धारा १२ का संशोधन

(क) खण्ड (1) में, उप-खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(ख) एक व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा उक्त उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधिपतियों अथवा सेवा-निवृत्त न्यायाधिपतियों में से नाम-निर्दिष्ट किया जायगा",

(ख) खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय अर्थात्:—

"(2—क) जहां कुलपति, समिति द्वारा सिफारिश किये गए व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को उप-कुलपति नियुक्त किए जाने केलिए उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से एक गया एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो और कुलपति का चयनाधिकार तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाए, तो वे समित से नई सिफारिश करने के लिए कह सकते हैं।"

कानपुर तथा मेरठ विश्वबिद्यालय अधिनियम, १९६५ का संशोधन

१०—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५०, जिसे आगे अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ४ में, उपधारा (७) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय अर्थात्:—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९६५ की धारा ४ का संशोधन

"(८) उपधारा (१) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, कानपुर विश्वविद्यालय की प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-शाखाओं में शिक्षण तथा शोध कार्यों और उनके ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में किया जायगा।"

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 9 में उपखण्ड (क) को निकाल दिया जाय और उपखण्ड (ख) की संख्या "(ख)" निकाल दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 में उपखण्ड (क) को निकाल दिया जाय और उपखण्ड (ख) की संख्या "(ख)" निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ९ के उपखण्ड (ख) प्रस्तावित भाग (२-क) के अन्तिम वाक्य में "तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिए कहते हैं" "निकाल दिया जाम तथा उसके स्थाम पर "तो वे स्वविवेक से उप कुलपति की नियुक्ति कर सकते हैं" रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 के उपखण्ड (ख) में प्रस्तावित भाग (2-क) के अन्तिम वाक्य में "तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिए कह सकते हैं" निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर "तो वे स्वविवेक से उप कुलपति की नियुक्ति कर सकते हैं" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड ९ तथा खंड १० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ११

धारा ९ का संशोधन

11---मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (4) में, खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:---

"(3) जहां कुलपति समित द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को उपकुलपति नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो और कुलपति का चयनाधिकार तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाय, तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिए कह सकते हैं।"

श्री माता प्रसाद---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 11 में शब्द तथा अंक "खण्ड 1(3) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय "से ठीक पूर्व संख्या (ख)" रख दी जाय और इस प्रकार संख्यांकित उप खण्ड (ख) से पूर्व निम्नलिखित नया उपखण्ड बढ़ा दिया जाय :-

"(क) खण्ड 1 में उप खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाय, अर्थात्---

(ख) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो उक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति, जिसके अन्तर्गत उक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति भी है, हो या रहा हो, और"

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 में शब्द तथा अंक "खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय" से ठीक पूर्व संख्या "(ख)" रख नदी जाय और इस प्रकार संख्यांकित उप खण्ड (ख) से पूर्व निम्नलिखित नया उपखंड बढ़ा दिया जाय :---

"(क) खण्ड 1 में उप खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

(ख) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो उक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति, जिसके अन्तर्गत उक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति भी है, हो या रहा हो, और"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 11 के उप खण्ड (3) के अंतिम वाक्य में "तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिए कह सकते हैं" निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर "तो वे स्वविवेक से उप कुलपति की नियुक्ति कर सकते हैं" रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 के उप खण्ड (3) के अन्तिम वाक्य में "तो वे समिति से नई सिफारिस करने के लिए कह सकते हैं" निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर "तो वे स्वविवेक से उप कुलपति की नियुक्ति कर सकते हैं" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड ११ इस विधेयक का अंग माना जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२—१७

12—मूल अधिनियम की धारा 26 में— धारा 26 का संशोधन

(1) उपधारा (3) में शब्द "अभिवेश करने के पश्चात्" शब्द "विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की" बढ़ा दिये जायं,

(2) उपधारा (4) में शब्द "जो केवल राज्य सरकार द्वारा संधारित न हो" निकाल दिये जायं;

(३) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(5) राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संधारित किसी संबद्ध कालेज में अध्यापक के पद पर भर्ती और उसपर नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा की शर्तों के संबंध में इस धारा अथवा धारा 28 की कोई बात लागू न होगी।"

13—मूल अधिनियम की धारा 28 में — धारा 28 का संशोधन

(1) उपधारा (1) में शब्द "केवल सरकार द्वारा संधारित कालेज से भिन्न" निकाल दिये जायं;

(2) उपधारा (3) में शब्द "केवल सरकार द्वारा संधारित कालेज से भिन्न", निकाल दिए जाएं।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री शान्ति चरण पिडारा (अनुपस्थित)।

नयी धारा 47 का बढ़ाया जाना

14—मूल अधिनियम की धारा 47 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ाई गई समझी जाय, अर्थात्:—

अपवाद

"47-क—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के किसी कार्य या किन्हीं कार्यवाहियों पर केवल इस आधार पर कि उसकी सदस्यता में कोई रिक्ति थी या उसके संघटन में कोई त्रुटि थी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया जिसके संबंध में बाद में यह पाया जाय कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था, कोई आपत्ति नहीं की जायगी।"

अधिनियम में अस्थायी संशोधन तथा वैधीकरण

15—(1) मूल अधिनियम ऐसी अवधि के दौरान जो अनुसूची 1 के स्तंभ 3 में निर्दिष्ट दिनांक से प्रारंभ हो कर तथा इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से तीन वर्ष व्यतीत होने पर (या ऐसी अल्प अवधि जिसके लिए राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निदेश दे) समाप्त हो, उक्त अनुसूची के स्तंभ 1 और 2 में निर्दिष्ट संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा और प्रभावी रहा समझा जायगा।

(2) अनुसूची 2 में निर्दिष्ट, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेशों द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया या किये जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य अथवा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी, और वे उतने ही वैध समझे जायेंगे तथा सदैव से वैध रहे समझे जायेंगे मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे, भले ही किसी न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश इसके प्रतिकूल हो।

16—(1) मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन प्रथम परिनियमावली के रूप में बनाई जाने के लिए तात्पर्यित तथा दिनांक 28 सितम्बर, 1968 के असाधारण गजट में उसी दिनांक की अलग-अलग विज्ञप्तियां संख्या ग-1-(आर0)-4699/15-39(9)-66, तथा ग-1 (आर0)-7578/15-39(9)-66, के साथ क्रमशः प्रकाशित की गई कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों की परिनियमावली, जिनमें दिनांक 31 दिसम्बर, 1968 के असाधारण गजट में उसी दिनांक की विज्ञप्ति संख्या ग-1 (र)-10988/15-39 (9)-66, के साथ प्रकाशित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, 1968 द्वारा संशोधित तात्पर्यित हुए (जिन्हें आगे इस धारा में उक्त प्रथम परिनियमावली कहा गया है) एतद्द्वारा ऐसी अवधि के दौरान जो 28 सितम्बर, 1968 से प्रारंभ होकर तथा इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से तीन वर्ष व्यतीत होने पर (या ऐसी अल्प अवधि जिसके लिए राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निदेश दे) समाप्त हो, मूल अधिनियम के भाग के रूप में अधिनियमित की जाती है, तथा मूल अधिनियम उस सीमा तक जहां तक वे उक्त प्रथम परिनियमावली के उपबन्धों से असंगत हों, ऐसे उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा और प्रभावी रहा समझा जायेगा।

(2) उक्त प्रथम परिनियमावली के अधीन किया गया या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य अथवा की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्यवाही उपधारा (1) द्वारा यथा अधिनियमित उक्त नियमावली के अधीन किया

गया या की गई समझी जायेगी और वे उतने ही वैध समझे जायेंगे तथा सदैव से वैध रहे समझे जायेंगे मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे, भले ही किसी न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश इसके प्रतिकूल हो।

17—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन तथा संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, 1971 और कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या, ४ तथा ९, १९७१ का निरसन

श्री सभाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कि खण्ड 12, 13, 14, 15, 16 व 17 इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची 1 व 2, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

अनुसूची १

[धारा 15 (1) देखिये]

मूल अधिनियम के उपबन्ध	संशोधन	दिनांक जिससे संशोधन प्रभावी होगा और प्रभावी हुआ समझा जायेगा
1	2	3
धारा 12 (4)	शब्द "विद्वत् परिषद्" के स्थान पर शब्द "कार्यकारिणी परिषद्" रख दिये जायें।	17 मई, 1967
धारा 17	निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय—— "प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि धारा 15 के अधीन कोर्ट यथाविधि संघटित न किया जाय, दीक्षान्त समारोह करने तथा धारा 5 के खण्ड (4) में उल्लिखित व्यक्तियों को उपाधियां, डिप्लोमाओं तथा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टताओं के प्रदान एवं संपादन करने से संबंधित कोर्ट के अधिकारों तथा कृत्यों का प्रयोग [तथा संपादन कार्यकारणी परिषद् द्वारा किया जायगा।"	8 दिसम्बर, 1967
	निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय:—— "अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि कोर्ट यथाविधि संघटित न किया जाय, अतिरिक्त परिनियम बनाने तथा ऐसे बनाए गए परिनियमों में [किन्तु उत्तर प्रदेश	16 जनवरी, 1971

१	२	३
	विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 16 में अभिदिष्ट परिनियमों में नहीं] संशोधन और निरसन के अधिकार तथा कृत्यों का प्रयोग तथा संपादन राज्य सरकार द्वारा किया जायगा, और धारा 31 के उपबन्ध इन अधिकारों तथा कृत्यों के प्रयोग तथा संपादन के संबंध में लागू नहीं होंगे।"	
	निम्नलिखित तृतीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय:—	9 जून, 1971
	"प्रतिबन्ध यह भी है कि उस सीमा तक, जहां तक धारा 4 की उपधारा (8) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो, उक्त अधिनियम की धारा 16 में अभिदिष्ट परिनियम भी राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती अंतिम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन संशोधित किये जा सकते हैं।"	
धारा 18	निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय:—	10 मार्च, 1967
	"(4) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन कार्यकारिणी परिषद् संघटित न की जाय, तब तक उसमें निम्नलिखित होंगे:—	
	(1) उपकुलपति, तथा	
	(2) उन्नीस से अनधिक अन्य व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर और ऐसे कार्यकाल के लिए, जो निर्दिष्ट किया जाय नामनिर्दिष्ट किये जायें।"	
धारा 19 (3)	निकाल दी जायें ..	17 मई, 1967
धारा 20(3) तथा (4)	निकाल दी जायें ..	17 मई, 1976
धारा 26 (4)	शब्द "विश्वविद्यालय की संबद्ध विषय की चयन समिति" के स्थान पर शब्द "कार्यकारिणी परिषद्" रख दिए जायें।	17 मई, 1967
धारा 33 (1)	प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (ख) तथा (ग) निकाल दिये जायें।	17 मई, 1967
धारा 37(1)	शब्द "विद्वत् परिषद्" के स्थान पर शब्द "कार्यकारिणी परिषद्" रख दिए जायें।	17 मई, 1967
धारा 37 (4)	निकाल दी जाय।	17 मई, 1967

अनुसूची २

[धारा 15 (2) देखिये]

1—10 मार्च, 1967 के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-1/1540/पन्द्रह—39(74)-66, दिनांक 10 मार्च, 1967 के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1967।

2—17 मई, 1967 के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-1/2177/15-39(74)-66, दिनांक 17 मई, 1967 के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1967।

3—15 जुलाई, 1967 के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-1-(आर0)/4939/15-39 (74)-66, दिनांक 15 जुलाई, 1967 के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, 1967।

4—8 दिसम्बर, 1967 के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-1/8594/15-39-ए (19)-67, दिनांक 8 दिसम्बर, 1967 के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (चतुर्थ) आदेश, 1967।

5—7 मई, 1968 के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-1-(आर0)-3670/15-39 (64)-66, दिनांक 7 मई, 1968 के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1968।

6—31 दिसम्बर, 1968 के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-1 (र)-9035/15 39 (9)-66, दिनांक 31 दिसम्बर, 1968 के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विववविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1968।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७१

लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२०
इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२१
आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२६
गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ और
कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५
का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

प्रारम्भिक

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९७१ संक्षिप्त नाम कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुसूची १ व २, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७१, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा द्वारा विधेयक बनाने का काम बड़ा ही महत्वपूर्ण है और कम समय में इतनी जल्दी-जल्दी विधेयक पास कर लिये जाते हैं और विपक्ष के जो संशोधन आते हैं उनको गिराने का प्रयास होता है इसलिए बार-बार इस विश्वविद्यालय विधेयक पर कई संशोधन आ चुके हैं तीन-चार वर्ष के अन्दर। इसी को ध्यान में रखते हुये मैंने उपकुलपति की नियुक्ति के सम्बन्ध में अपना संशोधन रखा था। इस विधेयक को देखने से स्पष्ट है कि शासन उपकुलपति की नियुक्ति अपने मन से करना चाहता है। विश्वविद्यालयों को स्वायतशासी संस्था माना गया है लेकिन उसके अधिकार को सरकार ले रही है। अब गवर्नर शासन से परामर्श करके कुलपति की नियुक्ति करेगा। पुरानी प्रथा थी कि विश्वविद्यालय कोर्ट से पहले तीन नाम आते थे। अगर किसी नाम पर सहमति नहीं हुई तो फिर एक्जीक्यूटिव कौंसिल में उस पर वोटिंग होती थीं, फिर राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता था। अब जो नया विधान बना है उसके अनुसार तीन आदमियों की एक समिति बनेगी जिसमें एक विश्वविद्यालय कोर्ट का नामिनी होगा, एक शासन का नामिनी होगा, और एक हाईकोर्ट का नामिनी होगा। मुझे वर्षों का अनुभव है कि आगरा, इलाहाबाद या जहां-जहां भी एक नाम नहीं आये, तो राज्यपाल ने उसे कोर्ट को वापस कर दिया। मैं समझता हूं कि अप्रत्यक्ष रूप से यह शासन का हस्तक्षेप है। यही कारण है कि विश्वविद्यालयों में ५-७ वर्ष के अन्दर शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है और शासन ठीक से नहीं चलता है। विश्वविद्यालयों की शिक्षा में भी राजनीति आ गई है और कोई शिक्षाविद, कोई स्वाभिमानी किसी विश्वविद्यालय में जाना नहीं चाहता है। कितने विश्वविद्यालयों ने उनके नाम प्रस्तुत किये हैं लेकिन उन्होंने वहां जाने से इंकार कर दिया है क्योंकि आज सारा स्तर ही ऐसा है कि कोई अपना स्वतन्त्र विचार नहीं रख सकता। सारे विश्वविद्यालयों की शिक्षा पर चारों ओर से आघात हो रहा है। इसीलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ आदि विश्वविद्यालयों में यह कर दिया जाय कि जब एक बार तीन नाम आ जायं तो राज्यपाल उनमें से एक को लेने के लिए बिल्कुल बाध्य हों, वरना चयन समिति की प्रक्रिया के अनुसार गवर्नर उन नामों को उसे वापस करता रहेगा जब तक कि एक नाम न आ जायं और उसके अनुकूल हो। इसीलिए आज शिक्षा में गिरावट है और यह शासन द्वारा हस्तक्षेप है जो राज्यपाल को इतना बड़ा अधिकार देने की व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा की जा रही है। यह उस प्रथा के विपरीत है और एक तरह से स्वायत्त संस्थाओं को समाप्त करना है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, हम तो राज्यपाल को इतना अधिकार नहीं दे रहे हैं लेकिन यदि माननीय सदस्य के संशोधनों को देखा जाय तो उन्होंने हर जगह 'स्वविवेक से, स्वविवेक से', के जरिये स्वयं ही अधिकार देने की बात की है लेकिन हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं। उप कुलपति के लिए चयन समिति तो है ही जिसमें एक हाई कोर्ट का नामिनी रहता है एक विश्वविद्यालय कोर्ट का नामिनी रहता है और एक गवर्नमेंट का नामिनी रहता है और, चयन समिति उसका चयन करती है। ऐक्ट में इस तरह का प्राविधान है कि यदि कोई उप-

युक्त नाम न मिले तो फिर उसी चयन समिति को यह रेफर कर दें। और आरोप हमारे ऊपर है। इसलिए मेरा निवेदन है और मैं पुनः आग्रह करता हूं कि इसको पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७१, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१†

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी))—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१ पर विचार किया जाय। मान्यवर, उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम १९४८ में बना था। इसकी धारा ३(क) ने शासन को १० पैसे प्रति रुपया एक सूत्री कर लगाने का अधिकार दिया था। इस संशोधन अधिनियम संख्या २, १९७० द्वारा किसी भी ऐसी वस्तु पर भी एक सूत्रीय कर लगाने का अधिकार दिया गया जिसकी एक से अधिक बिक्री न हो। सरकार के अधिकार को ईंट के भट्टे वालों ने और देशी शराब की दूकान वालों ने न्यायालय में चुनौती दी। इस पर न्यायालय का फैसला हुआ और उसके मातहत इस अधिकार को अवैध माना गया और यह भी कहा गय कि यह विधायी शक्ति का दुरुपयोग है। मान्यवर, ईंटों पर ७ प्रतिशत और देशी शराब पर १० प्रतिशत की दर से लगाया गया कर अवैध घोषित हो गया। इससे राजस्व का करोड़ों रुपये का घाटा होता है इसलिए अध्यादेश, १९७१ प्रख्यापित किया गया था और इस अधिनियम के द्वारा इसे पुनः स्थयापित किया जा रहा है। इस अधिनियम में तीन चार धारायें मुख्य हैं। धारा ३ में कर के दायित्व का उल्लेख किया गया है। धारा ३ (क) (१) में प्रथम अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं पर १० प्रतिशत कर तक लगाने का अधिकार शासन को दिया गया है। धारा ३ (क) (२) में शेष वस्तुओं पर ३ प्रतिशत की दर से कर लगाने का अधिकार शासन को दिया गया है और धारा ३ (क) (ख) में वर्तमान धारा ३(क) के अधीन जारी की गई समस्त विज्ञप्तियों का वैधीकरण किया गया है। मान्यवर, कुछ परिभाषायें जो अस्पष्ट थीं उनको इस अधिनियम के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष, मन्त्री जी जब भाषण दे रहे हैं तो एक स्पष्टीकरण भी कर दें। यह जो दो तरह के व्यवसायियों का नाम उन्होंने लिया है, ईंट के भट्टे वालों का और देशी शराब वालों का। शराब वालों से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है लकिन ईन्ट के भट्ट से ताल्लुक है क्योंकि इसक हर मकान के निर्माण से ताल्लुक है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय ने क्या अपने फैसले में राज्य पर कोई डिग्री भी की है और की है तो वह कितने की है?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

न्यायालय ने यह कहा है कि यह अधिकार देना उचित नहीं हुआ और यह विधायी शक्ति का दुरुपयोग बतलाया है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

उच्च न्यायालय ने कौन सा फैसला किया जिससे आपको कठिनाई हुई और करोड़ों रुपये की हानि हो रही है, मैं यह पूछ रहा हूं।

---

†५ अगस्त, १९७१ को कार्यवाही में छपा है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि ईंट के भट्टेवालों और देशी शराब वालों पर जो बिक्री कर लगा था उससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपये की आय होती थी। इससे बड़ी हानि होगी इसलिए यह अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था। मान्यवर, इस अधिनियम में कुछ धारायें भी हैं।

हाईकोर्ट की एक आपत्ति यह भी थी कि सहायक बिक्री-कर अधिकारी कर निर्धारण के लिए सक्षम नहीं है। इस विधेयक में एक धारा जोड़ दी गई है जिसमें यह कहा गया है क सहायक बिक्री कर अधिकारी भी कर निर्धारण के लिए सक्षम है। इसी प्रकार की अन्य धाराएं हैं जो कर निर्धारण की व्यवस्था या वसूली की व्यवस्था में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए लाई गई हैं। बहस के दौरान माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे उन पर हम विचार करेंगे।

श्री रामकुंवर सिंह (जिला आजमगढ़)--

क्या मन्त्री जी यह भी स्पष्ट करेंगे कि यह जो फैसला हुआ था ईंट के भट्ठों से सम्बन्धित यह एक बार हुआ था या दो बार हुआ था?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१ पर यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१ को जनमत संग्रह के लिए प्रसारित किया जाय तथा तीन मास तक जनता की प्रतिक्रिया जानने के पश्चात् सदन में विचार किया जाय। मान्यवर, मन्त्री जी न यह जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसके बारे में विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तियों ने हाई कोर्ट में दो बार याचिका दायर की और दोनों बार यह कानून अवैध घोषित किया गया। मन्यवर, एक दफा हाई कोर्ट का जो फैसला हो गया और इसलिए शासन का जो आदेश हो गया उसको पक्का मान लिया जाय और संशोधन विधेयक लाकर ठीक कर लिया जाय उसमें यह विवेक नहीं आता कि भविष्य में ठीक काम हो इससे वह भावना कि कहां-कहां खामियां हैं उन्हें दूर किया जाय खत्म हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग राजनीति में इतने लगे हुए हैं कि विधायकी काम की तरफ इतना क ध्यान दे रहे हैं कि नीचे से जो चीज आयी है उस पर दस्तखत कर देते हैं अपनी तरफ से विचार नहीं करते है। मान्यवर, विधेयक के पृष्ठ १३ पर देखें। १७ (१) में लिखा है कि किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी धारा ८--क की उपधारा (४) या उपधारा (५) के अधीन' जैसा कि वह इस अधिनियम, द्वारा निकाल दिये जाने के पूर्व थी किसी व्यापारी द्वारा किया गया प्रत्येक भुगतान अथवा जमा की गई प्रत्येक धनराशि, इस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित धारा २९-क की उपधारा (१) के अधीन जमा धनराशि समझी जायगी मानों पश्चात् वर्ती धारा ऐसा भुगतान अथवा धनराशि जमा किये जाने के समय प्रवृत्त थी और इसी भाग में कहा है कि जो बाकी होगी वह भी वसूल करेंगे। फिर नीचे आप देखें। १७(२) में लिखा है कि किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय डिक्री या आदेश में, किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी अधिकारी द्वारा किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, जिसे धारा १३ के उपबन्धों के अधीन, जैसी कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधन के पूर्व थी, करना तात्पर्यित थी, इस अधिनियम द्वारा या संशोधित उक्त धारा के उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी मानों संशोधित धारा ऐसे सभी सारवान समय पर जब ऐसा कार्य किया गया अथवा ऐसी कार्यवाही की गई, प्रवृत्त थी। मान्यवर, इसका मतलब यह है कि जो भी गलत या सही नोटिफिकेशन थे उनको वैध करना चाहते हैं।

मान्यवर, इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को आप देखें। इसकी शुरू की ४–५ लाइनों को आप देखें। इसका मतलब यह होगा कि आप सिंगिल प्वाइंट टैक्स करने जा रहे हैं। इसी उद्देश्य और कारण के खण्ड २ की आखिरी पंक्ति को देखें "...के अधीन निर्गत पूर्ववर्ती विज्ञप्तियों को विधायित किया जा सके जिससे कि उन्हें अधिनियम के अंश के रूप में अंगीकृत किया जा सके।" आगे ३ (ख) में रिफंड करने की व्यवस्था है। इस सब को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अब उच्च न्यायालय कोई जा नहीं सकता। उसके हाथ बांध दिये हैं। प्रथम अनुसूची में क्रम-संख्या १ व १३ को भी आप देखें। पहले में है—"मनुष्य अथवा पशु श्रम द्वारा चालित उपकरणों से भिन्न कृषि उपकरण, जिसमें उनके भाग और सम्बद्ध सामान, टायर और ट्यूब के अतिरिक्त भी सम्मिलित हैं।" १३ में ईंट हैं। मान्यवर, ईंटा भी तो मनुष्य के श्रम से बनता है। मैं पूछता हूं कि नं० १३ को इसमें रखने की क्या जरूरत है? क्या वह मनुष्य श्रम से नहीं बनता है? ईंटा वालों को जानबूझ कर परेशान करने की नीयत से यह व्यवस्था की जा रही है।

दूसरी बात यह कि ईंट तो ऐसी वस्तु है जो किसान से सम्बन्ध रखती है। बाढ़ के क्षेत्रों में तो उसकी बहुत जरूरत पड़ती है। लेकिन उसी पर आप यह कर बढ़ा रहे हैं। आज कोयला भी नहीं मिल रहा है। ईंट का भाव वैसे ही इतना तेज है। यह तो गांव-गांव की जरूरत की चीज है। फिर ईंट पर ३ प्रतिशत से १० प्रतिशत टैक्स आप लगाने जा रहे हैं। मन्त्री जी इस सूची पर फिर से विचार करें। ईंटों की गिट्टी पर तो आप एक से ३ प्रतिशत का टैक्स लेते हैं, ईंट पर १० प्रतिशत करने जा रहे हैं। जो लोग हाथ से काम करने वाले हैं, उनको बड़ी परेशानी हो जायगी। इसलिए १३वीं संख्या जो ईंटों की है उसे आप सूची से निकाल दें। वरना यह कदम आपका उपयोगी कदम नहीं होगा। फिर आप ईंट पर रायलटी भी ले रहे हैं। मैं सोचता हूं इस तरह से प्रदेश का कैसे विकास होगा?

दूसरा पहलू मजदूरों का भी है। पूर्वी जिलों के हजारों मजदूरों की जीविका ईंटा बना कर चलती है। यदि ईंटों के काम में बाधा पड़ी तो उन मजदूरों की रोजी-रोटी मारी जायगी। इस देश का क्या विकास होगा, वैसे ही हमारा देश पहले से अविकसित है और ऊपर से मकान बनाने की सुविधाएं छीनी जा रही हैं, यह उचित बात नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस संशोधन तथा वैधीकरण विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रसारित किया जाय, जो जनता की प्रक्रिया जानने और विचार करने के बाद फिर सदन में रखा जाय।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं मन्त्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, यह विधेयक बड़े महत्व का है, आप इस पर हमें ३ मिनट का समय दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

आप देखें, अब मेरे पास समय नहीं है। अब मन्त्री जी बोलेंगे।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

आप समय की बात देखेंगे या पूरे प्रदेश के जनहित की बात को देखेंगे? आप मुझे बोलने का समय नहीं दे रहे ह, मैं समझता हूं, यह तो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सदन ने तय किया है और निश्चित कार्यक्रम के अनुसार सदन का काम होगा। आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं बोलूंगा, आप मुझे एक-दो मिनट का समय अवश्य दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष---

अब समय नहीं है, मैं समय नहीं दूंगा।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

उत्तर प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ी ज्यादती इससे होने जा रही है। आप मुझे बोलने का अवसर नहीं देंगे तो मैं समझूंगा कि यह सदन और उपाध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश की जनता के साथ उपेक्षा बरत रहे हैं....

(व्यवधान)

आप मुझे अवसर नहीं दे रहे हैं, मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री शंकरप्रसाद जायसवाल सदन त्याग कर चले गये।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि चूंकि मूल अधिनियम में सहायक कर निर्धारण अधिकारी को कर निर्धारण करने का अधिकार नहीं था, इसलिए संशोधन लाना पड़ा। मैं जानना चाहता हूं, ऐसा तो नहीं है कि मूल अधिनियम में सहायक कर निर्धारण अधिकारी को कर निर्धारित करने का तो अधिकार था, लेकिन तलाशी लेने, डाकूमेंट्स सील करने का अधिकार नहीं था, उसे ही इस के द्वारा आप उसे देने जा रहे हैं?

*वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

माननीय सदस्य देवरिया ने मैं समझता हूं कि विधेयक का कुशल अध्ययन किया है और इसके कई प्रकरणों का उन्होंने उल्लेख किया है, मैं उन्हें और सदन के सम्मानित सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस विधेयक के जरिये सरकार ने ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया है जो अब तक बिक्री-कर की पद्धति रही है, उसमें कोई बुनियादी परिवर्तन करता हो। जैसा कि हमारे सम्मानित सहयोगी राज्य मन्त्री जी ने उल्लेख किया है इसका मुख्य उद्देश्य बिक्री-कर, उसके स्थान पर विधेयक का प्रतिस्थापन करना है। इसको रखने की आवश्यकता भी उन्होंने बताई है। जो १९७० में विधेयक सदन ने पारित किया था, विशेष रूप से खण्ड ३ (क) में जो संशोधन किया गया था---कि देशी शराब पर ३ प्रतिशत और ईंट वालों पर ७ प्रतिशत लगेगा, उसको हाईकोर्ट ने किसी याचिका के सन्दर्भ में यह कह दिया कि यह परस्पर विरोधी है उक्त दरों में, इसलिए उन्होंने उसको अवैधानिक घोषित कर दिया। अब उनकी संस्तुति को यदि हम इस प्रकार मान लें तो सर्वसम्मति से जो देशी शराब पर कर लगाने का निर्णय लिया गया था, उसके करोड़ों रुपये को सरकार को वापस करना पड़ेगा। यह माना हुआ तथ्य है कि सेल्स टैक्स हमारी आर्थिक पद्धति का कामधेनु की तरह माना हुआ सर्वमान्य टैक्स हो गया है। जो लोग इनसे पीड़ित होते हैं, वे कहते हैं कि इसको एक-सूत्री कर दिया जाय, बहुसूत्री कर दिया जाय। तो इस विधेयक से तो इस सदन के अधिकार को बढ़ाया ही जा रहा है।

आज तक यह था कि नोटिफिकेशन सदन के सामने प्रत्येक बिक्री-कर संशोधन का नहीं आता था। अब धारा ३-क के अन्तर्गत कोई भी नोटिफिकेशन निकलेगा बिक्री कर के बारे में तो वह इस सदन के समक्ष रखा जायगा १४ दिन तक और सदन जो परिमार्जन,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

संशोधन, परिवर्द्धन करेगा वह मान्य होगा। तो इस विधेयक द्वारा सदन के अधिकार बढ़ा दिये गये हैं।

ईंटों के बारे में जो सम्मानित सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उन पर शासन अवश्य विचार करेगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ईंटों के व्यवसाय को समाप्त करना चाहते हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो ईंटें बनती हैं इस पर क्या किया जाय जो विचार होगा उनको ध्यान में रख कर निर्णय लिया जायगा। ईंट के भट्टे वाले तो यह चाहते हैं कि टैक्स बिलकुल लगे ही नहीं किसी प्रकार से। यह सदन निर्णय ले चुका है कि टैक्स लगाना चाहिए। लेकिन कितने प्रतिशत लगे, सात प्रतिशत लगे, आठ प्रतिशत लगे, दस प्रतिशत लगे, क्या प्रतिशत हो इसके बारे में उनका एसोसियेशन उनसे विचार-विमर्श करके और जैसा माननीय सदस्य सुझाव देना चाहते हैं, जायसवाल जी या त्रिपाठी जी, उन सबके सुझावों पर शासन विचार करेगा और निर्णय लेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१ को जनमत संग्रह के लिए प्रसारित किया जाय तथा तीन मास तक जनता की प्रतिक्रिया जानने के पश्चात् सदन में विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २—४

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या १५, १९४८ ई० की धारा २ का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में—

(1) खण्ड (घ) के अन्त में शब्द "और इसके अन्तर्गत किसी वर्ग का माल भी है" बढ़ा दिये जायं; और

(2) खण्ड (झ) में शब्द "या कुल धनराशि जितने का माल खरीदा जाय, इनमें जो भी अधिक हो," निकाल दिये जायं।

धारा ३ और ३—क के स्थान पर नयी धारा ३, ३—क और ३-कख का रखा जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 3 और 3—क के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायं, अर्थात्—

अधिनियम के अधीन कर के लिये दायित्व

"3—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए, अपने विक्रीय-धन पर, जो नियत रीति से अवधारित किया जायगा, धारा 3—क, धारा 3—कख या धारा 3-कक द्वारा या उसके अधीन व्यवस्थित दरों पर कर का भुगतान करेगा।

(2) कोई व्यापारी धारा 18 में की गई अन्यथा उपबन्धित व्यवस्था के सिवाय, उपधारा (1) के अधीन कर का देनदार न होगा यदि कर-निर्धारण वर्ष में उसका विक्रय-धन बारह हजार रुपये से, अथवा

ऐसी अधिक धनराशि से, जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, या तो किसी माल के समस्त व्यापारियों के सम्बन्ध में अथवा किसी विशेष वर्ग के व्यापारियों के सम्बन्ध में तदर्थ निर्दिष्ट करे, कम हो।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के अधीन न्यूनतम विक्रय-धन की गणना करने के प्रयोजन के लिए, किन्तु उपधारा (1) के अधीन देय कर की धनराशि अवधारित करने के प्रयोजनार्थ नहीं, कुल धनराशि जितने का व्यापारी द्वारा माल खरीदा जाय अथवा कुल धनराशि जितने का माल बिक्री के रूप में सम्भरित या वितरित किया जाय अथवा उसके द्वारा बेचा जाय, इनमें जो भी अधिक हो, विक्रय-धन समझा जायगा।

(3) उपधारा (2) की कोई बात--

(क) व्यापारी द्वारा स्वयं उत्तर प्रदेश के बाहर से आयात किये गये ऐसे माल की बिक्री, जिसका विक्रय-धन धारा 3--क की उपधारा (1) के अधीन कर-योग्य हो, या

(ख) किसी व्यापारी द्वारा--

(1) सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1956 की धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन विक्रेता व्यापारी को घोषणा प्रस्तुत करने के पश्चात् स्वयं उत्तर प्रदेश के बाहर से आयात किये गए माल, या जैसी भी दशा हो,

(2) उपखण्ड (1) में अभिदिष्ट माल का प्रयोग करके अपने द्वारा निर्मित या तैयार किये गये माल, की बिक्री के सम्बन्ध में लागू न होगी।

(4) जब उपधारा (2) के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट धनराशि किसी कर-निर्धारण वर्ष में कम कर दी जाय तो किसी व्यापारी द्वारा इस धारा के अधीन देय कर की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जायगी, अर्थात्--

(क) धनराशि में कमी किये जाने से पूर्व की अवधि से सम्बद्ध विक्रय-धन पर, इस प्रकार से मानों धनराशि में कोई कमी न की गई हो, और

(ख) शेष धनराशि पर, इस प्रकार से मानों कम की गई धनराशि सभी सारवान दिनांकों पर प्रवृत्त रही हो।

(5) जब कमीशन एजेंट द्वारा अपने निर्देष्टा की ओर से किसी विक्रय-धन पर कर देय हो और उसका भुगतान कर दिया गया हो, तो निर्देष्टा ऐसे विक्रय-धन के सम्बन्ध में कर का देनदार न होगा।

3--क(1) (क)--प्रथम अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में निर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर, अनुसूची के स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट स्थल पर, ऐसी दर, पर जो दस प्रतिशत से अधिक न हो, जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, कर लगाया जायगा:

कर की दर

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 3--क ख के कारण उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1971 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व, प्रचलित दरें प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि उनमें किसी ऐसी विज्ञप्ति द्वारा परिवर्तन न कर दिया जाय।

(ख) राज्य सरकार, प्रथम अनुसूची से किसी माल से सम्बन्धित प्रविष्टि को निकाल सकती है और इस प्रकार निकाली गयी किसी प्रविष्टि को पूर्ववत् रख सकती है, और किसी प्रविष्टि को निकालने या पूर्ववत् रखने की कोई ऐसी विज्ञप्ति जारी किये जाने पर, उक्त अनुसूची, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तदनुसार संशोधित समझी जायगी।

(2) ऐसे समस्त माल, जो तत्समय प्रथम अनुसूची में या धारा 3-क क अथवा 3-घ के अधीन किसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट न हो, के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर तीन प्रतिशत की दर से कर लगाया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी माल के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर कर की दर कम कर सकती है:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे माल के सम्बन्ध में, जिसके विक्रय-धन पर कर की दर किसी समय तीन प्रतिशत से कम हो, राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, कर की दर बढ़ा कर तीन प्रतिशत तक कर सकती है।

(3) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक विज्ञप्ति, जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, प्रभावी होंगी किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध विज्ञप्ति के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा, सिवाय इस बात के कि कर या शास्ति का आरोपण, निर्धारण, लगाया जाना अथवा वसूल किया जाना उक्त परिष्कार या अभिशून्यन के अधीन होगा।

इस अधिनियम के भाग के रूप में कतिपय विज्ञप्तियों का अंगीकरण और इन विज्ञप्तियों के अनुसरण में कृत्यों और कार्यवाहियों का वैधीकरण।

3---क ख (1) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण), अधिनियम, 1971 के प्रारम्भ के पूर्व, अनुसूची 2 में निर्दिष्ट किन्हीं विज्ञप्तियों के अधीन आरोपित, निर्धारित, लगाया गया या वसूल किया गया अथवा आरोपित, निर्धारित, लगाये जाने या वसूल किये जाने के लिए तात्पर्यित कोई कर विधि के अनुसार वैधरूप से आरोपित, निर्धारित, लगाया गया या वसूल किया गया समझा जायगा, मानों उक्त विज्ञप्तियां इस धारा में सम्मिलित की गयी थीं और इसका भाग थीं और यह धारा उन सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त थीं जब ऐसा कर आरोपित, निर्धारित, लगाया गया या वसूल किया गया था।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेषतः निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्--

(क) उपधारा (1) में अभिदिष्ट किसी कर को लौटाने के लिए वाद या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय द्वारा अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष न तो स्वीकार की जायगी और न जारी रखी जायगी; और

(ख) कोई न्यायालय किसी ऐसे कर को लौटाने के लिए कोई डिक्री या आदेश प्रवृत्त न करेगा।"

धारा ३-कक का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 3—कक में, उपधारा (1) में, शब्द "धारा 3 या 3—क में किसी बात के रहते हुए भी" के स्थान पर शब्द "धारा 3—घ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३ और ४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

धारा ३-घ का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 3—घ में—

(1) उपधारा (5) में शब्द तथा अंक "धारा 3 के द्वितीय तथा तृतीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 3 की उपधारा (4), धारा 3—क की उपधारा (2) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड और द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड (इसमें शब्द 'तीन प्रतिशत' के स्थान पर शब्द "दो प्रतिशत रखकर)" रख दिये जायं।

(2) उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात—

"(8) इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक विज्ञप्ति, जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगी, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध विज्ञप्ति के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा, सिवाय इस बात के कि कर या शास्ति का आरोपण, निर्धारण, लगाया जाना अथवा वसूल किया जाना उक्त परिष्कार या अभिशून्यन के अधीन होगा।"

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१ में मैं निम्न संशोधन पेश करता हूं:—

खण्ड ५ के उपखन्ड (१) द्वारा मूल अधिनियम की धारा ३-घ की उपधारा (५) में प्रतिस्थापित किये जाने वाले व कोष्ठकों के अन्दर रखे गये शब्द "इसमें शब्द 'तीन प्रतिशत' के स्थान पर शब्द 'दो प्रतिशत' रख कर" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिए जायं:—

"इसमें प्रथम बार आने वाले शब्द 'तीन प्रतिशत' के स्थान पर शब्द 'खाद्यान्नों की की दशा में दो प्रतिशत व अन्य माल की दशा में पांच प्रतिशत', व दूसरी बार आने वाले

शब्द 'तीन प्रतिशत' के स्थान पर शब्द 'दो प्रतिशत या पांच प्रतिशत, जैसी भी दशा हो' रख कर।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ के उपखन्ड (१) द्वारा मूल अधिनियम की धारा ३—घ की उपधारा (५) में प्रतिस्थापित किये जाने वाले व कोष्ठकों के अन्दर रखे गये शब्द "इसमें शब्द 'तीन प्रतिशत' के स्थान पर शब्द 'दो प्रतिशत' रख कर" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायं :—

"इसमें प्रथम बार आने वाले शब्द "तीन प्रतिशत" के स्थान पर शब्द 'खाद्यान्नों की दशा में दो प्रतिशत व अन्य माल की दशा में पांच प्रतिशत' व दूसरी बार आने वाले शब्द 'तीन प्रतिशत' के स्थान पर शब्द 'दो प्रतिशत या पांच प्रतिशत, जैसी भी दशा हो' रख कर"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६—१५

धारा ४ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) में, खण्ड (ख) में, शब्द "किसी ऐसे माल की बिक्री" के स्थान पर शब्द "किसी ऐसे माल की बिक्री या खरीद," और शब्द "सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट किये जायं" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट किये जायं" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा ७ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा ७ में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—इस धारा में और धारा ७—क, ७—ख, ७—ग, ७—घ, ७—ङ, ८—क, १४, १५—क, १८, २१ और २४ में पद "विक्रय-धन" का तात्पर्य, यथास्थिति, विक्रय-धन अथवा क्रय-धन अथवा दोनों से है।"

धारा ७—क का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा ७—क में, उपधारा (१) में, शब्द तथा अंक "धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ३ की उपधारा (२)" रख दिये जायं।

धारा ७—घ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा ७—घ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर से ऐसे माल का, जिस पर किसी आयातकर्ता द्वारा बिक्री के स्थल पर, धारा ३—क की उपधारा (१), धारा ३—कक, धारा ३—कख या धारा ३—घ के अधीन, कर देय हो, आयात करने वाले व्यापारी;"

धारा ८-क का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा ८-क में—

(१) उपधारा (१) के खण्ड (ग) और (घ) में जहां जहां भी शब्द तथा अंक "धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड" आये हों, उनके स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ३ की उपधारा (२)" रख दिये जायं; और

(२) उपधारा (४) और (५) निकाल दी जायं।

धारा १३ का संशोधन

११—मूल अधिनियम की धारा १३ में—

(१) उपधारा (१) में शब्द "जिसका पद कर-निर्धारक अधिकारी से निम्न न हो और" निकाल दिये जायं और सदैव से निकाले गये समझे जायं, और

(२) उपधारा (२) में शब्द "जो कर-निर्धारक अधिकारी से निम्न श्रेणी के न हों" निकाल दिये जायं और सदैव से निकाले गये समझे जायं।

धारा १८ का संशोधन

१२—मूल अधिनियम की धारा १८ में—

(१) जहां जहां भी शब्द तथा अंक "धारा ३ के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन" आये हों, उनके स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन" रख दिये जायें;

(२) जहां जहां भी शब्द तथा अंक "धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (क) या (ख)" आये हों, उनके स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ३ की उपधारा (३)" रख दिये जायं; और

(३) उपधारा (४) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द तथा अंक "धारा ८-क की उपधारा (४) या (५) के अधीन, जैसी भी स्थिति हो," के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा २९-क की उपधारा (१) के अधीन" रख दिये जायें।

धारा २१ का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा २१ की उपधारा (२) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द तथा अंक "धारा ९, १० या ११ के अधीन दी गयी किसी आज्ञा में" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ९, धारा १० या धारा ११ के अधीन दिये गये किसी आदेश अथवा संविधान के अनुच्छेद ३२, अनुच्छेद १३२, अनुच्छेद १३३, अनुच्छेद १३६ या अनुच्छेद १३७ के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा अथवा अनुच्छेद २२६ या अनुच्छेद २२७ के अधीन उच्च न्यायलय द्वारा दिये गये किसी आदेश में" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं।

धारा २४ का संशोधन

१४—मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (२) के खण्ड (छ) में शब्द तथा अंक "धारा ८-क की उपधारा (४) के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा २९-क की उपधारा (१) के अधीन" रख दिये जायं।

१५—मूल अधिनियम की धारा २९—क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्— धारा २९—क का संशोधन

"२९—क(१) यदि किसी व्यापारी द्वारा भूल से कर के रूप में वसूल कीगयी धनराशि के वितरण की प्रक्रिया

व्यापारी द्वारा किसी व्यक्ति से कोई धनराशि वसूल की जाय जिसे वह उक्त व्यक्ति से किसी माल की बिक्री पर कर के रूप में वसूल करने के सम्बन्ध में ऐसा करने के लिये तात्पर्यित हो, तो ऐसा व्यापारी, इस प्रकार वसूल की गयी सम्पूर्ण धनराशि सरकारी खजाने में,ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, जमा करेगा, भले ही वह व्यापारी इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में ऐसी धनराशि का देनदार न हो अथवा कर के रूप में वह केवल उसके एक भाग का देनदार हो।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी व्यापारी द्वारा जमा की गयी कोई धनराशि, उस मात्रा तक जहां तक वह कर के रूप में देय न हो, राज्य सरकार द्वारा उस व्यक्ति की, जिससे व्यापारी ने उसे वसूल किया हो, अथवा उस व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि की, धरोहर के रूप में रखी जायगी, और इस प्रकार जमा करने से ऐसा व्यापारी जमा धनराशि की मात्रा तक तत्सम्बन्धी दायित्व से उनमुक्त होगा।

(३) यदि उपधारा (१) के अधीन किसी व्यापारी द्वारा कोई धनराशि जमा की जाय, तो ऐसी धनराशि या उसके किसी भाग के लिये ऐसे प्रपत्र में, जो नियत किया जाय, तदर्थ दावा किये जाने पर उसे ऐसे व्यक्ति को, जिससे ऐसे व्यापारी ने धनराशि या उसके भाग को वास्तव में वसूल किया हो, अथवा उसके विधिक प्रतिनिधि को, और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, नियत रीति में, वापस कर दी जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण आदेश के दिनांक से तीन वर्ष अथवा उसके सम्बन्ध में अपील, पुनरीक्षण या समाधान में, यदि कोई हो, अन्तिम आदेश दिये जाने के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जो भी पश्चात्वर्ती हो, कोई ऐसा दावा ग्रहण नहीं किया जायगा।

स्पष्टीकरण—पद "अपील, पुनरीक्षण या समाधान में अन्तिम आदेश दिये जाने" के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद ३२, अनुच्छेद १३२, अनुच्छेद १३३, अनुछेद १३६ या अनुच्छेद १३७ के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा, अथवा अनुच्छेद २२६ या अनुच्छेद २२७ के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश भी है।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४ तथा १५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १६

१६—मूल अधिनियम के अन्त में लिम्नलिखित अनुसूचियां बढ़ा दी जायं, अर्थात् :— अनुसूचियों का बढ़ाया जाना

प्रथम अनुसूची

(देखिये धारा ३–क)

"नि०" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में निर्माता द्वारा बिक्री से है।

"आ०" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में आयातकर्ता द्वारा बिक्री से है।

क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
१	२	३
१	मनुष्य अथवा पशु श्रम द्वारा चालित उपकरणों से भिन्न कृषि उपकरण, जिसमें उनके भाग और सम्बद्ध सामान, टायर और ट्यूब के अतिरिक्त, भी सम्मिलित हैं	नि० अथवा आ०
२	समस्त आयुध, जिसके अन्तर्गत राइफल, रिवाल्वर, पिस्तौल एवं उनके गोला-बारूद (एम्यूनिशन्स) भी हैं किन्तु खुखरी, भाला, छुरा और तलवार नहीं हैं	नि० अथवा आ०
३	सभी प्रकार की दीवाल घड़ियों (क्लाक्स), टाइमपीस घड़ियों और जेब या हाथ, की घड़ियां और उनके पुर्जे तथा सहायक सामान जिसमें जेब या हाथ की घड़ियों के फीते (स्ट्रैप) तथा चेन सम्मिलित नहीं है	नि० अथवा आ०
४	सभी प्रकार से ल्यूब्रिकेन्ट्स	नि० अथवा आ०
५	आटा, मैदा तथा सूजी (जब वे ऐसे व्यापारियों द्वारा बेंचे जायं जिनका वार्षिक विक्रय-धन २५,००० रु० से अधिक हो।)	रोलर फ्लोअर मिलों, जिनमें चक्कियां भी हैं, द्वारा अथवा आयात कर्ता द्वारा बिक्री।
६	बाल प्वाइन्ट पेंसिलें तथा प्रापेलिंग पेंसिलें	नि० अथवा आ०
७	भांग, गांजा तथा अफीम	फुटकर बिक्रेता द्वारा बिक्री।
८	बाइसिकलें, ट्राइसिकलें, रिक्शा और पैराम्बुलेटर, तथा टायर ट्यूब से भिन्न उनके भाग और सम्बद्ध सामान ..	नि० अथवा आ०
९	बाइनाक्यूलर्स, टेलिस्कोप तथा आपेरा ग्लास ..	नि० अथवा आ०
१०	बिटयूमैन और रोडटार तथा उनके ऐसे सम्मिश्रण और उत्पादन जिन्हें सामान्यतः डामर बिछाने (Surface dressing) और जल-सह (waterproofing) बनाने के लिये प्रयुक्त किया जाता है। ..	नि० अथवा आ०
११	हड्डियां	उपभोक्ता के हाथ बिक्री
१२	बूट पालिश तथा अन्य वैक्स पालिशें	नि० अथवा आ०
१३	ईंटें	नि० अथवा आ०
१४	(मुहरबन्द डिब्बों में बेंचे जाने वाले से भिन्न) मक्खन तथा क्रीम	नि० अथवा आ०
१५	बटन	नि० अथवा आ०

१	२	३
१६	दफ्ती तथा गत्ता	नि० अथवा आ०
१७	कालीन	नि० अथवा आ०
१८	कास्टिक सोडा	नि० अथवा आ०
१९	सीमेन्ट——	
	(क) यदि उत्तर प्रदेश के बाहर से आयात किया गया हो	आयात किये गये सीमेन्ट को लेने के लिये स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा नियुक्त स्टाकिस्ट द्वारा बिक्री।
	(ख) यदि उत्तर प्रदेश में निर्मित हुआ हो ..	गवर्नमेंट सीमेन्ट फैक्ट्री, चुर्क अथवा गवर्नमेंट सीमेन्ट फैक्ट्री, डल्ला, मिर्जापुर द्वारा बिक्री।
२०	सीमेन्ट, जो उपरोक्त क्रम-संख्या १९ के अन्तर्गत आने वाले सीमेन्ट से भिन्न है, तथा सीमेन्ट वाटर-प्रूफिंग कम्पाउन्ड	नि० अथवा आ०
२१	सभी प्रकार के रासायनिक द्रव जिसमें ईंधन, गैसें, जैसे कि बरशेन तथा इन्डेन, सम्मिलित हैं किन्तु सोडा ऐश तथा कास्टिक सोडा नहीं है	नि० अथवा आ०
२२	सिगरेट केस तथा लाइटर	नि० अथवा आ०
२३	सिनेमेंटोग्राफी सम्बन्धी सामान, जिसमें कैमरा, प्रोजेक्टर, ध्वनि आलेखन और पुनरूत्पादन संबंधी सामान, लैन्सेज, फिल्में, तथा उनके साथ प्रयुक्त किये जाने वाले पुर्जे और सहायक सामान सम्मिलित हैं	नि० अथवा आ०
२४	काफी, कोको तथा चिकारी	नि० अथवा आ०
२५	कार्नफ्लेक, व्हीट फ्लेक तथा कस्टर्ड	नि० अथवा आ०
२६	सौन्दर्य वर्धक एवं प्रशाधन सामग्री जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे :——	नि०अथवा आ०
	(क) बालों के क्लिप, बालों के पिन, बालों के कर्लर, बालों में लगाने के फूल (हेयर फ्लावर) बालों की जाली (हेयर नेट) तथा चोटियां, सुगन्धित केश-तेल, बालों की क्रीम, बालों की फिक्सर्स, बालों के ब्रुश तथा सींग से बने कंघों से भिन्न कंघे, केश रंजक (हेयर डाई), बाल काले करने की बस्तुयें (हेयर डार्कनर), केश वल्य (हेयर टानिक), शेम्पू तथा बालों के लोशन, ब्रिलिएन्टाइन, पोमेड तथा वैसलीन ;	
	(ख) टुथ पेस्ट, टुथ पाउडर तथा अन्य दन्त शोधन टुथब्रश, जीभी, मुखशोधन (माउथ वाश) तथा दुर्गन्ध नाशक और मिस्सी ;	

१	२	३
	(ग) आल्ता, लिपिस्टिक, नाखूनों की पालिश, सुरमा, मस्करा, श्रृगांरदान, नाखूनों के ब्रश, चेहरे और त्वचा के लिये टेल्कम तथा अन्य पाउडर, पाउडरपफ, स्नो तथा क्रीम (चेहरे के लिये), प्रसाधन सामग्री-सेट (सामान सहित या रहित), सेन्ट स्प्रे, केशनाशक (बाल सफा), दाग-धब्बे दूर करने की सामग्री, क्लीनसिंग मिल्क, आई टैक्स यू० डी० कोलोन, आईलैश ब्रश, टायलट स्पंज, सालिड कोलोन, लेवेन्डर वाटर, वाशिंग क्रीम, ब्यूटी मिल्क, बाथरूम के लिये दुर्गन्ध नाशक पैकेज, स्वरूप निखारने के लिये रूज (कम्प्लेक्शन रुज), नेल कटर, सेनेटरी टावेल्स;	
	(घ) शेविंग सेट (सामान सहित या रहित), सेफटी रेजर, शेविंग ब्लेड, शेविंगब्रश और साबुन तथा क्रीम, शेविंग फिटकरी तथा शेव के बाद लगाने वाले लोशन और क्रीम।	
२७	सिलाई के सूती धागे	उपभोक्ता के हाथ बिक्री
२८	कपास क्षेप्य	नि० अथवा आ०
२९	क्राकरी, छुरी-कांटे (कलेलरी), चीनी मिट्टी के बर्तन, स्टोन-ग्लेज्ड बर्तन तथा पोर्सलेन के बर्तन	नि० अथवा आ०
३०	डिक्टाफोन तथा इसी प्रकार के ध्वनि अभिलेखन करने वाले अन्य उपकरण, और उनके पुर्जे	नि० अथवा आ०
३१	रंजक और रंग तथा उनके मिश्रण, जिसमें ईंगुर और सिंदूर, असली तथा नकली दोनों, शामिल हैं ..	नि० अथवा आ०
३२	विद्युत् शक्ति के जनन, वितरण तथा पारेषण के लिये आपेक्षित सज्जा, संयंत्रों तथा उनके भागों एवं इलेक्ट्रिक मोटर और उनके भागों से भिन्न बिजली के सामान ..	नि० अथवा आ०
३३	विद्युत् शक्ति के जनन, वितरण तथा पारेषण के लिये अपेक्षित बिजली की सज्जा, संयंत्र और उनके भाग तथा इलेक्ट्रिक मोटर और उनके भाग	नि० अथवा आ०
३४	ईंधन की लकड़ी	वन विभाग अथवा वन के व्यक्तिगत स्वामी अथवा आयातकर्ता द्वारा बिक्री।
३५	फोम रबर की वस्तुयें	नि० अथवा आ०
३६	फाउन्टेनपेन	नि० अथवा आ०
३७	लोहे और इस्पात के फर्नीचर से भिन्न फर्नीचर ..	नि० अथवा आ०
३८	गैस लालटेन, पैट्रोमेक्स और स्टोव तथा उनके भाग और उससे सम्बद्ध सामान	नि० अथवा आ०

१	२	३
३९	हरीकेन लालटेन की चिमनी, चश्मों के शीशों तथा बोतलों से भिन्न कांच का सामान	नि० अथवा आ०
४०	ग्रामोफोन, उनके अवयवभूत पुर्जे तथा रिकार्ड ..	नि० अथवा आ०
४१	मूंगफली का तेल	नि० अथवा आ०
४२	हार्डबोर्ड जिसमें फाइबर शीट सम्मिलित है, चर्म-पट, पर्ती लकड़ी और सजावट के पत्तर	नि० अथवा आ०
४३	सब प्रकार के अभिनाल (होजेज)—रवर, प्लास्टिक तथा कैनवस के	नि० अथवा आ०
४४	अस्पताल के सामान तथा यंत्र	नि० अथवा आ०
४५	लोहे और इस्पात की तिजोरियां तथा अलमारियां ..	नि० अथवा आ०
४६	लोहे की अलमारियों और तिजोरियों से भिन्न लोहा तथा इस्पात के फर्नीचर	नि० अथवा आ०
४७	हाथी दांत के सामान	नि० अथवा आ०
४८	जूट तथा सन के सामान	नि० अथवा आ०
४९	मिट्टी का तेल	नि० अथवा आ०
५०	खांडसारी सीरा	नि० अथवा आ०
५१	खांडसारी शक्कर, जिसपर एडीशनल ड्यूटीज आफ एक्साइज (गुड्स आफ स्पेशल इम्पार्टेन्स) ऐक्ट, १९५७ के अधीन अतिरिक्त उत्पादन शुल्क न लग सकता हो अथवा यदि लग सकता हो तो वह इस प्रकार के कर से विशिष्ट रूप से मुक्त हो	नि० अथवा आ०
५२	मशीन और मशीनों के ऐसे अतिरिक्त भाग जो ऐसी मशीन या उनके अतिरिक्त भाग नहीं हैं जिन पर इस अनुसूची की किसी अन्य मद के अन्तर्गत कर लगता हो ..	नि० अथवा आ०
५३	दियासिलाई	नि० अथवा आ०
५४	प्लास्टिक अथवा उसके मिश्रण से बने हुये गद्दे और तकिये	नि० अथवा आ०
५५	औषधियां और भेषजीय पदार्थ (जिसमें भूमि नाशक एवं कीट नाशक वस्तुयें भी शामिल हैं) ..	नि० अथवा आ०
५६	सीलबन्द अथवा टिन के डिब्बों में बेचे जाने वाले मिल्क पाउडर, कन्डेन्स्ड मिल्स, बेबी मिल्क, बेबी फूड तथा अन्य समस्त खाद्य पदार्थ या उनके उत्पाद, चाहे उनका उपयोग उसी रूप में अथवा किसी अन्य खाद्य पदार्थ या पेय वस्तु के साथ मिलाकर किया जाय	नि० अथवा आ०
५७	मिल की बनी दरियां और तम्बू	नि० अथवा आ०
५८	मिल के स्टोर तथा लोहे से बनी वस्तुयें जिनमें इस्पात के तार सम्मिलित नहीं हैं	नि० अथवा आ०

१	२	३
५९	शीरा जिसके अन्तर्गत खांडसारी शीरा नहीं है ..	नि० अथवा आ०
६०	मोटर साइकिलें और मोटर साइकिल कम्बीनेशन, मोटर स्कूटर, मोटरेट और मोटर गाड़ियों के टायर, ट्यूब और अलग पुर्जे	नि० अथवा आ०
६१	मोटरों के टायर तथा ट्यूब, मोटर गाड़ियों के ऐसे अलग पुर्जे तथा संघटक पुर्जे जो उन पुर्जों से भिन्न हों जिनका प्रयोग मोटर गाड़ियों के पुर्जे के रूप में होने के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिये भी साधारणतः होता है, तथा मोटर गाड़ियों, मोटर कारों, मोटर टैक्सी कैबों, मोटर साइकिलों तथा मोटर साइकिल कम्बीनेशनों, मोटर स्कूटरों तथा मोटरेट्स, मोटर आमनी बसों, मोटरबैन तथा मोटर लारियों के सहायक सामान के रूप में प्रयोग की जाने वाली वस्तुयें।	नि० अथवा आ०
६२	मोटर गाड़ियों, जिसके अन्तर्गत मोटर गाड़ियों के चैसिस एवं उन पर बनी हुई मोटर बाडीज भी शामिल है।	उपभोक्ता के हाथ बिक्री अथवा उपभोक्ता द्वारा क्रय के लिये वित्त व्यवस्था करने वाली क्रय-विक्रय कम्पनी के हाथ बिक्री।
६३	न्यूजप्रिन्ट	नि० अथवा आ०
६४	(१) मनुष्य अथवा पशु शक्ति से धनियों पर निकाले गये खाने के तेल तथा (२) सुगन्धित केश तेल से भिन्न सभी प्रकार के तेल।	नि० अथवा आ०
६५	अलंकृत कांच की चूड़ियां (जिसमें कटावदार कांच की चूड़ियां भी हैं)	नि० अथवा आ०
६६	किसी मिश्र धातु के साथ या उसके बिना सोने या चांदी से बने गहने तथा किसी अन्य मिश्र धातु के साथ या उसके बिना सोने और चांदी से बने गहने तथा ज्वेलरी।	उपभोक्ता के हाथ बिक्री
६७	पेंट तथा वार्निश और पेंटरों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले सब सामान।	नि० अथवा आ०
६८	हाथ के बने कागज से भिन्न कागज	नि० अथवा आ०
६९	मोती जिसके अन्तर्गत कृत्रिम मोती भी है, असली और नकली दोनों प्रकार के बहुमूल्य एवं मध्यम बहुमूल्य जवाहिरात।	नि० अथवा आ०
७०	फोटोग्राफरी के और अन्य कैमरे तथा एन्लार्जर, लेंसेज, फिल्में और प्लेटें कागज और कपड़ा और उनके साथ प्रयोग के लिये अपेक्षित अन्य पुर्जे तथा सहायक सामान।	नि० अथवा आ०
७१	पिकनिक सेट, अन्तर्वस्तुओं के साथ अथवा उनके बिना ..	नि० अथवा आ०
७२	सभी प्रकार के पाइप्स और उनकी फिटिंग्स ..	नि० अथवा आ०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३
७३	सादी कांच की चूड़ियां	नि० अथवा आ०
७४	प्लास्टिक की बाल्टियां, प्लास्टिक की चिलम्चियां (बेसिन), प्लास्टिक की साबुनदानियां, प्लास्टिक की तश्तरियां और प्लास्टिक से बने अन्य बर्तन तथा डिब्बे (कन्टेनर्स)	नि० अथवा आ०
७५	ताश	नि० अथवा आ०
७६	विद्युत्-चालित प्रैशर कुकर से भिन्न प्रशर कुकर ..	नि० अथवा आ०
७७	हाथ करघे पर निर्मित से भिन्न शुद्ध रेशम के कपड़े, जिसके अन्तर्गत रेशमी धोतियां, साड़ियां और चद्दरें भी हैं।	नि० अथवा आ०
७८	रेफरीरेटर और शीत-ताप-नियंत्रक यंत्र (एयर-कंडीशनिंग प्लांट) और उनके अवयवभूत पुर्जे।	नि० अथवा आ०
७९	रबर के गद्दे तथा रबर के तकिये	नि० अथवा आ०
८०	चन्दन का तेल	नि० अथवा आ०
८१	पाइप्स और उनकी फिटिंग्स से भिन्न सैनिटरी गुड्स और फिटिंग्स।	नि० अथवा आ०
८२	इत्र और सुगन्धियां	नि० अथवा आ०
८३	कैंचियां, सरौता, सादे किस्म के चाकू व छुरियां, उस्तरे, लोहे के बने रसोई के बर्तन तथा उपकरण, टीन या लोहा अथवा इस्पात के बने ट्रंक, डाकघर पत्र-पेटियां, डिब्बे (जिसके अन्तर्गत बाल्टियां, टब और ड्रम भी हैं) तथा बाल काटने की मशीनें।	नि० अथवा आ०
८४	सिलाई की मशीन तथा उनके पुर्जे	नि० अथवा आ०
८५	कपड़े धोने के साबुन से भिन्न साबुन	नि० अथवा आ०
८६	सोडा ऐश	नि० अथवा आ०
८७	सोडा वाटर, लेमनेड तथा अन्य मृदु पेय, जब वह सीलबन्द या टिन के डिब्बों में बेचे जांय।	नि० अथवा आ०
८८	ध्वनि-प्रसारण सामग्री जिसमें टेलीफोन, लाउड-स्पीकर और उनके अलग पुर्जे भी सम्मिलित हैं।	नि० अथवा आ०
८९	देशी शराब से भिन्न सभी प्रकार की शराब और स्प्रिट ..	नि० अथवा आ०
९०	जेब या हाथ की घड़ियों के स्ट्रैप तथा चेन ..	नि० अथवा आ०
९१	चीनी से बनी वस्तुयें जैसे—बताशा, मिश्री, गट्टा, चीनी के खिलौने तथा इलायचीदाना सम्मिलित नहीं है।	नि० अथवा आ०
९२	धूप के चश्मे, चश्मे, फ्रेम, धूप के शीशों, चश्मों के शीशे और अटैचमेंट्स।	नि० अथवा आ०
९३	सीलबन्द या टिन के डिब्बों में बेची जानेवाली मिठाइयों तथा कन्फेक्शनरी से भिन्न मिठाइयां तथा कन्फेक्शनरी।	नि० अथवा आ०

१	२	३
९४	चाय	नि० अथवा आ०
९५	थरमस फ्लास्क	नि० अथवा आ०
९६	सभी प्रकार की टाइल्स	नि० अथवा आ०
९७	इमारती लकड़ी (अर्थात् शीशम, सागौन, साल, साखू, हल्दू, तुन, आम, जामुन, नीम, गूलर, सीरस, देवदार, चीड़ और महुआ के वृक्षों की लकड़ी, चाहे वह उगायी जा रही हो या काट दी गई हो), जिसमें कटी हुई इमारती लकड़ी भी सम्मिलित है किन्तु जिसमें उनसे बनी हुई वस्तुयें सम्मिलित नहीं हैं ।	वन विभाग अथवा बनों के निजी स्वामियों द्वारा अथवा आयातकर्ता द्वारा बिक्री ।
९८	टाइपराइटर, टेबुलेटिंग मशीनें, कैल्कुलेटिंग मशीनें और डुप्लीकेटिंग मशीनें तथा, उनके पुर्जे ।	नि० अथवा आ०
९९	टायर और ट्यूब जिसके अन्तर्गत मोटर साइकिलों, मोटर स्कूटर्स, मोटरेट्स तथा मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब नहीं हैं ।	नि० अथवा आ०
१००	वनस्पति जिसके अन्तर्गतस्वच्छ किया गया गरी का तेल भी है	नि० अथवा आ०
१०१	किसी अन्य मिश्रित धातु के साथ या उसके बिना सोने या चांदी के बर्तन तथा किसी अन्य मिश्रित धातु के साथ या उसके बिना सोने और चांदी से बने बर्तन ।	नि० अथवा आ०
१०२	स्टेन्लेस स्टील के बर्तन	नि० अथवा आ०
१०३	कपड़ा धोने का साबुन तथा धोने के काम में इस्तेमाल होने वाला अन्य सामान ।	नि० अथवा आ०
१०४	बेतार प्रसारण ग्रहण यंत्र तथा उपकरण, रेडियो और रेडियो—ग्रामोफोन, बिजली के बल्ब, ऐक्यूमुलेटर, एम्प्लीफायर और लाउडस्पीकर तथा उनके अलग पुर्जे और सहायक सामान ।	नि० अथवा आ०
१०५	ऊनी कालीनों के ऊन का सूत, रेयान सूत फाइलेचर रेशम का सूत, हाथ का कता रेशम का सूत, स्टेपिल फाइवर का सूत तथा नायलान सूत ।	नि० अथवा आ०
१०६	ऊनी शाल जिसके अन्तर्गत कालीनें और होजरी नहीं हैं लेकिन बुनने का ऊन तथा ऊनी कपड़े से बनाये गये सिले-सिलाये परिधान हैं ।	नि० अथवा आ०
१०७	एक्स-रे मशीनें तथा उनके भाग और सम्बद्ध सामान ..	नि० अथवा आ०
१०८	हाथ के कते सूत से भिन्न सभी प्रकार का सूत जिसके अन्तर्गत बुनाई में प्रयुक्त होने वाला बिना कता धागा भी है, किन्तु जिसके अन्तर्गत रुई का सूत, ऊनी कालीनों के ऊन का सूत, रेयान सूत, फाइलेचर रेशम का सूत, स्टेपिल फाइवर का सूत तथा नायलान सूत नहीं है ।	नि० अथवा आ०

द्वितीय अनुसूची

(देखिये धारा ३—क ख)

क्रम संख्या	विज्ञप्ति संख्या			दिनांक
१	२			३
१	एस० टी०—९०५/१० ..	..	..	३१ मार्च, १९५६
२	एस० टी०—९०६/१० ..	..	..	३१ मार्च, १९५६
३	एस० टी०—९०७/१० ..	..	..	३१ मार्च, १९५६
४	एस० टी०—९०८/१० ..	..	..	३१ मार्च, १९५६
५	एस० टी०—९१२/१० ..	..	..	३१ मार्च, १९५६
६	एस० टी०—३५०१/१०	..	..	१० मई, १९५६
७	एस० टी०—३५०३/१०	..	..	१० मई, १९५६
८	एस० टी०—३५०४/१०	..	..	१० मई, १९५६
९	एस० टी०—३४७२/१०	..	..	१६ जुलाई, १९५६
१०	एस० टी०—३४७३/१०	..	..	१६ जुलाई, १९५६
११	एस० टी०—४०८१/१०	..	..	३१ जुलाई, १९५६
१२	एस० टी०—६०६९/१०—१०९७/५६	..	..	३० सितम्बर, १९५६
१३	एस० टी०—६५१०/१०—९५३(१)/५४		..	३१ अक्तूबर, १९५६
१४	एस० टी०—४१७/१०—९०२(९)/५२		..	३१ जनवरी, १९५७
१५	एस० टी०—४१८/१०—९०२(९)/५२		..	३१ जनवरी, १९५८
१६	एस० टी०—१४१७/१०—९०२(२०-क)-५६		..	३१ जनवरी, १९५८
१७	एस० टी०—३६८७/१०—९६०(५)-५७		..	१ अक्तूबर, १९५८
१८	एस० टी०—९५५/१०—९५०(१)-५८		..	१ अप्रैल, १९५९
१९	एस० टी०—१९७३/१०—९०२(७-M)-५७		..	३० जून, १९५९
२०	एस० टी०—८००/१०—९०२(८)-१९५८		..	१ सितम्बर, १९५९
२१	एस० टी०—३१५ /१०—९५०(१)-५८		..	८ सितम्बर, १९५९
२२	एस० टी०—४३३५/१०—९६०(१)-१९५८		..	१ दिसम्बर, १९५९
२३	एस० टी०—१३६५/१०—९९०-१९५६		..	१ अप्रैल, १९६०
२४	एस० टी०—२३२७/१०—९५३(१)-५४		..	१ जून, १९६०
२५	एस० टी०—१३६३/१०—१०४५(१९)-१९६०		..	५ अप्रैल, १९६१
२६	एस० टी०—१३६४/१०—१०४५(१९)-१९६०		..	५ अप्रैल, १९६१
२७	एस० टी०—१३६५/१०—१०४५(१९)-६०		..	५ अप्रैल, १९६१
२८	एस० टी०—३२३७/१०—(८-C F)-५९		..	१ सितम्बर, १९६१
२९	एस० टी०—९२७/१०—९०२(२)-५८		..	१ अक्तूबर, १९६१
३०	एस० टी०—१२८१क/१०—९६०(४)-१९५८		..	१ अक्तूबर, १९६१
३१	एस० टी०—४९२०/१०—१०३५(५२)-१९६०		..	१५ नवम्बर, १९६१
३२	एस० टी०—४९२१/१०—१०३५(५२)-६०		..	१५ नवम्बर, १९६१
३३	एस० टी०—४६८४/१०—९००(९)-६१		..	१८ नवम्बर, १९६१
३४	एस० टी०—५१४/१०—९००(६')-६१		..	१३ फरवरी, १९६२

१	२		३
३५	एस० टी०—४९०७/१०—९००(४)-६१	..	१ मार्च, १९६२
३६	एस० टी०—४९०७—१/१०—९००(४)-६१	..	१ मार्च, १९६२
३७	एस० टी०—३३९१/१०—१०१२-१९६२	..	१ जुलाई, १९६२
३८	एस० टी०—३३९२/१०—१०१२-१९६२	..	१ जुलाई, १९६२
३९	एस० टी०—४५६२—१/१०—९०२(७-M)-५७	..	१ अक्तूबर, १९६२
४०	एस० टी०—६४३८/१०—१०१२-१९६२	..	१ अक्तूबर, १९६२
४१	एस० टी०—५०१/१०—९५३(१)-५४	..	३१ जनवरी, १९६३
४२	एस० टी०—४०५—१/१०—१०१२-६२	..	६ मार्च, १९६३
४३	एस० टी०—१८७/१०-९००—(१५)-६१	..	१३ मई, १९६३
४४	एस० टी०—१७३८/१०—१०१२-१९६३	..	१ जून, १९६३
४५	एस० टी०—३८६७/१०—९००(४०)-६२	..	२८ जून, १९६३
४६	एस० टी०—३८३/१०—९०२(५६)-५६	..	२५ मार्च, १९६४
४७	एस० टी०—१८८१/१०—१००८(५८)-५९	..	१२ जून, १९६४
४८	एस० टी०—३९३०/१०—१०४५(१९)-६०	..	१८ जुलाई, १९६४
४९	एस० टी०—७५३६/१०—१०१२(१)-६४	..	१२ दिसम्बर, १९६४
५०	एस० टी०—७७६/१०—९००(१६)-६४	..	१६ फरवरी, १९६५
५१	एस० टी०—१४७०/१०—९०२(६३)-५०	..	१५ मार्च, १९६५
५२	एस० टी०—९२७१—१—/१०—१०१२(१)-१९६४		९ अप्रैल, १९६५
५३	एस० टी०—२२६३/१०—९५०(१)-६४	..	१८ जून, १९६५
५४	एस० टी०—४२५१/१०—९००(८)-६२	..	१७ अगस्त, १९६५
५५	एस० टी०—६५५२/१०—९००(३१)-६५	..	१ सितम्बर, १९६५
५६	एस० टी०—७०९०/१०—१०१२-१९६५	..	१ अक्तूबर, १९६५
५७	एस० टी०—७०९१/१०—१०१२-१९६५	..	१ अक्तूबर, १९६५
५८	एस० टी०—७०९४/१०—१०१२-१९६५	..	१ अक्तूबर, १९६५
५९	एस० टी०—७०९५/१०—१०१२-१९६५	..	१ अक्तूबर, १९६५
६०	एस० टी०—७०९६/१०—१०१२-१९६५	..	१ अक्तूबर, १९६५
६१	एस० टी०—७०९८/१०—१०१२-१९६५	..	१ अक्तूबर, १९६५
६२	एस० टी०—७०९९/१०—१०१२-१९६५	..	१ अक्तूबर, १९६५
६३	एस० टी०—७१००/१०—१०१२-१९६५	..	१ अक्तूबर, १९६५
६४	एस० टी०—६७८९/१०—९००(१८)-६३	..	१९ नवम्बर, १९६५
६५	एस० टी०—८२०४/१०—१०१२-६५	..	३१ दिसम्बर, १९६५
६६	एस० टी०—४७०/१०—९००(४५)-६५	..	१ फरवरी, १९६६
६७	एस० टी०—४७१/१०—९००(४५)-६५	..	१ फरवरी, १९६६
६८	एस० टी०—८३४१/१०—१०१२-६५	..	१४ फरवरी, १९६६
६९	एस० टी०—४९३/१०—१००८(७८)-१९६३	..	१ अप्रैल, १९६६
७०	एस० टी०—८३०१/१०—१००८(६४)-६४	..	१ अप्रैल, १९६६
७१	एस० टी०—८३०१-१/१०—१००८(६४)-६४	..	१ अप्रल, १९६६
७२	एस० टी०—१६६१/१०—९०२(१०)-५९	..	१ अप्रैल, १९६६
७३	एस० टी०—१४३५/१०—९००(४५)-१९६४	..	१ अप्रैल, १९६६
७४	एस० टी०—१६४५/१०—१०१२(२)-१९६५	..	१ अप्रैल, १९६६
७५	एस० टी०—१९४९/१०—१००८(७८)-६३	..	२० अप्रैल, १९६६

१	२		३
७६	एस० टी०—१७८८/१०—९०२(१२)-१९६४	..	६ अप्रैल, १९९६
७७	एस० टी०—३१२०/१०—१०१२(४)-१९६५	..	१ जुलाई, १९६६
७८	एस० टी०—३१२१/१०—१०१२-(४)-१९६५	..	१ जुलाई, १९६६
७९	एस० टी०—३१२२/१०—१०१२(४)-१९६५	..	१ जुलाई, १९६६
८०	एस० टी०—३१२३/१०—१०१२(४)-१९६५	..	१ जुलाई, १९६६
८१	एस० टी०—३१२४/१०—१०१२(४)-१९६५	..	१ जुलाई, १९६६
८२	एस० टी०—३१२५/१०—१०१२(४)-१९६५	..	१ जुलाई, १९६६
८३	एस० टी०—३२९८/१०—९०६(A-B-I)-१९६५	..	६ जुलाई, १९६६
८४	एस० टी०—३३०१/१०—९६०(४)-६६	..	६ जुलाई, १९६६
८५	एस० टी०—३११९/१०—१०१२(४)-१९६५	..	१ सितम्बर, १९६६
८६	एस० टी०—३४६७/१०—१०१२(४)-१९६५	..	३० सितम्बर, १९६६
८७	एस० टी०—५६२१/१०—९००(५४)-६५	..	१ नवम्बर, १९६६
८८	एस० टी०—५६२१-क/१०—९००(५४)-६५	..	१ नवम्बर, १९६६
८९	एस० टी०—४६७५/१०—९००(५९)-६६	..	१ नवम्बर, १९६६
९०	एस० टी०—४१२४/१०—९५०(१२)-१९६७	..	३१ जुलाई, १९६७
९१	एस० टी०—४१२५/१०—९५०(१२)-१९६७	..	३१ जुलाई, १९६७
९२	एस० टी०—४१२७/१०—९५०(१२)-१९६७	..	३१ जुलाई, १९६७
९३	एस० टी०—४५६५-क/१०—९५०(१२)-१९६७	..	२० सितम्बर, १९६७
९४	एस० टी०—४५७५-क/१०—९५०(१२)-१९६७	..	२० सितम्बर, १९६७
९५	एस० टी०—७०३७/१०—९५३(१)-५४	..	३० दिसम्बर, १९६७
९६	एस० टी०—९८A/१०—९०२(८)-६१	..	१ फरवरी, १९६८
९७	एस० टी०—७४७/१०—९५०(२२)-६७	..	१ मार्च, १९६८
९८	एस० टी०—१३७७/१०—९०२(८)-६५	..	१ अप्रैल, १९६८
९९	एस० टी०—१०२२/१०—९०२(८)-६५	..	१ अप्रैल, १९६८
१००	एस० टी०—२४७/१०—९००(१२)-६८	..	१ अप्रैल, १९६८
१०१	एस० टी०—१९२०/१०—९५०(१)-६४	..	१ मई, १९६८
१०२	एस० टी०—१९२१/१०—९५०(१)-६४	..	१ मई, १९६८
१०३	एस०टी०—३१४/१०—९००(१७)-६८	..	८ मई, १९६८
१०४	एस०टी०—१६३०/१०—९०२(७—एस० एफ० वाई०) -५९		२८ जून, १९६८
१०५	एस० टी०—३६०१/१०—९०२(८)-६५	..	५ अगस्त, १९६८
१०६	एस०टी०—३४९४/१०—९५०(१)-६४	..	२४ अक्तूबर, १९६८
१०७	एस०टी०—३६८६/१०—१००८(५६)-६७	..	१५ नवम्बर, १९६८
१०८	एस०टी०—५९५१/१०—१००८(५६)-६७	..	४ जनवरी, १९६९
१०९	एस०टी०—१६०७/१०—९००(१२)-६७	..	२ अप्रैल, १९६९
११०	एस०टी०—१६०८/१०—९००(१२)-६७	..	४ अप्रैल, १९६९
१११	एस०टी०—३६०९/१०—९००(२१)-६९	..	१ जुलाई, १९६९
११२	एस० टी०—३६१०/१०—९००(२१)-७९	..	१ जुलाई, १९६९
११३	एस०टी०—३६११/१०—९००(२१)-६९	..	१ जुलाई, १९६९
११४	एस०टी०—३६१३/१०—९००(२१)-६९	..	१ जुलई, १९६९
११५	एस०टी०—३६१५/१०—९००(२१)-६९	..	१ जुलाई,१९६९

१	२		३
११६	एस० टी०—३६५१/१०—९००(४)-६६	..	१ जुलाई, १९६९
११७	एस० टी०—२८१७/१०—९००(८७)-६७	..	१४ जुलाई, १९६९
११८	एस० टी०—३५३४-१/११०—९००(२१)-१९६९	..	१९ जुलाई, १९६९
११९	एस० टी०—३५३४/१०—९००(२१)-६९	..	१३ जुलाई, १९६९
१२०	एस० टी०—५६७८/१०—९००(८७)-६७	..	२९ जुलाई, १९६९
१२१	एस० टी०—७०५९/१०—९००(२१)-६९	..	१ सितम्बर, १९६९
१२२	एस० टी०—५०३८/१०—९००(७१)-६९	..	१७ सितम्बर, १९६९
१२३	एस० टी०—२३९९/१०—९००(५३)-६९	..	३० सितम्पर, १९६९
१२४	एस० टी०—८३९३/१०—९५०(२२)-६७	..	३० सितम्बर, १९६९
१२५	एस० टी०—८४९०/१०—९००(७१)-६१	..	३० सितम्बर, १९६९
१२६	एस० टी०—८६९१/१०—९००(१)-६१	..	३० सितम्बर, १९६९
१२७	एस० टी०—८४९२/१०—९००(१)-६१	..	३० सितम्बर, १९६९
१२८	एस० टी०—९२७४/१०—९५०(२२)-६७	..	७ नवम्बर, १९६९
१२९	एस० टी०—९७०७/१०—९००(३७)-६९	..	१ दिसम्बर, १९६०
१३०	एस० टी०—१०२०६/१०—९००(२१)-६९	..	८ दिसम्बर, १९६९
१३१	एस० टी०—१०३६९/१०—९००(१०२)-६९	..	१ जनवरी, १९७०
१३२	एस० टी०—१८०४/१०—९००(७१)-६५	..	१० मार्च, १९७०
१३३	एस० टी०—९२२/१०—९००(२१)-६९	..	३१ मार्च, १९७०
१३४	एस० टी०—१५१५/१०—९००(१०८)-६९	..	२० अप्रैल, १९७०
१३५	एस० टी०—३०८५/१०—९००(१२)-६७	..	२ मई, १९७०
१३६	एस टी०—३५१६/१०—९००(८९)-६९	..	३० जून, १९७०
१३७	एस ०टी०—४६४३/१०—९००(८१)-६८	..	३० जून, १९७०
१३८	एस० टी०—४६४४/१०—९००(८१)-६८	..	३० जून, १९७०
१३९	एस० टी०—४७१९/१०—९००(२१)-६९	..	३० जून, १९७०,
१४०	एस० टी०—४७२०/१०—९००(२४)-७०	..	३० जून, १९७०
१४१	एस० टी०—४७२१/१०—९००(२४)-७०	..	३० जून, १९७०
१४२	एस० टी०—२४३८/१०—९००(७५)-६८	..	१० सितम्बर, १९७०
१४३	एस० टी०—८२०४/१०—९००(२१)-६९	..	२४ सितम्बर १९७०
१४४	एस० टी०—८७१/१०—९००(१२)-१९६७	..	४ फरवरी, १९७१ ।
१४५	एस० टी०—११०१२/१०—९००(६)-७०	..	२३ मार्च, १९७१
१४६	एस० टी०—३७५/१०—९००(२८)-७०	..	२३ अप्रैल, १९७१
१४७	एस० टी०—११९५३/१०—९००(११२)-६९	..	२१ अप्रैल, १९७१
१४८	एस० टी०—१७८१/१०—९००(४२)-६७	..	१८ मई, १९७१
१४९	एस० टी०—९५३/१०—९००(५)-६७	..	१८ जून १९७१
१५०	एस० टी०—३११५/१०—९००५५)-६७	..	१८ जून १९७१

श्री गोपालदत्त औझा (जिला पिथौरागढ़)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ द्वारा बढ़ाई जाने वाली प्रथम अनुसूची में (क) क्रम-संख्या १ में दूसरे स्तम्भ में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"मनुष्य अथवा पशु,--श्रम द्वारा चालित उपकरणों से भिन्न कृषि उपकरण तथा ट्रैक्टर्स, जिसमें उनके भाग और सम्बद्ध सामान, टायर और ट्यूब के अतिरिक्त, भी सम्मिलित हैं।"

(ख) क्रम-संख्या ५ में, दूसरे स्तम्भ में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"आटा, मदा तथा सूजी"।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ६ द्वारा बढ़ाई जाने वाली प्रथम अनुसूची में (क) क्रम-संख्या १ में, दूसरे स्तम्भ में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"मनुष्य अथवा पशु श्रम द्वारा चालित उपकरणों से भिन्न कृषि उपकरण तथा ट्रैक्टर्स, जिसमें उनके भाग और सम्बद्ध सामान, टायर और ट्यूब के अतिरिक्त, भी सम्मिलित हैं"।

(ख) क्रम-संख्या ५ में, दूसरे स्तम्भ में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"आटा, मैदा तथा सूजी"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी के खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपके लिये समय नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

इनको बोलने का मौका दिया जाय। सरकार की ओर से विश्वासघात हुआ है। सरकार ने इंडायरेक्ट वे में अपने सदस्यों के द्वारा संशोधन रखवा दिये हैं जैसे दो पैसा, ५ पैसा आदि। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जैसा पास हुआ था वैसा अब नहीं रह गया है। लिहाजा हमको भी विरोध करने दीजिये।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ के प्रथम अनुसूची की क्रम-संख्या "१३--ईंटें" निकाल दिया जाय और उसके पश्चात् सभी क्रमों में एक कम कर दिया जाय। इसमें ईंट नहीं आता है यह सरकार देख ले। यही मेरा संशोधन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १६ के प्रथम अनुसूची की क्रम-संख्या "१३--ईंटें" निकाल दिया जाय और उसके पश्चात् के सभी क्रमों में एक कम कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गोपाल दत्त ओझा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ द्वारा बढ़ाई जाने वाली प्रथम अनुसूची में :

(ग) क्रम-संख्या 60 के सामने स्तम्भ 2 में प्रविष्टि निम्न प्रकार से पढ़ी जाय:--
"मोटर साइकिल और मोटर साइकिल कम्बीनेशन, मोटर स्कूटर और मोटरेट, तथा मोटर साइकलों, मोटर स्कूटरों एवं मोटरेट्स के टायर, ट्यूब और अलग पुर्जे।"

(घ) क्रम-संख्या 64 के सामने स्तम्भ 2 में प्रविष्टि निम्न प्रकार से पढ़ी जाय--

(1) मनुष्य अथवा पशु-शक्ति से घानियों पर निकाले गये खाने के तेल, तथा

(2) सुगन्धित केश तेल--

से भिन्न सभी प्रकार के तेल"

(ङ) क्रम संख्या 71 में स्तम्भ 3 में शब्द "नि0 अथवा आ0" के स्थान पर शब्द "निर्माता संयोजक अथवा आयातकर्ता द्वारा बिक्री" रख दिये जांय,

(च) क्रम-संख्या 91 के सामने स्तम्भ 2 में प्रविष्टि के अन्त में शब्द "सम्मिलित नहीं है" निकाल दिये जायें।

(छ) क्रम संख्या 93 के सामने स्तम्भ 2 में प्रविष्टि निम्न प्रकार से पढ़ी जाए--
"सीलबन्द या टिन के डिब्बों में बेची जाने वाली मिठाइयां, कन्फेक्शनरी, फल, सब्जियां, मछली, गोश्त तथा उसके खाद्य पदार्थ जिसमें आचार, मुरब्बा, जेली, जैम, सिरप तथा स्क्वेशेज भी हैं"।

(ज) क्रम-संख्या 104 में शब्द "बल्ब" के स्थान पर शब्द "बाल्व" रख दिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि--

खन्ड १६ द्वारा बढ़ाई जाने वाली द्वितीय अनुसूची में :

(क) क्रम-संख्या 15 के सामने स्तम्भ 3 में दिय हुये दिनांक में "1958" के स्थान पर "1957" रख दिया जाय,

(ख) क्रम-संख्या 28 के सामने स्तम्भ 2 में दी हुई विज्ञप्ति संख्या में अंक "10" के स्थान पर अंक "10-902" रख दिये जांए,

(ग) क्रम-संख्या 31 के सामने स्तम्भ 2 में दी गई विज्ञप्ति संख्या में अंक "(52)" 1960" के स्थान पर अंक "(42)-60" रख दिये जायें,

(घ) क्रम-संख्या 32 के सामने स्तम्भ 2 में दी हुई विज्ञप्ति संख्या में अंक "(52)" के स्थान पर अंक "(42)" रख दिये जाय।

(ङ) क्रम-संख्या 40 के सामने स्तम्भ 3 में दिये हुये दिनांक में "अक्तूबर" के स्थान पर "दिसम्बर" पढ़ा जाय,

(च) क्रम-संख्या 73 में स्तम्भ 2 में दी हुई विज्ञप्ति संख्या में अंक "1964" के स्थान पर अंक "1965" रख दिये जायें,

(छ) क्रम-संख्या ७६ के स्तम्भ २ में दी हुई विज्ञप्ति संख्या में अंक "१७८८" के स्थान पर अंक "१७८२" रख दिये जायं,

(ज) क्रम-संख्या ९३ में स्तम्भ २ में दी हुई विज्ञप्ति संख्या में अंक "४५६५-क" के स्थान पर अंक "४५७५" रख दिये जायं,

(झ) क्रम-संख्या ९६ में स्तम्भ २ में दी हुई विज्ञप्ति संख्या में अंक "९८-ए" के स्थान पर अंक "७८-ए" रख दिये जायं,

(ञ) क्रम-संख्या ११० में स्तम्भ ३ में दिये हुये दिनांक में अंक "४" के स्थान पर अंक "२" रख दिये जायं,

(ट) क्रम-संख्या १२० के सामने स्तम्भ २ में विज्ञप्ति संख्या में अंक "५६७८" के स्थान पर "४६७८" रख दिये जायं,

(ठ) क्रम-संख्या १२५ के सामने स्तम्भ २ में विज्ञप्ति संख्या में अंक "(७१)" के स्थान पर अंक "(१)" रख दिया जाय,

(ड) क्रम-संख्या १२६ के सामने स्तम्भ २ में विज्ञप्ति संख्या में अंक "८६९१" के स्थान पर अंक "८४९१" रख दिये जायं, तथा

(ढ) क्रम-संख्या १३२ में स्तम्भ २ में विज्ञप्ति संख्या में अंक "६५" के स्थान पर अंक "६९" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड १६ द्वारा बढ़ाई जाने वाली प्रथम अनुसूची में:-

(ग) क्रम संख्या ६० के सामने स्तम्भ २ में प्रविष्टि निम्न प्रकार से पढ़ी जाय :--

"मोटर साइकिल और मोटर साइकिल कम्बीनेशन, मोटर स्कूटर और मोटरेट, तथा मोटर साइकिलों, मोटर स्कूटरों एवं मोटरेट्स के टायर, ट्यूब और अलग पुर्जे।,'

(घ) क्रम संख्या ६४ के सामने स्तम्भ २ में प्रविष्टि निम्न प्रकार से पढ़ी जाय--

(१) मनुष्य अथवा पशु शक्ति से घानियों पर निकाले गये खाने के तेल, तथा
(२) सुगन्धित केश तेल।

से भिन्न सभी प्रकार के तेल"

(ङ) क्रम संख्या ७१ में स्तम्भ ३ में शब्द "नि० अथवा आ०" के स्थान पर शब्द "निर्माता, संयोजक अथवा आयातकर्ता द्वारा बिक्री', रख दिये जायं,

(च) क्रम संख्या ९१ के सामने स्तम्भ २ में प्रविष्टि के अन्त में शब्द "सम्मिलित नहीं हैं" निकाल दिये जायं।

(छ) क्रम संख्या ९३ के सामने स्तम्भ २ में प्रविष्टि निम्न प्रकार से पढ़ी जाय --

"सीलबन्द या टिन के डिब्बों में बेची जाने वाली मिठाइयां, कन्फेक्शनरी, फल, सब्जियां, मछली, गोश्त तथा उनके खाद्य पदार्थ जिसमें आचार, मुरब्बा, जेली, जैम, सिरप तथा एक्वेशेज भी हैं"।

(ज) क्रम संख्या १०४ में शब्द "बल्ब" के स्थान पर शब्द "वाल्ब" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड १६ द्वारा बढ़ाई जाने वाली द्वितीय अनुसूची में :--

(क) क्रम संख्या १५ के सामने स्तम्भ ३ में दिये हुए दिनांक में "१९५८" के स्थान पर "१९५७" रख दिये जायं।

[श्री उपाध्यक्ष]

(ख) क्रम संख्या २८ के सामने स्तम्भ २ में दी हुई विज्ञप्ति संख्या में अंक "१०" के स्थान पर अंक "१०—९०२" रख दिये जायं।

(ग) क्रम संख्या ३१ के सामने स्तम्भ २ में दी गई विज्ञप्ति संख्या में अंक "(५२)—१९६०" के स्थान पर अंक "(४२)—६०" रख दिये जायें,

(घ) क्रम संख्या ३२ के सामने स्तम्भ २ में दी हुई विज्ञप्ति संख्या में अंक "५२)" के स्थान पर अंक "(४२)" रख दिये जायं,

(ङ) क्रम संख्या ४० के सामने स्तम्भ ३ में दिये हुए दिनांक में "अक्तूबर", के स्थान पर "दिसम्बर" पढ़ा जाय,

(च) क्रम संख्या ७३ में स्तम्भ २ में दी हुई विज्ञप्ति संख्या में अंक "१९६४" के स्थान पर अंक "१९६५" रख दिये जायं,

(छ) क्रम संख्या ७६ के स्तम्भ २ में दी हुई विज्ञप्ति संख्या में अंक "१७८८" के स्था पर अंक "१७८२" रख दिये जायं,

(ज) क्रम संख्या ९३ में स्तम्भ २ में दी हुई विज्ञप्ति संख्या में अंक "४५६५-क" के स्थान पर अंक "४५७५" रख दिये जायं,

(झ) क्रम संख्या ९६ में स्तम्भ २ में दी हुई विज्ञप्ति संख्या में अंक "९८-ए" के स्थान पर अंक ,'७८-ए" रख दिये जायं,

(ञ) क्रम संख्या ११० में स्तम्भ ३ में दिये हुए दिनांक में अंक "४" के स्थान पर अंक "२" रख दिये जायं,

(ट) क्रम संख्या १२० के सामने स्तम्भ २ में विज्ञप्ति संख्या में अंक "५६७८" के स्थान पर "४६७८" रख दिये जायं,

(ठ) क्रम संख्या १२५ के सामने स्तम्भ २ में विज्ञप्ति संख्या में अंक "(७१)" के स्थान पर अंक "(१)" रख दिया जाय,

(ड) क्रम संख्या १२६ के सामने स्तम्भ २ में विज्ञप्ति संख्या में अंक "८६९१" के स्थान पर अंक "८४९१" रख दिये जायं, तथा

(ढ) क्रम संख्या १३२ में स्तम्भ २ में विज्ञप्ति संख्या में अंक "६५" के स्थान पर अंक "६९" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १७, १८, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

समझे जाने तथा वैधीकरण के लिये संक्रमणकालीन उपबन्ध

१७—(१) किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, धारा ८-क की उपधारा (४) या उपधारा (५) के अधीन, जैसी कि वह इस अधिनियम द्वारा निकाल दिये जाने के पूर्व थी किसी व्यापारी द्वारा किया गया प्रत्येक भुगतान अथवा जमा की गयी प्रत्येक धनराशि, इस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित धारा २९-क की उपधारा (१) के अधीन जमा धनराशि समझी जायगी मानों पश्चात्वर्ती धारा ऐसा भुगतान अथवा धनराशि जमा किये जाने के समय प्रवृत्त थी, और तदनुसार उक्त धारा के उपबन्धों द्वारा इस परिष्कार के साथ नियंत्रित होगा कि उसकी उपधारा (३) के

प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "कर-निर्धारण आदेश के दिनांक से तीन वर्ष अथवा उसक संबंध में अपील, पुनरीक्षण या समाधान में, यदि कोई हो, अंतिम आदेश दिये जाने के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, जो भी पश्चातवर्ती हो" के स्थान पर शब्द "कर-निर्धारण आदेश के दिनांक से तीन वर्ष अथवा उसके सम्बन्ध में अपील, पुनरीक्षण या समाधान में, यदि कोई हो, अंतिम आदेश दिये जाने के दिनांक से एक वर्ष अथवा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७१ के प्रारम्भ से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, जो भी पश्चात्वर्ती हो," रखे गये समझे जायेंगे, और तदनुसार,--

(क) इस उपधारा में अभिदिष्ट किसी धनराशि की वापसी के लिये किसी न्यायालय में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई वाद या अन्य कार्यवाही न तो ग्रहण की जायगी और न जारी रखी जायगी; और

(ख) कोई न्यायालय किसी ऐसी डिक्री या आदेश की, जिसमें किसी ऐसी धनराशि की वापसी का निदेश हो, प्रवर्तित न करेगा ।

(२) किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में, किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, किसी अधिकारी द्वारा किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, जिसे धारा १३ के उपबन्धों के अधीन, जैसी कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधन के पूर्व थी, करना तात्पर्यित थी, इस अधिनियम द्वारा तथा संशोधित उक्त धारा के उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानों संशोधित धारा ऐसे सभी सारवान समय पर, जब ऐसा कार्य किया गया अथवा ऐसी कार्यवाही की गयी, प्रवृत्त थी ।

१८--उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७१ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १४, १९७१ का निरसन

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण विधेयक, १९७१

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० का अग्रेतर संशोधन करने और कतिपय कृत्यों तथा कार्यवाहियों का वैधीकरण करने और तत्सबधी आनुषंगिक या सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या, १५, १९४८ ई०

विधेयक

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७१ कहलायेगा । संक्षिप्त नाम

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १७, १८, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी--

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१ जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

एक मिनट का समय दीजिये । मैं इसका विरोध कर दूं । मुझे पहला सब से बड़ा एतराज यह है कि यदि और मंत्रियों के संशोधन होते तो मेरे दिमाग में आया होता कि ठीक बात है

[बंशीधर पांडेय]

लेकिन पार्लियामेंटरी अफेयर्स के मिनिस्टर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनको भी इतने लम्बे संशोधन पेश करवाने पड़े, इससे मालूम होता है कि उन्होंने ध्यान से बिक्री-कर विधेयक को पढ़ा नहीं था और आपको भी पढ़ने में इतना समय लगा जितना मुझे बोलने को नहीं मिलेगा । मैं फिर कहूंगा कि ईंट वाला निकाल दीजिये । जब ईद ले आवेंगे खाने के सामान में तो फिर खाने की परिभाषा क्या होगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं कहना चाहता हूं कि सदन को और असुविधा हुई उसका कारण था कि प्रूफ जब बिल का बनकर आया प्रेस से और पढ़ा गया तो उसमें अनेकों गलतियां निकलीं । ९५ फीसदी गलतियां तो आपने स्वयं देखा कि अंकों की गलतियां हैं । तो जब यह बिल सामने आया तो ठीक किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१ जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७१*

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ पर विचार किया जाय ।

इसमें कुछ ज्यादा कहना नहीं है। एक सवाल यह है कि ४ महीने की बात है, प्रवर समिति से बिल आ जायगा तो पास कर लेंगे । इसलिए समय बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी । अब इस पर विचार किया जाय ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमान्, इनसे आश्वासन जरूर ले लीजिये कि दोबारा टाइम नहीं बढ़ायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७१

यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ को अग्रेतर एक वर्ष की अवधि के दौरान जारी रखने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (जारी रखने का) अधिनियम, १९७१ कहलायेगा ।	संक्षिप्त नाम
२—यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (४) ग में संख्या "१९७१" के स्थान पर संख्या "१९७२" रख दी जाय ।	यू०पी० ऐक्ट संख्या ३, १९४७ की धारा १ का संशोधन

*१३ जुलाई, १९७१ की कार्यवाही में छपा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनीसिंह—

मैं आपकी आज्ञा से मान्यवर, प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, ११७१ पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफरट ऐंड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

चीनी उपक्रम (अर्जन) विधेयक, १९७१ को १६ अगस्त को अनुदानों के पूर्व लेने का आग्रह

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैंने अभी चीनी उपक्रम (अर्जन) विधेयक के संबंध में माननीय उपनेता विरोधी दल से परामर्श किया था इसके समय के बारे में क्योंकि यह केन्द्र में भी जायगा अनुशंसा के लिए, ३ दिन लगते हैं, इसलिये मेरा आग्रह है कि १६ तारीख को अनुदानों के पहले इसे ले लिया जाय प्रश्नोत्तर के बाद और उसके बाद अनुदान लिये जायं ताकि परिषद् में भी उसी दिन पास हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा ही किया जायगा । ठीक है ।

कार्यसूची की नत्थी में सदस्य का नाम गलत छपने की शिकायत

श्री शिवप्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान कार्यसूची के पृष्ठ १० पर संशोधनों में छो नामों की ओर दिलाना चाहता हूं । नम्बर १० और ११ पर जो "शिवदुलारे पांडेय हैं" . . . . (व्यवधान)

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, कार्यक्रम के नत्थी (च) में मेरा नाम शिवदुलारे गलत छप गया है । शिवकुमार पांडेय होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब वह खत्म हो गया । आपको पहले कहना चाहिये था अब वह पास हो गया है । हम आगे चले गये हैं । आप सो रहे थे क्या ?

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको नियम ५६ के अन्तर्गत सूचना देता हूं ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

एक-एक करके चलिये । एक बाढ़ के बारे में माननीय दीपनारायण मणि जी का है और दूसरा माननीय नित्यानन्द स्वामी जी का है जो एक संभावित घटना के बारे में है । ये अस्वीकृत हुये हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

श्रीमन्, यह राज्य कर्मचारियों के बारे में है । जब उनकी हड़ताल हो जायेगी तब स्वीकार करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

घटना सम्भावित है । आपने स्वयं लिखा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं कि सारे प्रदेश के राज्य कर्मचारी १६ तारीख से हड़ताल करेंगे ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

नियम ५१ के अन्तर्गत ९ सूचनायें हैं । एक माननीय रियासत हुसैन जी की और माननीय नित्यानन्द स्वामी की है कि तीन हजार आयुर्वेदिक छात्रों को कालेज से निकाल दिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के विभिन्न आयुर्वेदिक कालेजों में असंतोष के संबंध में है । इनको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है ।

एक माननीय सजीवनलाल जी की है कि उन्नाव से कोथा जाने वाली रोडवेज बस में गुंडों द्वारा हत्यायें । इसे भी केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है । शेष अस्वीकार हुई हैं । (व्यवधान)

श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मैंने नगर महापालिका इलाहाबाद के मेयर के चुनाव के संबंध में दिया है । उसमें ६ अगस्त को नियम विरुद्ध कार्य किये गये हैं । वहां कांग्रेस पार्टी की हार हो रही थी । वहां फूट हो गई थी ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप अल्प सूचित प्रश्न कर लें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

जब सारा प्रदेश डूब जायेगा तो आप स्वीकार करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---

बाढ़ के बारे में तो साप्ताहिक वक्तव्य होता है । हर सप्ताह आपने निश्चय किया है कि माननीय राजस्व मंत्री जी बयान देंगे । इस पर अलग थोड़े ही हो जायेगा ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

श्रीमन्, बहुत से आदमी तथा पशु मर रहे हैं (व्यवधान)

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

गलाघोटू रोग फैला हुआ है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप अल्प सूचित तारांकित प्रश्न कर दीजिये । यह ऐसी घटना नहीं है कि इसको नियम ५१/५२ तथा ५६ में स्वीकार किया जाय ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, नियम ५६ में मेरा एक था कि देवरिया जिले में सरजू की बाढ़ से देवरिया जिले के १०-१२ ग्राम प्रभावित हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप वाला बाढ़ के वक्तव्य में शामिल कर दिया जायेगा ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, एक कठिनाई पड़ गई है। इस आदरणीय सदन में रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने बाढ़ की प्रांट पेश की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि स्टेट लेबिल पर वह एक कमेटी बनायेंगे जिसमें बाढ़ के संबंध में पूरी सूचना दी जायेगी। लेकिन बाढ़ आई हुई है और चल रही है लेकिन माननीय शर्मा जी, राजस्व मंत्री जी, ने अभी तक उस कमेटी को नहीं बनाया है। नतीजा यह होता है कि रोज नुकसान होता है। सदन में आश्वासन दिया जा चुका है। आप सदन की कमेटी बना दें जिससे हमें अपनी बात कहने का अवसर मिल सके।

*राजस्व मंत्री (श्री उदितनारायण शर्मा)--

श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं मालूम नहीं माननीय कृष्णानन्द रायजी न कैसे यह आलोचना कर डाली। कल ही वे मुझे मिले थे और मैंने उनसे कहा था कि आप अपनी पार्टी के नाम मुझे दे दीजिये, मैं कमेटी बना रहा हूं। उन्होंने माननीय कल्पनाथ सिंह जी के सामने कहा था कि वे अपने नेता चौधरी गिरधारी लाल से पूछ कर नाम भेज देंगे।

श्री कृष्णानन्द राय--

मुझको याद तो नहीं पड़ता है लेकिन अगर शर्मा जी कह रहे हैं तो मैं नाम उनके पास भेज दूंगा।

शेख मुजीबुर्रहमान की जीवन रक्षा के सम्बन्ध में प्रस्ताव

*राजस्व मंत्री (श्री उदितनारायण शर्मा)--

श्रीमन्, जब बंगला देश की चर्चा यहां चली थी तो यह निर्णय हुआ था कि ५ बजे के लगभग यह सदन थोड़ी देर के लिये उठ जायगा और पार्टी के लीडर्स मिल कर एक प्रस्ताव तैयार कर लेंगे। इसलिये २० मिनट के लिये यह सदन उठ जाय तो ठीक होगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

आप प्रस्ताव पेश कर दीजिये। उस पर यहां विचार कर लिया जायगा।

श्री उदितनारायण शर्मा--

उपाध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से आज मैं यहां एक ऐसे विषय पर प्रस्ताव उपस्थित करने के लिये खड़ा हुआ हूं जिससे न केवल हमारे प्रदेश, न केवल हमारे देश वरन् संसार का जनमानस उद्वेलित हो रहा है और जिन लोगों में मानवता की कहीं भी थोड़ी सी क्षीण रेखा बाकी रही है, उनमें से हर एक चिन्तित है और प्रयत्नशील है इस बात के लिये कि कोई न कोई ऐसा यत्न किया जाय जिससे पूर्वी बंगाल में हो रहे नर संहार को रोका जा सके और उससे भी अधिक चिन्तित इस बात के लिये हैं कि शेख मुजीबुर्रहमान के जीवन की रक्षा के लिये कोई रास्ता निकाला जाय। इस देश को ही नहीं सारे संसार को शेख मुजीबुर्रहमान के जीवन के बारे में बड़ी भारी चिन्ता हो रही है। श्रीमन्, शेख साहब के बारे में जो प्रस्ताव मैं पेश करना चाहता हूं वह इस प्रकार से है--

"पाकिस्तान में वर्षों से चलने वाली बरबर तानाशाही और द्वेषपूर्ण घृणित साम्प्रदायिकता के बीच शेख मुजीबुर्रहमान ने जिस प्रकार निर्भीकता और लगन के साथ जनतन्त्र और असाम्प्रदायिकता के मूल्यों की सेवा में जनमत जाग्रत कर गत चुनाव में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की वह मानव इतिहास में सदा एक गौरवपूर्ण अध्याय रहेगा। चुनाव में सफलता प्राप्त करने के पश्चात् श्री यहिया खां की पाशविक और तानाशाही शक्ति और प्रवृत्ति का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उदितनारायण शर्मा]

दृढ़ता से विरोध कर उन्होंने मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिये मानवोचित वीरता का नया कीर्तिस्तम्भ स्थापित किया जो इतिहास में सदा अमर रहेगा। उत्तर प्रदेश की विधान सभा का यह सदन उनके इन कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हुआ उनका अभिनन्दन करता है। यह सदन यहिया खां द्वारा बंगला देश के जनमानस से उनकी न्यायोचित मांगों और अधिकारों से वंचित करने के लिए किये गये अमानुषिक व्यवहार और नरसंहार की भर्त्सना करता है। यह सदन यहिया खां द्वारा रचित अन्तरिम गणतन्त्र जिसकी आड़ में वह वीर मुजीबुर्रहमान के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही कर उनकी वीर आत्मा को खतरे में डालना चाहते हैं, उसके प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहना चाहता है कि यदि श्री यहिया खां ने श्री मुजीबुर्रहमान के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसके गम्भीर परिणाम होंगे और संसार की न्यायप्रिय आत्माएं कभी उन्हें क्षमा नहीं करेंगी।"

श्रीमन्, मुझे इस प्रस्ताव के ऊपर अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है ....।

श्रीमन्, यह प्रस्ताव ऐसा है कि जिसको हमारे देश का एक-एक बच्चा ताईद करता है और मैं समझता हूं कि सदन में बैठे हमारे सभी माननीय सदस्य मुक्त कण्ठ से इसका समर्थन करेंगे। शेख मुजीबुर्रहमान अपने युग के एक अनोखे व्यक्ति इतिहास में सदैव रहेंगे। जब कोई सोच भी नहीं सकता था उस समय में उन्होंने पाकिस्तान के अन्दर वह जागृति पैदा की जनतन्त्र की रक्षा के लिए वह अलख जगाया जैसा शायद आजतक मानव के इतिहास में गांधी जी को छोड़ कर और कोई दूसरा करने में कामयाब नहीं हुआ। जहां सुबह से शाम तक पाकिस्तान में यहिया खां और उनके साथियों द्वारा घृणा, द्वेष और अमानुषिकता का व्यवहार हुआ करता था, जहां उनकी तानाशाही के सामने लोगों को घर के भीतर बैठ कर भी बात करने की हिम्मत नहीं पड़ा करती थी उस परिस्थिति में उनका यह साहस कि घर में, और घर-घर में ही नहीं बल्कि नर-नर में यह अलख जगाया, मानवता के मूल्यों की रक्षा की, जनतन्त्र की रक्षा की यह एक महान सराहनीय कार्य है जिसका उदाहरण इतिहास में दूसरा मिल नहीं सकता। उन्होंने ऐसे उदाहरण उपस्थित किये हैं जिससे सदैव इतिहास के पन्नों में शेख मुजीबुर्रहमान का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा। दूसरी तरफ यहिया खां का नाम इतिहास में लिखने के लिए लोगों को काले पन्ने और काले कक्षर ढूंढे नहीं मिलेंगे। उसने जिस तरह का नर संहार पूर्वी बंगाल में किया और जिस तरह से मुजीबुर्रहमान को फंसाया उसकी मिसाल आज तक मानव इतिहास में नहीं है। यह सही है कि बहुत बड़ी दुर्घटनायें हो रही हैं, मानव के लिए भी बहुत बड़ी दुर्घटनायें हो रही हैं, किन्तु यह भी सही है कि इस किस्म की जितनी दुर्घटनायें होती हैं उनमें कुछ मूल्य भी छिपे होते हैं।

आज के युग में जो देश अपने को सभ्यता का बड़ा हामी कहते हैं, जो अपने को बड़ा मजबूत और बलवान कहते हैं, जो सुबह से शाम तक न्याय की बात कहते हैं, अमरीका सरीखे देश, उनका पर्दा फाश हुआ और इस माने में फाश हुआ कि ऐसे समय में भी जहां मनुष्यों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां नन्हें बच्चों को मारा जा रहा है, जहां औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, जहां सुबह से शाम तक लोगों को गोलियों का शिकार बनाया जा रहा है, ऐसा करने वाली उन पाशविक शक्तियों की, यहिया खां की उन्होंने हथियारों से मदद की जिन हथियारों के जरिये से निहत्थे और निरीह आदमी मारे जा रहे हैं। एक तरफ तो यह हुआ और दूसरी तरफ इससे यह भी सिद्ध हो गया है कि जो लोग साम्प्रदायिकता की संकुचित विचारधारा का सहारा लेकर शक्ति बढ़ाने की कोशिश करते है, लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं उनको एक ऐसा सबक मिला जो शायद इतिहास में ढूंढे नहीं मिलेगा। ये कहते थे कि धर्म के नाम पर हमारा राज्य बना हुआ है और ये मुसलमानों का अपने को हामी कहते थे, लेकिन दुनियां के इतिहास में किसी व्यक्ति ने इतने मुसलमानों को मौत के घाट नहीं उतारा होगा जितने मुसलमानों को यहिया खां ने मारा है जो धर्म के नाम पर राज्य कर रहे हैं।

यह इस बात का सबसे बड़ा सबक है कि जो साम्प्रदायिकता के नाम पर इस प्रकार के काम करते हैं वह वास्तव में अपने धर्म और अपनी कौम की, अपने मजहब की सहायता नहीं करते हैं। न वह अपने ही दोस्त हुआ करते हैं। सच तो यह है कि वह मजहब के सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते हैं। वे इस प्रकार का काम करके धर्म और मजहब को कलंकित करते हैं। यह सबक है जो हमारी इन दुखद घटनाओं के बीच से इतिहास को मिलेगा। हम सब लोग आज चाहते हैं कि सबसे भयंकर कुचक्र जो याहिया खां का है वह किसी प्रकार से कामयाब न हो। जो कुचक्र है वह हम सबको दिखाई देता है। कोर्ट मार्शल के नाम पर मुजीब साहब को वह अदालत में पेश करना चाहते हैं। कोर्ट मार्शल में क्या हुआ करता है इसको हम सब जानते हैं। आज के युग में महात्मा गांधी के बाद यदि मैं यह कहूं कि आज के युग की सबसे पवित्र निर्भीक आत्मा को वह इस षडयंत्र में रखकर उसकी हत्या करना चाहते हैं तो इसमें कोई सन्देह नहीं है। मानवता इसको माफ नहीं करेगी और मानवता का इतिहास इसको माफ कदापि नहीं करेगा। यह उत्तर प्रदेश की विधान सभा भी इसको माफ नहीं करेगी और सारा हिन्दुस्तान भी इसको माफ नहीं करेगा। यहिया खां को यह देखना पड़ेगा कि जो वह खून बहा रहा है वह एक-एक बूंद १०, १० नहीं बल्कि १००, १०० बूंद बनकर निकलेगी और यहियां खां का हनन करेगी। यहां के रहने वाले और दुनियां के रहने वाले सब उस नाम को कभी नहीं भूलेंगे जो इस प्रकार से अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं। हम सब एक स्वर से आज यहिया खां को इस बात की चेतावनी देना चाहते हैं कि समय के रहते हुए पुनः उनको चेत जाना चाहिये और मानव मूल्यों के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ नहीं करना चाहिये और वह अपने इस काम में कामयाब नहीं होंगे। यदि उन्होंने इस प्रकार की कोई धृष्टता की तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे। मैं इस सदन की बात नहीं कहता हूं बल्कि सारे समाज, सारे देश, सारी मानवता और सारे विश्व की बात कहता हूं कि वह कभी इसको माफ नहीं करेगा।

*श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय शर्मा जी ने जो प्रस्ताव मुजीबुर्रहमान साहब के संबंध में उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इतना अवश्य है कि मैं आशा करता था कि माननीय शर्मा जी उस प्रस्ताव का कोई आपरेटिव पार्ट भी बतायेंगे कि इस प्रस्ताव के माध्यम से वह करना क्या चाहते हैं और हमारी उत्तर प्रदेश की विधान सभा क्या संकल्प करना चाहती है भारतीय सरकार से या विश्व के न्यायालयों से या संयुक्त राष्ट्र संघ से या किसी से भी कि वह पाकिस्तान की तानाशाह सरकार जो कार्य करने जा रही है उस पर यदि वह चलती रहेगी तो जो भयंकर परिणाम होंगे उनके लिये कौन से कदम हमारी उत्तर प्रदेश की विधान सभा उठाने के लिये भारत सरकार के सामने रखेगी और इस संबंध में कौन से कदम उपयुक्त होंगे। शेख मुजीब साहब जो बंगला देश में लड़ाई लड़ रहे हैं वह बंगल पावर में आने के लिये या सत्ता प्राप्त करने के लिये नहीं लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई इस बीसवीं सदी में डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी लड़ाई है। फिर वहां बंगला देश में आज जो भी प्रश्न है उसमें मूल प्रश्न क्या इन्वाल्व है यह देखने की बात है। क्या यह सही नहीं है कि पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने स्वयं ही इस बात की घोषणा की थी कि पूर्वी बंगाल में और सारे पाकिस्तान में चुनाव कराये जायेंगे और उस चुनाव द्वारा वहां पर कांस्टीट्यूएंट असेम्बली बनेगी जिसमें जिसका बहुमत होगा उसके हाथ में सैनिक शासक वहां के शासन को सौंप देंगे?

यहिया खां की घोषणा के बाद पाकिस्तान में चार माह पहले जो चुनाव हुये उनमें शेख मुजीबुर्रहमान साहब केवल बंगला देश में या पूर्वी बंगाल में ही नहीं जीते, वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

वहां की असेम्बली के लिये ही नहीं चुने गये बल्कि सारे पाकिस्तान की राष्ट्रीय कांस्टीटुयेंट असेम्बली में भी उनको बहुमत प्राप्त हुआ और डेमोक्रेसी की हर मान्यता के अनुसार उन्हें संसार के कांस्टीट्यूशनल इतिहास में और किसी भी मान्यता के अनुसार शेख साहब पाकिस्तान के वास्तविक शासक अपनी जीत के बाद सिद्ध हुये और उनकी इस विजय को यहिया खां ने खुद स्वीकार भी किया और पाकिस्तान के समाचार पत्रों ने भी उनकी जीत को स्वीकार किया और छापा और कहा कि पाकिस्तान के वास्तविक प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर्रहमान साहब ही हैं । लेकिन चुनाव के बाद ही वहां एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना एकाएक घटी कि चुनाव के अन्दर साबित हुये पाकिस्तान के वास्तविक होने वाले शासक को सत्ता हस्तांतरित न करके वहां उनके खिलाफ और उनकी जो अनुयायी जनता थी और उनके दल के जितने लोग थे उनके सबके खिलाफ एक जिहाद बोल दिया गया और एक बर्बर हत्याकांड आरम्भ कर दिया गया और वह भी अभी जारी है । सबसे ज्यादा एक अजीब सी घटना यह हुई और एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह हुई कि पाकिस्तान का जो वास्तविक शासक है उसके खिलाफ मिलिटरी कोर्ट में एक मुकदमा ट्रिजन का चलाया जा रहा है । मुझे दुख है और ताज्जुब है कि आजकी दुनिया का जो कांस्टीट्यूशनल कानशसनेस है और जो जस्टिस और जुरिसप्रुडेंस के बारे में मारल कानशसनेस है वह मालूम होता है कि वह इस बीसवीं सदी के इतिहास में लुप्त हो गया है ।

आज से २५ साल पहले सन् ४०–४२ में इसी संसार में द्वितीय महायुद्ध यहां की बड़ी पावर्स ने लड़ा और इगलैन्ड और अमरीका ने उस समय घोषणा की थी कि यह द्वितीय महायुद्ध केवल डेमोक्रेसी की रक्षा के लिये लड़ा जा रहा है और कहा गया कि यह युद्ध इटली और जर्मनी के फासिस्ट शासक हिटलर और मुसोलिनी और जापान के फासिस्ट रवैये के खिलाफ लड़ा जा रहा है । उस समय इंगलैन्ड, अमरीका और बहुत से राष्ट्रों ने कहा कि हम डेमोक्रेसी की रक्षा के लिये युद्ध लड़ रहे हैं और इस डेमोक्रेसी की रक्षा के नाम पर हजारों और लाखों आदमी उस युद्ध में मारे गये और बड़े-बड़े राष्ट्र तबाह हो गये और उस युद्ध के अन्त में वह कुकर्म भी हुआ जिसमें नागासाकी और हिरोशिमा में एटम बम के विस्फोट से लाखों आदमी एक साथ मौत के घाट उतर गये.। जो अमरीका और इगलैन्ड तथा अन्य डेमोक्रेटिक राष्ट्र जो बराबर डेमोक्रेसी की रोज दुहाई देते हैं और जिन्होंने डेमोक्रेसी के नाम पर सारे संसार को युद्ध में इनवाल्व किया, जो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं वह इस नरसंहार को देखते रहे और मौन बैठे रहे और आज तक मौन हैं, जबकि इसी संसार के एक देश में डेमोक्रेसी की नग्न हत्या की जा रही है । डेमोक्रेसी के जितने माने हुए सिद्धांत हैं उनको अमान्य करके एक बर्बर कार्यवाही की जा रही है उस पाकिस्तान के एक मामूली जनरल यहिया के द्वारा। क्यों यह विश्व जनमत मौन है ? यू० एन० ओ० में बहुत से इन्टरनेशनल लाज के मुताबिक कुछ परम्परायें स्थापित हैं और बहुत से इटरनेशनल कोर्ट्स बैठ चुके हैं । अगर पाकिस्तान अपनी अमानुषिक और अनडेमोक्रेटिक नीति से नहीं हटा तो इन कोर्ट्स को संसार की डेमोक्रेसी की रक्षा के लिये स्वतः बैठ जाना चाहिये था और न्याय की स्थापना के लिये आवाज उठानी चाहिये थी । हमारी केंद्रीय सरकार को भी कोशिश करनी चाहिये थी कि इस विषय को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट बैठे और इस बर्बरता पर रेस्ट्रेन्ट करायें क्योंकि पाकिस्तान की मिलिटरी कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि इस प्रकार बहुमत से जनता के चुने हुए प्रिय लीडर शेख मुजीबुर्रहमान के खिलाफ कोई मुकदमा चलाये । आज जो हार्ड फैक्ट है, जो वास्तविकता है वह यह है कि शेख साहब केवल बंगला देश के ही शासक नहीं हैं बल्कि डेमोक्रेसी के सारे सिद्धांतों के अनुसार वही पाकिस्तान के वास्तविक शासक हैं और उनके खिलाफ यह जो छोटे से मिलिटरी कोर्ट में एक नाटक किया जा रहा है और उस मुकदमें के नाटक के माध्यम से श्री शेख मुजीबुर्रहमान के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जनतंत्र के विरुद्ध है ।

अमेरिका और इंगलैन्ड तो भले ही न मानें लेकिन हिन्दुस्तान में रहने वालों के लिये आज जो बंगला देश में हो रहा है और श्री मुजीबुर्रहमान के साथ हो रहा है यह कहना बहुत आवश्यक हो गया है कि शेख की रक्षा की जाय और बंगला देश की जो मान्यतायें हैं, उनकी रक्षा की जाय । गवर्नमेंट आफ इंडिया की क्या पोजीशन हो गयी है आपकी पार्लियामेंट ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है कि शेख ने आजादी की लड़ाई लड़ी है । आपकी नेशनल पार्लियामेंट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है कि बंगला देश की मान्यताओं की रक्षा की जाय । देश की सारी पोलिटिकल पार्टीज ने यह प्रस्ताव पास कर लिया है और सरकार और पार्लियामेंट ने भी इस प्रस्ताव को मान लिया है, भले ही लीगल मान्यता बंगला देश को न दी हो, लेकिन यह बिल्कुल फैक्ट है कि जहां तक मौरल और राजनीतिक मान्यताओं का प्रश्न है यह देश बंगला देश को मान्यता दे चुका है । यह देश बंगला देश को राज्य मान चुका है तो ऐसी दशा में भारत सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं है कि वह जल्द से जल्द कोई कदम न उठावें जिससे जिस व्यक्ति को बंगला देश का शासक माना या लीडर माना है, उसके लिये जल्द से जल्द कोई प्रयास करे नहीं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया श्री मुजीबुर्रहमान को बचा न सकेगी । यदि आपके देश की सरकार बंगला देश की सरकार को मान्यता दे न सकी तो इस अन्तर्राष्ट्रीय जगत में आपकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रह जायगी । इसलिये अब केवल शेख मुजीबुर्रहमान की जिन्दगी का सवाल नहीं रह गया है बल्कि सारे राष्ट्र के अस्तित्व का प्रश्न बन गया है । मैं नहीं चाहता हूं कि हम इस प्रदेश में कोई इस प्रकार से कार्य करें जिससे कोई मतभेद मालूम हो । इसलिये जो प्रस्ताव सरकार की ओर से सदन में पेश किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं इस विश्वास के साथ कि शर्मा जी सदन के विचारों को दृष्टि में रखकर केंद्रीय सरकार और जो अथोरिटीज हैं, उनके ऊपर दबाव डालकर उनसे कहेंगे कि वे शीघ्रातिशीघ्र कोई कदम उठावें, जिससे शेख मुजीबुर्रहमान के प्राणों की रक्षा हो सके ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शर्मा जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं । श्री मुजीबुर्रहमान का व्यक्तित्व कितना ऊंचा है, यह किसी से छिपा नहीं है । पूर्वी बंगाल में जिस तरह से सेवा की अलख जगाकर वहां के जन मानस को प्रभावित कर जितनी सफलता चुनाव में उन्होंने प्राप्त की उससे सारा संसार आश्चर्यचकित हो गया है । इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी दल को इतनी महान सफलता चुनाव में मिली हो । पूर्वी बंगाल में जो मुजीबुर्रहमान का दल है, उसकी अपनी सरकार होनी चाहिये । उनके इतने बड़े बहुमत के आधार पर कौन्स-टीटुएंट एसेम्बली में भी उनका बहुमत होना चाहिये और वहां की कौंस्टीटुएंट असेम्बली में ऐसा संविधान बनना चाहिये जो मुजीब की मरजी के मुताबिक हो, उनके दल की इच्छाओं के मुताबिक हो, और उन सिद्धांतों के आधार पर हो जिनके आधार पर उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया । वह न होकर आज जिस तरह से डेमोक्रेसी पर हमला हुआ है, जिस तरह से मुजीबुर्रहमान और उनके दल के साथ बर्बर और अमानुषिक व्यवहार किया गया है उसकी मिसाल इतिहास में न हीं मिल सकती है । श्रीमन्, ईस्ट बंगाल केवल एक सूबा है लेकिन उसकी आबादी साढ़े सात करोड़ है और बाकी पाकिस्तान की आबादी साढे पांच करोड़ है । इस कारण मुजीबुर्रहमान केवल पूर्वी बंगाल के ही नेता नहीं हुए बल्कि वह सारे पाकिस्तान के नेता माने जाने चाहिये थे और उनकी मरजी के मुताबिक वहां का प्रबन्ध चलना चाहिये था । यह नहीं किया गया और यहिया खां ने उनके साथ जो व्यवहार किया और पूर्वी बंगाल पर जिस तरह आक्रमण करके नरसंहार किया उसकी संसार में कोई मिसाल नहीं मिलती । इसके बावजूद भी संसार की समस्त शक्तियां चुप रहीं और ऐसी शक्तियां चुप रहीं जो गरीबों की हमदर्दी का बहुत बड़ा दावा करती हैं, जो प्रजातंत्र का बड़ा समर्थक अपने को कहती हैं और यू०एन०ओ० भी चुप रहा । और हम तो यह कहेंगे कि

[श्री जयराम वर्मा]

हिन्दुस्तान ने भी जो कदम उठाया वह भी कोई मजबूत कदम नहीं था,जिसका प्रभाव पाकिस्तान और दुनिया की शक्तियों पर शायद यही पड़ा कि हिन्दुस्तान के सामने भी कुछ कमजोरी है उसी का परिणाम यह है कि आज मुजीबुर्रहमान के साथ याहिया खां इस तरह का व्यवहार करने जा रहे हैं और एक मिलिटरी कोर्ट का नाटक रचाकर उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह उसी का परिणाम है जो संसार की शक्तियों और हिन्दुस्तान ने व्यवहार किया है।

मैं समझता हूं कि अगर मुजीबुर्रहमान के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ तो हम नहीं कह सकेंगे कि हम प्रजातंत्र के मानने वाले हैं। जो प्रजातंत्र के मानने वाले हैं वह संसार में मुंह नहीं दिखा सकेंगे यदि इस तरह से प्रजातंत्र की हत्या हुई। इस तरह से बहुमत पानेवाले आदमी के साथ ऐसा व्यवहार हो और सब देश चुप रह जायं तो दुनिया में प्रजातंत्र जिन्दा नहीं रह सकता है। अगर पहले से संसार की शक्तियों ने कोई आवाज उठायी होती तो यही नहीं कि नरसंहार बन्द हो गया होता बल्कि याहिया खां पोलिटीकल सोलूशन करने के लिये भी बाध्य हो गये होते। लेकिन चूंकि संसार की शक्तियां चुप रहीं इसीलिये नरसंहार जारी रहा और हिन्दुस्तान के ऊपर भी एक मुसीबत आयी। ७० लाख से ज्यादा आदमी हमारे देश में चले आये। उनकी व्यवस्था करना आज मुश्किल हो रहा है। देश की जो जनसंख्या है उसी का प्रबन्ध करना मुश्किल है और इतनी बड़ी आबादी उस देश से हमारे देश में चली आयी। अब कौन कह सकता है कि उस देश का यह इंटरनल मामला है? अब तो मानना चाहिये कि हिन्दुस्तान पर एक तरह से हमला हुआ है। ऐसे मामले में यदि दुनिया की शक्तियां चुप रहीं कि इंटरनल मामला है, हमसे कोई मतलब नहीं, तो फिर दुनिया में डेमोक्रेसी कैसे जिन्दा रहेगी? हमको कोई न कोई कदम जरूर उठाना है। इस प्रस्ताव के जरिये एक चेतावनी है कि उनको मुजीबुर्रहमान की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिये। अगर याहिया खां अपने गलत काम से पीछे न हटें तो हमारी यह चेतावनी ही नहीं रहनी चाहिये। जब उनको यह मालूम होगा कि यह चेतावनी महज चेतावनी ही नहीं है बल्कि वह दूसरे रूप में बदल जायेगी और उसका जवाब उनको देना पड़ेगा और हिन्दुस्तान या दुनिया की दूसरी शक्तियां खामोश नहीं रहेंगी तो मैं समझता हूं कि याहिया खां इस तरह से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकेंगे। और मैं तो समझता हूं कि अगर आज इस तरह की आवाज उठ गयी तो मुजीबुर्रहमान के साथ उनको समझौता करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तब पोलिटिकल सोल्यूशन पूर्वी बंगाल में होगा और अगर पूर्वी बंगाल में पोलिटिकल सोल्यूशन हो जाता है तो हिन्दुस्तान के ऊपर जो आफत आयी हुयी है, इतनी बड़ी जन संख्या में लोगों के भाग कर आ जाने से यहां पर इतनी बड़ी मुसीबत हो गयी है, उस मुसीबत को हल करने का एक रास्ता निकल आयेगा। इन शब्दों के साथ मैं फिर इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव का संकेत निकलना चाहिये कि यह चेतावनी महज चेतावनी ही नहीं है। अगर इसके अनुसार कार्यवाही न की गयी तो यह चेतावनी न हो कर एक मुनासिब कदम में परिणित हो जायेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की विधान सभा का यह प्रस्ताव, जो माननीय शर्मा जी की ओर से प्रस्तुत किया गया है, याहिया खां की कब्र में एक कील है। श्रीमन्, प्रजातंत्र की हत्या में अगर सबसे पहले किसी का नाम लिखा जायेगा तो याहिया खां का लिखा जायेगा। आपको स्मरण होगा कि २५ मार्च से इसी वर्ष और लगातार तीन-चार महीने से जो अत्याचार पूर्वी बंगाल के अन्दर हुये हैं, उनकी दूसरी मिसाल मानव इतिहास में नहीं मिलती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर जहां याहिया खां दोषी हैं वहां पर किसी न किसी अंश में हम भी दोषी हैं। आप इस इस बात को स्वीकार

करेंगे कि २५ मार्च से ले कर अप्रैल के पहले हफ्ते तक मुजीबुर्रहमान की मुक्ति सेना का आधिपत्य बंगला देश के ३/४ हिस्से पर था। उस मौके पर अगर बंगला देश को मान्यता दे दी गयी होती तो आज सारे बंगला देश को हम स्वतंत्र करा सकते थे और आज इस प्रस्ताव की आवश्यकता न होती, परन्तु खेद है। उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता जो भूल हो गयी सो हो गयी। अच्छा हो अब हम उस भूल को सुधार सकें। आज दूसरा प्रस्ताव इस विधान सभा ने बंगला देश को मान्यता दिलाने के विषय के बारे में प्रस्तुत किया है। जो प्रस्ताव इस विधान सभा ने पारित किया था, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं कि वह केंद्र में जाकर कहां रुक कर रह गया और उसके ऊपर कितनी दिलचस्पी हम पैदा करा पाये। खैर, वह दूसरा विषय है। यह प्रस्ताव जो आज हम पारित कर रहे हैं उसके विषय में सारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति न होगा जो कि दो राय रखता हो। अगर याहिया खां के शब्दों में कहा जाये तो उन्होंने मुजीबुर्रहमान को पाकिस्तान का फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर घोषित किया था। जो व्यक्ति किसी देश का भावी प्रधान मंत्री बनने वाला हो, वह आज याहिया खां की जेल के कटघरे में खड़ा है और याहिया खां उसके ऊपर मुकदमा चला रहे हैं। क्या इसको मुकदमें की संज्ञा दी जायेगी? इसको मुकदमें की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। उनको अपनी सफाई पेश करने के लिये मनपसन्द वकील रखने की भी इजाजत नहीं है। उनसे कहा गया है कि वे पाकिस्तान का कोई वकील कर लें। पाकिस्तान के वकील का मतलब है याहिया खां के उस पाकिस्तान का वकील जिसको कि पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं। याहिया खां तो पहले ही कह चुके हैं कि मुजीबुर्रहमान देश द्रोही हैं। उन्होंने यह घोषणा की है "कि नेशनल असेम्बली के बैठने पर मुजीबुर्रहमान जिन्दा रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह मैं नहीं कह सकता हूं। तो बात सिद्ध हो गयी कि वे मुजीबुर्रहमान को २ दिन में ४ दिन में, १० दिन में या १५ दिन में समाप्त करना चाहते हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने यह अच्छा काम किया है। सारे संसार के जनमत को जाग्रत करने के लिए हम अपनी आवाज बुलन्द करना चाहते हैं और प्रजातंत्र के हामी देशों से भी कहना चाहते हैं, चाहे अमरीका हो, इंग्लैन्ड हो, रूस हो या चीन हो। आखिर उनके आंख, कान बन्द तो नहीं हैं। ९९ प्रतिशत मत प्राप्त करके जीतने वाले आदमी को देशद्रोही घोषित करके कटघरे के अन्दर खड़ा कर दिया गया है और उस देश की महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर और सभी व्यक्तियों के ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार हो रहे हों। क्या संसार आंखें बन्द करके सो जायेगा? अगर सो जायेगा तो श्रीमन्, विश्वास जानिये, कभी भी संसार में किसी दूसरी ऐसी घटनाके ऊपर लोग नहीं जागेंगे। इस घटना पर जागने की आवश्यकता है। इसलिये हम कहना चाहते हैं कि इस विधान सभा की आवाज दिल्ली के नेताओं तक पहुंचनी चाहिये और दिल्ली की आवाज सारे संसार के अन्दर पहुंचनी चाहिये।

श्रीमन्, मैं आज दिन में रेडियो सुन रहा था। जगह-जगह से यही आवाज बुलन्द हुयी है कि मुजीबुर्रहमान को तुरन्त रिहा किया जाये। क्या यह उनका कोई ट्रायल है, ट्रायलका क्या मतलब होता है? ट्रायल का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को अपना मन पसन्द वकील दिया जाये। ट्रायल का मतलब तो यह है कि वह सारी दुनिया के सामने हो, उनके संबंध में जो चार्जेज हों वे लगाये जायं। लेकिन बन्द कमरे के अन्दर ट्रायल किया जा रहा है। श्रीमन्, मान्यता के संबंध में अपनी भावना हम पहले भी व्यक्त कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने बंगला देश को मान्यता देने का प्रस्ताव पारित किया है। मैं कहना चाहता हूं कि याहिया खां को चेतावनी देने के लिये, यह जो प्रस्ताव हमने पारित किया था, वहां शेख मुजीबुर्रहमान के जीवन की रक्षा के लिये जो प्रस्ताव हम आज पारित करने जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, अतः आवश्यक यह है कि बंगला देश को तुरन्त मान्यता भी दी जाय। बंगला देश को मान्यता दे देने पर वहां की जनता को अपने पैरों पर खड़ा करने में कोई समय नहीं लगेगा और अगर अपने पैरों पर खड़े हो गये तो यह समस्या भी नहीं रहेगी कि वे मुजीब के जीवन के लिये किसी का मुंह देखते रहें। चाहे वह अमेरिका

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

हो, रूस हो या चीन हो, वहां की साढे ७ करोड़ जनता अपने आप अपना इन्तजाम कर लेगी और अपने आप यहिया जैसे तानाशाह से निपट लेगी । तो मेरा निवेदन है कि इस दूसरे प्रस्ताव के साथ-साथ कि शेख मुजीबुर्रहमान के जीवन की रक्षा हो, मान्यता वाले प्रस्ताव के लिये भी बलपूर्वक कहना चाहिये कि यहां से हम इस आवाज को उठावें और जो भी आवाज हम उठावें उन पर अमल किया जाना चाहिये । जैसा कि अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा केवल प्रस्ताव पारित कर देने से ही काम नहीं चलेगा । जब गम्भीरता की बात आपने कही है तो गम्भीरता से इस प्रस्ताव को लाना चाहिये था । गम्भीरता से प्रस्ताव को लाने पर उस पर अमल कराने की कोशिश भी होनी चाहिये । जब यहां से प्रस्ताव पास हो तो दूसरे ही दिन हमें सुनाई पड़ना चाहिये कि कल के दिन दिल्ली से एलान हो गया कि बंगला देश को मान्यता मिल गयी । अगर कल इसका एलान हो जाता तो यहिया खां की हिम्मत नहीं हो सकती कि वह शेख मुजीबुर्रहमान के ऊपर हाथ भी उठा सकें । तो श्रीमन्, इन शब्दों के साथ इस बात को दोहराते हुए और क्षमा प्रार्थना करते हुये मैं यह कहूंगा कि पिछले प्रस्ताव पर अधिक बल इसलिये देता हूं कि शेख साहब के जीवन को बचाने के लिये सारे संसार के जनमत को जाग्रत किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शेख मुजीबुर्रहमान जनतंत्र के प्रतीक हैं, अहिंसक प्रतिरोध के भी प्रतीक हैं और अन्दरूनी जुल्मों के खिलाफ जो लड़ाई जो आमतौर से रंगीन दुनिया में नहीं चलती है, के भी वे प्रतीक हैं । जनतंत्र जम्हूरियत और अहिंसक प्रतिरोध के एक साथ दुनिया में वे प्रतीक बन गये हैं । इतने बड़े आदमी के पीछे, अगर चुनाव के नतीजे पर आप नजर डालें, तो बंगला देश के करीब-करीब शत-प्रतिशत वोट और शत-प्रतिशत न शिस्तें उनके साथ गयीं और अगर कायदे कानून का राज्य पाकिस्तान में चलता तो आज वे पाकिस्तान के वजीरे आजम की जगह पर विराजमान होते । लेकिन दुनिया के बड़े आदमियों के जैसे नसीब होते हैं, बहुत बड़े आदमियों से मतलब है, वही नसीब रहमान साहब का भी है कि अच्छे काम के लिये उनको तकलीफ उठानी पड़ रही है और वह मौत के बिलकुल आपने सामने हैं । जिस आदमी की जगह देश के प्रधान मंत्री की कुर्सी थी, आज इस बात का अन्देशा है कि कहीं उस बड़े आदमी को फांसी के फंदे पर न झूलना पड़े । शिकायत यह है कि दुनिया की जो जम्हूरियत पसन्द ताकतें कही जाती हैं चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, या इगलैन्ड हो, जो डिक्टेटरशिप वाले मुल्क हैं उनको छोड़कर, जो जम्हूरी राष्ट्र, होने का नारा लगाते हैं, उन्होंने पाकिस्तान की इस हालत में जिसमें कि वहां जनतंत्र का बध हुआ बगला देश के आन्दोलन का समर्थन क्यों नहीं किया या उसको मान्यता क्यों नहीं प्रदान की ? मैं उनसे बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि उसका सबसे बड़ा कारण शेख मुजीबुर्रहमान का आन्दोलन था । वह पूरी तरह से शत प्रतिशत राष्ट्रीय आन्दोलन था । न तो वह अमरीकन ब्लाक से बंधे हुए थे और न वह रूसी ब्लाक से बंधे हुए थे इसलिये वह दोनों वार्रिग कैम्प्स तटस्थ हो कर तमाशा देख रहे हैं । यदि वह किसी ब्लाक से बंध जाते तो ताकत आ जाती लेकिन उनका पूरी तरह से नेशनलिस्ट आन्दोलन था और इसलिये दुनिया के लोग तमाशा देखते रहे । यह नई बात नहीं थी । सभी जानते हैं कि दुनिया की ताकतें कैसे बरताव करती हैं ऐसी बातों में । वह तो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं इसलिये अचरज नहीं है । अचरज यह है कि क्या हमने अपना फर्ज निबाहा है । याद होगा मान्यवर, जब हम आजाद हुए थे तो दुनिया के रंगीन लोग, खास तौर से जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे,वह मुल्क हमारी तरफ देख रहे थे कि हम उनकी अगवाई करेंगे । मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि हमने वह मौका खो दिया है । उस समय नारा दिया गया था और उसको अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास, व्यवहार के कानून के ज्ञाता डा० राम मनोहर लोहिया ने दिया था कि रूस या अमरीका के साथ जुड़ने से रंगीन दुनियां का भला नहीं होगा न साम्यवाद के रास्ते पर जाकर, न पूंजीवादी रास्ते पर जाकर कल्याण होगा,हमारे लिये तो तीसरी शक्ति की रचना करना श्रेयस्कर है, जो डिफेन्स के मामलें में, फारेन पालिसी के मामले में अपने देश के विकास के मामले में रूस व अमरीका से स्वतंत्र तीसरे खेमे की नीति बांडुंग से लेकर काहिरा तक चल सके । एक तीसरे कैम्प की रचना हो जो

वारिंग कम्प्स में बैलन्स रख सके लेकिन वह मौका आपने खो दिया है और उसका नतीजा दिखलाई पड़ रहा है। जो बिना लगाव की नीति चलाने की बात कही थी तो वह बगैर ताकत के नहीं चल सकती है। उसको सिर्फ वही चला सकते हैं जो खेती और इन्डस्ट्री को ठीक रखते हैं और उनकी अपनी ताकत होती है। आपने २२, २३ वर्ष में ऐसा कर दिया है कि आप बिना लगाव की नीति नहीं चला सके हैं। अब आप पैक्ट में शामिल हो गये हैं। इस तरह से आपने दुर्दशा की है। पूर्वी बंगाल के मामले में आप अपना कर्तव्य करते। वह आप खुद नहीं करते हैं और विदेशों में मारे-मारे फिरते हैं जैसे वहां घूमने से कोई नई चीज होने वाली हो। राजदूत दौड़ाये जा रहे हैं इसलिये कि दुनिया अगवाई करे। मान्यता प्रदान करने का काम आपका था कि आप अगवाई करते शायद और लोग भी दुनिया के तब आजाते। आपने यह काम नहीं किया और आपने सभी जगह दूत दौड़ाना शुरू किया।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—
यह आप प्रस्ताव पर बोल रहे हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—
अगर यह नहीं कहेंगे तो और क्या बात होगी ?

श्री बन्शीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी)—
यह राजनीतिक डिशकशन है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, बंगाल के मामले में पुरानी बात याद आती है। बटवारा क्यों मन्जूर किया गया ? बटवारा इसलिये मन्जूर किया गया कि हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन ने कमजोरी दिखाई थी। हमने समझ लिया था कि हम हिन्दू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। दुनिया की जितनी बड़ी-बड़ी ताकतें हैं वह रंगीन दुनियां का एक्सप्लायटेशन करके अपने को मजबूत कर रही हैं। तो अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिये, वह एक्सप्लायटेशन कर सकें, इसलिये उन्होंने जब जब मौका पाया तो मुल्कों को दो हिस्सों में बांटा। चाहे कोरिया का मामला हो, चाहे वियतनाम का मामला हो, चाहे हिन्दुस्तान पाकिस्तान का मामला हो या जर्मनी का मामला हो, जहां जहां मौका मिला दो हिस्सों में बांट दिया। वह कब चाहते हैं कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान के लोग एक होकर रहें। अगर सपने में भी यह हो जाय तो जो धन आप हथियारों पर लुटा रहे हैं, फौज पर लगा रहे हैं, वह सारा पैसा बचे। उस पैसे से और अपनी जनसंख्या से हम अपने मुल्क को बनाने में लग जायं तो हम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं और समयान्तर में रूस और अमेरिका जैसे देशों की बराबरी में आ सकते हैं। लेकिन मान्यवर, यही समझना कि रूस या अमेरिका इस काम में अगुआई करते, इससे बड़ी नादानी और नासमझी और नहीं हो सकती। वे तो चाहते हैं कि आप इसी तरह से लड़ते रहें और मोहताज बने रहें। हमारी जो इत्तला है, मैं कह देना चाहता हूं, अमेरिका का जो खुफिया विभाग है वह इतना हावी हो गया है कि आपकी जो बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियां हैं, जो राजनीति करने वाले हैं, जो मास्टर मुदर्रिस या प्रोफसर वगैरह हैं, कहीं कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर अमेरिका का खुफिया विभाग न पहुंच गया हो। वे बिल्कुल कम्प्लीट ब्रेन वाशिंग कर रहे हैं। आपकी जो लेबोरेटरीज हैं वहां पर जो कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं वे इतना गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कभी सही तस्वीर सामने नहीं आती। कहीं अन्डर प्रोडक्शन करवा देते हैं तो कहीं ओवर प्रोडक्शन करवा देते हैं और इस तरह से आपकी सारी इकनोमी को, अर्थ व्यवस्था को, तबाह कर रहे हैं। आप जो समझे बैठे हैं कि आपकी मदद करेंगे तो आपसे बड़ा नादान कौन होगा ? मान्यवर, जो कुछ अखबारों में छपा है उससे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की कैबिनट के लोग भी सी० आई० ए० के ऐजेन्ट हैं। यह हालत है अमेरिका की।

श्री उपाध्यक्ष—

आप मर्यादा के अनुकूल भाषण नहीं कर रहे हैं। ऐसा करेंगे तो इस तरह से नहीं चलेगा। यह बड़ा सवाल आपके सामने है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। हम देखें कि दुनियां का जो शक्ति संतुलन है वह किस तरह का है। उससे उम्मीद करें कि वह जम्हूरियत को मदद करेगा, मेरी किस राय में यह नादानी की बात है। हमने कभी सोचा होता कि हमारा देश बदकिस्मती से जिन कारणों से दो हिस्सों में बंटा उन्हें दूर करके वह सपना देखें कि हो सकें, लेकिन वह सपना नहीं देखा गया। मान्यवर, हमने सुबह भी कहा था कि मार्च से लेकर अब तक पाकिस्तान में जो घटनायें हुई हैं वे होनी ही थीं। जो गठबंधन हुआ था वह इतना अस्वभाविक था कि उसको टूटना ही था। लोगों ने चेतावनी दे दी थी कि पाकिस्तान की जो नियत है उससे बचने के लिये वह हिन्दू मुस्लिम में अलगाव बढ़ायेगा, दंगे, फसाद और युद्ध की नीति अपनायेगा। आप भी उसमें शामिल हो गये और यहिया खां की तरह आप भी अपनी नीति चलाना चाहते हैं। एक कहावत है कि जब लोहा गर्म हो तभी उस पर कोई अच्छी चीज बनाने के लिए चोट करनी चाहिए। जब शुरू-शुरू में घटना हुई तो सारी दुनियां चिन्ता करती या न करती लेकिन १५ अगस्त, १९४७ के पहले जो आपके मुल्क का हिस्सा था उसकीआजादी की लड़ाई के लिये आपमें तड़फन पैदा होती और आपको चाहिये था कि आप उसको मान्यता देते। लेकिन उस वक्त आपने उसको मान्यता न देकर इस मामले को अपूर्व क्षति पहुंचा दी। और उसी का यह नतीजा निकल रहा है कि आज शेख मुजीबुर्रहमान को तथा उनके साथी दूसरे नेताओं को जो उस आन्दोलन को चला रहे हैं, तरह तरह की यातनायें झेलना पड़ रही हैं। इसी कारण से आज जितने भी जम्हूरियत पसन्द लोग हैं उनको बड़ी चिन्ता हो रही है। आज सभी लोग चाहते हैं कि उनका आन्दोलन सफल हो और मुजीबुर्रहमान साहब को उस कैद से निजात मिले। जैसा वर्मा जी ने कहा है कि खाली यहां प्रस्ताव पास करने से ही कि हम चिन्ताग्रस्त हैं, काम नहीं चलेगा, उसके अनुसार कार्य करना होगा। मान्यता देनी होगी और जब आप मान्यता देंगे तो देखेंगे कि मान्यता देते-देते सारी नवइयत ही बदल जायगी। मैं आपको भी मान्यवर, भूर-भूर प्रशंसा करना चाहता हूं कि आपके इस आसन पर रहने के कारण ही आज यह प्रस्ताव यहां आ सका है और यह सदन उस पर विचार कर रहा है। जो गलती हुई उसको आज भी अगर सुधार लिया जाय तो हो सकता है कि अच्छा नतीजा निकल आय और जो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान को तबाह करने का कुचक्र रच रहे हैं उससे हम बच जायें। बहुत से लोग यह कहते हैं कि क्या हम लड़ाई कर लें? मैं कहता हूं कि लड़ाई से आप कब तक बचेंगे? आपने लड़ाई न करने के कारण ही तिब्बत खोया, मानसरोवर खोया, लाखों वर्ग मील जमीन खोई। अकसायी चीन में चीन की सड़क बन जाने दी, नेफा में आपको नाक रगड़ना पड़ी, अंग्रेज जो सरहद छोड़ कर गये थे, वह बराबर घटती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है और अगर इसी रास्ते पर चले गये तो आपका राज्य केवल अवध और दिल्ली तक ही रह जायगा। लड़ाई के डर के कारण ही आज आपकी यह दुर्दशा हो रही है कि आपकी सरहद सिकुड़ती चली जा रही है। इसलिये आज आवश्यकता है कि आप जो प्रस्ताव पास करें उसके साथ ही प्रधान मंत्री पर दब व डालें और जब उसको ऐक्शन से बैक किया जायगा तभी आप सफल होंगे। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय शर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। यह एक ऐसा प्रस्ताव है कि जिस पर हमको दलगत परिधि से हटकर विचार करना चाहिये। आज पाकिस्तान जो शेख मुजीबुर्रहमान पर मुकदमा चला रहा है, आखिर उनका कसूर क्या है? उनका पहला कसूर तो यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के सैनिक कानून के अन्तर्गत हो चुनाव

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

लड़ा। दूसरा कसूर यह था कि सैनिक कानून के अन्तर्गत ही चुनाव में उन्होंने विजय पायी। तीसरा कसूर उनका यह था कि जिस संविधान की रचना वह करने वाले थे उसके लिये उन्होंने तथा उनकी पार्टी ने एक प्रोग्राम पेश किया। मान्यवर, पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों को जो पिछले कई वर्षों से पूर्वी पाकिस्तान का शोषण करते आ रहे थे उनको यह सहन नहीं था, विरोध किया और उसको भी अपने प्रोग्राम को मनवाने के लिये जो मुजीबुर्रहमान ने रास्ता अख्तियार किया, वह कौन सा रास्ता था—वह सशस्त्र क्रान्ति का रास्ता नहीं था, वह हिंसा का रास्ता नहीं था, वह बहुत बड़ा क्रान्तिकारी रास्ता नहीं था। वह वही रास्ता था जो इस देश के अन्दर महात्मा गांधी ने अपनाया, वही रास्ता था जो राष्ट्रीय आन्दोलन के समय असहयोग का रास्ता अपनाया गया था—सविनय अवज्ञा आन्दोलन का रास्ता था। हमने देखा कि दुनिया के इतिहास में इस तरह के सफल आन्दोलन की कोई मिसाल देखने को नहीं मिलती है। दुनिया में बहुत-सी क्रान्तियां हुई हैं, लेकिन ऐसा बेमिसाल आन्दोलन जो पूर्वी बंगाल में हुआ है, दुनियां के इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। तमाम प्रशासन पैराइज हो जाता है, जिले के हाकिम काम करना बन्द कर देते हैं, पुलिस कर्मचारी अपने हथियार और डियूटी छोड़कर अलग हो जाते हैं, सरकारी कर्मचारी काम पर जाना बन्द कर देते हैं, पुलिस पी०ए०सी० वाले अपनी अपनी बैरकों में चले जाते हैं—कहीं इनमें हिंसा की मिसाल नहीं मिलती है। ज्यों-ज्यों यह आन्दोलन वृहद से वृहत्तर होता गया, यहिया खां चिंतित हुये, उनका शासन डोला और पाकिस्तान के शासकों द्वारा पूर्वी बंगाल को खून से डुबोया जाता है। पाकिस्तान के निर्दयी शासकों ने जो विश्वासघात किया उस विश्वासघात की मिसाल कभी दुनियां में नहीं है, वह अपने किस्म का सबसे बड़ा विश्वासघात कहा जायगा। पाकिस्तान की ओर से एक तरफ यह घोषणा की जाती है कि इस बात का फैसला करने के लिये जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति घोषणा करने जा रहे हैं, उस घोषणा के अन्दर क्या-क्या होना चाहिये के बारे में विचार करना चाहते हैं, का बहाना लेकर अवामी लीग के नेताओं को बुलाते हैं और दूसरी तरफ शेख मुजीबुर्रहमान को बन्द करके पूर्वी बंगाल के अंदर खून की होली खेलने लगता है। यह कौन-सा कसूर था शेख मुजीबुर्रहमान का, क्या यह बताने की पाकिस्तान ने कोशिश की? आज इस राष्ट्रीय आन्दोलन को, शोषण के विरुद्ध आन्दोलन को, सैनिक शासन के विरुद्ध आन्दोलन को क्या कह कर बदनाम करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान दुनियां के अन्दर यह प्रचार करने की कोशश कर रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को खंडित करना चाहता है, हिन्दुस्तान पाकिस्तान के अन्दरूनी मामले में दखल देना चाहता है और शेख मुजीबुर्रहमान देश के, पाकिस्तान के दुश्मन हैं और इसलिये वह देश के टुकड़े करना चाहते हैं, वह हिन्दुस्तान हाथ में के खेल रहे हैं। वह ऐसा इसलिये कहता है कि चूंकि आज दुनियां जान गई है कि पाकिस्तान का दिवाला निकल चुका है। पूर्वी पाकिस्तान के आन्दोलन में उनके शासन का जो खोखलापन था वह दुनियां की नजरों में नंगा हो गया है।

मान्यवर, जब सदन आज इस पर विचार कर रहा है, तो उसको इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी ताकतें हैं, जिनके आधार पर पाकिस्तान को शह मिली, कौन-सी ताकतें हैं, जिन पर भरोसा करके पाकिस्तान उस नरसंहार को चला सका? यह वह ताकतें थीं, जो प्रजातन्त्र की दुहाई देती हैं, जो प्रजातन्त्र की रक्षा की जिम्मेदारी, न केवल अपने मुल्क में बल्कि संसार के मुल्कों में, उठाने का ठेका अपने कंधों पर लिये हुये हैं, ऐसा वह कहती हैं। लेकिन हमें उनकी कथनी और करनी पर सख्त अफसोस होता है और मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अमेरिका के सामनें जब यह प्रश्न रखा गया तो अमेरिका कहता है कि अगर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की लड़ाई होगी तो उस लड़ाई में यदि चीन बीच में आयगा तो हम हिन्दुस्तान का साथ नहीं देंगे। अलग रहेंगे। यह पालिसियां थीं जिससे पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा। चीन ने खुले आम कहा कि अगर हिन्दुस्तान ने बंगला देश के मामले में मदाखलत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान अकेला नहीं होगा उसके साथ चीन भी होगा। इससे पाकिस्तान का हौसला बढ़ा। एक समय तो यह भी आशंका होने लगी थी कि पाकिस्तान हिन्दुस्तान पर हमला करने वाला है। याहिया खां ने कहा भी था, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि यह लड़ाई अवश्यम्भावी है और किसी भी समय हो सकती है। और दुनिया की ताकतों ने भी समझा कि दोनों देशों के बीच

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

किसी भी समय भयंकर लड़ाई हो सकती है । ऐसे समय में, हमें खुशी है कि हिन्दुस्तान अब अकेला नहीं रहा । हमारे दो दोस्त थे उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ९ तारीख को भारत और सोवियत रूस के बीच में संधि हुई । तमाम विरोधीपक्ष के लोगों ने उस संधि का स्वागत किया । मैं समझता हूं कि इस सदन को भी स्वागत करना चाहिये उस संधि का । आज पाकिस्तान के हुक्मरान ने भले ही शेख मुजीबुर्रहमान पर मुकदमा चलाया हो, उस संधि के बाद हजार बार सोचना पड़ेगा कि अगर शेख मुजीबुर्रहमान को जेल की काली कोठरी के अन्दर गोली से मार दिया तो उस गोली का क्या परिणाम होगा । कहीं ऐसा न हो कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता खराब हो ही रहा है कहीं ऐसा न हो यह भयंकर आग तमाम दुनियां के अन्दर जग पड़े, कहीं ऐसा न हो कि तमाम दुनियां के आजादी पसन्द लोग, वे लोग जो जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले हैं वह खड़े हो जायं । कितना ही जुल्म पाकिस्तान के हुक्मरान क्यों न करें, शेख मुजीबुर्रहमान को जेल की काली कोठरी में बन्द क्यों न कर रखा हो, लेकिन दुनिया की पूरी शोषित और पीड़ित जनता, दुनिया के दबे हुये अवाम और इस दुनिया के तमाम स्वाधीनता को पसन्द करने वाले, इस दुनिया का हर इंसान हृदय से शेख मुजीबुर्रहान की मंगल की कामना करता है । यही वह ताकत होगी जो पाकिस्तान को मजबूर करेगी कि दुनिया के मजलूमों की ताकत, आजाद पसन्दों की ताकत, दुनिया के जम्हूरियत पसंदों की ताकत होगी, जो शेख मुजीबुर्रहमान के लिये दीवार पर जो लिखा है उसको पहचानने के लिये मजबूर करेगी । इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, अभी अभी जो प्रस्ताव माननीय शर्मा जी ने पेश किया है शेख मुजीबुर्रहमान के सिलसिले में मैं उसकी ताईद के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं बहुत लम्बी बात न कह कर चन्द बातें अर्ज करना चाहता हूं । सबसे पहली बात यह है कि यह तारीख की सबसे बड़ी घटना है कि बंगला देश के अन्दर जो चुनाव हुआ उसके अन्दर शेख मुजीबुर्रहमान को ९९ फीसदी कामयाबी मिली । यही नहीं, बल्कि जो वहां की पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट के अन्दर ५५ फीसदी कामयाबी शेख मुजीबुर्रहमान और उनकी पार्टी को मिली । एक तरह से देखा जाय तो पाकिस्तान के अवाम ने यह फैसला दे दिया कि पाकिस्तान की ताकत पाकिस्तान की हुकूमत की बागडोर शेख मुजीबुर्रहमान के हाथ में होनी चाहिये, उनको उसका प्रधान मंत्री होना चाहिये, वह है पाकिस्तान की किस्मत का मालिक, उसको पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करने का हक है । लेकिन नहीं । यह भी एक ऐतिहासिक घटना है कि एक ऐसा लीडर जिसके पीछे इतने जनमत की ताकत खड़ी हो उसको संगीनों के बल पर हथियारों के बल पर फौजी शासन के बल पर सबसे महरूम किया जाय, जो पाकिस्तान का हुक्मरां हो वही कठघरे के अन्दर खड़ा किया जाय, मार्शल ला कानून में उस पर मुकदमा चलाया जाय । मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की ही नहीं दुनिया की राय इसको बरदाश्त नहीं कर सकती । मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह घटना घट गयी, अगर चे शेख मुजीबुर्रहमान की शख्शियत को नापाक हाथों से जब पहुंचा तो तमाम लोगों के लिये जो जमहूरियत के अन्दर विश्वास रखते हैं, बायसे शर्म होगी यह बात । आज जरूरत है कि दुनिया की राय को बेदार करें । वह मांग करें इस बात की कि शेख मुजीबुर्रहमान पाकिस्तान का हुक्मरां है, पाकिस्तान की किस्मत का मालिक है । वह इसके मोहताज नहीं है कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाय । मुकदमा चलाना चाहिये जनरल यहिया के खिलाफ जिसने बंगला देश के अन्दर इंसानियत का कत्ले आम किया है । जिसने इन्सानियत का ही कत्ल नहीं किया बल्कि इस्लाम के नाम को रुसवाह किया है, बदनाम किया है । इस बात को माफ नहीं किया जा सकता और आज जनरल यहिया खां पर मुकदमा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चलना चाहिये और उसको फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहिये। इसलिए जो प्रस्ताव पेश है उसकी मैं ताईद करता हूं। इस बात को मैं खामोशी के साथ बर्दास्त नहीं कर सकता और यह बात कहे बगैर भी नहीं रह सकता कि यह हमारी कमजोरी थी, गवर्नमेंट आफ इंडिया की कमजोरी थी कि जिसके कारण आज हमको यह बुरा दिन देखने को मिला है। जब इस हाउस ने बंगला देश को मान्यता देने का प्रस्ताव पास किया था वह मुनासिब वक्त था जब दिल्ली की हुकूमत ने फैसला लिया होता और बंगला देश को मान्यता दी होती तो आज बंगला देशका नक्शा दूसरा होता और आज जनरल यहिया खां खुद कठघरे में दिखाई देते। लेकिन यह हमने भूल की।

मैं समझता हूं कि जब-जब हमारे मुल्क के लोगों ने पिछले दिनों में बुजदिली दिखाई तब-तब हमारे मुल्क को नाकाबिले बर्दास्त नुकसान उठाना पड़ा। हमने तिब्बत को खोया, नेफा और लद्दाख में हजारों वर्ग मील भूमि को खोया और उन स्थानों तक को खोया जिनसे मजहबी लगाव रहा है, जहां हम तीर्थ करने जाते रहे हैं और यह सब कायरता के कारण हुआ है। लड़ाई से भागते रहे जिसके परिणाम स्वरूप चीन और पाकिस्तान ने हम पर हमले किये और जब पाकिस्तान को हमने मुंहतोड़ जवाब दिया तो लड़ाई हमसे दूर हो गयी। जितना हम लड़ाई से भागते हैं, जितनी हम बुजदिली दिखाते हैं लड़ाई हम पर मुसल्लत कर दी जाती है और मुसल्लत हो गयी है और आज नक्शा यह हो गया है कि ७५ लाख शरणार्थी हिन्दुस्तान के अन्दर आ गये और ये शरणार्थी हमारे देश के लिये न केवल मुसीबत बने हुए हैं बल्कि उनकी वजह से हमारे मुल्क का अमनो अमान खतरे में पड़ गया है। मैं मशकूर हूं उपाध्यक्ष महोदय कि आपने बोलने का मौका दिया। कहा जाता है कि बंगला देश के मामले पर मुसलमान खामोश है। मुसलमान खामोश नहीं है। जो मुसलमान नेशनलिज्म तथा जम्हूरियत में विश्वास रखता है वह इन तमाम घटनाओं का सबसे बड़ा दुश्मन है जो बंगला देश में घट रही हैं।

मैं अधिक न कह कर इतना ही कहूंगा कि आज भी वक्त का तकाजे को हम समझें और जो जिम्मेदारियां हैं उनको दिल्ली की सरकार हिम्मत के साथ अपने कंधे पर उठायें। बंगला देश के अन्दर जो घटनाएं घट रही हैं अथवा घटी हैं उनका असर अमेरिका, इंग्लैन्ड, सोवियत रूस अथवा अन्य किसी देश पर होने वाला नहीं है उनका असर पड़ने वाला है हमारे ऊपर। हमारा ही हिस्सा पूर्वी बंगाल था और हमारा ही हिस्सा पाकिस्तान था। वह हमारे जिस्म का एक अंग है और अगर उसमें पीड़ा होती है तो स्वाभाविक है कि हमारे जिस्म में पीड़ा होना चाहिये, उसे हम महसूस करें और उस जिम्मेदारी को हमें उठाना चाहिये। यह जो प्रस्ताव पेश हुआ है उसकी मैं ताईद करता हूं। यह चेतवानी होनी चाहिये यहिया खां को कि अगर अपने गलत कदम से वह बाज न आये तो हमें विश्वास दिलाना होगा दुनिया को कि हम प्रस्ताव पास करके ही चुप नहीं रह जायेंगे, बल्कि उसके जो परिणाम होंगे उस परिणाम को देने में हम समर्थ होंगे।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। आज ऐसा अवसर आया है जब सारे देश को एक स्वर में बोलना चाहिए। आज की इस विषम परिस्थित में यदि हम एक स्वर से न बोल पाये और एक साथ मिल करके बंगला देश के मामले में कदम न बढ़ा पाये तो यह बंगला देश के लिये ही नहीं अपितु हमारे देश के लिये भी वह दुर्दिनों का सूचक होगा। आज बंगला देश की समस्या उसकी आजादी और प्रजातंत्र की समस्या मात्र ही नहीं है बल्कि आज बंगला देश की समस्या हमारे राष्ट्र के जीवन मरण की समस्या बन गई है। यदि बंगला देश में जनतंत्र कायम नहीं हो सकेगा, शेख मुजीबुर्रहमान के जीवन की रक्षा नहीं हो पायेगी तो मेरा यह निश्चित मत है कि हमारे देश की आजादी खतरे में पड़ जायेगी और हमारे लिये अपनी आजादी को कायम रखना कठिन हो जायेगा आज घटना चक्र जिस प्रकार तेजी से चल रहा है उससे लगता है कि देश को लड़ाई से भी अब बचाया नहीं जा सकता है। इसलिये जितनी जल्दी भारत बंगला देश की मान्यता प्रदान करे, उतनी ही जल्दी मैं समझता हूं कि देश को, जनतंत्र को और शेख मुजीबुर्रहमान की रक्षा हो पायेगी।

[श्री मनेजर सिंह]

श्रीमन् लड़ाई से अगर हम अकेले बचना चाहें, तो हम बचने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान समय लेकर के धीरे-धीरे बंगाल को रौंद रहा है। अब पाकिस्तान की आंखें हमारी तरफ हैं और वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ करके एक तरफ भी हमला कर सकता है। दुश्मन को तैयार होने का और अधिक मौका देकर हम कोई अच्छा काम नहीं करेंगे। इसलिये देश और राष्ट्रहित में यह आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है कि भारत यथाशीघ्र बंगला देश को मान्यता प्रदान करे चाहे उसके दूसरे दिन ही लड़ाई क्यों न छिड़ जाय। भारत उसको अस्त्र-शस्त्र सप्लाई करे बंगला देश के नौजवान जो कुछ भी आज बचे हुये हैं, वे अपने देश को आजाद कर लेंगे और पाकिस्तानी सैनिकों को बंगाल से खदेड़ करके बाहर करेंगे।

श्रीमन्, सन् १९४२ के आन्दोलन के बाद फरारी में ढो-ढाई साल तक पूर्व बंगाल के एक-एक जिले में घूमने का मुझे अवसर मिला था। मैंने देखा है कि वहां के लोग दुबले-पतले, सीधे साधे होते हुए भी कितने हिम्मती और साहसी हैं। शायद ही वहीं ऐसे बहादुर लोग देखने को मिलें। मैं चाहता हूं कि भारत इन साहसी बंगाली भाइयों को अस्त्र-शस्त्र मुहैय्या करे ताकि वे स्वयं अपने बल पर आततायी पाकिस्तानी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे सकें और उनको रौंद सकें। इन्होंने कभी लड़ाई की नहीं सोचा था और वे महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सत्याग्रह आन्दोलन के रास्ते पर चल रहे थे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उन्हें कभी अस्त्र-शस्त्रों का मुकाबला भी करना पड़ेगा और इसके लिये उन्हें अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग भी करने होंगे। अगर इनकी तैयारी होती और उनके पास अस्त्र-शस्त्र होते तो आज तक पाकिस्तान का नामोनिशान मिट गया होता। मैं नहीं मानता हूं कि हमारे इस देश में कुछ पाकिस्तान परस्त लोग नहीं हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में अनेक विदेशी देशों के एजेन्ट लोग मौजूद हैं फिर भी इस देश में इतनी ताकत है कि जिस दिन यह देश उनके सामने खड़ा हो गया उसी दिन पाकिस्तान का मटियामेट कर सकता है। पाकिस्तान हमारे देश के साथ लड़ाई करके देख चुका है कि उसको कैसी मुंह की खानी पड़ी थी फिर भी वह हमसे लड़ाई करने की सोच रहा है। हमारे देश के साथ लड़ाई करने का फल यह होगा कि पाकिस्तानी सैनिक तानाशाह को अवश्य घुटना टेकना पड़ेगा और उसके पश्चात पाकिस्तान में प्रजातंत्र की स्थापना होगी। उसको भी एक दिन प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में आना पड़ेगा तथा फौजी तानाशाही खत्म करनी होगी। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय न लेकर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन के हर माननीय सदस्य को एक स्वर से इस प्रस्ताव को पास करना चाहिए। और आज जो विषम परिस्थिति देश में है उसमें एक साथ मिल कर बंटे से बचा मिलाकर के बंगला देश के मामले पर हमें ऐसा अपने को साबित करना है कि विदेशी भी समझें कि सारा राष्ट्र बंगला देश के मामले पर एक है और यदि किसी ने लड़ाई की जुर्रत की तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री इम्तियाज हुसैन (जिला लखनऊ)—

उपाध्यक्ष महोदय, शर्मा जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसकी ताईद करता हूं। जहांतक कि बंगला देश और मुजीबुर्रहमान के इस मसले का ताल्लुक है जो पाकिस्तान की फौजी हुकूमत की वजह से पेश आया, मेरे नजदीक कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इसलिये कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की आजादी के बाद पाकिस्तान में जो हुकूमत कायम हुई वह कुछ अर्से उस अन्दाज की हुकूमत रही जिसको कि किसी हद तक जम्हूरी हुकूमत कहा जा सकता है और कुछ अर्से के बाद एक फौजी हुकूमत कायम हो गयी और वह फौजी हुकूमत आज से १२-१३ साल पहले से चल रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक फौजी हुकूमत का ताल्लुक है, इस हुकूमत को कानूनी हुकूमत नहीं कहा जा सकता। इस हुकूमत को इंसानों की हुकूमत नहीं कहा जा सकता। उनके अफआल और आमाल देखने के बाद तो यह नतीजा निकालना पड़ता है कि उस हुकूमत को, जोकि फौजी हुकूमत के नाम से चल रही है, सिर्फ जानवरों की हुकूमत कहा जा सकता है--जैसा कि उनके किये हुए कामों से हमारे सामने आ रहा है। पाकिस्तान की फौजी हुकूमत ने पब्लिक के मतालबे से परेशान होकर और हालात से मजबूर होकर एक इलेक्शन का ऐलान किया। वह इलेक्शन जिसको कि जम्हूरी तरीके से किया जाना तय पाया। उस इलेक्शन में जहां तक कि मैं समझता हूं, मुजीबुर्रहमान को इस कामयाबी को जो उनको इलेक्शन के नतीजे में हुई है अगर देखा जाय और गौर किया जाय तो यह साफ जाहिर है कि उनको उस कामयाबी की तवक्को नहीं थी और अगर उनको ऐसी कामयाबी तवक्को होती तो उनके इस तर्जेअमल ने यह साबित कर दिया है कि वह कतई किसी जम्हूरी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं होते, इसलिये कि उनको जम्हूरी हुकूमत बनानी नहीं थी--उनके इस अमल ने यह बात साबित कर दी कि वह जम्हूरी हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस इलेक्शन के साथ-साथ कुछ शर्तें लगा दीं और वह यह थी जहां तक मैं जानता हूं कि इस तरह से इलेक्शन होगा और उसमें जो मेम्बरान कामयाब होकर आयेंगे और एक असेम्बली बनायेंगे उस असेम्बली में एक ऐसा दस्तूर बनाया जायगा जो सबका पसंदीदा दस्तूर होगा। मेरे ख्याल से यह शर्त ही इस बात की दलील थी कि वह समझते थे कि और उन्हें यह यकीने कामिल था कि कोई ऐसी पार्टी उनके सामने नहीं है जो इस तरीके से इस अक्सरियत में आ जायगी जिसके सामने उनको अपना सरे तस्लीम खम करना पड़े, लेकिन उनके ख्याल के मुताबिक नतीजा बरामद नहीं हुआ। जब नतीजा बरामद नहीं हुआ और अवामी लीग, मुजीबुर्रहमान की पार्टी ने इतनी बड़ी अक्सरियत हासिल कर ली कि उनको हक हासिल हो गया कि वह पाकिस्तान के वजीरे आजम की गद्दी को संभालें तो मुजीबुर्रहमान की यह कामयाबी पाकिस्तान की फौजी हुकूमत के दिलो दिमाग पर असर कायम करने के बाद उनको यह काबिले बरदाश्त नहीं रहा। जब काबिले बरदाश्त नहीं रहा तो फौजी हुकूमत के चलाने वाले याहिया खां ने उनके खिलाफ यह कदम उठाया और मुजीबुर्रहमान के ऊपर यह इल्जाम आयद कर दिया और पाकिस्तान के रहने वाले लोगों या पाकिस्तान को इस मामले में फेवर करने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा मुजीबुर्रहमान पर जो इल्जाम लगा सकते हैं वह मेरे नजदीक यह है कि इससे ज्यादा और कोई बात नहीं हो सकती है कि वह पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से को हिन्दुस्तान से मिला देना चाहते थे या वह चाहते थे कि हिन्दुस्तान में शामिल हो जाय या हिन्दुस्तान की हुकूमत से कोई बात तय कर लें। मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि अगर कोई ऐसी बात थी तो एक पब्लिक के नुमाइन्दे की हैसियत से या वजीरे आजम होने की हैसियत से क्या वे हक नहीं रखते कि ऐसा मसला किसी हुकूमत से तय करें बड़ी कमजोरी हमारे सामने है और यह किसी सूरत से इल्जाम उनके ऊपर नहीं लगाया जा सकता था। यह शेख मुजीबुर्रहमान साहब पब्लिक के नुमाइंदे हैं जिसको वहां की पब्लिक ने उनको अक्सीरियत दी है और जो पाकिस्तान के वजीरे आजम होने चाहिये, उनको आज फांसी का इंतजाम हो रहा है। वह फौजी हुक्मरां जिसको पब्लिक का नुमाइंदा नहीं कहा जा सकता है। मैं अर्ज करता हूं कि अगर उनका खून कर दिया गया और उसको हिन्दुस्तान बचा नहीं सका या हम बचा नहीं सके तब भी पाकिस्तान कामयाबी की मंजिल पर नहीं पहुंच सकता है।

अगर एक आदमी मर जाता है तो कोई बात नहीं है, किसी आदमी के मर जाने से उसूल नहीं मरते हैं। पूर्वी पाकिस्तान में जम्हूरियत के फरिश्ते ने आवाज बुलन्द की है। मुजीबुर्रहमान मर सकता है। लेकिन एक-एक जर्रे से मुजीबुर्रहमान पैदा होंगे और पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो कर रहेगा। यह कोई ऐसी बात नहीं है एक आदमी के मर जाने से उसूल नहीं मर जाते हैं। मैं इस मुल्क की हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूं और खुसूसियत से उन मुसलमानों की तरफ से जो पाकिस्तान के फौजी दरिन्दों के जरिये तबाह किये गये हैं, हिन्दुस्तान की हुकूमत

[श्री इम्तियाज हुसैन]

के जरिये उनकी मदद की गई है। यह पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में बसने वाले सारे मुसलमानों की मदद है। यहां तक ही बात खत्म नहीं होती है। यह अहसान दुनिया के मुसलमानों पर है। मैं अर्ज करूंगा कि यहां पर भी यह बात खत्म नहीं होती है, मगरबी पाकिस्तान के मुसलमानों पर भी यह अहसान है और उसने मुसलमानों की मदद की है।

मैं इस सिलसिले में जहां तक मान्यता देने का सवाल है यह हमारी मरकजी हुकूमत के तय करने का सवाल है। इसलिये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता अगर मुनासिब हो कि बंगला देश के मामले को मान्यता दी जाय तो कोई मुजायका नहीं है। मुसलमान इससे परहेज नहीं करते हैं। यह हुकूमत के समझने की बात है। लेकिन हिन्दू और मुसलमानों के दिल जरूर चाहते हैं कि कोई ऐसी सूरत अख्तियार की जाय जिससे कि खून करने वाले को खून का नतीजा भुगतना पड़े। कोई ऐसी सूरत पैदा की जाय कि इंसाफ की जगह पर इंसाफ मिले और हकदार को उसका हक मिले। आज सारी दुनिया हकदार को हक दिलाने के लिये बेचैन है। फिर आज हक की अवाज बुलन्द होने पर दुनिया क्यों नहीं बोलती है। इसमें क्या मसलहत है, क्या वाकया है, क्या किसी हद तक इंसान की खूरेजी जायज है। अगर यह आवाज बुलन्द की जाय तो दुनिया में बसने वाले हर इंसान को कहना पड़ेगा कि किसी मजहब और मिल्लत में इंसान की खूरेजी जायज नहीं है। इंसान के खून करने वाले आदमी को उसका बदला मिलना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि वह किस शक्ल में मिले। लेकिन अगर खून करने वाले इंसान को बदला नहीं दिया गया, हिन्दुस्तान ने उनको मान्यता नहीं दी और कोई ऐसा सबक मगरबी पाकिस्तान को नहीं दिया जिससे पाकिस्तान को इंसानी खूरेजी करने का सबक मिले और दुनिया भी इस मामले से दूर रही तो मुझे यकीन है कि खुदा की बारगाह में इसका फैसला जरूर किया जायगा और मुझे यकीन है कि जुल्म करने वाले को जरूर सजा भुगतनी पड़ेगी। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं इस प्रस्ताव की ताईद करता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय--

उपाध्यक्ष जी, आज सदन में जो प्रस्ताव आया है उसके लिये मुझे खुशी है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि सारी पार्टियों के नेताओं ने उसका हृदय से समर्थन किया। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने सब से मिल कर इस कार्यक्रम को किया।

उपाध्यक्ष जी, यह हिन्दू मुसलमान का सवाल नहीं है। जैसा कि और भाइयों ने कहा कि आज जनतंत्र की हत्या हो रही है। मुझे भली प्रकार से याद है कि इस प्रकार के काम करने वालों को इसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, मैं याद दिलाउंगा, कांगो में ठीक इसी प्रकार की घटना घटी। वहां के प्राइम मिनिस्टर, श्री पैट्रिक लुमुम्बा के साथ जो कुछ हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। एक ओर तो उनके लिये लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठे हुए और दूसरी ओर उसके विपरीत शोम्बे को आगे बढ़ा कर और काटांगा को काट कर लुमुम्बा की निर्मम हत्या कर दी गयी और उसी के सिलसिले में, संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल, हेमरशोल्ड को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

माननीय अनन्तराम जी ने जो बात कही वह मुझे पसन्द आयी। उनकी बात से मैं अपने आपको जोड़ता हूं और पूछना चाहता हूं कि इस बारे में आज हमारा देश क्या कर रहा है। आज मैं उनको बांदुंग, बेलग्रेड और काहिरा की भी याद दिलाता हूं। द्वितीय महायुद्ध के बाद मानव ने यह सोचा कि कोई ऐसी विचारधारा पैदा होनी चाहिये जो संसार की मानव जाति पर युद्ध थोपने वाली प्रणाली और उसके ठेकेदारों से बचाये। ऐसे लोगों ने हमारे देश के प्रिय नेता, जवाहरलालजी को अपना एक ऐसा नेता पाया जो उनको इससे बचा सकेगा। जो संसार को आग की लड़ाई में पड़ने से बचा सकेगा। बांदुंग सम्मेलन में संसार के कौन से देश सम्मिलित हुए

थे ? वहां पर एक ऐसे वृक्ष की स्थापना की गयी थी जिसके नीचे दुनियां की सारी पीड़ित और दबी हुई शक्तियां शोषण रूपी धूप से बच कर उसके नीचे खड़ी हो सकती थीं। आज हमारे देश का वह वृक्ष गिर गया है। वह नान इलाइनमेंट का वृक्ष गिर गया है। दुनियां उस समय देख रही थी कि भारत एक तीसरी शक्ति के रूप में संसार के ऐसे गुटों को लेकर खड़ा हो रहा है जो पीड़ित है और उसके द्वारा वह मानव समाज का नेतृत्व करना चाहता है।

मान्यवर, आप याद करें कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्र की क्या परिभाषा की थी। जहां दुनियां राष्ट्रीय परिभाषा में, उसकी परिधि के केवल जन-साधारण की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक उन्नति की कल्पना की गयी थी। लेकिन गांधी जी ने भारतीय राष्ट्र की जो परिभाषा की उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्र का उद्देश्य अपनी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक क्षेत्र में जनता के हितार्थ बढ़ते हुए, संसार की दबी और पिछड़ी मानवता को ऊपर उठाने के लिये यदि उसको इन सारी चीजों को स्वाहा भी करना पड़ेगा तो वह कर देगा। तो उस काम को करने के लिये आज हिन्दुस्तान को अगुवाई करनी चाहिये थी। आज आप कहते हैं जनतंत्र की दुहाई देनेवाले देश। लेकिन जनतांत्रिक देश हैं कितने दुनिया में इने गिने ५–६ अमरीका को कहते हैं। लेकिन वहां प्रेसीडेंशिल फार्म आफ गवर्नमेंट है और प्रेसीडेंशिल फार्म आफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के अन्तर्गत नहीं होता है। यह तो ऐडमिनिस्ट्रेशन की एक स्कीम है। डेमोक्रेसी, आटोक्रेसी, एरिस्ट्रोक्रेसी, ये फार्म आफ गवर्नमेंट हैं। तो मैं अमरीका को जनतांत्रिक देश नहीं मानता। इंगलैन्ड है। आज ये सारे जनतांत्रिक राष्ट्र चुप हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये चुप रहे हैं ५–७ विषयों में। और सब से हाल की घटना कांगों की थी। आज आप कहते हैं कि याहिया खां बर्बर हैं। अरे, याहिया खां तो कठपुतली है। जो याहिया खां को बढ़ावा देते हैं जरा उनकी पालिसी को देखिये, शर्माजी। आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं और आज नेता हैं सदन के। आज अमरीका और रूस विरोधी, दोनों की ताकतें पाकिस्तान के पास हैं। रूस और चीन विरोधी दोनों की ताकतें पाकिस्तान के पास। चीन और अमरीका विरोधी, दोनों की ताकतें पाकिस्तान के पास। फिर वह सेंटो, सीटो मिलिटरी पैक्ट्स का भागीदार। हमारे और उसमें फर्क यही था कि हम स्वतंत्रता के साथ गांधी जी के बताये हुये रास्ते पर अपने महान नायक जवाहर लाल के नेतृत्व में तटस्थता की नीति पर चलेंगे। आज आप तटस्थता की नीति को नहीं संभाल सके। हमारे एक साथी ने कहा कि हम एक गुट में बंध गये। मैं उस बात कर नहीं जाना चाहता, न यह उसका विषय है। कभी फिर वह विषय आयेगा तो उस पर चर्चा करूंगा कि वह संधि देश के लिये लाभदायक है या हानिकारक। उसने हिन्दुस्तान के स्वतंत्र व्यक्तित्व को चौपट कर दिया है या बढ़ाया है।

आज कहते हैं कि शेख मुजीबुर्रहमान मर जायेंगे तो दुनियां का क्या होगा। इस दुनियां में बहुत से वीरों को हंसते-हंसते फांसी के तख्ते पर झूलते देखा है और किसी ने एक आवाज तक नहीं उठाई। किसने आवाज उठाई थी भगत सिंह के मरने पर? लेकिन हमें दुख होता है जब हम दो तरह की नीतियों को अख्तियार करते हैं। आज हिन्दुस्तान की नीति इतनी कमजोर हो गयी है, जिस हिन्दुस्तान ने नवोदित राष्ट्रों की आजादी के लिये, हिन्देशिया, लंका, बरमा, लैटिन अमेरिका की आजादी के लिये अपनी आजादी के बाद एक रोशनी थी, आज सब जगह से जनतंत्र तिरोहित हो गया। हिन्दुस्तान को छोड़ कर डेमोक्रेसी कहीं रह नहीं गयी। लंका में तो आपने अपनी फौज और हेलीकाप्टर भी भेज दिये थे। कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा कि आज जो हिन्दुस्तान डायरेक्टली एफेक्टेड है याहिया खां के कार्यक्रम से वह तो मान्यता देने को तैयार नहीं है तो क्या सात समुन्दर पार कनाडा की राजधानी ओटावा या लन्दन में मान्यता दी जायगी या न्यूयार्क और मास्को में मान्यता दी जायगी ? कौन मान्यता देगा ? हमीं उससे डायरेक्टली एफेक्टेड हैं और हिन्दुस्तान के लिये सब से सुनहरा अवसर था। दो बातों के लिये कि जिस आधार पर इस हिन्दुस्तान का धर्म के नाम पर दो टुकड़ों में बटवारा हुआ था कि हिन्दू

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

और मुसलमान दो अलग-अलग राष्ट्र हों, जिन्ना साहब ने यही कहकर दो टुकड़ों में इसका बंटवारा चाहा था उसके लिये यह सब से अच्छा अवसर था कि यह हिन्दुस्तान अप्रैल के महीने में ही तुरन्त बंगला देश को मान्यता देता । यदि हम जनतंत्र के हिमायती थे और जनतंत्र विश्वासी थे तो वहां पर जनतंत्र के लिये ही तो लड़ाई चल रही थी उसको मान्यता देकर इस बात को सिद्ध करते कि कोई राष्ट्र हिन्दू या मुसलमान के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर नहीं बनता । वहां पर जनतंत्र नवोदित हो रहा था और उसकी राजनीति ऐसी बन रही थी कि हमारा देश उसकी हिमायत में आता । यही तो मुजीब साहब का ६ प्वाइंट प्रोग्राम था जो वह लेकर चले थे और जिसके लिये वहां पर झगड़ा था। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर प्रधान मंत्री को इतना बड़ा बहुमत मिला और किसी तरह से सैनिक शासक यहां के कह दें कि हम तुमको प्रधान मंत्री नहीं बनाते तो इसका परिणाम क्या होता ? ३५० हमारे सदस्य चुनकर आये और उन्होंने उनको प्रधान मंत्री बनाया लेकिन मानिकशा अगर कहता कि हम तुमको नहीं बनाते तो फिर क्या परिणाम इस देश में होता ? उसके विरुद्ध मानवता खड़ी हो जाती और इस असेम्बली के सदस्य भी कहते कि हम सैनिक तानाशाह को ताकत नहीं दे सकते क्योंकि यहां की जनता ने हमारे प्रधान मंत्री इंदिरा को ही चुना है। आज हालत क्या है कि मुजीबुर्रहमान जनता के द्वारा चुना गया है और एक नौकर ने उसको जेल में बन्द कर रखा है। जो देश का मालिक है, वहां की जनता का स्वामी है आज उसे एक नौकर ने जेल में डाल दिया और उसके जीवन को खतरा पैदा हो गया है। यह किस प्रकार की विधि की विडम्बना बीच में आ गई है कि एक सैनिक नौकर ने वहां के जनता के सम्राट को जेल की सींकचों में बन्द कर दिया है और पता नहीं कल को वह फांसी के तख्ते पर जाय । इसलिये मेरा निवेदन है कि शर्मा जी आप सोचें कि इसमें आपरेटिव क्लाज लाइये कि आगे राष्ट्र को करना क्या होगा । आपने प्रस्ताव पेश करते हुए उस पर कुछ नहीं कहा । इन शब्दों के साथ में मंत्री जी के प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं ।

*श्री उदितनारायण शर्मा--

उपाध्यक्ष जी, यह प्रस्ताव जिस किस्म का है और जिस विषय पर है उसको देखते हुए जिस तरह से किसी सामान्य चर्चा का उत्तर प्रस्ताव को पेश करने वाले दिया करते हैं उस तरह से उसका उत्तर देने के लिये मैं नहीं खड़ा हुआ हूं । मैं चाहता तो यह था कि इस प्रस्ताव पर सभी दलों के नेता बोलते और उसके बाद दोबारा मुझे बोलना न पड़ता तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन जिस तरह से इस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा विरोधी दल के सदस्यों ने करना पसन्द किया उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ न कुछ निवेदन करना मेरे लिये जरूरी है । श्रीमन्, माननीय कृष्णानन्द राय जी ने इस बात की बड़ी चिन्ता व्यक्त की कि यदि आप इसके आगे कोई काम नहीं करते हैं तो अन्तर्राष्ट्रीय जगत में आपकी प्रतिष्ठा एकदम समाप्त हो जायगी । मैं बड़ी नम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में आज तक चाहे जो ख्याति रही हो लेकिन आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत में दूसरे देश चाहे इस कदम को किसी तरह भी समझते रहें हों लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी होगा कि दुनिया में मुजीबुर्रहान के साथ किसी दूसरे देश ने वह हमदर्दी नहीं दिखाई है जितनी हिन्दुस्तान ने दिखाई है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप राष्ट्र की बात यहां पर करते रहें, आज हमारे बड़े राष्ट्र नगण्य हैं और हममें इस बात की हिम्मत है कि हम खड़े होकर कह सकते हैं कि हम खतरा भी मोल ले सकते हैं। यहां जायसवाल जी ने एक लम्बी तकरीर की और उस में बहुत सी बातें कहीं, इंटरनेशनल बातें कहीं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा और केवल इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि उनकी तकरीर यहां उनके अनुकूल ही हुई, ऐसी तकरीर हुई जिसकी हम उनसे उम्मीद भी करते थे और अगर अन्यथा होती तो शायद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमें थोड़ी उनसे शिकायत भी होती । मैं केवल एक ही निवेदन करूंगा कि आगे चल कर क्या होगा यह तो इस समय कोई नहीं जानता . . . .।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आपके पहले भी नासमझ लोगों ने ऐसा ही समझा है और उनको फांसी पर पहुंचा दिया है ।

श्री उदितनारायण शर्मा—

अगर ऐसी बात है तो मुझे अपनी ही नासमझी पर बड़ा दुख है, बहुत सी बातें एसी हुई जो मैं नहीं समझ पाया इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मैं उनसे बहुत ज्यादा नासमझ हूं और जितने लोग भी उनकी बात समझने में नासमझ रहें उतना ही अच्छा है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

शर्मा जी से मैं कहना चाहता हूं कि एक कहावत है कि अब पछताये क्या होता है जब चिड़ियां चुग गई खेत, अब क्या होता है जब वक्त पर ही कुछ नहीं किया गया ।

श्री उदितनारायण शर्मा—

मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि हर एक को यहां अपने विचार रखने का अधिकार है कि बंगला देश को मान्यता दी जाय, उनके ऊपर हमला किया जाय, कहां किया जाय, किस रूप में कब मान्यता दी जाय इसमें अलग-अलग राय हो सकती हैं और विचार भिन्न-भिन्न भी हो सकते हैं लेकिन किसी राष्ट्र के सामने जब इतनी बड़ी समस्या आती है तो यह अपेक्षा की जाती है कि हमें और आपको किस तरह से काम करना है । चाहे आप कुछ भी कहें लेकिन यह बात सही है कि राष्ट्र का ऐसा फैसला जो आज की मौजूदा केंद्र की सरकार है, वही करेगी । आप कहते रहिये, आपकी राय कुछ भी हो लेकिन वस्तुस्थिति को आप को मानना ही होगा । भिन्न-भिन्न रायें रहते हुये भी आप से और हम से यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसे समय में भिन्न रायें रखने वाले भी अपनी राय को जरा दबा कर ही रखें और विश्वास रखें कि जिस सरकार पर उत्तरदायित्व आया है और जनतंत्र के सिद्धांत से जो गठित सरकार है उस जनतंत्र का यह तकाजा है कि ऐसे समय में भिन्न राय रखने वाले भी उनके फैसले के आगे सिर झुकावें । हो सकता है कि हमारे दोस्त इससे इत्तिफाक राय न हों और समझें कि जो हम कह रहे हैं वही होना चाहिये लेकिन मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि ऐसे वक्त में हमारा फर्ज हो जाता है कि मैं इसीलिये दूसरी बात नहीं कर रहा हूं, इसमें सन्देह नहीं है कि उत्तर देने में आसान बात कोई दूसरी नहीं हुआ करती लेकिन मैं निवेदन करना चाहता था कि यदि हम इस बात को समझ सकें कि राष्ट्र की हम ऐसी एक नाजुक घड़ी पर खड़े हैं और हमें ऐसे वक्त में अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिये और जो जनतंत्र का तरीका है उस के लिहाज से राष्ट्र की अगवाई जो हमारी केन्द्र की सरकार है वही करेगी । इसलिये हम ऐसा काम करें जिससे उस सरकार के काम में किसी तरह की बाधा न आये बल्कि हमारी किसी बात से उसके सामने कोई संकोच या एम्बेरेसमेंट भी न हो । आज तो दुनिया को यह दिखाने का समय है कि सारा देश एक आवाज में बोल रहा है । यह काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि किसको किस समय में, किस रूप म बंगला देश को मान्यता दें, न दे या क्या कदम उठायें । उस समय का जहां कोई मौका नहीं था और यदि माननीय सदस्यों ने अपनी इस जिम्मेदारी को महसूस किया होता तो वह देश के लिये ज्यादा कल्याणकारी बात होती ।

एक बात और मैं निवेदन करूंगा कि यहिया खां ने यह भी धमकी और घुड़की दी और कहा कि वह हमारे देश पर हमला कर देंगे और उस की तैयारी के लिये उन्होंने कुछ लोगों से दोस्ती भी की लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगर यह मामला अगर उसूल से

[श्री उदित नारायण शर्मा]

देखा जाय तो मान्यवर, गांधी जी द्वारा दी हुयी जो मान्यताओं और हमारे उसूल हैं, उनके मुताबिक हम किसी के ऊपर हमला करने नहीं जा रहे हैं लेकिन यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने किसी भी वक्त हमला किया तो हम हर तरह से हमले का मुकाबला करने के लिये तैयार हैं । हर तरह का मुकाबला ही नहीं बल्कि हर तरह से पाकिस्तान के दांत खट्टे करने को तैयार हैं और अगर हमको ऐसा मजबूरन करना पड़ा तो उनके दांत खट्टे होंगें । तो इसलिये इस समय तो इस बात की जरूरत है कि हम सब एक राय के हों । हो सकता है कि किसी और मसले पर हमारी अलग-अलग राय हों, हर एक ही जबान अलग-अलग हों लेकिन इस मसले पर कोई फर्क नहीं होना चाहिये ताकि सब लोग कह सकें कि हम लोग एक वक्त में एक राय मजबूती के साथ करना जानते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके पूर्व में यह प्रस्ताव आपके सामने रखूं दो शब्द निवेदित हैं। आज शेख मुजीबुर्रहमान की कैद नहीं है बल्कि मानवता की कैद है । लोकतंत्र मुकैयद (बंदी) है और सत्याग्रह और अहिंसा का तेजपुंज, जो आज पाकिस्तान की जेल में हैं, वह मुकैयद (बंदी) नहीं है, वह इतिहास के कटघरे में नहीं खड़ा है, बल्कि याहिया खां इतिहास के कटघरे में मुल्जिम हैं शासन की ओर से माननीय राजस्व मंत्री ने और प्रतिपक्ष दलों की ओर से अन्य माननीय सदस्यों और नेताओं ने जो भावनायें व्यक्त कीं, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। शेख मुजीबुर्रहमान आज एक इतिहास की घटना हो गये हैं एक अमिट लकीर, एक चिन्ह और एक प्रतीक हो गये हैं। वे एक ऐसे लोकप्रिय, ऐसे जननायक ऐसे तेजपुंज टिमटिमाते हुए सितारे हैं जो पाकिस्तान के सैनिकवाद और अधिनायकवाद से मोरचा ले रहे हैं। मैं आप लोगों से इस सदन की ओर इस प्रदेश की ओर से जिसकी हैसियत जनसंख्या के आधार पर दूसरे कई मुल्कों के समकक्ष है, कह सकता हूं कि यह प्रस्ताव अन्य देशों के लिये चेतावनी होनी चाहिये, जिन्होंने योरुप में जहां पर लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बीच में युद्ध छिड़ा था, जनतंत्र को चुना था और हिटलर का विध्वंस किया था । ऐसे लोग जो जनतंत्र, मानवता और गांधी जी के सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं मुजीब की जन भावनाओं और इच्छाओं का आदर करते हैं, वे नहीं बल्कि याहिया खां हमेशा इतिहास में तरस के पात्र होंगे । मैं इन शब्दों के साथ मैं मुजीब को सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि लोकतंत्र, मानवता, सत्य और अहिन्सा के जीवन स्वरूप सत्याग्रह का प्रतीक की आज जो बन्दी की जिन्दगी है, वह आशा और प्रकाश की नयी रश्मि पैदा करेगी, जिससे न केवल पाकिस्तान में लोकतंत्र बल्कि सारी दुनिया के मानवता समादृत होगी ।

प्रश्न यह है कि पाकिस्तान में वर्षों से चलने वाली बर्बर तानाशाही और द्वेषपूर्ण घृणित साम्प्रदायिकता के बीच शेख मुजीबुर्रहमान ने जिस प्रकार निर्भीकता तत्परता और लगन के साथ जनतंत्र और असाम्प्रदायिकता के मूल्यों की सेवा में जनमत जाग्रत कर गत चुनाव में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की वह मानव इतिहास में सदा एक गौरवपूर्ण अध्याय रहेगा। चुनाव में सफलता प्राप्त करने के पश्चात श्री यहिया खां की पाशविक और तानाशाही शक्ति और प्रवृति का दृढता से विरोध कर उन्होंने मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए मानवोचित वीरता का नया कीर्ति स्तम्भ स्थापित किया जो इतिहास में सदा अमर रहेगा। उत्तर प्रदेश की विधान सभा का यह सदन उनके इन कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हुआ उनका अभिनन्दन करता है । यह सदन यहिया खां द्वारा बंगला देश के जनमानस से उनकी न्यायोचित मांगों और अधिकारों से वंचित करने के लिये किये गये अमानुषिक व्यवहार और नरसंहार की भर्त्सना करता है । यह सदन यहिया खां द्वारा रचित अन्तरिम गणतंत्र जिसकी आड़ में वह वीर मुजीबुर्रहमान के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही कर उनकी वीर आत्मा को खतरे में डालना चाहते हैं, उसके प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त करते हुये कहना चाहता हूं कि यदि श्री यहिया खां ने श्री मुजीबुर्रहमान के

जीवन क साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसके गम्भीर परिणाम होंगे और संसार की न्यायप्रिय आत्माएं कभी उन्हें क्षमा नहीं करेंगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और १६ तारीख को ११ बजे फिर मिलेगें।

इसके बाद सदन ७ बजकर १० मिनट पर सोमवार, १६ अगस्त १९७१ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
११ अगस्त, १९७१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर)

मांग-पत्र परिशिष्ट

१—दैनिक वैतनिक श्रमिक को तुरन्त स्थायी किया जाय और तब स्थायी श्रमिकों को उपलब्ध सुविधायें जैसे कि महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा भविष्य निर्वाह निधि की सुविधायें दी जायं।

२—फोरमैन तथा ए० पी० ओ० के पद तक सभी बाहरी नियुक्तियां रोक दी जायं और उच्च पदों के लिए भी बाहरी व्यक्तियों तथा कारखानों के श्रमिकों के लिये ६० प्रतिशत तथा ४० प्रतिशत का अनुपात निर्धारित किया जाय।

३—पदोन्नति नीति ज्येष्ठता के आधार पर घोषित की जाय और जैसा कि ओ० एन० जी० कमीशन तथा अन्य प्रतिष्ठानों में अपनाया गया है पदोन्नति के लिये लिखित नियम बनाये जायं।

४—बी० एच० ई० एल० के प्रशिक्षित कारीगरों को ६ माह के स्थान पर १ माह का नौकरी छोड़ने का नोटिस देने की अनुमति दी जाय।

५—महंगाई भत्ता उसी प्रकार बढ़ाया जाय जैसा कि हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन रांची में।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर)

सूची १

नव-निर्माण कार्य

क्रम-संख्या	सड़क का नाम	वर्ष १९७०–७१ का कुल व्यय रु०
१	२	३
१	बलिया-बैरिया-रिविल गंज मार्ग का निर्माण कार्य ..	१०२८९३.२८
२	रेवती-बैरिया लाल गंज मार्ग का निर्माण कार्य	५५५३६.४४
३	रसड़ा-कासिमाबाद मार्ग का निर्माण कार्य	१२१२१२.६६
४	रसड़ा कासिमाबाद मार्ग के छूटे हुए मार्ग का निर्माण कार्य ..	१४७१०.५३
५	बलिया–बैरिया–रिविल गंज मार्ग के छूटे हुए मार्ग का निर्माण कार्य	१८५११.७५
६	रेवती–बैरिया-लाल गंज मार्ग के छूटे हुए मार्ग का निर्माण कार्य ..	३४६२१.५०
७	रतनपुरा–भीमपुर मार्ग का निर्माण कार्य	९६३०.९७
८	रतनपुरा-बैसोली मार्ग का निर्माण कार्य नगरा ब्लाक में (जनशक्ति) के अन्तर्गत)	१२३०४.५०
९	सियर सोनाडीह मार्ग का निर्माण कार्य	२४१८.८०
१०	बक्सर ब्रिज के पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	९६९२१.६४
११	रतसड़पुर एकइल मार्ग का निर्माण कार्य	६९.३३
१२	फिरोजपुर-ताजपुर-यूसुफपुर मार्ग का निर्माण कार्य ..	१०००९४.५४

सूची–२

जीर्णोद्धार वाले मार्ग

क्रम-संख्या	सड़क का नाम	१९७०–७१ में हुआ व्यय रु०
१	सिकन्दरपुर–बेलथरा मार्ग का आधुनीकरण	३,००,२१७.४५
२	बलिया-बैरिया-रिक्लिगंज व लखनऊ-बलिया मार्ग का छूटा हुआ भाग (पुर्ननिर्माण) ..	९८०.७३
३	बलिया-सिकन्दरपुर मार्ग को ऊंचा करना	५,००३.००
४	सिकन्दरपुर-बेलथरा मार्ग का मोटा करना, .. ग्रामीण जनशक्ति योजना— ..	३३,१२९.००
५	लखनऊ-बलिया मार्ग का पुनः निर्माण व सुधार .. मील २३३ से २४० ..	३०,०११.००
६	बलिया-सिकन्दरपुर मार्ग का आधुनीकरण	१,९९,९२५.११
७	लखनऊ-बलिया मार्ग मील २०४ से २०८ आधुनीकरण ..	१,६१,१०१.९७

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

सूची—३
मरम्मत कार्यों का ब्योरा

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम	७०—७१ में व्यय रु०
१	२	३
१	लखनऊ—बलिया मार्ग	१६,८२५.५६
२	वाराणसी—बलिया मार्ग	३८,९९१.५८
३	रसड़ा—नगरा—तुर्तीपार मार्ग	७५,४९८.४३
४	बेल्थरा—मधुवन मार्ग	९५,३९३.३७
५	स्टेशन रोड	३५६.००
६	बांसडीह—उहताल मार्ग	५०,४२३.७५
७	बलिया—सिकन्दरपुर मार्ग	७९,६६८.८४
८	सिकन्दरपुर—बेल्थरा	११,६१५.२३
१९	बर्फिक आफ रोड रोलर मरम्मत	३७,६७१.६९
१०	बलिया—वरिया—रिविलगंज मार्ग	१,५७,८५५.०१
११	रेवती—वैरिया-लाल गंज मार्ग	१६,१९४.४७
१२	सिकन्दरपुर—बहलाल मार्ग	३८,६८७.९०
१३	पचमोरा—रतसड़ मार्ग	९,८३४.५०
१४	बांसडीह—रेवती मार्ग	३५,४२०.४५
१५	सुरेमनपुर—बैरिया—रेलवे फीडर	१,९८४.८२
१६	बलिया—बांसीडीह	६१,२८६.२५
१७	रसड़ा—कासिमाबाद मार्ग	३६,७८८.०५
१८	नगरा—सिकन्दरपुर मार्ग	११,७९३.३७
२९	रतनपुरा—बैलोली मार्ग	१४,०६५.५०
२०	बांसीडीह—सुखपुरा मार्ग	(—) १०५४.६२
२१	चीतबड़ा गांव रेलवे फीडर	(—) २२७.३८
१	२	३
५०—रखरखाव श्रमदान मार्ग:		
१—रसड़ा-कोठवारी मार्ग		६०७४—९०
२—फेफना-गड़वार मार्ग		७०१५२—०९
३—गडवार—नगरा मार्ग		७९५२—७०
४—नगरा—बरोली मार्ग		५००५८—६१
५—गड़वार—रतसड़ मार्ग		१२३१३—२३
६—गडवार-सुखापुर मार्ग		६४५०—४०
७—बांसडीह-सुआपुरा मार्ग		२११२४—३६
८—परसरिया मार्ग		६३०—३१
९—सरास-भारती मार्ग		२४—००
१०—अमिला पकवाई नार मार्ग		९—५०

५०—वार्षिक मरम्मत आधुनीकरण

१—बेल्थरा-मधुवन मार्ग	..	..	..	४४५१९.२५
२—बलिया—रिविलगंज मार्ग मील ४ से २८		..	..	१०२४८.१७

विशेष मरम्मत तथा मानसून से हुई क्षति की विशेष मरम्मत

१—वाराणसी-बलिया मार्ग	..	..	..	२०४८८.००
२—बलिया-बैरिया-रिबिल गंज मार्ग		..	..	८८५९७.२०
३—रसड़ा कासिमाबाद मार्ग	..	..	..	२४०२९.००
४—रसड़ा नगरा—तुर्तीपार मार्ग	..	..	..	१८०३४.००
५—लखनऊ—बलिया मार्ग	..	..	..	१०३२९.००
६—परसिया मार्ग	..	..	..	७५६.१०
७—सुरेमनपुर--बैरिया फीडर	..	..	..	१७४१.००
८—नगरा-सिकन्दरपुर	..	..	..	२५८४०.३०
९—बांसडीह-सिकन्दरपुर	..	..	..	२५३३२.५०
१०—नगरा बरौली ..	..	..	..	६०००.००
११—बलिया—सिकन्दरपुर	..	..	..	४४३६९.००
१२—रेवती—बरिया—लाल गंज	..	..	..	१४६.२५

विधान सभा सचिवालय

सूची–४

पिपराघाट पुल से हुई १९७०–७१ में मासिक आमदनी।

(रुपयों में)

अप्रैल,	१९७०	१२,७७९.०२
मई,	१९७०	१८,२६३.३२
जून,	१९७०	१७,६४३.८१
जुलाई,	१९७०	१०,७९५.९१
अगस्त,	१९७०	९,३५२.८९
सितम्बर,	१९७०	९,१८२.३३
अक्तूबर,	१९७०	११,२७०.१७
नवम्बर,	१९७०	१५,९३८.७७
दिसम्बर,	१९७०	१३,०३०.५८
जनवरी,	१९७१	१७,२६१.२७
फरवरी,	१९७१	१४,५२९.००
मार्च,	१९७१	१३,१४३.२७
	योग	१,६३,१९०.३९

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९ पर)

१—सिचाई विभाग को भूमि खेती के लिए पट्टे पर निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार दी जाती है :—

(क) जिनसे भूमि हस्तगत की गई हो ऐसे स्थानीय व्यक्तियों को,

(ख) स्थानीय भूमिहीन विशेषकर आदिमवासी और हरिजनों को,

(ग) ऐसे व्यक्तियों को जो कम से कम ५ वर्ष से भूमि को विभाग से कानूनन पट्टे पर लिये हुए हों,

(घ) स्थानीय रक्षा कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को,

(ङ०) यदि उपरोक्त वर्गों में से कोई भूमि न ले तो नीलाम द्वारा सब से ऊंची बोली वाले व्यक्ति को।

२—उपरोक्त प्राथमिकता केवल उत्तर प्रदेश में स्थित भूमि के लिए ही है। प्रदेश से बाहर स्थिति भूमि का निस्तारण नीलाम द्वारा किया जायेगा।

३—पट्टे ५ वर्ष के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ किए जायेंगे कि किसी समय भी विभाग की आवश्यकता पर इन्हें निरस्त कर के भूमि वापस ली जा सकती है। ५ एकड़ से अधिक भूमि किसी व्यक्ति को नहीं दी जायेगी। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास १२ १/२ एकड़ से अधिक भूमि हो, सिंचाई विभाग की कोई भूमि पट्टे पर नहीं दी जायेगी। पट्टे सरकिल रेट के दूने दर पर दिये जायेंगे।

४—५ वर्षों से अधिक समय से जोत रहे कृषक की मृत्यु के बाद उसके वारिसों पर भी उपरोक्त आदेश लागू होंगे।

५—मध्य प्रदेश क्षेत्र में रिहन्द जलाशय के डूब से निकली हुई भूमि नीलाम द्वारा पट्टे में नहीं दी जाती है। उक्त भूमि पूर्व व्यवस्था के अनुसार विस्थापित काश्तकारों को खेती के लिए पट्टे पर दी जाती है।

पी० एस० यू०पी०—ए० पी १६७ एल० ए०—१९७२—८४५।